पंचम माला, खंड 18, अंक 12 बुधवार, 16 अगस्त, 1972/25 श्रावण, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XVIII, No. 12 Wednesday, August 16, 1972/Sravana 25, 1894 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवां सत्र
Fifth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 18 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी मे अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12—बुधवार, 16 अगस्त, 1972/25 श्रावण, 1894 (शक)

No. 12—Wednesday, August 16, 1972/Sravana 25, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
फिजी के अध्यक्ष का स्वागत	Welcome to Speaker of Fiji	1

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.		
223 केन्द्रीय सरकार के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा धन का संचय	Accumulation of Wealth by Class I and Class II Officers of the Central Government . .	1–3
224 संगीत तथा नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा प्रदर्शन	Song and Drama Division's Artistes' Rally	3–4
225 बिरला, साहू जैन तथा टाटा बन्धुओं को लाइसेंस जारी किया जाना	Issue of Licences of Birla, Sahu Jain and Tatas . . .	4–6
226 चलचित्र परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for setting up of Film Council	7–8
227 धन की कमी के कारण लघु उद्योग क्षेत्र में क्षमता का पूरा उपयोग न होना	Lack of Full Utilisation of Capacity in Small Sector due to Paucity of Funds	8–9
228 युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों का दिया जाना	Telephone Connections to War Heroes Dependents on Priority Basis	10–11
231 टेलीफोन कालों के बिलों में कथित हेरफेर	Alleged Manipulation in Telephone Bills	11–13
232 वाइस एडमिरल सौमान द्वारा अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्था के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप	Allegation against Chairman, National Institute of Designs, Ahmedabad by. Vice Admiral Soman	13–15
234 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्र	Proposed TV Station during Fourth Five Year Plan . .	15–16
235 हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन	Review of Progress made in use of Hindi	16

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor o the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
201	राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of State Ministers of Housing 16–18
202	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा डाक्टरों को व्यवस्था रहित सामुदायिक विकास खंड	Community Development Blocks without Primary Health Centres and without Doctors. . . 18
203	वर्ष 1971 के दौरान बित्रागुन्ता रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए चावल की दशा	Conditions of Rice seized at Bitragunta Station during 1971 . 19
204	वर्ष 1971-72 में अनाज के उत्पादन में कमी को देखते हुए अनाज के उत्पादन में वृद्धि हेतु उपाय	Steps to increase Food Production due to shortfall during 1971-72 . 19
205	आंध्र प्रदेश के कृष्णा तथा पश्चिम गोदावरी जिले के मिल मालिकों के पास पड़ा चावल	Rice lying with Millers of Krishna and West Godavari District of Andhra Pradesh . . . 19–20
206	राष्ट्रीय संग्रहालय पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारत सरकार मुद्रणालय में काम करने वाले बाईंडरों के वेतन मान	Pay Scale of Binders working in National Museum Archaeological Department, National Archives and Government of India Press. 20
207	बड़े शहरों में गन्दी बस्ती हटाओ योजना	Slum Clearance in big Cities . 21
208	दिल्ली परिवहन निगम की बसों का खराब होना	Breakdown of DTC Buses . . 21
209	मैसुर राज्य में दसवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में जम्मू और काश्मीर को एक पृथक देश दिखाना	Showing of J. & K as a separate Country in 'X' standard Text Book in Mysore State . . 22
210	समुद्र तटीय पोतों को मंगाना	Acquisition of Coastal Vessels . 22
211	मध्य प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि विकास योजनाएं	Centrally Sponsored Agricultural Development Schemes in M. P. 22
212	विश्वविद्यालयों के शासी निकायों में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व	Students Representation on Governing Bodies of Universities . 23
213	राज्यों को बीजों और उर्वरकों की अनियमित सप्लाई के बारे में शिकायतें	Complaints Regarding Irregular Supply of Seeds and Fertilizers to States 23–24
214	वर्ष 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान	Estimates of Production of Foodgrains during 1971-72 . . 24
215	उर्वरक के मूल्य में वृद्धि और अनाज के उत्पादन पर उसका प्रभाव	Rise in Price of Fertiliser and its effect on grain production . 24–25
216	सात घंटों में पुल निर्माण	Bridge in seven hours . . 25
217	राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा सस्ते मकानों का निर्माण	Cheap House by NBO . 26

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
218	निःशुल्क चिकित्सा के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना / Central Health Scheme for Free Medical Treatment	26
219	कनॉट प्लेस में गगन चुम्बी भवनों की ऊंचाई की न्यूनतम सीमा / Minimum Standards for Sky Scrappers in Connaugh Place, New Delhi	26
220	राज्यों में चीनी की कमी / Scarcity of Sugar in States	27
221	सीधे डायल घुमा कर ट्रंक काल करने में राजस्व की हानि / Leakage of Revenue in Trunk Dialling	27
222	टेप रिकार्डर उद्योग की लाइसस प्राप्त क्षमता का कम किया जाना / Reduction of Licensed Capacity in Tape Recorder Industry	27–28
229	डाल्टनगंज-पटना टेलीफोन लाइन की खराब स्थिति / Dalton Ganj-Patna Telephone Lines inactive	28
230	डाक तार कालौनी, किदवई पुरी, पटना / P & T Colony, Kidwaipuri, Patna	28
233	धान के खेतों में चुराये गये डाक पत्रों का पाया जाना / Stolen Mail found in Paddy fields	28
236	अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदों के कोटे को भरने के लिये राज्यों को निदेश / Directive to States to fill quota of posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Teibes	29
237	आकाशवाणी के सम्वाददाता / AIR Correspondents	29
238	पुलिस द्वारा एक मानसिकरोग ग्रस्त महिला के साथ उसे दिल्ली न्यायालय ले जाते समय बलात्कार / Alleged assault on a mentally retarded Famale by Police Party while taking her to a Delhi Court	29–30
239	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वी० एच० एफ० नामक एक नई टलीफोन पद्धति / VHF a new Telephone System for Rural Areas	30
240	सरकारी क्षेत्र में टायरों के कारखाने / Tyre factories in Public Sector	30–31

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		
1980	असम में बारपेट स्थित राज्य फार्म की प्रगति / Progress of State Farm at Barpeta, Assam	31
1981	मध्य प्रदेश में मुर्गी फार्म तथा पोषाहार वितरण केन्द्र / Poultry Farm and Nutritious Food Distribution Centres in M.P.	31
1982	मध्य प्रदेश के आदिवासियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देना / Promoting Education among Adivasis of Madhya Pradesh	32–33
1983	संसद् भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध उत्पादों का बिक्री मूल्य / Sale price of Milk products of DMS in Parliament House.	33–34
1984	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपलब्ध सीटें / Seats available in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	34–36
1985	विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सीटें / Seats in various Indian Institutes of Technology	36

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
1986	डिब्रूगढ़, असम में छोटे तथा सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिये योजना	Small and Marginal Farmers and Agricultural Labour Scheme in Dibrugarh, Assam . . . 36
1987	अर्थ शास्त्री द्वारा भारत छोड़ा जाना	Economist Leaving India . . 37
1988	दिल्ली में रजिस्टर्ड धार्मिक संस्थाओं की भूमि का आवंटन	Allotment of land to registered Religious Institutions, New Delhi. 37
1989	राज्यों में विभिन्न आवास योजनाओं के लिये स्वीकृत राशि	Amount sanctioned to various Housing Schemes in States. 37–38
1990	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी के लिये वित्तीय सहायता	Financial Aid for Drinking Water in Rural and Urban Areas . 38
1991	संसद् सदस्यो के फ्लैटों पर जाने से डाक्टरों द्वारा इंकार किया जाना	Doctor's Refusal to visit M. P's. Flats 39
1992	संसद् सदस्यों को दिल्ली में भूमि का आवंटन	Allotment of Land to M. P's. in Delhi 39–40
1993	सरकारी अधिकारियों की उनकी बारी पर आवास का आवंटन	Allotment of Accommodation to Government Officers on their turn 40–41
1994	भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों की संख्या	Staff strength of Food Corporation of India 41–42
1995	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सप्लाई किये गए उर्वरक में मिलावट	Adulteration of fertiliser supplied by Fertiliser Corporation of India. 42–43
1996	बंगला देश की नम्बर प्लेटों वाली कारों की जब्त करने के लिये राज्य सरकारों को दिया गया तथाकथित परामर्श	Advice allegedly given to State Governments to seize cars having Bangla Desh Number Plates . 43
1997	पाचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये कार्यकारी दल	Working Group for Preparation of Draft Fifth Five Year Plan. 43
1998	राजस्थान में न्यूट्रीशन मानीटरिंग के लिये राष्ट्रीय एकक की स्थापना	Setting up of National Unit for Nutrition Monitoring in Rajasthan. 43–44
1999	मध्य प्रदेश में आदिवासी क्षेत्रों का सुधार	Improvement of Adivasi Areas in M.P. 44–45
2000	बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खाद सामग्री के वितरण में हुए गोलमाल की जांच	Enquiry into Malpractices in Distribution of Food in Flood Affected Areas . . . 45
2001	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के समाज विज्ञान के प्रोफैसर द्वारा लिया गया विमान भाड़ा	Alleged double charge of Air fares by Professor of Sociology, IIT Delhi 45
2002	परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित समिति	Committee on Examination System 45–46
2003	बिहार के चम्पारण जिले में एक कृषि फार्म की स्थापना	Setting up of an Agricultural farm in Champaran, Bihar . . 46

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us.Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2004	भूमिहीन किसानों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक समिति की स्थापना / Setting up of Committee to study the condition of Landless Farmers	47
2005	उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी द्वारा उप कुलपति के पद पर कार्य किया जाना / ICS Officer working as Vice-Chancellor of University in U.P.	47
2006	उर्वरक के लिये निर्यात कार्यक्रम / Import Programme for Fertiliser.	47–48
2007	नालों का सर्वेक्षण / Survey on Nullahas	48
2008	जिला रायगढ (मध्य प्रदेश) में छाल तालाब पर तट बन्ध / Embankment of Chhal Pond in District Raigarh (Madhya Pradesh)	48
2009	उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के लिये अनुरोध / Request of Central Assistance for lift Irrigation Scheme in U.P.	49
2010	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु जल बोर्डों की स्थापना / Setting up of Water Boards to tackle drinking water problem in rural and urban areas	49
2011	आदिवासी विकास खंडों में नियुक्तियां / Appointments to Tribal Development Blocks	49–50
2012	दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित दिल्ली की गन्दी बस्तियां / Delhi slum area controlled by Municipal Corporation of Delhi, DDA and Land Development Authority	50
2013	सड़क रोलरों के उत्पादन में कमी आ जाने तथा इस्पात की कमी के कारण सड़क निर्माण कार्य पर पड़ा प्रभाव / Effect on road building work due to shortfall in production of road rollers and shortage in Steel	50–51
2014	गन्दी बस्तियों में सुधार करने के लिये नई दिल्ली नगर पालिका को धन राशि देना / Funds to NDMC improvement in slum areas	51
2015	ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम की योजना द्वारा समीक्षा / Reviews by Planning Commission of crash programme for Rural Employment	51–52
2016	दिल्ली में मोटर दुर्घटनायें / Motor accidents in Delhi	52
2017	मानव शरीर में आंकड़ी कीडों का संक्रमण / Hook worm infection in human body	52–53
2018	कृषि विज्ञान में विशेषज्ञों की अदला-बदली के लिये विदेशों से करार / Agreement with foreign countries for exchange of experts in Agricultural Science	53
2019	लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लायब्रेरी का अधिग्रहण / Acquisition of Indian Office Library in London	53

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us.Q.Nos.		पृष्ठ PAGES
2020	गोआ में ग्रामीण रोजगार के लिये द्रुत कार्यक्रम	Crash programme for Rural Employment in Goa . . . 54
2021	उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने के लिये कार्यवाही	Steps to obtain adequate supplies of Fertilisers 54–55
2022	नीमच केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कृषि कार्यों के लिये ऋण देना बन्द किया जाना	Stoppage of grant of loans by Neemuch Central Cooperative Bank for Irrigation purposes. 55
2023	दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में मद्यपान की लत	Addiction to drinks among Delhi University students . . . 55
2024	ग्रामीण सड़क आयोगों की स्थापना	Setting up of Rural Road Commission 56
2025	मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर बहु भाषीय आंकड़े	Multi-lingual Figures on Number Plates of Vehicles . . . 56
2026	लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में महिला रोगियों को दाखिल करना	Admission of women patients in Lady Hardings Hospital, New Delhi 56–57
2027	उर्वरक के कोटे में वृद्धि के लिये राज्यों का अनुरोध	Request from States for increased quota of Fertilisers . . . 57
2028	नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली से मिलाने वाली सड़क कनेक्शनों का निर्माण	Construction of Road Connecting New Delhi with Old Delhi . 57–58
2029	अनुसूचित जातियों की सूची में कुदुम्बी तथा वल्लन समुदायों का शामिल किया जाना	Inclusion of Kudumbi and Vellan Community in List of Scheduled Castes 58
2030	अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक का पुरः स्थापित किया जाना	Introduction of SC and ST Orders (Amendment) Bill . 58–59
2031	प्राचीन दिल्ली (वाल सिटी) के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय योजना का प्रबन्ध	DDA Draft Zonal Plan for the walled City of Delhi . . 59
2032	दिल्ली में स्टाल होल्डरों का हटाया जाना	Shifting of Stall holders in Delhi 59–60
2033	पश्चिम बंगाल में बरामद किये गये घटिया चावल को खराब होने से बचाना	Salvage of Sub-Standard Rice Unearthed in West Bengal . 60
2034	राज्यों में क्षय रोग	Tuberculosis in States . . 60
2035	प्राइवेट मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये प्रति व्यक्ति फीस	Capitation Fee for Admission to Private Medical Colleges . . 61
2036	योजना आयोग द्वारा भूमि सुधारों की समीक्षा	Review of land reforms by Planning Commission . . . 61–62

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us.Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2037	मध्य प्रदेश को निर्धन भूमिहीन व्यक्तियों के लिये मकान बनाने की योजना हेतु वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Madhya Pradesh Government for construction of Houses for Poor Landless 62
2038	मध्य प्रदेश में आदिवासी कल्याण योजना	Adivasis Welfare Schemes in Madhya Pradesh . . . 62–63
2039	नसबन्धी आपरेशन के लिये प्रोत्साहन	Incentive for Vasectomy Operation 63–64
2040	मध्यप्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय (सेंट्रल स्कूल)	Central Schools in Madhya Pradesh 64
2041	दिल्ली परिवहन उपक्रम का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद दिल्ली में बस सेवा	Bus Service in Delhi Since DTU take over 64–65
2042	कृषि उत्पादों की कीमतों की सिफारिश करने के लिये आयोग की स्थापना	Setting up of a Commission to suggest prices of Agricultural produce 65
2043	गडरियों की संख्या तथा उनके उत्थान के लिये कार्यवाही	Population of Shepherds and steps for their uplift. . . 65–67
2044	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा विकसित कपास की नई किस्में	New varieties of Cotton Developed by University of Agricultural Science, Bangalore . . . 67
2045	समस्त फालतू भूमि पर सांझी खेती की योजना	Scheme for Joint Farming of Surplus Land 67
2046	गोंड (स्वैम्प हिरण) को समाप्त होने से बचाने के लिये कार्यवाही	Steps to preserve Gond (Swamp deer) from extinction. . . 68
2047	दिल्ली परिवहन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद से दिल्ली में बस सेवा की स्थिति	Bus service in Delhi since DTU take over 68–69
2048	खेलों को शिक्षा का अंग बनाया जाना	Inclusion of Sports as part of Education 69
2049	नौवहन सुविधाओं का विकास	Development of Shipping Facilities 69–70
2051	गेहूं, चावल, दाल, चीनी, और रुई के सरकारी भाव, बाजार भाव और वसूली भाव	Cost Price, Market price and procurement price of wheat, rice, pulses, sugar and cotton. . . 70
2052	मध्य प्रदेश में जम्मू तथा कश्मीर को स्वतन्त्र देश दर्शाने वाली पाठ्य पुस्तकें	Text Books in M. P. state showing J. & K as an independent country 70
2053	स्वदेशी सप्लाई कर्ताओं द्वारा निर्धारित समय पर माल न पहुंचाने के कारण विशाखापत्तनम शिपयार्ड के वितरण कार्यक्रम पर प्रभाव	Effect on delivery schedules of Vishakhapatnam Shipyard due to Non-adherence to Delivery Schedules by Indigenous Suplpliers 71

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2054	छोटे, मध्यम श्रेणी तथा बड़े किसानों के लिये कृषि ऋण की नई योजना	New Scheme of Agricultural Credit for Small, Medium and Big Farmers 71–72
2055	देश में कार्य कर रहे विदेशी कृषि विशेषज्ञ	Foreign Agricultural Experts working in the country . . . 72
2056	भारतीय खाद्य निगम के बिक्री केन्द्र	Sales centres by FCI 72
2057	डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाइप II के क्वार्टरो के लिये सामूहिक स्टैंडर्ड शुल्क	Standard pooled Licence Fee for type II Quarters in DIZ Area. 72–73
2058	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन के लिये प्राथमिकता का निर्धारण	Priority reached for allotment of Accommodation to Central Government Employees . . 73–74
2059	देश में अंधे व्यक्ति	Blind Persons in the country. . 74
2060	मध्य प्रदेश के भण्डागार निगम की भंडार क्षमता का उपयोग	Utilisation of Storage Capacity of Warehousing Corporation of Madhya Pradesh . . . 74–75
2061	देश में कुष्ठ रोग	Leprosy in the country . . 75
2062	मिट्टी परीक्षण, प्रयोग शालाओं की स्थापना	Setting up of Soil Testing Laboratories 75–76
2063	उर्वरकों तथा खेती के काम आने वाली अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने, उनका भण्डार बनाने और उनके वितरण के लिये विपणन सहकारी समितियों को दिया गया ऋण	Credit provided to marketing Co-operatives for Procurement, Stocking and Distribution of Fertilisers and other Agricultural Inputs 76
2064	बकाया अस्थायी ऋणों के बारे में आई० आई० टी० दिल्ली की अधिसूचना	IIT Delhi Notification Regarding Outstanding Temporary Advance 76–77
2065	नौवहन उद्योग का विकास करने के लिये बंगला देश को सहायता	Assistance to Bangla Desh for Developing Shipping Industry 77
2066	अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास	Development of Inland Water Transport 77–78
2067	तटवर्ती जहाजरानी का विकास न होने के कारण छोटे पत्तनों का उपयोग न होना	Non-utilisation of Minor Ports due to Lack of Development of Coastal Shipping . . . 78
2069	पूर्वी राज्यों में सुफाला किस्म के मिश्रित उर्वरक की कमी	Shortage of Suphala Type Complex Fertiliser in Eastern States . 78
2070	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुख्य निकाय का पुनर्गठन	Reconstruction of Main body of ICSSR. 79
2071	सम्पदा निर्देशक द्वारा गैर सरकारी व्यक्तियों को आवंटित मकानों आदि की सूची	List of Non-Official Allotted Houses by Directorate of Estates. 79

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2072	कलकत्ता पत्तन के चाय गोदाम का बंद होना / Closure of Tea Godown of Calcutta Port	79–80
2073	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत वैज्ञानिकों के वेतनमान / Scales of Scientists under Indian Council of Agricultural Research	80
2074	दिल्ली में कुतुब मीनार व लाल किला तथा आगरा में ताजमहल तथा लाल किला देखने जाने वाले दर्शकों से प्राप्त राजस्व / Revenue derived from Visitors to Qutab Minar, Red Fort in Delhi and Tajmahal and Red Fort, Agra	81
2075	संरक्षित स्मारक घोषित किये गए भवनों, मंदिरों और मस्जिदों के रख-रखाव पर खर्च / Expenditure on Maintenance of Protective Buildings, Temples and Masjid declared as protected Monuments	82
2076	सरकारी क्वार्टरों का निर्माण / Construction of Government Quarters	82
2077	गो बध के बारों में राज्यों को केन्द्र का परामर्श तथा इस बारे में राज्यों के विचार / Central Advice to States on Cow Slaughter and views of States thereon	82–83
2078	बन्ध्यकरण के लिये आयु सीमा / Age limit for Sterilisation	83
2079	काजू अनुसंधान संस्थान की स्थापना / Establishment of Cashew Research Institution	83
2080	बिहार में भूदान में मिली भूमि / Land Received under Bhoodan in Bihar	84
2081	बिहार की सहकारी समितियों द्वारा देय बकाया राशियां / Outstanding Dues to Bihar Co-operative Societies	84
2082	देश में हरिजनों तथा आदिवासियों को आवास सुविधायें / Housing Facilities for Harijans and Tribals in the country	84
2083	दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता / Central Assistance to States for Increasing Milk Production	84
2084	सप्रू हाउस लायब्रेरी, नई दिल्ली से गुम हुई पुस्तकें / Missing of Books from Sapru House Library, New Delhi	85
2085	नार्वे सहायता कार्यक्रम के अधीन एक मत्स्य खोजक जल पोत की सप्लाई / Supply of an exploratory fishing Vessel under Norwegian Aid Programme	85
2086	केरल को सेला चावल की सप्लाई / Supply of Boiled Rice to Kerala	86
2087	केरल को चीनी का आवंटन / Sugar Allotment to Kerala	86
2088	जीवाणु उर्वरक के सम्बन्ध में अनुसंधान / Research in Bacterial Fertiliser	87
2089	भारत द्वारा निर्मित सभी सुख सुविधाओं से लैस जहाज हर्षवर्धन से होने वाले लाभ का अनुमान / Profits expected from Indian Built Luxury Liner Harsha Vardhan	87
2090	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति के लिये द्रुत कार्यक्रम / Crash Programme for appointment of Primary Teachers in Rural Areas	87–88

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2091	विदेशी जहाज रानी कंपनियों द्वारा बम्बई की गोदियों के निकट तेल के टैंकरों को धोने से समुद्रीजल का दूषण	Pollution of Sea Water by Washing of Oil Tankers by Foreign Shipping Concerns near Bombay Docks . . . 88
2092	उड़ीसा में कृषि तथा पटसन की फसल को हुई हानि के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Agricultural and Jute loss in Orissa . . 88–89
2093	राष्ट्रीय राजपथ संगठन, उड़ीसा का कार्यकरण	Performance of National Highways Organisation, Orissa . . 89
2094	निर्धारित वसूली मूल्यों के आधार पर वसूली की चीनी की मात्रा का अनुमान लगाना	Assessment of levy sugar on the basis of levy prices . . . 89
2095	कोचीन शिपयार्ड के निर्माण कार्य में प्रगति	Progress in completion of Cochin Shipyard 89–90
2096	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रचार	Family Planning publicity through Information and Broadcasting . 90
2097	पुस्तक संवर्धन डिवीजन का कार्यकरण	Functioning of Book Promotion Division 90–91
2098	नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा इण्डिया लैंड एण्ड पीपल पर प्रकाशित पुस्तकें	Books on India Land and People brought out by NBT . . 91
2099	भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के बाद भूमि पाने वाले व्यक्तियों को केन्द्रीय सहायता	Central aid to persons given Land to Imposition of Ceiling . . 91
2100	हिन्दी पुस्तकों का तैयार किया जाना	Production of Hindi Books . 91–92
2101	दिल्ली में बस सेवा में सुधार	Improvement of Bus Service in Delhi 92–93
2102	वनास्पति तथा वैजीटेबल का उत्पादन कर रही फर्में	Firms manufacturing Vanaspati and Vegetable products . . 93
2103	समाजशास्त्री समिति सम्मेलन के लेखे जोखे की जांच	Inspection of Accounts of Sociological Society Conference . . 93–94
2104	यमुना नदी पर आई० टी० ओ० पुल के रास्ते से दिल्ली परिवहन निगम की बसों का नया मार्ग निर्धारित करना	Re-Routing of DTC Buses through ITO Bridge of Jamuna River 94–95
2105	पांचवी योजना के दौरान बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार के निदेश	Central Directives for Conversion of Barren Land into Cultivable Land during Fifth Plan 95

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2106	शहरी कूड़े कर्कट तथा मल (नाईट सोयल) को आर्गनिक खाद के रूप में उपयोग में लाने के बारे में समिति का प्रतिवेदन / Report of Committee on Use of Urban Waste and Night Soil as Organic Manure . . .	95
2107	अस्पताल प्रशासकों का संवर्ग / Cadre of Hospital Administrators	95–96
2108	उत्तर प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालयों की स्वीकृति के लिये अनुरोध / Request for Sanction of Two Agricultural Universities in Uttar Pradesh	96
2109	भारत के महान सपूतों के नाम तथा स्मृति से सम्बद्ध शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थान / Edu cational. Cultual and Social Institution Associated with names and Heritage of Great Sons of India	96
2110	इंस्टीट्यूट आफ एडवांसड स्टडीज, शिमला जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के पुस्तकालयों में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा और उन पर लिखी गई पुस्तकें / Books on and by Netaji Subhash Chandra Bose available in Library of Institute of Advanced Studies, Simla Jawaharlal Nehru University and Central Government Libraries . . .	96–97
2111	वर्ष 1971-72 में अनाज के लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन में कमी और 1972-73 में अनाज के उत्पादन का अनुमान / Shortfall in Target of Food Production [during 1971-72] on Estimates of Food Production in 1972-73	97
2112	बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये योजना / Scheme for providing Employment to Educated Unemployed	97–98
2113	हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का पढाया जाना / Teaching of Hindi and other Languages	98–99
2114	राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों का सम्मेलन / Conference of State Health Secretaries	99–100
2115	दिल्ली में पब्लिक स्कूलों को अधिकार में लेना / Taking over of Public Schools in Delhi	100
2116	नकली औषधियों की बिक्री / Sale of Spurious Drugs . .	100–101
2117	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बारानी खती सम्बन्धी परीक्षण / Experiment in Dry Farming by ICAR	101
2118	हरियाणा में बीरबल का छत्ता नामक स्मारक / Monument Birbal Ka Chhatta in Haryana	102
2119	चावल उत्पादन क्षत्रों में कृषि क्रांति पर रासायनिक उर्वरकों की कमी का प्रभाव / Effect of Shortage of Chemical Fertiliser on Green Revolution in Rice Growing Areas . .	102–103
2120	रूमानिया द्वारा जहाजों की डिलिवरी / Delivery of Ships by Rumania .	103
2121	कलकत्ता पत्तन क्षेत्र में छिटपुट चोरी / Pilferage in Calcutta Port Area .	103–104
2123	गोपालपुर लघु पत्तन का निर्माण कार्य / Construction work of Gopalpur Minor Port	104

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ Pages
2124	बालासौर, उड़ीसा में चांदबाली पत्तन के विकास कार्य पर खर्च की गई धनराशि	Amount spent on Development wo:ks of Chandbali Port in Balasore, Orissa 104
2125	संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा विदेशी सहायता पाने वाले विकासशील देश	Developing Countries receiving Foreign Assistance through UN Agencies 105
2126	दिल्ली दुग्ध योजना के पुर्णकालिक दुग्ध स्टालो पर कार्य करने वाले विक्रय कर्मचारियों (सेल्स अटेन्डेन्टस) के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Sales Attendants of All Day Milk Stalls of DMS 105
2127	विभिन्न कार्यालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कार्य घंटे	Working Hours of All Day Milk Stalls of DMS in various Offices 106
2128	आंत्रशोध और हैजे के मामले	Cases of Gastro-Entritis and Cholera 106–107
2129	सरकारी बस्तियों के सफाई कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपना	Transfer of Sanitation Work of Government Colonies to CPWD. 107
2130	सिर पर मल कूड़ा ढोना	Carrying of Night Soil and Garbage on Head . . . 107
2131	वर्ष 1973 में चीनी का अकाल	Sugar Famine in 1973 . . 107–108
2132	महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री द्वारा चीनी सम्बन्धी नई नीति की आलोचना	Critisism by Cooperation Minister of Maharasl tra re. New Sugai Policy 108–109
2133	वसूली की चीनी के क्रय मूल्य निर्धारित करने के परिणाम	Implification of fixing of low levy prices of Sugar . . . 109
2134	कृषि भूमि की चक बन्दी के लिये कार्यवाही	Steps for consolidation of Agricultural Holdings . . . 109–110
2135	परिवार नियोजन का लागत लाभ अनुपात	Cost benefit ratio of Family Planning 111
2136	शक्ति चालित हल के लिये उपयुक्त न्यूनतम भूमि	Minimum land holding fit for power tiller 111
2137	छोटे किसानों के विकास के लिय गठित अभिकरणों में विवेश	Investment of Small Farmers Development Agencies . . . 111–112
2138	ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम पर राज्यों द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय	Excess Expenditure incurred by States for crash Programme for Rural Employment . . . 112
2139	शाहदरा से आने वाले लोगों के लिये यमुना पर अधिक पुलों की व्यवस्था	Provision for more bridges on the Yamuna for people coming from Shahdara 112–113
2140	यमुना पार की अनाधकृत बस्तियों को अधिकृत करना	Regularisation of unauthorised trans-Yamuna Colonies . . 113

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2141	दिल्ली में यमुना पार क्षेत्र में अस्पताल का खोला जाना	Setting up hospital in trans-Yamuna area in Delhi . . . 113
2142	दिल्ली में अस्पताल खोलने का आधार	Criteria adopted for opening Dispensaries in Delhi . . . 113–114
2143	कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के नये तरीकों में प्रशिक्षण	Training in New Strategy of Agriculture under Farmers Training and Education Programme. 114
2144	भारतीय नौवहन निगम और गैर सरकारी क्षेत्र में भारतीय नौवहन की आय	Earnings of Shipping Corporation of India and Indian Shipping in Private Sector . . . 114–115
2145	मैसूर में मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजना को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Fisheries Project in Mysore 115
2146	तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने की क्षमता सम्बन्धी दीर्घावधि विकास कार्यक्रम	Long term development Programme for fishing potential on costal areas 115–116
2147	शुष्क भूमि खेती के विकास सम्बन्धी अध्ययन दल	Study Team on Development of Dry Land Agriculture . . 116–117
2148	समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत राज्य कार्यक्रम का लागू किया जाना	Extension of Panchayati Raj to All States and Union Territories 117
2149	कुछ संस्थानों द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी का अध्ययन	Study of Rural Unemployment by Some Institution . . . 117–118
2150	केन्द्रीय भूमि सुधार समिति, 1970 की सिफारिश	Recommendation of Central Land Reforms Committee, 1970 . 118–119
2151	राज्यों में क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा चलाये जा रहे चिकित्सालय	Hospitals run by Chirstian Missionaries in the States . . 119–120
2152	क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा चलाये जा रहे फेथ होम्स	Faith Homes run by Christian Missionaries 120
2153	शिक्षा के क्षेत्र में साम्प्रदायिक और जातिगत प्रभाव को समाप्त करना	Elimination of Communal and Caste Influence in Education . 120–121
2154	संसद् के विशेषाधिकारो को संहिताबद्ध करना	Codification of Privileges of Parliament 121
2155	राजधानी में अस्पतालों के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये अलग पूल बनाया जाना	Separate pool of Residences for Staff of Hospitals in the Capital. 121
2156	दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास प्लाटों की जनता में नीलामी द्वारा बिक्री	Disposal of DDA Residential plots by Public Auction . . . 121–122
2157	गन्ने की खेती के अधीन भूमि क्षेत्र	Area of Land under Sugar Cane Cultivation 122

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अतां० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2158	दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिमेडिकल कोर्स में दाखिला	Admission to Pre-Medical Courses of Delhi University . . . 122–123
2159	कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, दिल्ली में दाखिला	Admission to College of Professional Studies, Delhi . . . 123–124
2160	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarship to S. C. and S.T. Students . . . 124
2161	ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी का बन्द होना	Closure of British India Steam Navigation Co. . . . 124
2162	सहकारी ऋण समितियों को सहकारी विपणन समितियों से सम्बद्ध करना	Linking of Coperative Credit with Co-operative Marketing Societies 124–125
2163	चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिय वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Rice Mills for Modernisation . . . 125–126
2164	कृषि उत्पादन विधायन एककों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों के लिये तैयार की गई योजना	Blueprints by National Cooperative Development Corporation or Cooperatives for establishing Agricultural Processing Units. 126
2165	चीनी मिलों द्वारा चीनी के उपोत्पादों का उपयोग	Utilisation of Sugar bye products by Sugar Factories . . . 127
2166	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा सहकारिता के आधार पर चीनी मिलें स्थापित करने सम्बन्धी कार्यवाही	Steps by National Co-operative development corporation regarding Installation of Sugar Factories on co-operative basis . 127–128
2167	सहकारी चीनी मिलें	Co-operative Sugar Factories . 128
2168	चीनी उत्पादकों का सरकार के साथ असहयोग	Non-cooperation of sugar manufacturers with Government 129
2169	पूर्वी क्षेत्र में हिन्दी को लोकप्रिय बनाना	Popularising Hindi in Eastern Region 129
2170	प्रत्यक जिले में छोटे सीमान्त कृषकों के लिये विकास योजना आरम्भ करने के लिय एजेंसी	Agency for Opening Small and Marginal Farmers Development Scheme in each District . 129–130
2171	खाद्यान्नों का भण्डार करने की क्षमता	Storage capacity of Foodgrains . 130–131
2172	पंजाब विश्वविद्यालय से यल विश्वविद्यालय को अमूल्य जीवाश्मों की तस्करी	Smuggling of priceless Fossils from Punjab University to Yale University 131
2173	केरल में भूमिहीन श्रमिकों को आवास के लिये भूखण्ड देना	House Sites to Landless Workers in Kerala 131–132
2174	नकली हरिजन कल्याण संगठनों को अनुदान	Grants given to Bogus Harijan Welfare Organisation. . . 132

प्रश्नों के लखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2175	जापानी फर्म द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिये हेलीकोप्टर सप्लाई करना	Supply of Helicopters by a Japanese Firm for Agricultural purpose 132
2176	कृषि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Changes in Agricultural Education Syestem 132–133
2177	राष्ट्रीयकरण की चर्चाओं के कारण चीनी मिलों द्वारा मिलों के सुधार कार्य में रुचि न लेना	Disinterest in improvement of Sugar Mills due to Nationalisation 133
2178	भारतीय खाद्य निगम को गत तीन वर्षों में माल लाने ले जाने में हुई हानि	Transit loss suffered by FCI during last three years. . . . 133–134
2179	विकलांग व्यक्ति	Handicapped persons . . . 134
2180	केरल राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों में फीस को समान करने की सरकारी नीति के विरुद्ध कैथोलिक पादरियों की गतिविधियां	Role of Catholic against the Government Policy of Unifying Fees in Government and Private Colleges in Kerala . . . 135
2181	मध्य प्रदेश में कोयला खनन के लिये औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Industrial Licences for Mining Coal in Madhya Pradesh 135
2182	मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र	Applications for Licences to start Industries in M.P. . . . 135–136
2183	मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिये आवेदन पत्र	Applications for Cement Plant in M.P. 136
2184	मध्य प्रदेश में भारी उद्योग	Heavy Industries in M. P. . 136
2186	मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए उसके लिए चौथी पंच वर्षीय योजना का विस्तार	Enlargement of Fourth Plan for M.P. in view of its backwardness. 137
2187	चार्ज इंडीकेटर मीटर	Charge indicator Meter . . 137
2189	मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा किये गये निर्णय का केन्द्रीय सचिवालय सेवा पर लागू होना	Applicability of the Decision taken by Cabinent Secretariat to Central Secretariat Service . 137–138
2190	मध्य प्रदेश में कागज मिलों पर व्यय की जाने वाली धनराशि	Expenditure on Paper Mill in M.P. 138
2191	1972-73 में मध्य प्रदेश के लिये धनराशि का आवंटन	Allocation of funds to M. P. during 1972-73 138
2192	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना	Industries in Backward areas of M.P. 139
2193	दिल्ली में बन्दी बनाये गये चोर तथा उनसे पकड़ा गया सामान	Arrest of thieves in Delhi and goods seized from them . . 139
2194	दिल्ली में और अधिक जेलों का बनाया जाना	Construction of more Jails in Delhi 139–140

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2195	सरकार के नियंत्रण में चल रही मिलों का कार्यकरण	Working of Mills under Government Control 140
2196	माल डिब्बा उद्योग में इस्पात की कमी	Shortage of Steel in Wagon Industry 140–141
2197	उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा विधेयक	U.P. Land Ceilings Bill . . 141
2198	दिल्ली में आजीवन कारावास वाले अपराधियों के मामलों का पुनर्विलोकन	Review of Cases of Convicts sentenced for Life Imprisonment in Delhi 141–142
2199	असम के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास-कार्य	Development in Hill districts of Assam 142
2200	1972-73 के लिये असम को वार्षिक योजना	Annual Plan for Assam for 1972-73 142–143
2201	असम के राजनैतिक पीड़ितों के लिये ताम्र पत्र	Copper Plate Awards for Political Sufferers from Assam . . 143
2202	केरल में कुछ सम्प्रदायों द्वारा चलाये जा रहे शि । संस्थानों के अधिग्रहण के लिये अध्यादेश	Ordinance for Take Over of Education Institutions run by certain Communities in Kerala . 143–144
2203	परमाणु खनिजों के लिये विशेष सेल की स्थापना	Setting up of Special Cell for Atomic Minerals . . . 144
2204	ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों को स्वनियोजना की व्यवस्था करने के लिये कार्यक्रम	Programme for providing self-employment to Educated Persons in Rural Sector . . . 144
2205	भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग	Zoological Survey of India . . 144
2206	कलकत्ता से भारतीय जीव-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय का स्थानान्तरण	Shifting of the Officers of Zoological Survey of India from Calcutta 145
2207	बेरोजगार व्यक्तियों के लिये बिहार सरकार की योजना	Bihar Scheme for Unemployed . 145
2208	शिमला समझौते के विरुद्ध आन्दोलन के पीछे बड़ी शक्तियां	Big Powers behind Agitation against Simla Agreement . . 145
2209	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लोअर डिविजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नत करने संबंधी मावदंड	Criteria for Promotion of Class IV Staff as LDCs. . . 146
2210	महंगाई भत्ता सूत्र के सम्बन्ध में मध्यस्थता	Arbitration on D.A. Formula . 146–147
2211	तमिलनाडु में कृषक आन्दोलन	Farmers Agitation in Tamil Nadu 147
2212	टाटा बन्धुओं, बिरला बन्धुओं तथा साहु जैन बन्धुओं जैसे बड़े उद्योग गृहों के संबंध में जांच कार्य	Commission of Inquiry on Larger Industrial Houses of Tatas, Birlas and Sahu Jains . . . 148

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2213	भारतीय स्वाधीनता की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर ताम्रपत्रों का वितरण / Distribution of Tamra Patras on the occasion of 25th anniversary of Indian Independence .	148
2214	सिलेक्शन ग्रेड स्टेनोग्राफरों की अवर सचिवों के पदों पर पदोन्नति / Promotion of Selection Grade Stenographers to the Posts of Under Secretaries . . .	148–149
2215	रेशमी वस्त्रों पर बिक्रीकर / Sales Tax on Silk Fabrics . .	149
2217	भूतपूर्व सैनिकों और शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिये पदों का आरक्षण / Reservation of Posts for Ex-Servicemen and Dependents of Killed Personnel . . .	149–150
2218	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा इमली के पत्तों से टार्टरिक एसिड बनाने हेतु एक प्रक्रिया का विकास / Development of a Process for Manufacture of Tartaric Acid from Tamarind Leaves by Regional Research Laboratory Jorhat	150
2219	इंडियन आक्सीजन द्वारा आर्गोन गेस का निर्यात / Export of Argon Gas by Indian Oxygen	150–151
2220	देश में स्थापित किये गये यंत्रकृत इंटें बनाने वाले संयंत्र / Mechanised Brick Plants set up in the Country . . .	151
2221	बेरोजगार स्नातकों के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक विभाग का प्रतिवेदन / Report by the Scientific and Technical Personnel Department of CSIR on Unemployed Graduates	152–153
2222	बेरोजगार इंजीनियरों के बारे में सर्वेक्षण / Survey of Unemployed Engineers	153
2223	भारत में नेपाली भाषा बोलने वाले व्यक्ति / Nepali Language Speaking People in India	153
2224	पिछड़े क्षेत्रों के संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन / Memorandum Submitted by MPs. Representing Backward Areas.	154
2225	इंजीनियर स्नातकों में बेरोजगारी / Unemployed among Engineering Graduates	154
2226	बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये योजना / Scheme to solve Unemployment.	154
2227	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना / Employment Provided to Educated Unemployed . . .	154–155
2228	अखबारी कागज के उद्योग के बारे में विशेषज्ञ समिति / Body of Experts on Utilization of Newsprint	155
2229	भारतीय अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्म निर्भरता / Self-Sufficiency in Crucial Sectors of Economy	155–156
2230	भारतीयों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को सिविल सेवा में नियुक्ति के लिये जारी किये गये पात्रता प्रमाणपत्र / Certificates of Eligibility for Appointment to Civil Services Issued to Persons other than Indians.	156

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGE
2231	हाल ही में आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं से हाथियारो और गोलाबारूद की बरामदगी	Recovery of Arms and Ammunition from Dacoits surrendered recently 156–157
2232	भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियो का अन्तराज्यीय स्थानान्तरण	Inter-State Transfers of IAS Officers 157
2233	पंजाब तथा हरियाणा के कृषि उद्योग निगम को लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licencess to Agro-Industries Corporations, Punjab and Haryana . . . 157–158
2234	पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Setting up industries in Backward Areas. 158
2235	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा बनाया गया चिकित्सा औद्योगिक टेलीविजन	Medical Industrial Television designed by the Central Scientific Instruments Organisation . . . 158–159
2236	तमिल दैनिक के कार्यालय को लूटे जाने के पश्चात उसके लिये गये चित्रों वाली न्यूजरील	Newsreel containing Pictures of Office of Tamil Daily's after it was Ransacked . . 159
2237	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री में विदेशी शेयर	Foreign Shares in Indian Telephone Industries . . . 159–160
2238	प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को संदेहास्पद नक्सलवादियों के साथ मानवीय व्यवहार करने के लिए लिखा गया कथित पत्र	Letter Allegedly written by Prime Minister to Chief Ministers of States about Humane Treatment to Suspected Naxalites 160
2239	जापान की 'मित्सुविशी' के सहयोग से सूक्ष्म औजारों का निर्माण	Manufacture of Precision Tools in Collaboration with Mitsubishi of Japan 160
2240	पालामाऊ (बिहार) का विकास	Development of Palamau (Bihar) 160–161
2241	बिहार के लिये नई दिल्ली में स्थापित किया जाने वाला सूचना केन्द्र	Information Centre for Bihar to be started in New Delhi . . 161
2242	छोटा नागपुर के विकास के लिये योजना	Plan for Development of Chhotanagpur 161
2243	डाक व तार विभाग के डिवीजन तथा सब-डिवीजन के गठन सम्बन्धी मानदण्ड	Norms of certain of Division and Sub-division in P. & T. Department 161-162
2244	बोकारो स्टील सिटी तथा जमशेदपुर को औद्योगिक नगर घोषित करना	Bakarao Steel City and Jamshedpur declared Industrial Towns. 162–163
2245	पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ सर्विस यूनियनों की मांगें	P.& T. Service Unions Demands. 163
2246	पटना स्वचालित टेलीफोन केन्द्र का विस्तार	Expansion of Patna Auto Telephone Exchange 163–164

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos		पृष्ठ PAGES
2247	जयपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निवास स्थानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे	Raids by CBI on Senior Police Officers Houses in Jaipur . . 164
2248	आणविक शक्ति के मामले में भारत को इजराइल के साथ मिलाने के विरुद्ध भारत द्वारा रोष व्यक्त करना	Resentment shown by India about nuclear grouping with Isreal . 164–165
2249	श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अधीन पूर्णकालिक इन्स्पेक्टर	Full time inspector under working Journalists Act . . . 165
2250	सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग	Use of Hindi in Government Offices 165
2251	बालासौर बाढ़ तथा तूफानग्रस्त क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों का तबादला	Transfer of Postal Staff in Balasore Flood and Cyclone affected areas 166
2252	दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मेलन	Convention of Freedom Fighters in Delhi 166
2253	औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि	Industrial growth . . . 166–167
2255	खाद्य सामग्री को रक्षित करने के लिए विकीरण प्रौद्योगिकी का उपयोग	Use of Radiation Technology for preservation of food . . . 167
2256	हरियाणा के विपक्षी दलों द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये ज्ञापन	Memoranda given by opposition parties of Haryana against the Chief Minister 167–168
2257	थोरियम योगिकों का निर्यात	Export of Thorium compounds . 168
2258	उपग्रह संचार का सामान्य जन को लाभ	Benefits of Satelite Communications to the common man . 168–169
2259	नरोरा स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र के लिये भारी उपकरण लगाना	Fabrication of Heavy Equipment of Atomic Power Plant at Narora 169
2260	मेरीन प्रोपल्शन रियेक्टर	Mrine Propulsion Reactor . . 169–170
2261	राष्ट्रीय विज्ञान नीति के बारे में विज्ञान योजना समिति का प्रतिवेदन	Report of the Science Plan Committee on National Science Policy 170
2262	गैर सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों द्वारा अनुसंधान तथा विकास की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना	Inadequate attention being paid by Industrial Units in the private sector to Research and Development 170–171
2263	निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Scientific Research Institutes operating in private sector 171
2264	फिल्म तथा टेलीविजन संस्था द्वारा छात्रवृत्तियां	Film and TV Institute Scholarships 171–172
2265	चलचित्र वित्त निगम से ऋण	F.F.C. Loan 172
2266	चलचित्र सेंसरशिप जांच समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों आदि का विचार	Views of State Governments etc. on Film Censorships Enquiry Committee 172

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2267	निजी क्षेत्र में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन	Production of Essential Consumer Goods in Private Sectors . . 172–173
2268	समाचार पत्रों के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना	Furnishing of Newspapers Annual Statements 173
2269	भारतीय स्वाधीनता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों का अभिनन्दन किया जाना और उन्हें ताम्रपत्र प्रदान करना	Award of Tamra Patras and Reception to Freedom Fighters on the occasion of 25th Anniversary of Indian Independence 173
2270	प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण	Survey of Natural Resources . 174
2271	सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाये गये मुकदमें	Prosecution of Public Servants and Private Persons by CBI . 175
2272	भारतीय आणविक भट्टियों के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किये गये विचार	Views Expressed by US Experts on Indian Nuclear Reactors . 175
2273	योजना कार्यक्रम की क्रियान्वित में लोगों द्वारा भाग लिया जाना	Peoples participation in Implementation of Plan Programme . 175–176
2274	टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills . 176
2275	माप-तोल में धोखा घड़ी	Cheating in Weights and Measures 176–177
2276	पहाड़गंज, नई दिल्ली स्थित अपने घर से एक लड़के का अपहरण	Kidnapping of a Boy from his House in Paharganj, New Delhi. 177–178
2277	गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोग	Peoples Living below Poverty Line 178
2278	ट्रकों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Trucks . 178–179
2279	हिन्दी की प्रगति में बाधाएं	Hurdles in the way of Progress of Hindi 179
2280	औद्योगिक और रासायनिक लवणों के मूल्य	Prices of Industrial and Chemical Salts 179
2281	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा तकनीकी जानकारी का ब्रिटेन को निर्यात	Export of Technical know how by HMT to U.K. . . . 180
2282	आयोजन पद्धति में परिवर्तन लाना	Introduction of changes in the method of Planning . . 180
2283	औद्योगिक परीक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला के विस्तार तथा पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव	Proposal for expansion and reorganisation of Industrial Testing Research Laboratory . . 181
2284	त्रिचुर केरल में लघु उद्योग सेवा संस्थान के लिए नये भवन का निर्माण	Construction of new building for S.S.I.S.I. at Trichur (Kerala). 181
2285	विदेशी मुद्रा का अर्जन	Earning of Foreign Exchange . 181

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us.Q.Nos.		पृष्ठ PAGES
2286	उर्वरक एककों के लिए उपकरणों के मानकीकरण के लिए विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की नियुक्ति	Appointment of Advisory Body of experts for standardisation of equipment for fertilizer units. 182–183
2287	आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजना में समायोजन करने हेतु संसाधनों की उपलब्धता	Availability of Resources for making adjustments in the Five Year Plan to meet the requirements 183
2288	अधिक सल्फर और कम राख वाले आसाम के कोयले को कृत्रिम पेट्रोलियम में परिवर्तित करने के लिये प्रयोगात्मक संयंत्र	Pilot Plant for conversion of High Sulphur low ash Assam coal into Synthetic Petroleum . 183–184
2289	उत्तर प्रदेश में परमाणु कृषि औद्योगिक समूह	Nuclear Agro Industrial Complex in U.P. 184
2290	योजना प्रचार की संतोषजनक आयोजन तथा समन्वय के लिए व्यवस्था	Machinery for satisfactory planning and coordination of Plan Publicity 185
2291	उपभोक्ता वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेना	Take over of wholesale trade of consumer Goods . . . 185
2292	पश्चिम उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में परमाणु बिजली घर स्थापित किया जाना	Setting up of Atomic Power Station in Western, Northern and Southern Regions . . 185–186
2293	मैसूर राज्य का नाम बदल कर कर्नाटक राज्य रखना	Change in the name of Mysore to Karnataka 186
2294	रेडियोएक्टिव खनिजों का सर्वेक्षण	Survey of Radioactive Minerals 186
2295	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सम्बन्ध में भगवन्तम समिति का प्रतिवेदन	Bhagavantham Committee's Report Survey of India . . . 186–187
2296	प्रकाशन प्रभाग द्वारा पुस्तकों आदि का प्रकाशन	Books etc. produced by Publication Division 187
2297	लघु, मध्यम वर्ग के तथा बड़े समाचार पत्रों को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation on Foreign Exchange to small, medium and big newspapers 187–188
2298	समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को आयातित अखबारी कागज का कोटा	Quota for imported newsprint to news papers and periodicals . 188–189
2299	मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय	Per Capita income in M. P. . 189
2300	मध्य प्रदेश में मध्यम श्रेणी के उद्योग	Medium scales industries in M.P. 189–190
2301	विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में विशेष नौकरियों पर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्तियां	Appointment of qualified people to special jobs in various fields of administration 190
2302	हैदराबाद के कोयला गैसीकरण संयंत्र की लागत में वृद्धि	Increase in cost of Coal Gasification Plant at Hyderabad . . 190–191

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2303	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का उच्च पदों पर चयन	Selection of IAS Officers in Higher Posts 191
2304	विदेशों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Investigation Abroad . 191
2305	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Investigation . . . 191–192
2306	भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से पहले कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति देना	Supersession in senior IAS Officers 192
2307	अनेक भाषाओं में मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए बजट में प्रावधान	Provision in Budget for bringing out monthly Digests in Several Language 192
2308	संयुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for establishment of Joint Sector 193
2309	केन्द्रीय प्रचार सलाहकार समिति	Central Publicity Advisory Committee 193–194
2310	औद्योगिक उत्पादन में कमी	Shortfall in Industrial Production 194
2311	डाकुओं के समर्पण पर व्यय और चम्बल घाटी शान्ति मिशन को दी गई सहायता	Expenditure on the Surrender of Dacoits and Grant made to Chambal Ghati Shanti Peace Mission 195
2312	कारों की कीमतों में वृद्धि रोकना	Check on increase in Prices of cars 195
2313	दिल्ली की असन्तोषजनक डाक सेवा	Unsatisfactory Delhi Postal Service 195–196
2314	फिल्म उद्योग पर टेलीविजन सेवा का प्रतिकूल प्रभाव	Effect of Expansion of TV on Film Industry 196
2315	लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीप समूहों में उद्योगों को स्थापना के लिये व्यवहार्यता प्रतिवेदन	Feasibility Report for setting up Industries in Laccadive Minicoy and Amindive Islands . . 196–197
2316	मशीनी औजारों के लिए आपात योजना	Emergency Plan for Machine Tools 197
2317	पांडिचेरी को पूरे राज्य का दर्जा देना	Statehood for Pondicherry . . 197
2318	कागज और गत्ते के उत्पादन में वृद्धि	Increase in Production of Paper and Paper Board . . . 197
2319	डाक-कर्मचारियों के लिए गैर चिकित्सीय बीमा पालिसी योजना	Non-medical Insurance Policy Scheme for Postal Staff . . 197–198
2320	भारतीय डाक सेवा संघ द्वारा डाक तार बोर्ड को दिया गया संकल्प	Indian Postal Service Association's Resolution to P. & T. Board. 198
2321	दिल्ली में लड़कियों का अपहरण	Abduction of Girls in Delhi . 198
2322	उत्तर प्रदेश में चौथी योजना में स्थापित किये जाने वाले उद्योग	Industries in U. P. during Fourth Plan 198–199

प्रश्नों क लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos		पृष्ठ PAGES
2323	आकाशवाणी की कार्यक्रम पत्रिकाओं से घाटा होना	Loss Incurred by AIR Programme Journals 199–230
2324	आकाशवाणी पत्रिकाओं की प्रकाशन संख्या में कमी	Decline in Circulation of AIR Journals 200
2325	ट्रांसमीटरों को चालू करने का विलम्ब	Delay in Commissioning of Transmitters 200–201
2326	प्रसारण सेवाओं का पुनर्गठन	Reorganisation of Broadcasting Service 201
2327	शिमला में 100 किलोवाट मेगावाट का ट्रांसमिटर का लगाया जाना	Installation of a 100 KW-MW Transmitter at Simla . . . 201
2328	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में वृत्त चित्र	Documentary on Netaji Bose . 201–202
2329	राष्ट्रीय विकास के लिये देशभक्तिपूर्ण सेवा करने वाले व्यक्तियों का सम्मान	Honours to Persons who Rendered Patriotic Services for National Development 202–203
2330	भारतीय स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ	25th Anniversary Celebrations of Indian Independence . . 203
2331	जाली डाक टिकटों का छापा जाना	Printing of Fake Postal Stamps 204
2332	केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मामलों की जांच	Cases under Investigation by C.B.I. 204
2333	जिला योजनाएं	District Plans . . 204–205
2334	साम्प्रदायिक संगठनों और दलों पर रोक लगाने सम्बन्धी विधान	Legislation for Banning Communal Organisation and Parties . 205–206
2335	तमिलनाडु में जुलाई 1972 में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने वाले स्थानों का अध्ययन दल द्वारा दौरा	Study Team visiting Places in Tamil Nadu where Police Fired in July 1972 . . 206
2336	देश में स्थित राज भवन	Raj Bhavans in the Country . 206
2337	लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर द्वारा इंजीनियरों को प्रशिक्षण और सहायता देने की योजना	Scheme for Training and Assistance to Engineers by SSISI Jaipur 206–207
2338	'अवन्तिका' की बिक्री और अनबिक्री प्रतियां	Sold and Unsold Copies of 'Avantika' 207
2339	स्वतन्त्रता संग्राम के योद्धाओं को पेंशन देने के लिये जाली प्रमाण पत्र	Forged Certificates for Grant of Pension to Freedom Fighters . 207
2340	मेंधड़ सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाये जाने के कारण मारे गये सीमा सुरक्षा दल के सैनिक	B.S.F. Solders killed in Pakistani firing in Mendhar Sector . 208
2341	दैनिक हिन्दी समाचारपत्र 'अवन्तिका' के हिस्सेदार	Partners of 'Avantika' a Hindi Daily 208
2342	इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास की धीमी गति	Slow Growth Rate in Electronic Industry 208–209

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता० प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2343	प्रतिभावान लोगों का देश से बाहर चले जाने की प्रवृत्ति को रोकना / Check on Brain Drain	209–210
2344	बिहार के कुछ भागों में आदिवासियों की जनसंख्या में कमी / Decrease in population of Adivasis in certain parts in Bihar	210–211
2345	समाचार पत्रों में हिन्दी बुलेटिनों का प्रकाशन / Publication of Hindi Bulletins in Newspapers	211
2346	भारत पाक युद्ध के पश्चात गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी गुप्तचर / Pak Spies arrested after Indo-Pak War	211
2347	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के नये कारखाने के लिये धनराशि / Funds for New Units of H.M.T.	212
2348	पिछड़े राज्यों को आबंटित विकास निधियों का उपयोग किया जाना / Non-utilisation of Development Funds allotted to Backward States	212
2349	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के कार्य की जांच / Inquiry into the working of HEL, Bhopal	212–213
2350	सरकारी क्षेत्र द्वारा की जा रही तीव्र प्रगति / Rapid Progress being made by Public Sector.	213
2352	प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय विषमता / Regional Disparities in Per Capita Income	213–214
2353	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण / Surrender by Dacoits in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan	214
2354	रेयर अर्थस् के उत्पाद / Rare Earth Products.	214–215
2355	केरल में गुरु जल संयंत्र लगाया जाना / Setting up of a Heavy Water Plant in Kerala	215
2356	केरल में रेयर अर्थ्स के संयंत्रों में जर्कन के भारी भण्डार / Large Stocks of Zircon in Rare Earths Plants in Kerala	215
2357	योजना आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को सामान्य रिक्त पदों में बदलना / Conversion of Reserved vacancies for S.C. and S.T. Candidates into General vacancies in the Planning Commission	216
2358	आकाशवाणी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी / S.C. and S. T. Employees in AIR Stations	216
2359	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी / S.C. and S.T. Employees in Ministry of Information and Broadcasting	216–217
2360	रजत जयन्ती वर्ष में युवकों को रोजगार / Employment for Youth during Silver Jubilee year	217–218
2361	नई दिल्ली में वर्ष 1968 को 3 बच्चों को जला देने वाले अभियुक्त को दिये गये मृत्यु दण्ड की क्रियान्विति / Execution of Death Sentence Awarded to the Accused of burning 3 children in New Delhi in 1968	218–219

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

अता०प्र० संख्या Us. Q. Nos.		पृष्ठ PAGES
2362	विशेषज्ञों और तकनीशियनों की कमी	Shortage of Specialised Men and Technical Hands . . . 219
2363	टेलीविजन पर 'चित्रहार' कार्यक्रम	"Chitrahar Progamme" over Delhi T.V. 219
2364	राष्ट्रीय जल विज्ञान सम्बन्धी बोर्ड की स्थापना	Creation of a National Hydrological Board 219
2365	चंडीगढ़ में किराया निर्बन्धन विधियां	Rent Restriction Laws in Chandigarh 220
2366	बिड़ला बन्धुओं द्वारा नैनीताल में कागज बनाने का कारखाना लगाया जाना	Setting up of Paper Mill by Birla Brothers at Nainital . . 220
2367	कलकत्ता में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना	Opening of new telephone exchanges in Calcutta . . . 220–221
2368	सड़क दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्तियों को स्वेच्छा से अस्पताल ले जाने वाले व्यक्तियों को पुलिस द्वारा तंग किया जाना	Alleged harassment of persons by Police who volunteer themselves to take victims of road accident to Hospital 221
2369	भूतपूर्व शासकों द्वारा सम्पतियों की बिक्री	Disposal of properties by Former Rulers 221–222
2370	आंध्र प्रदेश में ट्रंक टेलीफोन सेवाएं	Trunk Telephone Services in Andhra Pradesh . . . 222
2371	चित्तूर में टेलीफोन डिवीजन	Telephone Division at Chittor. 222–223
2372	उद्योग में पूंजी निवेश	Investment in Industry . . 223
2373	दार्जिलिंग जाने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए परमिट	Permits for Foreign Tourists who visit Darjeeling 223–224
2374	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा रुपये में भुगतान करके औद्योगिक संयंत्रों की खरीद	Purchase of Industrial Plants through NSSIC on Rupee Payment 224
2375	प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) में ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licence for Setting up of Tractor Factory at Pratapgarh (U.P.) 224
2376	त्रिचुर टेलीफोन केन्द्र से डाक तथा तार कर्मचारियों का तबादला	Transfer of P & T Employees from Trichur Telephone Exchange . 224–225
2377	उत्पादन से सम्बन्धित मंत्रालयों में मंत्रियों के ग्रुप की बैठक	Meeting of Group of Ministers of Production Ministries . . 225
2378	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये केरल सरकार को आबंटित की गई राशि	Amount allotted to Kerala for Providing Jobs to Educated Unemployed 225
2379	धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे सेवा का विस्तार करने हेतु पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा किए गये प्रस्ताव	Proposals made by North Eastern Council for Extension of Railways from Dharmanagar to Agartala. 226

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment (Queryrry)	226–229
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Impoi tance.—	
फरक्का बांध परियोजना को नियत समय में पूरा करने में सरकार की कथित असफलता	Reported failure of the Government to complete Farrakka Barrage	229–239
श्री समरगुह	Shri Samar Guha . . .	229–234
श्री बैजनाथ कुरील	Shri B.N. Kureel .	234–235 238–240
स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र दिये जाने के बारे में	Re. Presentation of *Tamra Patras* to Freedom Fighters . .	239–240
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House . .	240–241
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	241–244
कार दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के साथ दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों के व्यवहार के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य	Statement correcting answer to S.Q. No. 14 re. behaviour of Doctors in Delhi Hospitals towards victims of a car accident . .	244–245
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit .	244–245
इंडियन एयर लाइन्स के फोकर फ्रेन्डशिप के 11 अगस्त, 1972 को पालम हवाई अड्डे के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Crash of an Indian Airlines Fokker Friendship Aircraft near Palam Airport on 11-8-1972	245–246
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh . . .	245–246
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध का ग्रहण) विधेयक पुरःस्थापित	Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Bill-Introduced . . .	246
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध का ग्रहण) अध्यादेश, 1972 के बारे में विवरण	Statement re. Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Ordinance, 1972	247
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan .	247
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत	Disturbed Areas (Special Courts) Bill— Motion to refer to Joint Committee—Adopted . .	248–251
आयकर (संशोधन) विधेयक	Income-Tax (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . .	251–252
श्री आर० वी० बड़े	Shri R.V. Bade . . .	251
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N.K.P. Salve . .	251–252
श्री के० बालदंडायुतम	Shri K. Baladhandayutham	252

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
पिछड़े क्षेत्रों के लिये पृथक पृथक केन्द्रीय विकास योजनाओं के बारे में प्रस्ताव–	Motion re. Separate Central Schemes for development of Backward Areas	252–260
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	252–253
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	253–254
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatsubbaiah .	254
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo . . .	254–255
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	255–256
श्री झारखंडे राय	Shri Jharkhande Rai . .	256–257
श्री के० डी० मालवीय	Shri K.D. Malaviya .	257
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B.K. Daschowdhury . .	258
श्री द्वारका नाथ तिवारी	Shri D.N. Tiwary . .	258–259
श्री रामरत्न शर्मा	Shri R.R. Sharma . . .	259
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Cintamani Panigrahi .	259–260
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	
चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाना	Normalisation of Relations with China	260–262
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . . .	260–261
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh . .	261–262

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 16 अगस्त, 1972/25 श्रावण, 1894 (शक)
Wednesday, August 16, 1972/Sravana 25, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

फिजी के अध्यक्ष का स्वागत

WELCOME TO SPEAKER OF FIJI

अध्यक्ष महोदय : मुझे फिजी के प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष श्री आर० डी० पटेल का विशेष कक्ष में स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है । वह स्वतंत्र फिजी के पहले अध्यक्ष हैं । वह हमारे सम्माननीय अतिथि हैं । मैं आप सबकी ओर से उनका तथा श्रीमती पटेल का जो यहां उपस्थित हैं, पुनः स्वागत करता हूं । मैं कामना करता हूं कि भारत में उनका समय अच्छी तरह बीते । यह उनका पुराना देश है और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम उन्हें अपने में से ही एक समझते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा धन का संचय

*223. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रथम तथा व्दितीय श्रेणी के अधिकारियों पर भ्रष्ट उपायों से धन संचित करने का संदेह होने के कारण वर्ष 1970-71 तथा 1971–72 में उनके यहां कितनी बार तलाशियां ली गई और सामान पकड़ा गया ; और

(ख) क्या इन अधिकारियों में से किसी अधिकारी की सम्पत्तियां तथा आस्तियां जब्त कर ली गई हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों पर भ्रष्ट उपायों से धन संचित करने का आरोप होने के कारण जांच के दौरान, वर्ष 1970-71 में 12 बार तथा 1971-72 में 25 बार तलाशियां ली गई और सामान पकड़ा गया, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी भी शामिल हैं । किसी सम्बन्धित अधिकारी की सम्पत्ति या अस्तियां जबत नहीं की गई थीं ।

श्री एस० एन० मिश्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने प्रथम श्रेणी के तथा कितने द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं और उनमें से कितने सार्वजनिक उपक्रमों में थे ? क्या उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही चल रही है ? उनमें से कितनी को सेवा से हटाया गया है अथवा अन्य कार्यवाही की गई है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह अनुपूरक प्रश्न पूरा प्रश्न है । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये तथ्यों का प्रश्न है, 1970-71 में ऐसे 12 मामले थे, उनमें से प्रथम श्रेणी के 10 तथा द्वितीय श्रेणी के 2 अधिकारी थे । वर्ष 1971-72 में 25 ऐसे मामले हुए जिनमें से 14 प्रथम श्रेणी के तथा 11 द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे ।

जहां तक अन्य जानकारी का संबन्ध है उनके लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

श्री एस० एन० मिश्र : कहा गया कि कुछ कार्यवाही की गई हैं और सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों से वसूली की गई परन्तु मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री राम निवास मिर्धा: जहां तक सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों का संबन्ध है, जैसा कि म बता चुका हूं, मुझे पूर्व-सूचना चाहिए ।

Shri R. V. Bade : Recently, the houses of class I Officers, that is, Income Tax Officers were searched but nothing objectionable was found with them. Then why do you search their houses without a *prima facie* case and without any charge against these officers and are they not demoralized due to such searches?

Shri Ram Niwas Mirdha : To which searches is the Hon. Member referring to?

Shri R. V. Vade : The searches made of the houses of Income Tax officers in Delhi.

Shri Ram Niwas Mirdha : So far as searches by C. B. I. are concerned, these are preceded by preliminary investigations. There is some prossibility of finding out some evidences on the basis of which cases may proceed with further. Only then these searches are conducted.

Shri R. D. Bade : But you said that nothing was found with them.

Shri Ram Niwas Mirdha : I did not say so.

श्री के० लकप्पा: काफ़ी समय से हम राज्यों से आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा चल और अचल सम्पत्ति एकत्र करने के बारे में सुनते आए हैं और कई अवसरों पर हमने इन मामलों की जानकारी सरकार को दी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा भारी सम्पत्ति एकत्र की गई है तथा उनके द्वारा न केवल दिल्ली में अपितु सभी राजधानियों में भी विशाल भवनों का निर्माण किया गया है । यदि ऐसे मामले सरकार को पता चले हैं, तो मैं भी ऐसे कुछ उदाहरण देना चाहूंगा । एक आई० सी० एस० अधिकारी . . .

अध्यक्ष महोदय: कृपया नामों का उल्लेख न करें ।

श्री के० लकप्पा: वह प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे और उन्होंने सम्पत्ति एकत्र की थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां ऐसे व्यक्तियों के नामों के उल्लेख की अनुमति नहीं दे सकता जो यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री के० लक्कप्पा : ठीक है, मैं नामों का उल्लेख नहीं करूंगा। क्या आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों द्वारा धन एकत्र करने के कुछ मामले हुए हैं...

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा पूरे वर्ग के अधिकारियों के लिए ऐसे रिमार्क देना उचित नहीं है। सरकार ने आई० सी० एस० और आई० ए० एस० के अधिकारियों की जांच करने और उन्हें दंडित करने में कभी संकोच नहीं किया है। ऐसे मामलों का उल्लेख सदन में समय-समय पर हो चुका है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष अधिकारी के विरुद्ध किसी विशेष जांच अथवा विशेष आरोप के बारे में जानना चाहें, तो मैं उन्हें अलग से बता सकता हूं।

संगीत तथा नाटक प्रभाग के कलाकारों द्वारा प्रदर्शन

*224. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के संगीत तथा नाटक प्रभाग के लगभग 250 कलाकार अपनी मांगों के समर्थन में जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वे सभी सुविधाएं भी सम्मिलित हैं जो आकाशवाणी के कर्मचारियों को मिल रही है, प्रदर्शन करते हुए प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर गये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। गीत और नाटक प्रभाग के कुछ कलाकार समूह में प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर गये और एक ज्ञापन दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपरि-उल्लिखित मांगें भी थीं। किन्तु गीत और नाटक प्रभाग आकाशवाणी का भाग नहीं है, वह सीधे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक अलग संगठन है।

(ख) कलाकारों की कठिनाइयों पर उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है और किया जाता रहेगा, किन्तु उनको जिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है वे उन परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न ह जिनमें आकाशवाणी के कलाकार काम करते हैं। अतएव, इन कलाकारों के दोनों ग्रुपों को समान सुविधाएं देना संभव न हो सकेगा।

श्री अर्जुन सेठी : मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने उल्लेख किया कि जिन हालात में इन्हें कार्य करना पड़ता है वे आकाशवाणी के कलाकारों से भिन्न हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि वे भिन्न हालात कौनसे हैं जिनमें इन दो ग्रुपों के कलाकारों का कार्य करना पड़ता है और किन कारणों से बाद के ग्रुपों को इन लाभों से वंचित रखा जाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : जब यह कहा जाता है कि हालात भिन्न हैं तो कुछ मामलों में इसका यह भी अभिप्राय है कि हालात अधिक कठिन हैं। इसलिए उनपर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे दोनो भिन्न परिस्थितियों में काय करते हैं इसलिए उन्हें समान स्तर पर रखना गलत है और मैं समझता हूं कि संगीत और नाटक प्रभाग मे कार्य कर रहे कलाकारों से भिन्न प्रकार का बर्ताव करना चाहिए।

श्री अर्जुन सेठी : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास संगीत तथा नाटक प्रभाग के मान्यता प्राप्त ग्रुपों से वेतनों में कमी तथा अपर्याप्त कार्यक्रमों एवं असुविधाजनक कार्यक्रमों के बारे में कोई शिकायत मिली है ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक मान्यता प्राप्त ग्रुपों का प्रश्न है उनकी शिकायत है कि उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलते, और मैं समझता हूं इसकी जांच की आवश्यकता है, जो हम करेंगे, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि संगीत नाटक प्रभाग कार्य करता रहे और अपने पंजीकृत ग्रु ों को, विशेषत: देश के भिन्न भागों मे कार्यरत व्यवसायिक तथा अव्यावसायिक ग्रुपों को प्रोत्साहित करे ।

श्री एस० एम० बनर्जी: मझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि सं ीत तथा नाटक प्रभाग के युवक-युवतियों को बड़ी कठिनाइयों में कार्य करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सीमा क्षेत्रों में जाना पड़ता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि यदि आकाशवाणी के कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाएं उनपर लागू नहीं है तो क्या उनके वेतनों तथा कार्य के हालात का पुनर्विलोकन करने के लिए किसी समिति का गठन किया जायगा अथवा क्या इसके लिए पथक समिति की आवश्यकता है क्योंकि उनपर वेतन आयोग लागू नहीं होता ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई समिति गठित की जा रही है ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक वेतन और भत्तों का प्रश्न है, हमने इसे आरम्भ में वेतन आयोग को सौंपा था । वेतन आयोग ने अब हमें बताया है कि यह मामला उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता । यह महत्वपूर्ण है कि वेतनों और भत्तों को युक्तियुक्त बनाने के कार्य को हाथ में लिया जाये । यह कार्य शीघ्र किया जायेगा । तीन भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रुप हैं :

ट्रुप्स ग्रुप्स, सीमा प्रचार ग्रुप्स और परिवार नियोजन ग्रुप्स; और उनके सेवा के ढांचों में विभिन्नता है तथा उनका युक्तियुक्तकरण इस ढंग से किया जाना चाहिए कि समान कार्य अथवा समान प्रकार के कार्य के लिए प्रत्येक को समान वेतन मिले ।

Shri R. S. Pandey : Sir, about 250 artists of the drama Division of AIR demonstrated before the residence of the Prime Minister in support of their demands. I want to know whether the method of their demonstration was that of the trade unions or of an exhibition of fine arts.

Shri I. K. Gujral : I am not aware how the demonstration took place at Prime Minister's residence. But they came to my residence a few days ago and demonstrated the art there.

श्री अनन्तराव पाटिल : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं ाक संगीत तथा नाटक प्र ाग के कलाकारों ने विभागाध्यक्ष को अपनी मांगे पेश की हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : उन्होंने 10 मांगें पेश की थी, उनमें से 5 पर का कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी गई है और शेष पर विचार हो रहा है ।

बिडला, साहु-जैन तथा टाटा बन्धूओं को लाइसेंस जारी किया जाना

*225. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला उद्योग समूह, साहू-जैन समूह तथा टाटा उद्योगों को गत तीन वर्षों में नये उद्योगों की स्थापना तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार के लिये किस प्रकार के तथा कितनी कीमतों के लाइसेंस जारी किये गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : बिरला, साहू जैन और टाटा समहों को गत तीन वर्षों के नये उद्योगों की स्थापना के लिये और पर्याप्त विस्तार करने के लिये दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। औद्योगिक लाइसेंस साधारण तथा विशिष्ट क्षमता के लिये दिय जाते हैं न कि विशिष्ट मूल्यों के लिये ।

विवरण

बिरला, साहू-जैन और टाटा समूह को वर्ष 1969, 1970 और 1971 की अवधि में नये उद्योगों की स्थापना और विद्यमान एककों के विस्तार के लिये जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण:—

समूह	1969		1970		1971	
	न० उ०	प० वि०	न० उ०	प० वि०	न० उ०	प० वि०
बिरला	—	5	—	1	—	3
साहू जैन	—	—	—	—	—	—
टाटा	—	1	—	1	—	1

(न० उ०—नये उपक्रमों की स्थापना के लिये)।
(प० वि०—पर्याप्त विस्तार के लिए)।

Shri Sat Pal Kapur : Will the hon. Minister please let us know whether in granting new licenses to big monopoly houses some condition is imposed whereby they should set up these industries in backward regions or backward districts and nowhere else?

Shri Sidheswar Prasad : It is clear from the statement placed on the Table of the House that they have not been given licenses for setting up new units. Licenses have been given for increasing the capacity units already set up. The suggestions of the hon. Member can be considered while granting new licences.

Shri Sat Pal Kapur : Is it necessary that when a big monopoly house instead of applying for a new licence seeks permission for expansion of its production, such permission should be when new parties can be available for that job and these unity can be set up in public sector as well why does not the department think that way?

Shri Sidheswar Prasad : The government does give due consideration to the points raised by the Hon. Member and letters of intent are given to new industrialists who want to enter these fields for the establishment of new units.

अध्यक्ष महोदय : ये सब कार्यवाही के लिये सुझाव हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से पता चलता है कि विगत 3 वर्षों में बिडला बन्धुओं को अपने उत्पादन में प्रभावी विस्तार के लिये 9 लाइसेंस दिये गये। मैं बिडला बन्धुओं को इन कम्पनियों अथवा प्रतिष्ठानों के नाम जानना चाहता हूँ। क्या यह वर्तमान संयत्रों की क्षमता के भीतर है अथवा विस्तार के लिये मूल कम्पनियों द्वारा नये कारखाने स्थापित किये जायेंगे?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : महत्वपूर्ण विस्तार का अभिप्राय है स्थापित कारखानों की क्षमता का विस्तार, यह नये कारखानों के लिये नहीं है। यह नये उत्पादनों के निर्माण के लिये नहीं

है । कम्पनियों के नाम है : बाली जूट कम्पनी लिमिटेड, ओरिएन्ट जनरल इन्डस्ट्रीज, सूराह जूट मिल्स, बिडला जूट मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिडेड, सौराष्ट्र केमीकल्स, ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स, नैशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, गोविन्द शुगर मिल्स, टेक्सटाइल मशीनरी कार्पोरेशन ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वर्तमान कारखानों की क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की गई है, ऐसा मंत्री महोदय ने बताया है। बिरला जूट कम्पनी, जिसका उल्लेख किया गया है, के कई ऐसे कारखाने हैं जिसका जूट से कोई संबन्ध नहीं है। बिडला जूट कम्पनी के पास कई अन्य कार्यक्रम हैं जिनका जूट से संबन्ध नहीं है पर बिडला जूट कम्पनी के साझे के नाम पर वे पर्याप्त विस्तार करते हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : बिडला जूट कम्पनी का कार्यालय 15, इण्डिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता में है ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रामण्यम) : पटसन सम्बन्धी निर्माण में विस्तार हुआ है, विशेषत: निर्यात के लिये गलीचों के पीछे के कपड़े का निर्माण। इन गलीचों के पृष्ठ कपड़ो के संयंत्रों का विस्तार हुआ है।

Shrimati Savitri Shyam : May I know whether the big industries getting licence for expansion and increasing production have been asked to increase export and make arrangements of creches for the children of the women working in those industries.

Mr. Speaker : You have gone too far.

श्रीमती सवित्री श्याम : लाइसेन्स देते समय क्या और अधिक जिम्मेदारियां उन पर डाली गई थी ? मंत्री महोदय यदि उत्तर देंगे तो मैं आभारी होऊंगी ।

Shri Sidheshwar Prasad : The Companies given licences for expansion are mainly concerned with export and with the production of those articles the import of which we want to decrease.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : माननीय मंत्री ने बताया कि ये लाइसेंस उल्लेखनीय विस्तार के लिए दिये गये हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल उत्पादन में उन फर्मों के भाग में वृद्धि। दूसरे शब्दों में, उसके एकाधिकार में वृद्धि। अपनी नीतो से अलग जाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कहना है । ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : एकाधिकार तथा नियंत्रित व्यापार अधिनियम और एकाधिकार आयोग इसको जांच करता है। जब भी कोई कम्पनी किसी वस्तु को बनाने वाली प्रधान कम्पनी होती है, उसे विस्तार और नया एकक लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। पर इस मामले में ये प्रधान कम्पनियां नहीं हैं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। यहा आप उत्पादन में अमुक कम्पनी का भाग बढ़ा दें तो उस वस्तु के उत्पादन में उसका एकाधिकार बढ़ जायेगा। मुख्य बात यह है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : एकाधिकार की बात तभी आएगी जब वे प्रधान उत्पादक हों। अन्य उत्पादक भी हैं, इसलिए वह एकाधिकार नहीं बनेगी। मैं मानता हूं कि इससे उसका उत्पादन बढ़ेगा, पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह कुछ विशेष कारणों जैसे जूट के कालीनों का निर्यात बढ़ाने के लिये जो मुख्यत: निर्यात होते है, के लिए किया गया है। उत्पादन बढ़ाने के यह अनुमति हमने इसी कारण से बड़े उद्योग गृहों को भी दी है।

चलचित्र परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव

*226. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चलचित्र परिषद् स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने मुख्य मंत्रियों के विचार आमंत्रित किये थे ;

(ख) क्या मुख्य मंत्रियों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ राज्यों / संघ प्रशासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने फिल्म परिषद स्थापित करने के विचार का सामान्यतया स्वागत किया है।

(ग) मामला सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप में यह कहा है कि केन्द्र चलचित्र परिषद स्थापित करने के पक्ष में नहीं है ? क्या उनके कथन में कुछ तथ्य है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : जी नहीं। मेरी जानकारी में यह बात नहीं लाई गई कि मुख्य मंत्री का ऐसा विश्वास है कि केन्द्र चलचित्र परिषद की स्थापना के विरुद्ध है। मैं मुख्यमंत्री से स्वयं बात कर चुका हूं और वे मेरे दृष्टिकोण से परिचित हैं।

श्री एस० ए० गुरुगनन्तम : परिषद की स्थापना के संबंध में निर्णय लेने में केन्द्र को कितना समय लगेगा ?

श्री आई० के० गुजराल : हम इसे शीघ्र ही करना चाहते हैं और हमें आशा है कि इसकी स्थापना शीघ्र ही हो जायेगी।

श्री नरेन्द्रकुमार सांधी : परिषद की स्थापना की बड़े लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही है। क्या मंत्री महोदय सभा को इस सम्बन्ध में कुछ बता सकेंगे कि इसकी रचना किस प्रकार की होगी, तथा क्या इसमें राजनीतिज्ञ भी होंगे और, यदि हों, तो उनमें से कितने प्रतिशत राजनीतिज्ञ और क्या उसमें फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि भी होंगे और, यदि हां तो कितने ?

श्री आई० के० गुजराल : मेरे मित्र को याद होगा कि मैंने इस सम्बन्ध में उनसे और उनकी संस्था से विस्तृत चर्चा की थी तथा इसके सम्बन्ध में उन्हें मेरे विचारों की जानकारी है। पर मैं उन्हें एक बात का आश्वासन दे सकता हूं कि चलचित्र परिषद में कोई भी राजनीतिज्ञ शामिल नहीं किया जायेगा।

डा० रानेन सेन : क्या पूर्वी भारत के फिल्म निर्माता पूर्वी भाग के लिए एक अलग चलचित्र परिषद चाहते हैं, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री आई० के० गुजराल : इस सम्बन्ध में फिल्म निर्माताओं के समय समय पर भिन्न-भिन्न विचार रहे हैं। एक स्थिति में निर्माताओं का विचार था कि केवल निर्माताओं के लिए एक अलग परिषद बनाई जाये। इसके बाद यह अनुभव किया गया कि क्षेत्रवार परिषद बनाना अधिक अच्छा होगा। पर चलचित्र परिषद में केवल निर्माताओं को ही लेने का विचार नहीं है; इसमें उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो फिल्म से सम्बन्ध रखते हैं।

धन की कमी के कारण लघु उद्योग क्षेत्र में क्षमता का पूरा उपयोग न होना

*227. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु उद्योग बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद भी धन की कमी और औद्योगिक ऋणों के अभाव के कारण अपनी उत्पादन क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर सके और न हीं वे उत्पादन का स्तर बढ़ा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख), बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद लघु उद्योग क्षेत्र में विनियोजन में वृद्धि हुई है तथा उत्पादन भी बढ़ा है। किन्तु सरकार इस क्षेत्र के विनियोजन और उत्पादन को गतिशिल बनाए रखने के लिए प्रयत्न करती रहेगी ताकि इसकी उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग किया जा सके।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या हाल ही में 21 विश्वविद्यालयों और देश की प्रमुख अनुसंधान तथा शैक्षणिक संस्थाओं ने बैंकिंग आयोग के लिए एक सर्वेक्षण किया था और यदि हां, तो क्या इस सर्वेक्षण का उद्देश्य लघु उद्योगों तथा छोटे कारीगरों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं और समस्याओं का अध्ययन करना था? क्या सरकार ने सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो प्रतिवेदन में उल्लेखित कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है तथा सरकार किस सीमा तक समस्या को हल करने को तैयार है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुझे ऐसे किसी सर्वेक्षण प्रतिवेदन की जानकारी नहीं है। हम साधारणतः लघु उद्योग क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करते रहते हैं और इस सम्बन्ध में सरकार के सम्बद्ध विभाग से बात करते रहते है।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या उड़ीसा के अधिकतर लघु उद्योगों को पर्याप्त धन नहीं दिया गया है और इस कारण वे राष्ट्रीयकृत बैंकों, व्यापारिक बैंकों और सहकारी संस्थाओं की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते और परिणामतः उन्हें गैर-संस्थागत एजेन्सियों से उधार लेने को बाध्य होना पड़ता है और यदि हाँ, तो क्या अधिकतर शिकायतें उड़ीसा में लघु उद्योगों के प्रति भेदभाव बरतने से सम्बन्धित हैं? उन शिकायतों की किस सीमा तक जांच की जाती है तथा उड़ीसा में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने के बजाय वे जानकारी दे रहे है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हमें उड़ीसा सरकार से कोई शिकायत नहीं मिली है।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : Hon. Minister's reply gives the impression that the small scale industries have got sufficient money after the nationalization of Banks. May I know whether the hon. Minister is aware of the number of the industries which were not able to register progresses due to non availability of loans from the banks?

May I know whether any cell or department has been opened by the Centre or Bihar Government so as to advise and help the small scale industries in getting loan from the Banks?

Shri Siddheshwar Prasad : We have not received any such complaint from the Bihar Government. Recently when the Chief Minister of Bihar came here, he had a discussion on the development of Industries. We have told the Government of Bihar that we will help them in every difficulty coming in the way of setting up small scale industries there. With this idea we have decided to set up a centre for small scale industries service and for testing the goods manufactured by these industries at Patna.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : May I know whether the hon. Minister or the Government have received any complaint from the small scale industries against nationalised Banks for giving loans to them?

Shri Siddheshwar Prasad : We have not received any complaint in this regard. Adequate help has been given regarding the supply of raw material.

Shri Bhagwat Jha Azad : What is the percentage of loan given to the small scale industries out of the total credit advanced by the nationlised banks so far?

Shri Siddheshwar Prasad : The correct information could be got from the Finance Ministry. In 1969 small scale industry received Rs. 251 crores while in December, 1971 the amount was Rs. 482 crores.

श्री हरि किशोर सिंह : राष्ट्रीयकरण से पहले और बाद बिहार में लघु उद्योगों को बैंकों ने कितना कितना रुपया दिया ? क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बिहार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों में बढ़ा भ्रष्टाचार और इस कारण लघु उद्योगों के मालिकों को बैंकों से ऋण लेने में कठिनाई हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। यदि मंत्री महोदय के पास यह विशिष्ट जानकारी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। वे कहते हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : यह सूचना तो मंत्री महोदय को देनी चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि बड़े पैमाने पर विद्यमान भ्रष्टाचार की उन्हें जानकारी है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उन्हें यह विशिष्ट जानकारी बाद में दे सकते हैं।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इस समय इस्पात की कुल मांग को कितने प्रतिशत पूरा किया जा रहा है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सभा को जानकारी है कि इस्पात की कमी है पर हमने लघु उद्योगों को विशेष तौर पर कुछ इस्पात दिया है। अभी अभी हमें यह पता चला है कि हमारे विशेष तौर पर नियतन करने पर भी कुछ राज्य उद्योग विकास निगम उस इस्पात को उठाने की स्थिति में नहीं है, अतः इस कारण कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं।

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शनों का दिया जाना

†

*228. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के नाम टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किये गये हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट्स के जनरल मैनेजर को यह निदेश दिया है कि वे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके अन्य आश्रितों पर 'अपना टेलीफोन लगवाओ' योजना के अंतर्गत धनराशि जमा करने पर जोर न दें ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निदेश कब जारी किया गया था ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) और (ख) पाकिस्तान के साथ हाल के युद्ध में शहीद हुए सैनिक अफ़सरों और जवानों के आश्रितों को टेलीफोन कनेक्शन देने की मांगें रक्षा मंत्रालय के जरिये प्राप्त होने पर सर्कलों/टेलीफोन जिलों के अध्यक्ष उन्हें टेलीफोन देने में प्राथमिकता देते हैं। उन्हें 'अपना टेलीफोन योजना' के अन्तर्गत रक़म जमा करने के लिए नहीं कहा जाता और उनके मामले टेलीफोन सलाहकार समिति के पास भी विचारार्थ नहीं भेजे जाते ।

(ग) 9 मई, 1972 को ।

श्री के० लकप्पा: मंत्री महोदय को मैं उनकी कार्यकुशलता के लिए बधाई देता हूं परन्तु क्या "अपना टेलीफोन योजना" और धरोहर मांगने की प्रथा पुरानी हो गई है, जिसके कारण न केवल सामान्य नागरिकों को अपितु युद्ध के शहीदों और उनके आश्रितों को टेलीफोन प्राप्त करने में कठिनाइया आती हैं ? क्या टेलीफोन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कठिनाइयों के बारे में युद्ध में शहीद व्यक्तियों की विधवाओं से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक युद्ध के शहीदों की विधवाओं का प्रश्न है उन्हें धरोहर राशि नहीं देनी होती। जहां तक अन्य व्यक्तियों का संबंध है हम इस बारे में किसी अन्य समय निर्णय करेंगे ।

श्री के० लकप्पा : क्या कोई ऐसे मौके आए हैं जब रक्षा मंत्रालय ने टेलीफोन के लिए युद्ध के शहीदों की विधवाओं के आवेदनपत्र भेजे हों और कुछ जिला टेलीफोन अधिकारियों द्वारा उक्त आवेदन पत्र रद्द किए गए हों और यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होगी तो पर्याप्त कार्यवाही की जाएगी जिससे सदस्य संतुष्ट हो सकेंगे ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : क्या यह आवश्यक है कि टेलीफोन कनेक्शनों के लिए उक्त प्रकार के आवेदनपत्र रक्षा मंत्रालय के माध्यम से ही प्राप्त हों अथवा उक्त प्रकार के आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सम्बद्ध विभाग को भेजे जा सकते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे इस प्रक्रिया से भी कोई आपत्ति नहीं है परन्तु सामान्यतया अब तक रक्षा मंत्रालय ही उक्त प्रकार के आवेदनपत्र प्रेषित करता रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मंत्री ने यह आदेश जारी किए हैं कि युद्ध के शहीदों की विधवाओं और आश्रितों को टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएं। क्या उन राष्ट्र नायकों को भी उक्त रियायत दी जाएगी जिन्हें कल के समारोह में ताम्र-पत्र दिये गये थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह एक सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

Shri Phool Chand Verma : May I know whether priority would be accorded to such applications also which are received through District Sailor, Soldiers and Airmen's Board ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यदि जिला सेलर्ज, सोलजर्ज एण्ड एयरमैन्ज बोर्ड अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समुचित रूप से यह प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक युद्ध के शहीद का सीधा आश्रित है तो उसे भी उक्त रियायत दी जाएगी।

टेलीफोन कालों के बिलों में कथित हेरफेर

†

*231. **श्री एम० एस० जोजफ :**

श्री शशि भूषण :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने उपभोक्ताओं से मिलकर टेलीफोन कालों के बिलों में हेरफेर कर के सरकार के साथ कथितरूप से कई लाख रुपये का धोखा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। सरसरी तौर पर ऐसा मामला बनता है।

(ख) एक क्लर्क, एक इंजीनियरी सुपरवाइजर (फोन) और एक सहायक इंजीनियर (फोन) को निलंबित कर दिया है। मामले की तफतीश की जा रही है और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा रही है।

Shri Shashi Bhushan : Is it a fact that for the last 6 years there has been manipulation of lakhs of rupees in Delhi Telephone Bills and no checking has been done by Accounts Department all these years and Accounts Department has not been made responsible for this state of affairs? What suggestions are being considered to keep check specially when there manipuplations are continuing since 1966? Action is being taken against those employees who joined after 1970, but when such action would be initiated against those employees who were working there prior to 1970? When the responsibility would be fixed on Accounts Department for not taking action in this regard?

Shri H. N. Bahuguna : Accounts Department cannot be blamed for this because Meter Reader, Engineering supervisor and Assistant engineer are responsible for this work. There is a register for recording meter readings. Accounts Department receives a paper on which number of Calls made at a particular number are mention and then they prepare bills. Reports about these manipulations were received in February, 1972. Since then we are enquiring the working in all the exchanges of Delhi and as a result it has come to notice that subscribers have not been billed for about Rs. 15

lakhs. This lapse has been detected in almost all the exchanges. The investigations have not been completed so far. Is therefore, think that Accounts Department is not responsible for this. Responsibility for this lies on Assistant Engineer and Engineering Supervisor. Action would be taken against those who are found guilty amongst them.

Shri Shashi Bhushan : When a particular subscriber is billed for Rs. 10,000 for one particular year and the amount billed decreases substantially next year why the Accounts Department does not make an enquiry. Responsibility for this lies on tha tDepartment. I think if Accounts people keep a check it would not happen.

Shri H. N. Bahuguna: This is a suggestion for action. But may I tell the Hon. Member that Accounts Department works in a mechanical way. Responsibility for actual checking lies on the Assistant Engineer and Engineering Supervisor. There are specific orders that a separate report should be sent about those telephones whose meters have completed their cycle. This has not been done here. This lapse is coming to light in respect of almost all the exchanges of Delhi. Enquiring in respect of all exchanges is being conducted. This work has yet to be completed. Manipulations upto the tune of 15 lakhs of rupees have come to light as a result of enquiry.

श्री जी० विश्वनाथन : टेलीफोन भी ठीक नहीं और लेखा विभाग का भी कार्यकरण तो और भी शोचनीय है। बिलों में इतनी गड़बड़ी होती है कि हम में से कुछेक सदस्यों के बिल बहुत अधिक होते हैं। उदाहरण तया मुझे 1700 रुपये का बिल प्राप्त हुआ है जो कि गलत है। यद्यपि मैंने विभाग को इस बारे में लिखा है परंतु मुझे अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। कई वर्षों से ऐसा हो चल रहा है। इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जैसा कि मैंने बताया, यह गड़बड़ी लेखा विभाग की गल्ती के कारण से नहीं है। इस अनियमितता के लिए प्रत्येक एक्सचेंज का इन्चार्ज जो सहायक इंजीनियर होता है, उत्तरदायी है। सहायक इंजीनियर प्रत्येक तिमाही प्रत्येक टेलीफोन से की गई कॉलों की संख्या की सूचना लेखा विभाग को देता है। लेखा विभाग उसके आधार पर बिल बनाता है। कॉलों की संख्या का पूरा हिसाब देखना मोटर रीडर, सहायक इंजीनियर और इंजीनियरिंग सुपरवाइजर का काम है परंतु ऐसा नहीं हुआ है। अत: जब फरवरी 1972 में 2-3 टेलीफोनों के बारे में यह मामला हमारे ध्यान में आया तो हमने प्रत्येक एक्सचेंज में जांच की। हमने कुछ मामलों में वर्ष 1969 तक के बारे में जांच की है और अन्य मामलों में 1966 वर्ष के बारे में भी जांच की जिन मामलों में हमने यह पाया कि कुछ टेलीफोन वालों ने पुराने बिलों की अदायगी नहीं की जिसका कारण सहायक इंजीनियर, इंजीनियरिंग सुपरवाइजर और मीटर रीडर की गल्ती थी।

श्री ए० पी० शर्मा : अब यह सिद्ध हो चुका है कि बिल बढ़ा चढा कर बनाए जाते है और अनेक मामलों में गल्त बिल बनाए जाते रहे हैं। अत: मैं जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि भविष्य में गल्त बिल न तैयार किए जाएं ? उन लोगों को क्या राहत दी गई है जिनके मामले में पता चला कि बिल बढ़ा चढ़ा कर अथवा गल्त बनाए गए थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस समय हम कम राशि के बिल बनाये जाने की समस्या पर विचार कर रहे हैं। यह ऐसा मामला है जिसमें लोगों को बिल भेजे ही नहीं गये। परंतु जहां तक अधिक राशि के बिल बनाकर भेजना व अन्य बातों का संबंध है याचिका समिति ने सिफारिशें की हैं कि हम दिल्ली टेलीफोन विभाग के लेखे के प्रश्न की जांच करें। हमने ऐसी समिति नियुक्त करने के बारे में निर्णय लिया था। इस बीच प्राक्कलन समिति ने भी इस विषय पर विचार किया है। हमने प्राक्कलन समिति से अनुरोध किया है कि याचिका समिति के सुझाव के अनुसार नियुक्त समिति के कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए।

Shri Ishaque Sambhali : Is it a fact that there is a general complaint about manipulation in Telephone Bills? Although we are discussing the question of under billing of bills but it is true and it has been observed that amounts of the bills of one subscriber are added to the bills of other subscribers. It has happened with me also. Charges for making a trunk call to Bhopal were included in my bill though I had not made the said call. When I wrote to the concerned officer a reply was sent that it had been enquired and found that the call was made from my telephone. This is a General complaint and this is happening in U. P. specially. What is happening in Moradabad is that inflated bill to the extent of Rs. 1000 is sent and then you have to persuade them for getting the amount reduced. I have sent a complaint to you about this. What steps are being taken in this regard and what action has been taken on this complaint?

Mr. Speaker: Please keep eye on your guests.

Shri H. N. Bahuguana : I know Mr. Sambhli is very kind hearted and hospitable man. There are always a number of guests at his place. It is not necessary that only he would use the telephone. Guests may also use it....

Shri Ishaque Sambhali : But what action has been taken about a written complaint about Moradabad?

Shri H. N. Bahuguna : About Moradabad he knows that those who were found guilty have been transferred from that place. Whenever Mr. Sambhali sends a compalint, we pay due attention to it and take appropriate action in the matter.

Shri Ram Sahai Pande: Communications Minister is an expert about manipulation. I hope that these manipulation would be checked during his tenure. May I know whether he is aware of the fact that Satta and the form of 'Matka Satha" is prevalent throughout the country. People indulging in this business work in collusion with telephone operators and take advantage of him. Transactions upto Rs. 10 crores take place in this 'Matka Satha' throughout the country. How much government is losing is not known. Are you aware of it or not? What steps are being taken in this regard?

Shri H. N. Bahuguna : This 'Matka' business originated from Bombay and we have received reports from Bombay in this regard. We are looking into the matter.

श्री विक्रम महाजन : क्या सरकार ने किसी ऐसे मीटर का विकास करने के प्रयास किए है जो कि प्रयोक्ता के टेलीफोन पर ही लगाया जा सके जिससे यह कथित शिकायतें रुक सकें? दूसरे, यह कहा गया है कि समस्या की जांच की जानी है। समस्या को हल करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक मीटर की बात है हमारे टेलीफोन अनुसन्धान कक्ष ने एक "चार्ज-इंडीकेटर" बनाया है जिसे हम एस० टी० डी० मीटर कहते हैं। परंतु यह अभी परीक्षणाधीन है और मैं निश्चित रुप से नहीं कह सकता कि हम इस बारे में सफल हो गये हैं। तथापि, हमारा यह निरन्तर प्रयास रहा है कि इस बात का पता लगाया जाए कि क्या हम ऐसा मीटर बना सकते हैं जो कि प्रयोक्ता के टलीफोन के साथ लगाया जा सके और ज्योंहि यह तैयार हुआ तभी कार्य किया जायेगा।

वाइस एडमिरल सोमान द्वारा अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्था के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

***232. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाइस-एडमिरल सोमान ने जिनको कि हाल ही में अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के निदेशक-पद से बर्खास्त कर दिया गया था, संस्थान के शासी निकाय के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये है;

(ख) क्या सरकार ने उन आरोपों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (घ): नेशनल इंस्टीटयूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के कार्यकारी निदेशक वाइस एडमिरल बी० एस० सोमान की सेवाएं उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार 3 जुलाई, 1972 से समाप्त कर दी गई थीं। तत्पश्चात उनके द्वारा लगाए गये कतिपय आरोप जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए, सरकार की जानकारी में आये हैं। हाल ही में उन्होंने सरकार को कुछ और भी आरोप बताए हैं। इन सबकी जांच हो रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इस संस्थान के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति शासी परिषद द्वारा की जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एडमिरल सोमान के मामले में, उसकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय शासी परिषद की एक बैठक में लिया गया था और इस बैठक में 8 में से 4 सदस्य अनुपस्थित थे एक सदस्य उनकी सेवाएं समाप्त करने के निर्णय के विरुद्ध था। सभापति तथा दो अन्य सदस्य उनकी सेवाएं जारी रखने के पक्ष में न थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कार्यकारी निदेशक जो कि संस्थान का मुख्य कार्यकारी होता है, के बारे में लिए गए शासी परिषद के इस निर्णय को उचित समझती है ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : बैठक बुलाने और गणपूर्ति के सम्बन्ध में कुछ शर्तें हैं। यदि उन शर्तों को पूरा किया जाता है तो कानूनी दृष्टि से निर्णय उचित माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ असंगति अवश्य है यह सब बातें विचाराधीन हैं। हम मामले की पूरी जाँच करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो जानकारी माननीय सदस्य को दी जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह जाँच विभाग द्वारा की जाएगी अथवा इसके लिए कोई विशेष समिति नियुक्त की गई है क्योंकि मैं समझता हूं सरकार ने इस संस्थान को अनुदान के रूप में एक बडी धन राशि दी है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्राप्त शिकायतों में यह भी कहा गया है कि अहमदाबाद का एक उद्योगपति परिवार जो किसी न किसी रूप में संस्थान का नियंत्रण कर रहा है, अपने ही व्यक्तियों को संस्थान द्वारा सौंपे गये कार्य में से लाभ और कमीशन कमाने में मदद कर रहा है। उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ और फर्में लाभ कमा रही है। क्या सरकारी अनुदान का सदुपयोग करने का यही ढंग है। जाँच किसके द्वारा की जायेगी ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरा इरादा इस मामले में एक उच्चाधिकारी द्वारा जाँच कराने का है और यदि अग्रेतर जाँच की आवश्यकता हुई तो हम उस पर विचार करेंगे। एडमिरल सोमान की नियुक्ति 10-10-1970 को की गई थी। वे 3-7-1972 तक अपने पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने हमसे कोई शिकायत नहीं की। कार्यमुक्त होने पर ही उन्होंने शिकायते की तथा आरोप लगाए अत: इस मामले पर सावधानी से विचार किया जाना आवश्यक है।

श्री पीलू मोदी: इस मामले में क्या सही है क्या गलत तथा सम्बन्ध व्यक्तियों द्वारा क्या शिकायते की गई हैं इन सब बातों को एक ओर छोड़कर हम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से कुछ कार्य निष्पादन की अपेक्षा करते है। इस संस्थान पर कई करोड़ों रुपया व्यय किया गया है परन्तु परिणाम निराशाजनक रहा है। क्या सरकार इस बारे में चिंतित नहीं कि पूंजी निवेश के मुकाबले में

परिणाम बिल्कुल निराशाजनक है। क्या सरकार संस्थान के कार्यकरण और प्रबन्ध की पूरी जांच कराने पर विचार कर रही है ताकि यदि प्रबन्ध वर्ग में दोष है तो उसे बदला जा सके। धन राशि व्यय करने और उपकरणों के होने के बावजूद भी परिणाम उत्साहजनक नहीं हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम: मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों के लिए उनका आभारी हूं। हम निश्चित रूप से संस्थान के कार्यकरण की पूरी जाँच करायेंगे।

श्री बी० बी० नायक : एडमिरल सोमान ने काफी अरसे तक भारतीय नौसेना में काम किया है। मैं जानना चाहता हूं कि नौसेना में उनकी सेवा के दौरान उनका व्यवहार कैसा रहा ताकि पता चल सके कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप किसी उद्देश्य से प्रेरित तो नहीं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं उनके व्यवहार पर किसी प्रकार का सन्देह नहीं कर रहा मैंने केवल तथ्यों को आपके समक्ष रखा है। जब तक वह संस्थान से सम्बद्ध रहे उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। सेवा मुक्त होने पर ही उन्होंने आरोप लगाए अत: यह एक ऐसा मामला है जिसकी जाँच अति आवश्यक है जहाँ तक भारतीय नौसेना में की गई उनकी सेवा तथा उनके व्यवहार का सम्बन्ध है निश्चय ही वह प्रशंसनीय होगा। यह प्रश्न यहाँ विचाराधीन नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्र

***234. श्री वेकारिया :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने टेलीविजन केंद्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यह केन्द्र किन-किन राज्यों में कहां-कहां पर खोले जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) छः।

(ख)	महाराष्ट्र	बम्बई/पूना
	जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर
	पंजाब	अमृतसर
	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
	उत्तर प्रदेश	लखनऊ/कानपुर
	तमिल नाडु	मद्रास

Shri Vekaria : In 1968-69 Shri K. K. Shah, the then Information and Broadcasting Minister announced at a Press Conference that a T. V. Station will be set up in Ahmedabad during Fourth Five Year Plan. What is the reaction of the Government to his commitment ? If this T. V. Station cannot be set up during the Fourth Five Year Plan; what are the reasons for that?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : इसका कोई विशिष्ट कारण नहीं है सभी राज्यों की राजधानियों में टी० वी० स्टेशन लगाने का विचार है और चौथी पंचवर्षीय योजना में हमने 6 नई परियोजनाओं पर काम शुरू किया है।

श्री पीलू मोदी : टी० वी० केन्द्र स्थापित करने के बारे में सरकार द्वारा जनता को दिए गए वचन का क्या हुआ ?

श्री आई० के० गुजराल: हमारी नीति धीरे-धीरे टेलिविजन के क्षेत्र विस्तार करने की है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि कुछ राज्यों में इस वर्ष टेलिविजन केन्द्र स्थापित हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में चार महानगरों में टेलिविजन केन्द्र स्थापित हो जाएंगे। हम विशिष्ट कारणों से भीनगर और पंजाब में टेलिविजन केन्द्र स्थापित कर रहे हैं। अन्य राज्यों की राजधानियों को पाँचवी योजना के अन्तर्गत लिया जाएगा।

श्री वीरभद्र सिंह: क्या सरकार की रिले स्टेशन बनाने की कोई योजना है ताकि दिल्ली या मसूरी से टेलिकास्ट होने वाले कार्यक्रम शिमला जैसे स्थानों पर देखें जा सके।

श्री आई० के० गुजराल : इस समय हम रिले स्टेशन स्थापित करके कार्यक्रम का यथासंभव विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी एक योजना के अनुसार एक रिले स्टेशन मसूरी में स्थापित किया जाएगा जिससे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ भागों में टेलिविजन कार्यक्रम देखे जा सकेंगे। हम हमेशा ऐसे स्थानों पर रिले स्टेशन लगाने के संभावनाओं का पता करते रहते है जहाँ से कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में टेलिविजन कार्यक्रम दिखाए जा सकें। हम यह देखने का यत्न कर रहे हैं कि क्या शिमला को इस रिले स्टेशन के अन्तर्गत लिया जा सकता है अथवा नहीं।

श्री एस० एम० बनर्जी : कानपुर के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

Review of Progess made in use of Hindi

*235. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **HOME AFFAIRS** be pleased to state. :

(a) whether the progress made in regard to the use of Hindi is reviewed at the quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee; and

(b) whether all the Official communiques and advertisements are issued in both Hindi and English on a uniform basis?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Deptt. of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) All official press releases invariably are issued by the Press Information Bureau both in Hindi and English. The advertisements requiring all India coverage and for Hindi Speaking areas are invariably issued in Hindi and English simultaneously by the Directorate of Advertising and Visual Publicity.

Shri Shanker Dayal Singh : The reply given by the hon. Minister is quite clear and satisfactory. Therefore I do not want to raise any supplementaries.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल समाप्त।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों के आवास मंत्रियों का सम्मेलन

*201. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री शशि भूषण :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है कि बड़े नगरों में विकास प्राधिकरणों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए;

(ख) क्या दिल्ली में जुलाई, 1972 के दूसरे सप्ताह में हुए राज्यों के आवास मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा की गई थी; और

(ग) सम्मेलन में किन अन्य मुख्य विषयों हुई और उन पर क्या निर्णय किया गया ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

विवरण

जुलाई 1972 में दिल्ली में हुए आवास, नगर-आयोजना तथा नगरनिवास के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में, आवास तथा नगरीय विकास नीति, तीनों केन्द्रीय क्षेत्र आवास योजनाओं के कार्यान्वयन, आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा दिये गये ऋणों की शर्तों तथा क्षेत्रीय और बृहत् योजनाओं आदि के बनाने और लागू करने से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित मुख्य शिफारिशें कीं :—

(i) समस्त नगरीकरण योग्य भूमि का समाजीकरण किया जाना चाहिये ताकि सरकार का भूमि-उपयोग पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण हो सके तथा सामुदाय के लाभ हेतु ऐसी भूमि के मूल्य के रूप में अर्जित वृद्धियां भी वसूल की जा सकें ।

(ii) आवास को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये और यह विभिन्न आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये किये गये अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय नियतनों में परिलक्षित होनी चाहिये । निम्न आय वर्गों के आवास को पिछली बकाया तथा वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पांचवीं योजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर कम से कम प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने की प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

(iii) केन्द्रीय क्षेत्र की प्रत्येक दोनों नई योजनाओं, अर्थात् (क) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास स्थल देने की योजना (ख) गंदी वस्तियों में वातावरण संबंधी सुधार की योजना के अन्तर्गत की गई व्यवस्था का 25% राज्य सरकारों को उन के परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर तुरन्त दे दिया जाना चाहिये, बशर्ते कि वे प्रस्ताव योजना के अनुरूप बनाये गये हों ताकि वे परियोजनाओं पर अपना काम आरंभ कर सकें ।

(iv) केन्द्र तथा राज्यों, दोनों में, प्रशासनिक तथा तकनीकी मशीनरी को समुचित रूप से सुदृढ़ बनाना जाना चाहिए और उस योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के कार्य के अनुकुल बनाना चाहिय ।

(v) भूमि सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के आवास-स्थल के रूप में दखलकार भूमिहीन मजदूरों को आवास-भूमि का अधिकार देने के कानून को, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना के साथ जोड़ देना चाहिये । इस योजना के अन्तर्गत भूमि के अर्जन की लागत को कम करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के भूमि-अर्जन अधिनियमों को संविधान के 25वे संशोधन के प्रकाश में संशोधित किया जाना चाहिय ।

(vi) गन्दी बस्तियों के वातावरण सम्बन्धी सुधार को योजना उन गन्दी बस्तियों तक सीमित हैं जो अगले दस वर्षों में हटाई नहीं जानी हैं । यह अवधि बहुत लम्बी है और इसको कम करके पांच वर्ष कर देना चाहिये । इस स्कीम के कार्यक्षेत्र का उन राज्यों तक

विस्तार किया जाना चाहियें जिनका फ़िलहाल कोई भी नगर या कस्बा इस योजना के अन्तर्गत नहीं आता ताकि वे अपनी राजधानी के नगर में (या किसी अन्य नगर में जिसे वे महत्वपूर्ण समझें) गन्दी बस्तियों का सुधार कर सकें।

(vii) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता-प्राप्त आवास योजना के कार्यान्वियन को कार्यविधि तथा अन्य कठिनाइयों को दूर करने के लिये सितम्बर 1972 के अन्त में दो क्षेत्रीय बैठकें की जानी चाहिये—एक पूर्वी क्षेत्र के लिये दार्जिलिंग में और दूसरी दक्षिणी क्षेत्र के लिये ऊटी में। राज्य सरकारों को इस योजना के अधीन उन परियोजनाओं को स्वीकृति देने की शक्ति भी दी जानी चाहिये जिनमें बागान मालिकों को केवल सहयता (बिना ऋण के) दी जा सकती है।

(viii) आवास तथा नगर-विकास निगम को इस के साधनों का पर्याप्त भाग इस प्रकार उपलब्ध किया जाना चाहिये जिन को अदायगी इतनी अवधि में की जानी चाहिये जो 25 वर्षों से कम न हो ताकि समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की सामाजिक तथा आवास की तत्काल आवश्यकता को पूरा किया जाये।

(ix) राज्य सरकारों को अपने बड़े तथा बढ़ रहे नगरों के लिये सांविधिक नगर विकास प्राधिकरण स्थापित करने की कार्यवाही करनी चाहिये।

(x) राज्य सरकारों को अपने सभी नगरों के लिये बृहत् योजनाएं बनानी चाहिये और नगर आयोजना के व्यापक कानून बनाने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये ताकि बृहत् योजनाओं को कानूनी तौर पर (और पर्याप्त रूप से) लागू किया जा सके।

(xi) राज्य आयोजना विभागों को, अपने राज्यों के महत्वपूर्ण नगरों के लिये व्यापक नगर विकास कार्यक्रम तैयार करने चाहियें, जिस में स्वत: उत्पादक प्रकार की पूंजी पर विशेष बल दिया जाना चाहिये और पांचवी योजना की अवधि के दौरान कार्यान्वियन के लिये उन का एकीकरण राज्य की पांच वर्षीय योजनाओं के साथ सुनिश्चित करना चाहिये।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा डाक्टरों की व्यवस्था रहित सामुदायिक विकास खण्ड

***202. श्री वेकारिया :**

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सामुदायिक विकास खण्डों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) राज्यवार ऐसे कितने सामुदायिक विकास खण्ड है जहां कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है, और ऐसे कितने सामुदायिक विकास खण्ड हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है लेकिन डाक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3375/72]**

वर्ष 1971 के दौरान बित्रा गुन्ता रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए चावल की दशा

203. श्री दशरथ देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत वर्ष बित्रा गुन्ता रेलवे स्टेशन (आन्ध्र प्रदेश) पर पकड़े गये चावल के लगभग 24,000 बोरे गोदाम में पड़े सड़ रहे हैं; और

(ख) क्या वह चावल अभी भी लोगों के खाने योग्य हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा 15-7-71 को पकड़े गए 18,299 चावल के बोरे बित्रा गुन्ता में पड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनमें से अधिकांश मात्रा उपयोग के योग्य है लेकिन उसको छानना और साफ करना पड़ेगा ।

वर्ष 1971-72 में अनाज के उत्पादन में कमी को देखते हुए अनाज के उत्पादन में वृद्धि हेतु उपाय

***204. श्री हरि किशोर सिंह :**

डा० महिपतराय मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971-72 में खाद्यान्नों के उत्पादन में हुई कमी को देखते हुए सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): वर्ष 1971-72 के खाद्यान्न उत्पादन के निश्चित प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, सरकार ने देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं । इन में, (i) अधिक उत्पादन शील किस्म कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार (ii) बहु-फसली खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि को लाना (iii) चावल के कार्यक्रम विषयक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का प्रारम्भ, (iv) बीजों के शीघ्र वर्धन तथा दालों की नई विकसित किस्मों के प्रदर्शन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना का आरम्भ (v) सिंचाई विशेषकर भूमिगत संसाधनों का सघन विकास, (vi) बीजों, उर्वरकों तथा ऋण जैसे आदानों की पर्याप्त एवं सामयिक पूर्ति और (vii) कृमि तथा रोगों पर निगरानी और सुव्यवस्थित वनस्पति रक्षण उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रबी के आगामी मौसम के लिए रबी उत्पादन का व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का विचार है।

आंध्र प्रदेश के कृष्णा तथा पश्चिम गोदावरी जिले के मिल-मालिकों के पास पड़ा चावल

***205. श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा तथा पश्चिम गोदावरी जिले के मिल मालिकों के पास 18,000 टन सेला चावल पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह चावल खराब हो रहा है और इससे मिल-मालिकों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को हानि हो रही है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बात को रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि यदि इस चावल को वहां से हटाया जाता है तो इसको देश के बढ़िया किस्म के चावल में नहीं मिलाया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मानव उपभोग के योग्य चावल के विपणन से सम्बन्धित कानून के सगत उपबन्ध चावल के इन भण्डारों पर भी लागू होंगे ।

राष्ट्रीय संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारत सरकार मुद्रणालय में काम करने वाले बाईंडरों के वेतन-मान

*206. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारत सरकार मुद्रालय, नई दिल्ली में काम करने वाले "बाईंडरो" के वेतन-मान क्या हैं; और

(ख) राष्ट्रीय अभिलेखाकार में बाईडरों के वेतन-मान बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है जहां काम उत्तम और उच्चकोटि का होता है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है, जिसमें जिल्दसाजों के वर्तमान वेतनमान दिय गये हैं ।

(ख) तृतीय वेतन आयोग को इस मामले से जानकारी है । उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाएगा ।

विवरण

राष्ट्रीय संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार और भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली में जिल्दसाजों के वेतनमान दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	पदनाम	वेतनमान
			रुपये
1	राष्ट्रीय संग्रहालय	पुस्तक जिल्दसाज	130-5-160-8-200-द०रो०-8 256-द०रो०-8-280-10-300
2	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	(i) पुस्तक जिल्दसाज	125-3-131-4-163-द०रो०-4-175-5-180
		(ii) जूनियर पुस्तक जिल्द-साज	80-1-85-2-95-द०रो०-3-110
3	राष्ट्रीय अभिलेखागार .	जिल्दसाज	100-3-130
4	भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली	जिल्दसाज ग्रेड- i	150-5-180
		जिल्दसाज ग्रेड- ii	110-3-131-4-143-द०रो०-4-155

Slum Clearance in Big Cities

*207. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government have decided to introduce Slum Clearance Scheme in some big cities of the country ;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the time by which Government propose to implement the said Scheme?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) and (b). There is already a Slum Clearance/ Improvement scheme which was sponsored by the Government of India in 1956. The Scheme is in the State Sector since the beginning of the 4th Five Year Plan. To supplement that scheme, the Government of India have, introduced this year a new Scheme called Central Scheme for Environmental Improvement of Slums. This scheme provides for cent-per-cent grant to the State Governments for carrying out environmental improvement in the slums in eleven cities in the country having a population of not less than 8 lakhs each. The scheme envisages improvements in the form of providing water supply stand-posts, sewers, storm-water drains, community baths and latrines, widening and paving of existing lanes and street lights.

(c) The new Scheme has been taken up for implementation in all the 11 cities to which it is applicable.

दिल्ली परिवहन निगम की बसों का खराब होना

*208. **श्री नरेन्द्रकुमार सांधी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई 1972 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली परिवहन निगम की दस प्रतिशत से भी अधिक बसें दिल्ली की सड़कों पर प्रतिदिन खराब हो जाती हैं;

(ख) क्या सरकार ने रोजाना इतनी अधिक बसों के खराब होने के बारे में जांच की है तथा स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों के ट्रिप मिस होने की समस्या को हल करने का प्रयास किया है और इस प्रयास में सरकार को किस सीमा तक सफलता मिली है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां। परन्तु तथ्य यह है कि जबकि अक्तूबर, 1971 में सड़कों पर बसों की संख्या का प्रतिदिन खराब होने वाली बसों का प्रतिशत 26.3 था, वह अब घट कर 25.4 प्रतिशत प्रतिदिन रह गया है। इस के अलावा, दिल्ली परिवहन निगम के नये प्रबन्ध ने 3-11-71 को दिल्ली परिवहन उपक्रम से 1391 बसें अपने अधिकार में लीं जिनमें से लगभग 524 बसें आठ साल अधिक पुरानी थीं।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम नये और नवीकृत बसों और पुराने को रद्द करके और बसों की रखरखाव के स्तर को सुधारने के लिये नये डिपुओं के निर्माण करने से बसों के खराब होने की दर को कम करने के लिये कार्यवाही कर रहा है।

(ग) जी, हां। लुप्त फेरों की प्रतिशतता को अक्तूबर, 1971 में 31·6 से घटाकर इस समय 21.1 कर दिया गया है।

मैसूर राज्य में दसवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में जम्मू और काश्मीर को एक पृथक देश दिखाना

*209. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में दसवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के मानचित्रों में जम्मू और काश्मीर को एक पृथक देश दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्र तटीय पोतों को मंगाना

*210. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय नौवहन का विकास करने के लिये तुरंत छोटे तटीय पोत मंगाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पोतों की आवश्यकता है; और

(ग) क्या ऐसे पोत प्राप्त करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की उप समिति जो एक सांविधिक समिति है हमारी तटीय आवश्यकताओ की पूर्ति करने के लिये आवश्यक जहाजों के प्रश्न की जांच कर रही है।

(ग) लगभग कुल 120000 जी० आर० टी० के 10 शुष्क मालवाही पोतों और लगभग 63,000 जी० आर० टी० के 5 तटीय तेलवाही पोतों के लिये विदेशो में आदेश दिये जा चुके हैं।

Centrally sponsored Agricultural Development Schemes in M. P.

*211. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number and names of the Centrally sponsored agricultural development schemes being implemented in Madhya Pradesh;

(b) whether there is any scheme to increase the production of improved varieties of wheat and rice seeds; and

(c) if so, the present position in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Sinde) : (a) A statement is laid on the table of the Sabha. [*Placed in library. See No. L.T. 3376/72*].

(b) There is no specific scheme as such. But State Government have their own seed farms on which seeds of wheat and rice are produced.

(c) Does not arise.

विश्वविद्यालयों के शासी निकायों में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व

*212. **श्री बालदन्डायुतम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के शासी निकायों में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) और (ख). गजेन्द्र-गडकर समिति द्वारा विश्वविद्यालयों के अभिशासन के बारे में अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशें जिनमें ये सिफारिशें भी शामिल हैं जो विश्वविद्यालय के प्रशासन में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिये जाने के सम्बन्ध में हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करना पड़ेगा तथा इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, इन सिफारिशों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम को संशोधित करते समय ध्यान में रखा गया है। जहां तक अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध व्यापक वैधानिक प्रस्तावों को तैयार करते समय इसी प्रकार की कारवाई की जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस रिपोर्ट को विश्वविद्यालयों को अग्रेसित कर दिया है। आशा है कि विश्वविद्यालय छात्रों के भाग लेने के उन पहलुओं पर कार्यवाही करेंगे जो उनके क्षेत्र में आते हैं।

राज्यों को बीजों और उर्वरकों की अनियमित सप्लाई के बारे में शिकायतें

*213. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों की बीजों और रासायनिक उर्वरकों की अनियमित सप्लाई के बारे में सरकार को कुछ राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। कृषकों को बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में कुछ राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

बीजों के विषय में राज्य सरकारें बीजों की अपेक्षित मात्रा में उत्पादन हेतु व्यवस्था करती हैं। इन प्रयत्नों में राष्ट्रीय बीज निगम, तराई विकास निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम सहायता करते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा धान की "आई ई टी" 1991 किस्म के बीजों की सप्लाई न करने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी और इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

उर्वरकों के विषय में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और स्थानीय विनिर्माणकर्ताओं के परामर्श से छः महीनों में एक बार समन्वित सप्लाई योजनायें तैयार की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार देसी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात करती है। परन्तु, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे कृषकों को समय पर उर्वरक सप्लाई करने के लिये आयातित उर्वरकों का अपनी इच्छानुसार उचित वितरण करें।

देशी फैक्टरियों के सम्मुख कठिनाइयों और उर्वरकों के आयात की कठिनाइयों के कारण इस वर्ष सप्लाई स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। जबकि देशी उत्पादन और आयात में वृद्धि करने के लिये भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं, राज्यों में उपलब्ध स्टाक के सही और समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश निकाला गया है जिसके द्वारा विनिर्माताओं के लिए राज्यों को उर्वरकों की उतनी मात्रा सप्लाई करने के लिए बाध्य किया गया है जिसे अचलीय सम्मेलनों में उन्होंने माना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उर्वरक देश के केवल कुछ ही क्षेत्रों में नहीं बेचा जाएगा अपितु समस्त राज्यों को समान आधार पर उर्वरक मिलेगा।

(2) उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत भी ऐसे आदेश जारी किये गए हैं जिनके द्वारा विनिर्माताओं को बाध्य किया गया है कि वे प्रति मास केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सूचना दें कि उन्होंने वास्तव में कितना माल सप्लाई किया है और कितना सप्लाई करना है। इससे राज्य सरकारें भण्डार के संचलन पर निगरानी रख सकेंगी।

(3) सरकार ने प्राथमिक फसलों और क्षेत्रों के लिए सहकारी कृषि-उद्योग निगमों जैसे राज्य अभिकर्णों के माध्यम से वितरण के लिए देश मे उत्पादित 30 प्रतिशत से भी अधिक अमोनियम सल्फेट प्राप्त कर लिया है।

(4) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सहकारी संस्थाओं और खुदरा विक्रेताओं के गोदामों में उपलब्ध स्टाक की सूची सावधानी से तैयार करें ताकि उपलब्ध उर्वरकों का सही ढंग से उपयोग किया जा सके।

(5) कदाचार के अवसर को कम करने के लिए विनिर्माताओं से अपने उत्पादन को सहकारी संगठनों के माध्यम से प्रयोग में लाने के लिए कहा गया है।

वर्ष 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान

*214. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष खाद्यान्नों के उत्पादन के कितने अनुमान लगाये जाते हैं;

(ख) ये अनुमान सरकार को किस समय उपलब्ध कराये जाते हैं; और

(ग) वर्ष 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन के विभिन्न अनुमान क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे):(क) से (ग). क्षेत्र की पूर्ण गणना तथा उपज के लिये फसल कटाई सम्बन्धी परीक्षणों के परिणामों पर आधारित खाद्यान्नों के उत्पादन के अनुमान वर्ष में केवल एक बार लगाये जाते हैं। ये अनुमान सामान्यत: कृषि-वर्ष के समाप्त होने पर, अर्थात् जुलाई-अगस्त में किसी समय उपलब्ध होते हैं। वर्ष 1971-72 के अनुभागों का अभी संकलन किया जा रहा है।

उर्वरक के मूल्य में वृद्धि और अनाज के उत्पादन पर उसका प्रभाव

*215. **श्री हरि सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में उर्वरकों के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उर्वरकों के मूल्य में इस असाधारण वृद्धि का देश में अनाज के उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). देश में यूरिया, एमोनियम सल्फेट और सी० ए० एन० नामक तीन मुख्य उर्वरकों के खुदरा मूल्यों पर कानूनी मूल्य नियंत्रण है। ये ऊर्वरक देश में खपत होने वाले उर्वरकों का लगभग 60 प्रतिशत है। इन तीनों उर्वरकों के (चाहे वे आयातित हो या देश में तैयार हुये हों) कानूनी स्तरों से अधिक मूल्य लेना उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के अन्तर्गत जुर्म है।

अन्य उर्वरकों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है बल्कि राज्य सरकारों और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा उचित मूल्य पर वितरित होने वाले उर्वरकों का मूल्य स्तर आयातित उर्वरकों के आस पास ही रहता है। फिर भी हो सकता है कि कुछ तत्व आपूर्ति की वर्तमान कठिनाइयों का फायदा उठा रहे हों और ऊंची कीमतें वसूल कर रहे हों। राज्य सरकारों से कड़ी सर्तकता रखने को कहा गया है। उनसे कहा गया है कि जहां भी ऐसा मामला सामने आये, कड़ी कार्यवाही की जाये।

देश में उर्वरकों के मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। मार्च, 1972 में समस्त आयातित और देश में विनिर्मित उर्वरकों के मूल्यों में, केवल वर्ष 1972-73 के लिये बजट प्रस्तावों में लगाई गई ड्यूटी को पूरा करने के लिए, वृद्धि करनी पड़ी थी। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित उर्वरकों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत 5-8-69 से एमोनियम सल्फेट के मूल्य में 10 रुपये प्रति मीटरी टन, 1-1-71 से न्यूरियेट आफ पोटाश के मूल्य में 10 रुपये प्रति मीटरी टन और 4-3-71 से यूरिया के मूल्य में 20 रुपये प्रति मीटरी टन की, आयातित और देश में विनिर्मित उर्वरकों दोनों के मूल्यों में थोड़ी सी कमी हुई है। वास्तव में, वर्ष 1969-70 के दौरान आयातित अमोनियम सल्फेट (रंगदार या चूर्णित किस्म) के मूल्य में 100 रुपये की कमी की गई थी।

(ग) उपरोक्त उरर्वकों के मूल्यों में वृद्धि होने से देश में खाद्यान्न उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके विपरीत कृषि उत्पाद के प्रोत्साहन मूल्यों और उनकी उत्पादकता को ध्यान में रखते हुये कहा जा सकता है कि उर्वरकों का वैज्ञानिक उपयोग लाभकारी सिद्ध हुआ है। पिछले तीन वर्षों की अवधि में उर्वरकों के उपयोग में क्रमश: 13 प्रतिशत, 14 प्रतिशत और 22 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सात घंटों मे पुल निर्माण

***216. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्**: क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1972 के "टाइम्स आफ इंडिया में ब्रिज इन सेवन आवर्स" (सात घंटों में पुल का निर्माण) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मूख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सहायता देने और शीघ्र पुल निर्माण की योजना को सफल बनाने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) यह मुख्यत: इस्पात में पुल बनाने की विधि के एकक किस्म का एक रुप है जिसका भगत इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लि० बंबई ने डिजाइन बनाया, एकस्व प्राप्त किया और जिसे गढ़ा।

(ग) लागत के बारे में फर्म द्वारा किये गये दावों और निर्माण के आवश्यक समय की दृष्टि से सरकार आशा करती है कि फर्म के दावों पर संबंधित अधिकारी उचित विचार करेंगे जब उन कार्यों के लिये पूछताछ की जायेगी जिनमें उनसे निकाले गये संरचना के प्रकार का प्रयोग किया जायेगा।

राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा सस्ते मकानों का निर्माण

*217. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सस्ते मकानों के निर्माण करने के बारे में राष्ट्रीय भवन संगठन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस बीच प्रस्ताव की जांच कर ली है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वाथ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) से (ग). भारत सरकार को राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन से विशेषतया दिल्ली के लिए सस्ते मकान के डिजाइन के बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने कम लागत के एक मंजिले मकान बनाने के लिए एक डिजाइन तथा विशिष्टियां तैयार की हैं। इसमें प्रत्येक यूनिट में 3 टेनमेन्टों की व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक यूनिट की अनुमानित लागत, भूमि की कीमत छोड़ कर, 14,283 रुपये है। सरकार इस डिजाइन की जांच करने की दृष्टि से इस डिजाइन तथा विशिष्टियां के एक यूनिट के निर्माण के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

Central Health Scheme for free Medical Treatment

*218. **Shri Lalji Bhai :**
Shrimati V. R. Scindia :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether any Central Health Scheme for providing free medical treatment to the families of unemployed and semi-employed persons is under concideration of Government; and

(b) if so, the broad outlines thereof and if not, the reasons therefor?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) (a) and (b). No, sir. No scheme for providing free medical treatment to the families of the unemployed or semi-employed persons is under consideration of the Government of India.

कनाट प्लेस में गगन चुम्बी भवनों की ऊंचाई की न्यूनतम सीमा

*219. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री राम प्रकाश :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली पुनर्विकास मंत्रणा समिति ने कनाट प्लेस क्षेत्र में तथा उसके आस-पास गगन चुम्बी भवनों के लिये कुछ सुझाव दिए हैं और उन के लिये कुछ न्यूनतम मानकों की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक सरकार को पेश नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में चीनी की कमी

*220 **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों से ऐसी सूचना मिली है कि उनके यहां चीनी की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो देश के सभी भागों में चीनी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) इस वर्ष चीनी के उत्पादन में गिरावट आने के कारण चीनी की आय कमी है। तथापि, उपलब्धि की सीमा के अन्दर नियंत्रित माध्यमों से घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने और खुले बाजार में बिक्री करने के लिए चीनी की नियमित रूप से मासिक निर्मुक्ति की जा रही है। कुछेक राज्यों में लेवी चीनी की सप्लाई में जुलाई, 1972 के दौरान कुछ विलम्ब तथा विघ्न पड़ा है क्योंकि कुछ फैक्ट्रियों ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों से अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए थे जिससे सरकार चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 को कार्यान्वित नहीं कर सकती थी। फिर भी लेवी चीनी के निर्मुक्त कोटे की 90.3 प्रतिशत चीनी जुलाई, 1972 में फैक्ट्रियों से उठा ली गयी थी।

(ख) न्यायालयों से निर्णय शीघ्र करवाने के लिए कार्यवाही की गयी है। देश के सभी भागों में चीनी की निर्विघ्न सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे वितरण तन्त्र को मजबूत बनाएं और उसमें सुधार करें और विशेषतया यह सुनिश्चित करें कि व्यापारियों द्वारा स्टाक रखने और फैक्ट्रियों द्वारा बिक्री और प्रेषण पर लगी सीमाओं का उल्लंघन न हो।

सीधे डायल घुमा कर ट्रंक काल करने में राजस्व की हानि

*221. **श्री निहार लास्कर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच करने से पता चला है कि सीधे डायल घुमा कर ट्रंक काल करने की प्रणाली में राजस्व की भारी हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपभोक्ताओं से और धनराशि वसूल करने के लिय क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं जिन्हें कम राशि के बिल भेजे गये थे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) अब तक जितनी जांच पूरी हो चुकी हैं उससे पता चलता है कि कुछ उपभोक्ताओं को पूरी रकम के बिल नहीं भेजे गए। तथापि इस मामले की आगे और भी जांच की जा रही है।

(ख) जिन उपभोक्ताओं के बारे में अबतक यह मालूम हो गया है कि उनसे कालों का पूरा चार्ज नहीं लिया गया, उनके पास पूरक बिल भेजे जा रहे हैं।

टेप रिकार्डर उद्योग की लाइसेंस प्राप्त क्षमता का कम किया जाना

*222. **श्री सरजू पांडे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेप रिकार्डर उद्योग की लाईसेंस प्राप्त क्षमता को 40 प्रतिशत कम करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) नहीं महोदय,

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाल्टनगंज-पटना टेलीफोन लाइन की खराब स्थिति

*229. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाल्टनगंज और पटना (बिहार) के बीच टेलीफोन लाइन की स्थिति ठीक नहीं है और लोग इसका सप्ताह में केवल चार दिन इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक-तार कालोनी किदवईपुरी, पटना

*230. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना में डाक-तार कालोनी किदवईपुरी में डाक-तार भवन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उस भवन में कोई केन्द्रीय स्कूल खोलने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पटना में डाक-तार कालोनी, किदवई-पुरी में प्राइमरी स्कूल व सामुदायिक केन्द्र को इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(ख) जी नहीं ।

धान के खेतों में चुराये गये डाक पत्रों का पाया जाना

*233. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम के निकट नवक्कल में डाक थैलों से चुराये गये 1,000 पत्र धान के खेत में पाये गये थे; यदि हां, तो क्या अपराधियों का पता लगा लिया गया है ;

(ख) सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) मई 1972 में कोचीन के नजदीक नरक्कल में धान के एक खेत में से लगभग 600 पत्रों के बंडल मिले थे । इसके बारे में यह संदेय है कि इन्हें कोचीन हवाई छंटाई कार्यालय से चुराया गया था । पुलिस मामले की तफतीक कर रही है । अपराधियों का अभी पता नहीं चला ।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आवश्यक सतर्कता और उपचार के उपाय किए गए हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित पदों के कोटे को भरने के लिये राज्यों को निदेश

*236. **श्री वी० मायावन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के सभी विभागों तथा सभी राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित पदों के कोटों को भरने के लिए निदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार के विभागों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सभी मंत्रालयों तथा विभागों का समय समय पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के हेतु प्राप्त करने के लिए निर्धारित विभिन्न कदम लेने के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए गए हैं। सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों का निर्दिष्ट रूप से अनुपालन किया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए राज्यों में सेवाओं में आरक्षणों की व्यवस्था करना तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों का विषय है। इसी कारण, चूंकि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी नहीं किये जा सकते, किन्तु फिर भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों को उनके अधीन सेवाओं तथा पदों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यथोचित कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

आकाशवाणी के सम्वाददाता

*237. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के अंशकालिक संवादाताओं को पूर्णकालिक बनाने तथा उनके वेतन में वृद्धि करने का है;

(ख) क्या कृषि, श्रम, शिक्षा, युवकों आदि संबंधी विशेष कार्यों के लिए सभी संवादाताओं को नियुक्ति की जाती है; यदि हां, तो उड़ीसा में ऐसे कितने संवाददाता हैं; और

(ग) उड़ीसा के कितने जिलों में आकाशवाणी के संवाददाता नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) फिलहाल इस प्रकार का कोई विचार नहीं है ।

(ख) आकाशवाणी ने युवक तथा कृषि संबंधी कार्यक्रमों के लिए कुछ स्थानों पर संवाददाता नियुक्त किये हैं। उड़ीसा में कृषिसंबंधी कार्यक्रमों के लिए एक संवाददाता है। वहां विशेषतया युवक संबंधी कार्यक्रमों के लिए कोई संवाददाता नहीं है।

(ग) पांच ।

पुलिस द्वारा एक मानसिक रोग ग्रस्त महिला के साथ उसे दिल्ली न्यायालय ले जाते समय बलात्कार

*238. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** :
श्री मान सिंह भौरा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की सेन्ट्रल जेल की एक मानसिक रोग ग्रस्त महिला कैदी को 3 जुलाई, 1972 को जब दिल्ली के एक न्यायालय में ले जाया जा रहा था तो उसके साथ जाने वाले पुलिस के व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में एक उच्चस्तरीय जांच आरम्भ कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो अपराधी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) इस संबंध में आरोप लगाया गया है।

(ख) आरोपी की जांच करने के लिए जांच-अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(ग) जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। पुलिस स्टेशन में एक फौजदारी मामला दर्ज किया गया है तथा संरक्षण के लिये साथ जाने वाले दो पुलिस कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया गया है। महिला बन्दियों के संरक्षण के लिये एक अलग गाड़ी जिसमें महिला पुलिस होगी, की व्यवस्था की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वी० एच० एफ० नामक एक नई टेलीफोन पद्धति

*239. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० एच० एफ० नामक एक नई ग्रामीण टेलीफोन पद्धति के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पद्धति में एक साथ बोलने और सुनने की सुविधायें प्राप्त होंगी;

(ग) क्या इस नये तरीके से अधिक विश्वसनीय सेवा प्राप्त हो सकेगी और इस का संचालन भी सुगम होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पद्धति को दूर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। ऐसे इलाकों के लिए अकेले चैनल वाली वी० एच० एफ० प्रणाली तैयार की गई है।

(ख) जी हां, आम टेलीफोन की ही तरह इसमें भी बोलने और सुनने दोनों की व्यवस्था है।

(ग) जिन क्षेत्रों में खुली लाइनें लगाने और उनके रख-रखाव में कठिनाई होती है, आशा है कि वहां यह टेलीफोन प्रणाली अधिक विश्वसनीय सिद्ध होगी और इसका संचालन भी सुगम होगा।

(घ) पहले यह ये प्रणालिया पहाडी और पिछड़े इलाकों में लगाई जाएगी। आशा है कि इन में से कुछ इस वर्ष ही लगा दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र में टायरों के कारखानें

*240. **श्री पम्पन गोडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के अधीन चल रहे टायर कारखानों की संख्या क्या है तथा वे कहां कहां पर स्थित हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) देश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई टायर कारखाना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

असम में बारपेट स्थित राज्य फार्म की प्रगति

1980. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में बारपेट में स्थापित किये गये राज्य फार्म ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) 500 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले कुल कितने अधिकारी है तथा इससे कम वेतन पाने वाले कुल कितने कर्मचारी और मजदूर अब तक नियुक्त किये गये हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) अप्रैल, 1972 के अन्त तक कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) फार्म का कुल वर्तमान क्षेत्र 5000 एकड़ है। इस क्षेत्र में कार्य नवम्बर, 1971 में आरम्भ हुआ था। कर्मचारियों की भर्ती, फार्म के लिए यंत्र तथा उपकरणों की खरीद, अस्थायी शेडों का निर्माण तथा भूमि का विकास आदि कार्य पहले ही आरम्भ हो चुके है। अभी तक 532 एकड़ भूमि को खेती के अन्तर्गत लाया जा चुका है। 1971-72 के रबी के मौसम में लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में खेती करना संभव था। अभी तक खरीफ 1972 में 110 एकड़ के क्षेत्र में खेती की गई है।

(ख) 30 जून, 1972 को दो अधिकारियों का मासिक वेतन 500 रुपये से अधिक तथा नौ कर्मचमरियों का 500 रुपए से कम था। फार्म के स्थापित होने के पश्चात 10 से 250 कर्मचारियों को रोजगार दिया गया है।

(ग) 30-6-72 तक 3,61,187 रुपये ।

(घ) 145 क्विंटल गेहूं ।

मध्य प्रदेश म मुर्गी फार्म तथा पोषाहार वितरण केन्द्र

1981. **श्री मार्तन्ड सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में, जिलेवार कितने-कितने मुर्गी फार्म तथा पोषाहार वितरण केन्द्र चल रहे हैं; और

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य ने कितना-कितना वित्तीय सहयोग दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के आदिवासियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देना

1982. **श्री मार्तन्ड सिंह :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के आदिवासियों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रवृत्तियों तथा अन्य सुविधाओं के रूप में उनके लिए, वर्षवार तथा जिलेवार, कितनी कितनी राशि व्यय की गई है, और

(ख) इस योजना से, जिलेवार, कितने लोगों को लाभ पहुंचा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र

(रुपए लाख की राशियों में)

वर्ष	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां		लड़कियों के छात्रावास	
	खर्च	लक्ष्य	खर्च	लक्ष्य
1969-70 .	5.36*	3319 छात्रवृत्तियां	..	..
1970-71 .	4.33*	2880 छात्रवृत्तियां	0.96	20 छात्रावास
1971-72 .	5.48*	3700 छात्रवृत्तियां	1.80	20 छात्रावास

*11.66 लाख रुपए के वचनबद्ध खर्च को छोड़ कर।

राज्य क्षेत्र

	खर्च	
1969-70	1970-71	1971-72
		(रुपए लाख की राशियों में)
87.46	120.59	190.80
..	..	..
..	..	..
..	..	..
..	..	..
..	..	..
..	..	..

	प्राप्त किए गए लक्ष्य		
	1969-70	1970-71	1971-72
1. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां . . .	60000	66000	75000
2. मध्याह्न भोजन	6 लाख	7 लाख	8 लाख
3. ट्यूशन तथा बोर्ड परीक्षा फीसों की प्रतिपूर्ति .	5750	6325	6967
4. छात्रावास . . .	80	100	200
5. आश्रम स्कूल .	3	3	15 11 वी० पी० आश्रमों के ग्रेड को बढ़ाया गया ।
6. साधारण आई० टी० आई० में अधिरिक्त वजीफा .	216	267	300
7. मैट्रिकोत्तर छात्रावास . . .	..	4	5

1971-72 के सम्बन्ध में प्रत्याशित आंकड़े दिए गए हैं ।

जिला वार जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

संसद भवन में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध उत्पादों का विक्री मूल्य

1983. श्री के० सूर्यनारायण : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा तैयार किये गये तथा संसद भवन काउन्टर पर बेचे जाने वाले निम्नलिखित उत्पादों का विक्री-मूल्य क्या है (1) मिल्क शैक तथा सादी लस्सी (2) मिल्क शैक तथा मीठी लस्सी (3) आइस्क्रीम वाला मिल्क शैक (4) आइस्क्रीम तथा अर्बर्त वाला मिल्क शैक;

(ख) क्या संसद भवन के स्टालों पर मूल्य का कोई चार्ट नहीं लगाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सादी तथा मीठी लस्सी बनाने के लिये दही में पानी मिलाने की कोई मात्रा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो कितनी, और यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा संसद भवन के काउन्टर पर बेचे जाने वाले विभिन्न दुग्ध उत्पादों का विक्रय मूल्य निम्न प्रकार है :—

दुग्ध उत्पादन	मूल्य (पैसे प्रति गिलास)	टिप्पणी
1	2	3
(1) मिल्क शैक, सादा . .	..	नहीं बेचा जाता
लस्सी, सादी . .	45	..
(2) मिल्क शैक, मीठा . .	53	..
लस्सी, मीठी . .	60	..

1	2	3
(3) आइस्क्रीम सहित मिल्क शैक .	..	बेचा नहीं जाता
	98	75 सी सी के आइस्क्रीम कप सहित
(4) आइस्क्रीम सहित . . मिल्क शैक और सिरप .	128	125 सी सी के आइस्क्रीम कप सहित

(ख) संसद भवन के मुख्य स्टाल / मिल्क बार में बेचे जाने वाले विभिन्न दुग्ध उत्पादों के मूल्य सामान्यतः सबको ज्ञात हैं; जब कभी इनके बिक्री मूल्यों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो मूल्य चार्ट लगा दिये जाते हैं।

(ग) जी नहीं। लस्सी बनाते समय दहीं में ग्राहक को इच्छानुसार पानी मिलाया जाता है।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपलब्ध सीटें

1984. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए कुल कितनी सीटें हैं;

(ख) इस वर्ष विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य-वार कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; और

(ग) कुछ राज्यों के अधिक विद्यार्थी लिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में पूर्व-स्नातक एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम और विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की स्थिति इस प्रकार है :—

(I) **पूर्व-स्नातक एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम :—**

इस पाठ्यक्रम के लिए प्रति वर्ष उपलब्ध सीटों की संख्या 50 है जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए और 5 सीटें केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

(II) **विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :—**

इस समय संस्थान के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या 422 है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या इस संस्थान की शैक्षिक समिति द्वारा उस विभाग विशेष में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर निश्चित की जाती है।

(ख) (I) **पूर्व-स्नातक एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम :—**

इस वर्ष 45 सीटों के लिए (विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित 5 सीटों को छोड़कर) प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या 7315 थी।

इस पाठ्यक्रम में इस वर्ष प्रवेश के लिए चुने गए विद्यार्थियों के राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1. दिल्ली	15
2. बिहार	4

3. हरियाणा	1
4. महाराष्ट्र	2
5. मैसूर	1
6. पंजाब	5
7. राजस्थान	1
8. तमिल-नाडु	1
9. उत्तर प्रदेश	15
	45

(II) विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :—

जनवरी से जुलाई, 1972 सत्र के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपलब्ध 191 सीटों के लिए इस वर्ष प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या 2012 थी। इनमें से 138 छात्र इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चुने गए थे। प्रवेश के लिए चुने गए छात्रों के राज्यवार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

पंजाब	7
आंध्र प्रदेश	12
मध्य प्रदेश	3
केरल	14
महाराष्ट्र	2
दिल्ली	27
तमिल-नाडु	6
असम	4
उड़ीसा	6
हिमाचल प्रदेश	4
हरियाणा	6
जम्मू एवं कश्मीर	4
मैसूर	6
उत्तर प्रदेश	12
राजस्थान	1
पश्चिम बंगाल	20
बिहार	1
विदेशी नागरिक	3
योग	138

(ग) अखिल भारतीय प्रतियोगिता-परीक्षा लेकर इस संस्थान के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही दिया जाता है। राज्यवार सीटों का कोई विशेष आरक्षण नहीं किया जाता है।

जहां तक **स्नातकोत्तर** पाठ्यक्रमों का संबंध है इनके लिए चयन विशुद्ध योग्यता के आधार पर किया जाता है और किसी राज्य विशेष के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होती है।

विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में सीटें

1985. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान समस्त देश के पांचों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए कुल कितनी सीटें उपलब्ध है;

(ख) किस-किस राज्य के कितने-कितने विद्यार्थियों ने दाखिले के लिए आवेदन-पत्र दिये और प्रत्येक राज्य से कितने कितने विद्यार्थी चुने गये; और

(ग) कुछ राज्यों के अधिक विद्यार्थी चुने जाने के क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3377/72**]

(ग) प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले संयुक्त प्रवेश परीक्षा के द्वारा किये जाते है विभिन्न राज्यों से छात्रों का दाखिला प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची में उनके (छात्रों के द्वारा प्राप्त) स्थान (रैंक) तथा उनके अपने संस्थानों और विषय क्षेत्रों के चयन पर आधारित होता है।

डिब्रूगढ़, असम में छोटे तथा सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए योजना

1986. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के डिब्रूगड जिले में छोटे तथा सीमांत किसानों की संख्या बहुत अधिक है और भूमिहीन श्रमिकों की संख्या अधिकतम है ;

(ख) क्या छोटे तथा सीमांत किसानों और खतिहर मजदूरों के लाभ वाली योजना की असम के डिब्रूगड जिले में लागू करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक कार्यक्रम मार्गदर्शी परीक्षण है जिनका 87 चुनींदा परियोजना क्षत्रों में परीक्षण किया जा रहा है। असम में ये क्षेत्र (1) गोलपाडा, (2) कामरूप (3) मिकिर हिल्स और (4) नवगोंग हिल्स जिलों में स्थित है। इनका चयन राज्य सरकारों के परामर्श से किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान डिब्रूगढ जिले में इस योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। असम के डिब्रूगढ जिले में लघु और सीमांत कृषकों की संख्या के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अर्थ शास्त्री द्वारा भारत छोड़ा जाना

1987. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई, 1972 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को और दिलाया गया है कि एक उच्च कोटि के अर्थशास्त्री ने असंतोष के कारण भारत छोड जाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामलें में सरकार ने कौन से कदम उठाये है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) दिनांक 26 जुलाई, 1972 के हिंदुस्तान टाइम्स में दिए गए समाचार का संबंध बंबई विश्वविद्यालय के प्रो० एम० सो० दल्वी के त्यागपत्र से है। अपेक्षित सूचना बंबई विश्वविद्यालय से एकत्र की जा रही है और विवरण यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

दिल्ली में रजिस्टर्ड धार्मिक संस्थाओं को भूमि का आवंटन

1988. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री दिल्ली में रजिस्टर्ड धार्मिक संस्थाओं को भूमि के आवंटन के बारे में 1 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4441 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपेक्षित जानकारी क्या है; और

(ख) उन रजिस्टर्ड संस्थाओं के नाम क्या है जिनको वह भूमि आबंटित की गई है जो वास्तव में शैक्षिक संस्थाओं के लिये रखी गई थी, तथा प्रत्येक संस्था को कितनी कितनी भूमि, कहां कहां पर दी गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली में पिछले दो वर्षों में 22 धार्मिक संस्थाओं को आबंटन किये गये है और 7 मामले दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास निलंबित पडे है। शिक्षा संस्थाओं के लिये आरंभ में निचित किया गया कोई प्लाट धार्मिक संस्था को नहीं दिया गया है।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, इस का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में विभिन्न आवास योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि

1989. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971–72 में राज्य-वार (1) हरिजनों, (2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी आवास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) 1972–73 में राज्य-वार उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिनसे योजनाएं प्राप्त हो गई है और उन योजनाओं की क्रियान्विति पर कितना खर्च आयेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में देखा जा सकता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3378/72**] यें आंकडे पिछडे वर्ग क्षेत्र के अधीन आवास योजनाओं से संबंधित है । योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है ।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी के लिये वित्तीय सहायता

1990. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की योजना को कार्यरूप देने के लिये असम को गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) उक्त कार्य के लिये वर्ष 1972–73 में कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) राज्य सरकारों को विकास कार्यों के लिए जिनमें जलपूर्ति योजना भी संमिलित है, केन्द्रीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में क्रमशः 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के हिसाब से दी जाती है। जलपूर्ति जैसे कार्यक्रमों के लिए केन्द्र द्वारा वित्तीय स्वीकृति कार्यक्रमवार प्रदान करना अपेक्षित नहीं है, क्यों कि वे राज्य क्षेत्र मे आते है और इस प्रकार की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना तथा उन्हे कार्यान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है।

योजना आयोग ने 1969-70, 1970-71, 1971-1972 और 1972-73 के लिए निम्नलिखित राशि के नियतन की सिफारिश की है :—

(रु. लाखों में)

वर्ष	ग्रामीण जलपूर्ति	नगर जलपूर्ति (सफाई कार्यक्रम सहित)
1969-70	60.00	37.00
1970-71	39.00	96.00
1971-72	21.23	68.77
सामान्य पहाडी क्षेत्र	19.00	23.00
1972-73	72.00*	65.00*

*21.37 लाख रुपये मिजोरम के लिये सम्मिलित है।

संसद् सदस्यों के फ्लैटों पर जाने से डाक्टरों द्वारा इंकार किया जाना

1991. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलिंग्डन अस्पताल के डाक्टर तथा महिला डाक्टर संसद सदस्यों के फ्लैटों पर जाने से इन्कार करते है जब संसद सदस्यों के बच्चों तथा पत्नियों को देखने के लिये उनकी उपस्थिति आवश्यक होती है और वे बुलाये जाने पर केवल मंत्रियों के घर ही जाते है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार ऐसे डाक्टरों तथा महिला डाक्टरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है जो जानबूझ कर संसद सदस्यों की उपेक्षा करते है और यहां तक कि उनको बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहते है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) रोगियों द्वारा बुलाये जाने पर उनके घरों पर जाना विलिंग्डन अस्पताल म अस्पताल के लिए स्वीकृत पदों पर कार्य कर रहे चिकित्सा अधिकारियों के विहित कर्तव्यों में नहीं आता। वैसे, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के जिस औषधालय में रोगी का इलाज हो रहा हो वहां के चिकित्सा अधिकारी के मांग करने पर विलिंग्डन अस्पताल से संबंध केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञ इस योजना के लाभार्थीयों को देखने उनके घरों पर जाते है। संसद सदस्य भी केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत है।

(ख) यदि किसी मामले में कोई चिकित्सा अधिकारी रोगी के घर पर उसे देखन' जाने में जानबूझ कर टालमटोल करता है तो उसकी पूरी पूरी छानबीन की जाती है और यदि इस छानबीन के बाद वह चिकित्सा अधिकारी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है।

संसद सदस्यों को दिल्ली में भूमि का आवंटन

1992. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्यों को दिल्ली में भूमि आवंटित करने का निर्णय कर लिया है और संसद सदस्यों द्वारा दिये गए आवेदन पत्र जुलाई 1971 से दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पड़े है;

(ख) क्या इन आबंटनों को लंबित रखने के संबंध में सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) सरकार ने निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकासित प्लाटों का 5 प्रतिशत "संसद तथा महानगर परिषद के वर्तमान सदस्यों, दिल्ली नगर निगम के पार्षदों तथा कन्टोन्मेंट बोर्ड व नई दिल्ली नगरपालिका के गैर-सरकारी सदस्यों" के लिये सुरक्षित रखा हुआ है। पूर्व निर्धारित दरों पर प्लाट केवल उनको आवंटित किये जाते है जो निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिये निर्धारित आय सीमा

के अन्तर्गत आते है तथा जिनके पास दिल्ली, नई दिल्ली या कन्टोनमेंट क्षेत्र में अपने या अपने उपर निर्भर किसी संबंधी, जिस में अविवाहित बच्चे भी शामिल है, के नाम कोई मकान नहीं है। संसद सदस्यों से प्राप्त आवेदन-पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेज दिये जाते है, जो इन आय वर्गों को आवंटन करने के लिए विकासित प्लाट उपलब्ध होने पर, संसद सदस्यों को उनसे प्राप्त आवेदन-पत्र की तारीख के अनुसार उनके कोटे के विपरित प्लाट आवंटन करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करन का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी अधिकारियों को उनकी बारी पर आवास का आवंटन

1993. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइप VIII के हकदार अधिकारियों को क्वार्टर्स के लिए बिल्कुल ही प्रतीक्षा नहीं करनी पडती जबकि टाइप II क्वार्टरों के हकदार अधिकारियों को क्वार्टर्स को अलाटमेंट के लिये 20 वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो इस बात में कितना समय लगेगा जिससे कि सभी रेंकों के अधिकारियों को निश्चित वर्षो तक सेवा करने के पश्चात अपनी बारी तक क्वार्टर मिल जायें; और

(ग) विभिन्न टाइपों के उन क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है जो उपलब्ध है और प्रत्येक वग में कितने अधिकारियों को क्वार्टर दिये गये है तथा कितने अधिकारी क्वार्टर की प्रतीक्षा में है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल में टाइप VIII के वास के लिये, जो भारत सरकार के सचिवों / अतिरिक्त सचिवों को आवंटित किय जात है, 1-10-1962 तक की प्राथमिकता की तारीख तक वास आवंटन किये जा चुके है। यदि इन अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन की गई सारी सेवा पर विचार किया जाए तो उनमें से अधिकतर 20 वर्ष से अधिक सेवा कर चुके है, परंतु उन्हे अपने पात्र टाइप के वास आवंटित नहीं किया गया है। टाइप II में प्राथमिकता की तिथि 31-12-1953 चल रही है।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास की अत्यंत कमी है तथा पात्र कार्यालयों म कार्य कर रहे लगभग 42.5 प्र० श० कमचारियों को वास देना संभव हो सका है। यह नहीं बताया जा सकता कि उन सरकारी कमचारियों को, जिन्होंने कुछ एक निश्चित वर्षों की सेवा कर ली है, कब तक वास देना संभव हो सकेगा। सामान्य पूल वास के निर्माणों के लिये सरकार के पास निरंतर चलने वाला एक कार्यक्रम है तथा इसकी प्रगति निधियों विकासित भूमि, भवन निर्माण सामग्री, तकनीकी क्षमता आदि की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल के विभिन्न टाईप के वास की मांग, उन अधिकारियों की संख्या जिन्हे वास दे दिया गया है तथा आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारि ों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल की मांग, उन अधिकारियों की संख्या जिन्हे वास दे दिया गया है, तथा वास की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों की संख्या का विवरण

टाईप	मांग	जिन अधिकारियों को वास दिया गया है, उन की कुल संख्या	आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
i	26,335	12,961	13,374
ii	39,799	10,315	29,484
iii	14,631	7,018	7,613
iv	9,353	6,036	3,317
v	5,107	3,481	1,626
vi	1,376	1,035	341
vii	421	325	96
viii	112	98	14
कुल	97,134	41,269	55,865

भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों की संख्या

1994. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम मे 1 जनवरी, 1972 को कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या थी और उनमें अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी कितन है ;

(ख) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित पदों का कोटा पूरा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का विचार कौन से विशेष कदम उठाने का है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पहली जनवरी, 1972 को भारतीय खाद्य निगम में श्रेणीवार स्टाफ की संख्या और अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1	490	6	1
2	1371	53	—
3	18849	1656	127
4	11361	1456	148

(ख) भारतीय खाद्य निगम की स्टाफ संख्या मे मुख्यत: (1) सीधी भर्ती के कर्मचारी (2) खाद्य विभाग से स्थानांतरण पर आए हुए कर्मचारी; और (3) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए कर्मचारी शामिल है।

जहां तक सीधी भर्ती के कर्मचारियों का संबंध है, निगम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए कोटे का पालन कर रहा है।

केन्द्रीय सरकार के खाद्य विभाग से स्थानांतरण पर आए हुए कर्मचारियों को निगम द्वारा खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के खंड 12–ए के अन्तर्गत खपाया जाना है और इसलिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्थानांतरित कमचारियों के लिए किसी प्रकार के कोटे के आरक्षित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनियुक्त विदेशी सेवा की शर्तों पर कार्य कर रहे है। उनके बारे में भी कोटा आरक्षित करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सप्लाई किये गये उर्वरक में मिलावट

1995. श्री एन० कतामुतु : क्या कृषी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि मंगलौर स्थित भारतीय उर्वरक निगम की और से कोलार में रेल से प्राप्त उर्वरक के 2790 बोरों में से 119 बोरों में 90 प्रतिशत बालू थी तथा 10 प्रतिशत उर्वरक ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) जी हां, भारतीय खाद्य निगम (न कि भारतीय उर्वरक निगम)ने सूचित किया है कि कोलार के निगम से प्राप्त किय गये उर्वरकों के 119 थैलों में मिलावट की शिकायत थी। प्रारंभिक जांच के पश्चात भारतीय खाद्य निगम ने बताया है कि यह मिलावट, यदि कोई हो, भा रतीय

खाद्य निगम द्वारा थैलों के भेजने से पहले नहीं हो सकती, विशेषकर इसलिये कि मंगलौर से उसी समय भेजे गये अन्य हजारों थैलों की शुद्धता के संबंध मे कोई शिकायत नहीं थी। फिर भी, राज्य सरकार के परामर्श से इस मामले को और जांच की जा रही है।

बंगला देश की नम्बर प्लेटों वाली कारों को जब्त करने के लिए राज्य सरकारों को दिया गया तथाकथित परामर्श

1996. श्री राम कंवर : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को बंगला देश की नंबर प्लेटों वाली सभी कारों को जब्त करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके फलस्वरूप राज्य सरकारों द्वारा कितनी कारें जब्त की गई है और यदि इसके फलस्वरूप कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते।

पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये कार्यकारी दल

1997. श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने के लिये सहकारिता संबंधी एक कार्यकारी दल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निर्देश पद क्या है और इसके सदस्यों के क्या कर्तव्य है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) सहकारिता विभाग ने योजना आयोग के आग्रह पर पांचवीं योजना तैयार करने के लिए सहकारिता संबंधी कार्यकारी दल का गठन किया है।

(ख) कार्यकारी दल के विचारणीय विषय तथा कर्तव्य अनुबंध मे दिए गए है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3379/72]**

राजस्थान में न्यूट्रीशन मानीटरिंग के लिये राष्ट्रीय एकक की स्थापना

1998. श्री नवल किशोर शर्मा :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान मे न्यूट्रीशन मानीटरिंग के लिये कुछ और राष्ट्रीय एककों की स्थापना की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में कुछ और क्षेत्रीय मानीटरिंग केन्द्रों की स्थापना करने का एक प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विचाराधीन है। यदि इन केन्द्रों को चालू किया गया तो पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, असम, हरियाणा और बिहार राज्यों में एक एक केन्द्र की स्थापना की जायगी।

Improvement of Adivasi Areas in M, P.

1999. Shri Lambodar Baliyar: Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the region-wise annual amount spent by Government on the neglected Adivasi areas in the country till date and the amount spent on each item;

(b) whether Government have chalked out any programme to improve the condition of Adivasi areas of Madhya Pradesh and to spread education ; and

(c) if so, the broad features thereof and the time by which it would be finalised?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Plan allocations are made by the Department State-wise and not region-wise. A statement showing the expenditure incurred on the various schemes for the welfare of Scheduled Castes up to 1971-72 which is in addition to the general schemes is laid on the table of the Sabha.

(b) &(c) Apart from the existing schemes on education, health and economic development, no new programme has been chalked out during the 4th Five Year Plan for the welfare of Scheduled Tribes.

STATEMENT

Name of the Scheme	Anticipated expenditure up to 1971-72 (Rs. in crores)
1	2
Central Sector	
1. Post-matric scholarships	12.41
2. Girls Hostels	0.83
3. Pre-examination Training	0.12
4. Tribal Development Blocks	55.91
5. Co-operation	5.47
6. Tribal Research and Training	0.78
7. Other Schemes	13.44
TOTAL	88.96

1	2
State Sector	
1. Education	38.20
2. Economic Development	42.77
3. Health, Housing and Others	19.35
TOTAL	100.32
GRAND TOTAL .	189.28

Enquiry into Malpractices in Distribution of Food in Flood Affected Area

2000. Shri M. S. Purty: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether food articles worth lakhs of rupees were supplied by Government in Shahpur Division for free distribution among the victims of floods in river Ganga last year;

(b) whether an enquiry by the Vigilance Department has revealed irregularities in the purchase and distribution thereof and had also brough t to light the fact that vouchers of lakhs of rupees in respect of the food articles are not available in the office; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The Government of Bihar has reported that there is no Shahpur Division in the State. In the absence of precise location of the Division, it is not possible to answer the question.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के समाज विज्ञान के प्रोफेसर द्वारा लिया गया विमान भाड़ा

2001. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या शिक्षा और **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या डिब्रुगढ, मद्रास तथा कलकत्ता विश्वविद्यालयों का दौरा करने पर समाज विज्ञान के एक प्रोफेसर ने सर्कूलर राऊंड ट्रिप टिकट खरीदकर संबंधित विश्वविद्यालयों से, दिल्ली से डिब्रुगढ, दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से कलकत्ता के तौर पर दुगुना विमान भाड़ा वसूल किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख) इस संबंध में फरवरी 1972 में शिकायत मिली थी। संस्थान ने विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों से सारी संगत सूचना उपलब्ध की थी और इस मामले को शासी बोर्ड के पास भेज दिया था। मामले की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड ने दो व्यक्तियों की समिति नियुक्त की है।

Committee on Examination System

2002. Shri M. C. Daga, Shri Ishwar Choudhary : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the names of the members and the terms of reference of the Committee constituted to make improvements in the examination system; and

(b) whether the educationists, politicians and economists have been taken as members of this Committee and if not, the criteria adopted for selection of the members?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) Presumably the Hon'ble Members are referring to the Committee on Examinations appointed by the Central Advisory Board of Education at its 35th Meeting held on 2nd and 3rd May, 1970 at New Delhi. The following resolution was passed by the Board :

> "The Board requests the Chairman to set up a Committee on Examinations which will examine the present situation and make recommendations to counteract malpractices and to give protection to invigilators and others concerned with examinations."

Pursuant to the above resolution, the Chairman of the Central Advisory Board of Education, appointed a Committee, as shown below for the purpose.

(i)	Union Education Minister	Chairman
(ii)	Education Minister, Andhra Pradesh . .	Vice-Chairman
(iii)	Education Minister, Bihar	Member
(iv)	Education Minister, Assam	Member
(v)	Chief Executive Councillor, Delhi . .	Member
(vi)	Mr. A.E.T. Barrow	Member
(vii)	Prof. S.V.C. Aiya, Director, N.C.E.R.T .	Member-Secretary

The members of the Committee were appointed from amongst the members of the Central Advisory Board of Education as required by the constitution of the Board.

The Committee has since submitted its report which will be considered in the forthcoming meeting of the Central Advisory Board of Education scheduled to be held on September 18-19-1972.

Setting up of an Agricultural Farm in Champaran, Bihar

2003. Shri K. M. Madhukar: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 83 on 31st July, 1972 regarding establishment of farms in Bihar and Andhra Pradesh by State Farms Corporation and State.

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that it was desirable to set up a farm in Champaran District of Bihar where sufficient land of Betia State is available from Gandak canal at very cheap rates;

(b) the reasons for which the said farm is not being set up in Champaran; and

(c) the time by which it is likely to be set up?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) A Central State Farm in a particular State is established on the site suggested by the State Government. The Government of Bihar had recommended sites only at Forbesganj-araira sub-division in Purnea district and Gaya district respectively for setting up a Central State Farm. Both the sites have been inspected by the official team and certain information from the State Government is still awaited. However, the State Government has not recommended any site in Champaran district. Therefore, the question of establishment of any Central/State Farm in Champaran district does not arise.

(c) Does not arise.

Setting up of Committee to study the Condition of Landless Farmers

2004. Shri Ram Chandra Vikal : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a Committee in order to find out economic conditions and housing arrangements of those farmers, whose lands have been taken in Delhi State and its adjoining districts of Meerut and Buland Shahar in Uttar Pradesh and Gurgaon and Rohtak districts in Harayana; and

(b) if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) There is a proposal to set up a National Capital Region for the development of Delhi and adjoining areas in Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan. The proposal has not yet materialised. The lands of farmers in Meerut, Buland Shahar, Gurgaon or Rohtak districts have not been taken over by Government. As such, the question of setting up of a Committee for the said purposes does not arise.

I.C.S. Officer Working as Vice-Chancellor of University in U. P.

2005. Shri Krishna Chandra Pandey : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether a person who was previously an Indian Civil Service Officer, is working as Vice-Chancellor of a University of Uttar Pradesh; and

(b) if so, the reasons for which he was compelled to quit service giving full details in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) According to the information furnished by the Government of Uttar Pradesh, Shri C. B. Rao, a former I. C. S. Officer, is at present working as Vice-Chancellor, Agra University. He retired from I.C.S. w. e. f. October 1, 1954 on personal grounds after obtaining necessary permission from the Government.

उर्वरक के लिये निर्यात कार्यक्रम

2006. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के लिये उर्वरक निर्यात कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है :

(ख) क्या विदेशों से आयात किये गये सस्ते और सादे उर्वरक तत्वों को यहां मिश्रित करने के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका से महंगे बने बनाये एन० पी० के.० मिश्रित उर्वरक को आयात करने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस प्रश्न पर उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के तकनीशियनों और अर्थ विभाग से विचार विमर्श किया था?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) देशी उत्पादकों के विपणन विकास कार्यक्रमों की सुविधा के लिये एन० पी० के० सम्मिश्रण वाले उर्वरकों का आयात किया जाता है। इनके निर्माणाधीन कारखाने शीघ्र ही इस प्रकार के उर्वरक उत्पादों का निर्माण शुरू कर देंगे। वर्ष 1972–73 के दौरान उत्पादकों को आबंटित करने के लिये सम्मिश्रण वाले उर्वरकों के आयात के लिये विदेशी सप्लायरों से पहले ही करार किये जा चुके है।

होनेवाली तुलनात्मक मितव्ययिता की दृष्टि से मध्यस्थ वस्तुओं के आयात द्वारा एन० पी० के० सम्मिश्रण वाले उर्वरकों के देशी उत्पादन के प्रश्न पर विभाग में जांच पडताल हो रही है।

(ग) जी हां। संबंधित मंत्रालयों की सलाह से वित्त मंत्रालय इस मामले पर और विचार कर रहा है।

Survey on Nullahas

2007. Shri Umed Singh Rathia: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether surveys have been conducted on Kokia-nullah near Takmuda village, Ghughri-nullah near Kasavel village and Guljharia-nullah near Raikera village in Tehsil Jaihpur, District Raigarh, Madhya Pradesh;

(b) whether the aforesaid irrigation schemes have been included for implementation during the Fourth Five Year Plan period ; and

(c) the estimated cost involved therein and the time by which construction work would be started?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) to (c) Funds for surveys and development of Minor Irrigation schemes are provided by the Central Govt. to the State Governments in block form of loans and grants according to the pattern in vogue and no scheme-wise sanction is accorded by the Central Government. The discretion for taking up a particular irrigation scheme affecting a particular village or district lies entirely with the state Government and as such the information sough for in the question is not available with the Central Government.

Embankment on Chhal Pond in District Raigarh (Madhya Pradesh)

2008. Shri Umed Singh Rathia : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the cost of embankment constructed on Chhal pond in Tehsil Dharamjay Garh, District Raigarh, Madhya Pradesh and the acreage of land being irrigated thereby ;

(b) whether the work of constructing an embankment on the pond in village Chhal has been completed; and .

(c) if not the time by which it will be completed and the acreage of land likely to be irrigated thereby?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) to (c) Funds for Minor Irrigation Schemes are provided by the Central Government to the State Governments in block form of loans and grants according to the pattern in vogue and no scheme-wise sanction is accorded by the Central Government. The discretion for taking up a particular irrigation scheme affecting a particular village or district lies entirely with the State Government and as such the information sought for in the question is not available with the Central Government.

उत्तर प्रदेश में उठाऊ सिंचाई योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध

2009. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) ये योजनायें किन किन स्थानों पर है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से केन्द्रीय सहायता के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु जल बोर्डों की स्थापना

2010. **श्री बी० के० दासचौधरी** :

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों मे पीने के पानी की समस्याओं के समाधान के लिये कुछ राज्यों ने जल बोर्डों की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आदिवासी विकास खंडों में नियुक्तियां

2011. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि त्रिपुरा में आदिवासी जातियों के स्नातकों की कमी नहीं है फिर भी त्रिपुरा के आदिवासी विकास खंडों में एक भी आदिवासी को विकास खंड अधिकारी के पद पर नियुक्त न करने के क्या कारण है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मामले की जांच करने का है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राज्य सरकार ने बताया है कि परियोजना कार्यकारी अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी के पदों को क्रमशः त्रिपुरा सिविल सेवा तथा त्रिपुरा कनिष्ठ सिविल सेवा में शामिल किया गया है। आदिमजाति विकास खंडों में परियोजना कार्यकारी अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति के लिए कोई अलग संवर्ग नियम नहीं है। इन पदों पर भर्ती उपरोक्त संवर्ग नियमो के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

(ख) राज्य सरकार से इस मामले मे पुरा ब्यौरा देने के लिए कहा गया है ।

दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित दिल्ली की गन्दी बस्तियां

2012. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित दिल्ली की गन्दी बस्तियों की पृथक-पृथक प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या दिल्ली को गन्दी बस्तियों पर तीन प्राधिकरणों का नियंत्रण होने के कारण वहां के निवासियों के हित में कार्य को समन्वित करना बहुत कठिन है; और

(ग) क्या दिल्ली की गन्दी बस्तियों को एक प्राधिकरण के नियंत्रण में ही रखने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली गन्दी बस्ती क्षेत्र, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में है, अवरोक्त 1565 एकड क्षेत्र में जहाँ अनधिवासियों को उन के अनधिवास से हटा कर पुनः बसाया गया है, कालोनियां का प्रशासन संभालता है।

(ख) तथा (ग) गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना के बहतर प्रशासन के लिये, दिल्ली के सभी गन्दी बस्ती क्षेत्रों को एक प्राधिकरण के अधीन लाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, तथापि मामले के बारे में अंतिम निर्णय लेने की सही समय सीधा बताना संभव नहीं है।

सड़क रोंलरों के उत्पादन में कमी आ जाने तथा इस्पात की कमी के कारण सड़क निर्माण कार्य पर पड़ा प्रभाव

2013. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सडक रोलरों के निरंतर कम उत्पादन होने तथा पुलों और पुलियां के निर्माण के लिये आवश्यक इस्पात की अत्याधिक कमी के कारण राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र के सडक निर्माण कार्य में बाधा पड रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार भविष्य में इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) सड़क विकास पर जोर देने से रोड रोलर की मांग में वृद्धि हुई है। 1969, 1970 और 1971 के तीन वर्षों के दौरान रोड रोलर का उत्पाद क्रमशः केवल 335, 386 और 336 था जबकि वार्षिक लाइसेंस की क्षमता 1520 रोड रोलर है । यह पीछे से पडी मांगों तक के लिये पर्याप्त नहीं था हाल ही में दो और निर्माताओं को आशय पत्र जारी किया गया और तीसरी पार्टी को ऐसा पत्र जारी करने का प्रश्न प्रक्रियाधीन है। उत्पादन के अंतर का 3 यूनिटों के कच्चे माल और संघटकों के लिए भी लाइसेंस दिये जा रहे है और उत्पादन बढाने के लिए विशेष संघटकों के आयात के लिये भी लाइसेंस देने का प्रस्ताव है। अतएव कमी को पूरा करने के प्रश्न पर सरकार गंभीरता पूर्वक ध्यान दे रही है।

जहां तक इस्पात का प्रश्न है फिलहाल इसकी उपलब्धता मांग से कम है । तकनीकी सुधारों, बेहतर औद्योगिक संबंधों आदि से इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है। इस बीच, चतुर्थ योजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय सडक/पुल योजनाओं के निष्पादन के लिये आवश्यक इस्पात की अतिरिक्त मात्रा के आयात के लिए भी प्रयास किये जा रहे है।

गन्दी बस्तियों में सुधार करने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका को धन राशि देना

2014. श्री अरविन्द नेताम : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहर से गन्दे क्षेत्रों का सुधार करने के लिये सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका को 3 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम को, जहां बहुत से गन्दे क्षेत्र है, अनुदान न देने के क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवहन नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम से हाल ही में प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की योजना आयोग द्वारा समीक्षा

2015. श्री समर मुखर्जी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम की योजना आयोग की समीक्षा की और सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आयोग के निष्कर्षों को नोट किया है कि यह योजना 1971-72 में लक्ष्य प्राप्ति में असफल रही है; और

(ग) योजना के असफल रहने के कारण क्या है और प्रत्येक जिले में जरूरतमन्द 1000 व्यक्तियों को रोजगार देने संबंधी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख), योजना आयोग द्वारा 1971-72 में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना की कोई समीक्षा नहीं की गई है। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।

(ग) सरकार 1971-72 में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के कार्यकरण को असफल नहीं मानती है।

इस योजना में 50 करोड रु० के व्यय से 10 महीनों की पूरी कार्य अवधि में 875 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा करने की परिकल्पना की गई थी। अब तक की सूचना के अनुसार 32·37 करोड रु. व्यय किए गए है और इससे 808·22 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा हुआ है। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि रोजगार संबंधी सूचना श्रमदिनों के रूप में एकत्र की जाती है, न कि काम में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या के रूप में, क्यों कि काम की अवधि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परियोजना के लिए भिन्न भिन्न होती है। मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष 3·2 लाख से अधिक व्यक्तियों को भिन्न भिन्न अवधियों के लिए काम में लगाया गया है। यह उन 348 जिलों, जिनके लिए प्रस्ताव मंजूर किए गए थे, के बारे में प्रति जिला औसतन 957 व्यक्ति बनते है। तथापि, वास्तव में स्थिति प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक जिले के बारे में भिन्न-भिन्न है और कुछेक में कार्य अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाया है। आशा है कि प्रशासनिक प्रबंधों के पूरे होने के साथ 1972-73 में स्थिति निश्चय ही अच्छी होगी।

Motor Accidents In Delhi

2016. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the number of motor accidents taken place in the Union Territory of Delhi during 1971 and till March, 1972; and

(b) the number of persons killed or injured in the said accidents during the said period?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport. (Shri Om Mehta) : (a) 6801 and 1302 during 1971 and 1972 (up to 31-3-1972) respectively.

(b) The information required is given below :

Year	Number of persons killed	Number of persons injured
1971	410	3,635
1972 (up to-31-3-72)	130	803

मानव शरीर में आंकड़ी कीड़ों का संक्रामण

2017. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इन्स्टीच्युट, दिल्ली के प्रोफेसर आर० विश्वनाथन की अध्यक्षता में एक दल ने तथा अन्य डाक्टरों ने एक सर्वेक्षण किया है कि हर तीसरे मनुष्य में आंकडी कीडों का संक्रामण है और विभिन्न मात्रा में रक्त की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). राजेन्द्र स्मारक आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पटना के विशेषज्ञों के एक दल ने डा० आर० विश्वनाथन की अध्यक्षता में धनबाद, झरिया कोयला खनिज क्षेत्र में रुग्णता दर जानने के लिए यादृच्छिक नमूना सर्वेक्षण किया गया। इससे यह पता लगा कि जिन खनिजों के स्वास्थ्य की जांच की गई उनमें से 39.2 प्रतिशत व्यक्तियों में आंकडीं–कीडों का संक्रमण है और 41.97 प्रतिशत व्यक्ति रक्त की कमी से ग्रासित है जिनमें हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम था। इस दल से कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिली है।

कृषि विज्ञान में विशेषज्ञों की अदला-बदली के लिये विदेशों से करार

2018. श्री राजदेव सिंह : क्या **कृषि** मंत्री कृषि में भारत मिस्र के सहयोग के बारे में 31 जुलाई, 1972 के तारांकित प्रश्न सं. 16 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिश्र ऐसा पहला देश है जिसके साथ भारत ने दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिये कृषि विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी में जानकारी तथा विशेषज्ञों की अदला बदली के लिये यह करार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो अन्य देशों के नाम क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी, हां। हमने 1971 में रूस से भी एक ऐसा ही करार किया है।

लन्दन स्थित "इण्डिया आफिस लाइब्रेरी" का अधिग्रहण

2019. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब भारत और पाकिस्तान ने शांति समझौता कर लिया है और दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होते जा रहे है तो क्या लंदन स्थित 'इंडिया आफिस लायब्रेरी' के अधिग्रहण के बारे में भी कोई प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) कौन–कौन सी कठनाईयां अब तक हल नहीं हो सकी है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) से (ग). इंग्लैंड को सरकार से प्राप्त माध्यस्थ के लिए मसौदे करार पर विचार किया जा रहा है। जिस संदर्भ में इंडिया आफिस लाईब्रेरी के बारे में विचार विमर्श होते रहे है, वह बदल गया है। संबंधित पार्टियों के बीच फिर से विचार विमर्श करना आवश्यक होगा।

गोआ में ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम

2020. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा सरकार को ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम लागू करना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए गोवा सरकार ने विशेष तकनीकी सैल बनाने का निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

उर्वरकों की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने के लिये कार्यवाही

2021. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की विश्व भर में कमी है और यदि हां, तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पडेगा ;

(ख) देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वदेशी उत्पादन के अतिरिक्त कितने उर्वरक की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या हमारे क्रयादेशों के प्रति विदेशी सप्लायरों द्वारा किये गये बचनों को पूरा किया जायेगा और यदि नहीं, तो उर्वरकों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिये, सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां । विश्व बाजार में उर्वरकों की सापेक्ष कमी है। इस कारण से उचित मूल्यों पर अपेक्षित मात्रा के उर्वरकों का आयात करने के भारत सरकार के समक्ष कठिनाई उपस्थित हो सकती है ।

(ख) आशा है कि वर्ष 1972 के खरीफ के मौसम के दौरान देश में लगभग 8.70 लाख मीटरी टन एन, 2.87 लाख मीटरी टन पी और 1.38 लाख मीटरी टन के^{2}ओ की आवश्यकता होगी । इसमें से देश के भंडागारों और गृह उत्पादनों से 5.64 लाख मीटरी टन एन, 2.42 लाख मीटरी टन पी^{2}ओ^{5} और 0.75 लाख मीटरी टन के^{2}ओ की मात्रा उपलब्ध हो जायेगी । जरूरत से बकाया अर्थात् 3.06 लाख मीटर टन एन, 0.45 लाख मीटरी टन पी और 0.63 लाख मीटरी टन के^{2}ओ की मात्रा आयातों से पूरी करनी होगी ।

(ग) विदेशी संभरकों द्वारा सप्लाई में कुछ कमी किये जाने की संभावना है । फिर भी, खनिज और धातु व्यापार निगम और सप्लाई विभाग को पौत-लदान स्थिति पर सूक्ष्म दृष्टि रखन के लिये सतर्क कर दिया गया है, जिसकी इस विभाग में प्राय: समीक्षा भी की जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिये, कि उर्वरकों की उपलब्ध मात्रा का अधिक कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, सरकार ने बहुत से कदम भी उठाये है, जिनमें (क) केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा वितरित किये जाने वाले घरेलू उत्पादन

के 30 प्रतिशत की प्राप्ति, (ख) राज्यों को उर्वरकों की वचनबद्ध सप्लाई करने के लिये, विनिर्माताओं को कानूनी दृष्टि से बाध्य करने के लिय अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी करना, और (ग) उत्पादन को अधिकाधिक बढाने के लिये अग्रता फसलों के उपयोग के लिये राज्यों की योजनाएं सम्मिलित है।

नीमच केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा कृषि कार्यों के लिए ऋण देना बन्द किया जाना

2022. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नीमच केन्द्रीय सहकारी बैंक, मंदसौर (मध्य प्रदेश) को कृषि कार्यों के लिए ऋण देने से रोक दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक के एक अधिकारी द्वारा नीमच सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के कुएं खोदने के लिए धन देने के कार्यक्रम का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन से पता चला था कि इस प्रयोजन के लिए बैंक की मध्यकालीन ऋण नीति कुछ महत्वपूर्ण रूपों में दोषपूर्ण है। यद्यपि, जिले में 56,000 सिंचाई के कुएं विद्यमान थे, फिर भी बैंक ने 1971–72 में और 1,000 नए कुओं के लिए धन देने का कार्यक्रम तैयार किया था। भूमि विकास बैंक की 4,000 नए खुदे कुओं के लिए धन देने की एक अलग योजना थी। नल–कूप निदेशक द्वारा कुछ तकनीकी अध्ययन आवश्यक समझे गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने से भू–जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण वर्तमान कुओं में पानी की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। अत: रिजर्व बैंक ने नीमच सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक को फिलहाल कुओं के निर्माण के लिए नए ऋण तब तक के लिए देने से रोक दिया जब तक कि अध्ययन में पाए गए दोष दूर नहीं कर लिए जाते हैं तथापि, रिजर्व बैंक ने दस लाख रुपये की अतिरिक्त सीमा प्रदान की, ताकि बैंक उन कुओं के लिए ऋणों की शेष किश्ते दे सके जिन्हे पहले ही आंशिक रूप से धन दिया गया है और निर्माणाधीन है जिससे कि उन्हे शीघ्रता से पूरा किया जा सके। यह संपूर्ण प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंक द्वारा कुओं के निर्माण के लिए धन देने के बारे में एक ठीक तथा वैज्ञानिक नीति अपनाई जाए।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में मद्यपान की लत

2023. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या शिक्षा तथा समाजकल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में मद्यपान की लत बढती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने सूचना दी है कि विश्वविद्यालय की छात्रों में मद्यपान की लत के बढने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण सड़क आयोगों की स्थापना

2024. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा राज्यों में ग्रामीण सड़क आयोगों की स्थापना के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किये गये निर्णय की रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मोटर गाड़ियों की नम्बर प्लेटों पर बहु-भाषीय आंकड़े

2025. **श्री बेकारिया :**

श्री अमरनाथ चावला :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में मोटर गाडियों की प्लेटों पर अनेक भाषाओं में आंकडे लिखे जाने की प्रथा समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन किस प्रकार किया जायेगा ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) और (ख). भारत सरकार ने मोटर गाडियों पर पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शन करते हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रश्न की जांच के लिए जुलाई, 1972 में एक कार्यदल की नियुक्ति की है। इस मामले में इस दल की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उसकी जांच करने के बाद ही कोई अगली कार्रवाई की जायगी ।

लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली में महिला रोगियों को दाखिल करना

2026. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेडी हार्डिग अस्पताल, नई दिल्ली के निदेशक बोर्ड ने अनुदेश दिया है कि सभी महिला रोगियों को अस्पताल में दाखिल किया जाये परंतु उन्होंने अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने की मंजूरी नही दी है, यदि हां, तो क्या एक बिस्तर पर एक से अधिक रोगी रखे जाते हैं;

(ख) क्या रोगियों की और विशेषकर प्रसव के समय कोई ध्यान नहीं दिया जाता और सर्दियों के मौसम में पानी, न्यूनतम मांग को पूरा करने के लिये भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की ब्यौरेवार जांच करने के लिये इन शिकायतों पर बिचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) इस अस्पताल में इस समय 580 पलंग है और ये जनता की मांगों को पूरा करन के लिये पर्याप्त नही है। मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि किसी भी मरीज को, जिसे तत्काल चिकित्सा देख रेख की आवश्यकता हो, दाखले के लिये इन्कार न किया जाय। ये अनुदेश दिये गये है कि एक पलंग पर एक से अधिक मरीज को न रखा जाये।

(ख) जी, नही ।

(ग) कतिपय शिकायतों के मिलने पर, स्वास्थ्य सेवाओं के अपर महानिदेशक को जांच पडताल करने के लिये कहा गया है। उनकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है।

उर्वरक के कोटे में वृद्धि के लिये राज्यों का अनुरोध

2027. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होनें उर्वरकों के कोटे में वृद्धि के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) सरकार का विचार उर्वरकों के उनके कोटे में, राज्यवार, कितनी वृद्धि करने की है; और

(ग) प्रत्येक राज्य को उर्वरकों का बढा हुआ कोटा कब तक सप्लाई कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) खरीप 1972 मौसम के लिये विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं अप्रैल-जून, 1972 की अवधि में पहले हुई पूर्तियों और रबी 1972-73 के मौसम के लिये भंडारण करने की आवश्यकताओं के निर्धारण के बाद जुलाई-सितंबर की तिमाही के लिये पूल उर्वरक का त्रैमासिक आबंटन जुलाई, 1972 में किया गया था। त्रैमासिक आबंटन करने के बाद, कुछ राज्यों ने विभिन्न आधारों पर वृद्धि के लिये अनुरोध किया जिनमें देशी उत्पादकों द्वारा वायदा की गई आपूर्तियों में हुई कमी को पूरा करने के लिये पूल की आवश्यकता सम्मिलित है। ये राज्य पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और पांडिचेरी है।

(ख) तथा (ग). सितंबर-अक्टूबर 1972 में होनेवाले क्षेत्रिय सम्मेलन में इस मामले के हर पहलू पर पुनर्विलोकन करने का प्रस्ताव है जिसमें उपभोग की आधुनिकतम प्रवृत्तियों, आवश्यकताएं और देशी व आयातित उर्वरकों की उपलब्धि भी सम्मिलित है और उस पुनर्विलोकन को दृष्टि में रखते हुए पूल आबंटनों और आपूर्तियों में समायोजन किया जायगा।

नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली से मिलाने वाली सड़क कनेक्शनों का निर्माण

2028. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका की निर्माणाधीन नई इमारत से होकर सडक द्वारा नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली को आने जाने और मिलाने वाले क्या-क्या मार्ग होंगे;

(ख) सडक का निर्माण कब तक शुरू हो जायेगा;

(ग) क्या बनने वाली सडक से कनाट प्लेस, नई दिल्ली पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) दिल्ली की बृहत्त योजना के अनुसार, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली को मिलाने के लिये एक नई सडक का प्रस्ताव है। इस की मार्ग रेखा (एलाइनमेंट) तुर्कमान गेट, रंजीत सिंह मार्ग के साथ साथ रेल के ओवर ब्रिज द्वारा स्कूल लेन को मिलाते हुए, फिर स्कूल लेन, टलस्टाय मार्ग तथा टालस्टाय मार्ग अक्सटेंशन को मिलाते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट तक है। फिलहाल, इस मार्ग रेखा को नई दिल्ली नगर पालिका के नये भवन के बीच से गुजरते हुए पार्लियामेंट स्ट्रीट से आगे बढाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) तथा (घ). जी, नहीं।

अनुसूचित जातियों की सूची में किसदिसम्बी तथा वल्लन समुदायों का शामिल किया जाना

2029. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के किसदिसम्बी तथा वल्लन समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां। किसदिसंबी तथा वल्लन जातियों के संबंद्ध में।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की सूची के संशोध का सारा प्रश्न विचाराधीन है।

Introduction of S. C. and S. T. orders (Amendment) Bill

2030. Shri Ramavatar Shastri :

Shri C. K. Chandrappan :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have been giving assurances in the last several Sessions of Lok Sabha to consider soon the Scheduled Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Bill;

(b) if so, the reasons for the delay in this regard; and

(c) whether Government propose to introduce the said Bill in the present Session of Lok Sabha and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) A number of suggestions have been received and these are under examination of the Government.

(c) The Government propose to introduce the Bill as soon as possible.

प्राचीन दिल्ली (वाल्ड सिटी) के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय योजना का प्रारूप

2031. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्राचीन दिल्ली (वाल्ड सिटी) के लिए क्षेत्रीय योजना का एक प्रारूप तैयार किया था तथा प्रकाशित किया था, यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी, हां। आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिये 5 योजनाएं प्रकाशित की गई हैं। प्राचीन नगर (वाल्ड सिटी) के क्षेत्र को 14 जोनों में विभाजित किया गया है। योजनाएं बहुत योजना की सिफारिशों के अनुसार तैयार की गई हैं। इन योजनाओं को तैयार करते समय, प्रत्येक जोन का क्षेत्र 3 वर्गों मे बांटा गया है अर्थात संरक्षण, पुनर्वास तथा उन्मूलन/पुनर्विकास अधीन क्षेत्र।

(ख) जी, हां। 800 से ऊपर आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए है।

(ग) इन आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विस्तार से विचार किया जायेगा तथा जनता की राय को ध्यान में रखते हुए अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा। अन्तिम ड्राफ्ट तब सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा जायेगा।

Shifting of stall-Holders in Delhi

2032. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Delhi Municipal Corporation is trying to shift the small stall holders settled between Delhi Gate and the zoo;

(b) if so, whether with a view to opposing this move, the stall holders have requested the Prime Minister to intervene in the matter; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) Yes, Sir. The Corporation is shifting some of the tehbazari holders sitting in front of the Link House, U.G.C. and A.G.C.R. office to other suitable sites.

(b) No such representation seems to have been received by the Prime Minister.

(c) Does not arise

पश्चिम बंगाल में बरामद किये गये घटिया चावल को खराब होने से बचाना

2033. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से बरामद किये गये घटिया चावल में से कितना बचाया जा सकता है और शेष का निपटान कैसे किया गया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : पश्चिमी बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गैर-बंगाली कच्चे चावल के स्टाक की राज्य सरकार के निरीक्षकों को पहले निरीक्षण करना होता है। राज्य सरकार की निर्दिष्टियां से जांच करने पर घटिया पाया जाने वाले स्टाक मशीनों से सफाई की जाती है। राज्य सरकार की निर्दिष्टियां भारत सरकार की समान निर्दिष्टियों की अपेक्षा मामूली अधिक कडी है। इस, तरह, निर्गम से पूर्व गैर बंगाली चावल की सफाई करना एक नियमित कार्य बन गया है। राज्य सरकार सफाई करने के बाद इस चावल को स्वीकार कर लेती है। सफाई करने से जो चावल की धूल और छोटे छोटे टूटे चावल निकलते है, उनका स्थायी कार्यविधि के अनुसार मुर्गी दाने के रूप में प्रयोग किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व निरीक्षण के परिणामस्वरूप इस वर्ष के दौरान वास्तव में साफ की गई और निर्गमित मात्रा का पता लगाया जा रहा है।

राज्यों में क्षय रोग

2034. श्री धर्मराव अफ़ज़लपुरकर :

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षय रोग मे पीडित व्यक्तियों की, राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने नए क्षय रोग अस्पताल खोलने की योजना बनाई है और इस उद्देश के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत कि गई है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) क्षय रोग कोई अधिसूच्य बीमारी नहीं है और इसलिए देश में क्षय रोग से कितने व्यक्ति पीडित है, इसके ठीक ठीक आंकडे उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इस रोग से पीडित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3380/72]**

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में क्षय रोग के 2500 पलंगों की व्यवस्था करने का बिचार है। जिसके लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को 227.00 लाख रुपये की राशि का नियतन किया गया है। चौथी योजना में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्षय रोग के जितने पृथकरण पलंगों की व्यवस्था करने का विचार है, उनका विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3380/72]**

प्राइवेट मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये प्रति व्यक्ति फीस

2035. श्री एम० कतामुतु :

श्री के० बालदण्डायुतम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राइवेट मेडिकल कालेजों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने कालेज मान्यता प्राप्त है ;

(ख) क्या कुछ कालेजों में कर्मचारियों और उपकरणों की उचित व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या सभी प्राइवेट मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों से प्रति व्यक्ति फीस के रूप में बडी राशि ली जाती है; और

(घ) यदि हां, तो गैर मान्यता प्राप्त कालेजों को हतोत्साह करने के लिये और विद्यार्थियों से प्रति व्यक्ति फीस लेने की प्रथा समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : (क) देश में चौदह प्राइवेट मेडिकल कालेज काम कर रहे है। इनमें से पांच मेडिकल कालेजों को अभी मान्यता दी जानी है।

(ख) जी, हां। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इनमें से कुछ कालेजों में पूरा स्टाफ और उपस्कर नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। चौदह प्राइवेट कालेजों में से केवल नौ कालेजों ही छात्रों से प्रति व्यक्ति फीस ले रहे है।

(घ) भारत सरकार ने पहले ही राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि जब तक राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों का निर्वाह कर सकने की उन कालेजों की वित्तीय क्षमता और सामर्थ्य से संतुष्ट न हो जाएं जब तक गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति फीस के आधार पर और अधिक मेडिकल कालेज न खुलने दे।

योजना आयोग द्वारा भूमि सुधारों की समीक्षा

2036. श्री एम० कतामुतु :

श्री बी० वी० नायक :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में वर्ष 1947 से देश में किये गये भूमि सुधार संबंधी उपायों की समीक्षा प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो उस समीक्षा की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस समीक्षा के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) योजना आयोग ने हाल में देश के भूमि सुधार उपायों की किसी समीक्षा का प्रकाशन नहीं किया है। फिर भी, योजना आयोग के संबंधित प्रभाग ने देश में भूमि सुधारों की प्रगति का विवेचन करते हुए एक कार्यपत्रक तैयार किया है।

(ख) विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3381/72]**

(ग) कार्य-पत्रक योजना आयोग में विचार-विमर्ष के लिए तैयार किया गया था और भूमि सुधार के संबंध में यह अनिवार्यतः योजना आयोग के विचारो का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अतः कार्य-पत्रक के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहो होता।

Financial Assistance to Madhya Pradesh Government for Construction of Houses for Poor Landless

2037. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government have proposed to give financial assistance to Madaya Pradesh Government for the scheme submitted by them in regard to construction of houses for the poor landless people; and

(b) if so, the main outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) The Ministry of Works and Housing have not so far received any proposal from the Government of Madhya Pradesh for grant of financial assistance under the Scheme for Provision of Housesites to Landless Workers in Rural Areas. The Scheme does not envisage grant of Central assistance or the construction of houses on the plots provided.

(b) Does not arise.

Adivasis welfare Schemes in Madhya Pradesh

2038. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the names of current Adivasi Welfare Schemes in Madhya Pradesh which are being aided by the Central Government;

(b) the amount of expenditure incurred by the Central Government on the said schemes during 1971-72 and the amount of expenditure proposed to be incurred thereon during 1972-73; and

(c) whether Government have at present under consideration any such new scheme for this State and if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy): (a) A statement is laid on the table of the Sabha :—

(b)

	1971-72 (Anticipated)	1972-73
Central Sector . . .	Rs 160.18 lakhs	Rs. 167.35 lakhs.
State Sector . . .	Rs. 252.38 lakhs	Rs. 275.00 lakhs.

(c) No, Sir.

STATEMENT

Details of the schemes for the welfare of Scheduled Tribes under the Backward Classes Sector in Madhya Pradesh.

Central Sector

1. Post-matric scholarships.
2. Girls Hostels.
3. T.D. Blocks.
4. Co-operation.
5. Tribal Research & Training.

State Sector

Education

1 Pre-matric scholarships.
2 Mid-day meals.
3. Reimbursement of tuition and Board examination fees.
4. Hostels.
5. Ashram Schools.
6. Equipment in old hostels.
7. Construction of school buildings etc.
8. Additional stipend in general Industrial Training Institute.
9. Youth Welfare Programmes.
10. Libraries and Science equipment in Higher Secondary Schools.
11. Post-matric Hostels
12. Industrial Training Institutes.

Economic development

1. Professional Training.
2. Agricultural Development Scheme.
3. Expansion of Training-*cum*-Production Centres.
4. Poultry and Dairy Cooperative Societies.

Healthy Housing and other schemes

1. Drinking water wells.
2. Publicity schemes.
3. Aid to Voluntary agencies.
4. Legal Aid.
5. Employment facilities to tribals.

Incentive for Vasectomy Operation

2039. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of Districts in Madhya Pradesh where the new scheme to give more incentive for undergoing vasectomy operation under the Family Planning Programme has been introduced and the results thereof;

(b) whether Government have not been able to achieve their fixed target despite this new scheme under which there is a provision for more incentive to the persons who undergo vasectomy operation and the persons who bring them; and

(c) if so, the remedial steps taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) and (b). A mass vasectomy camp on payment of additional compensation money was organised in Durg District of Madhya Pradesh. Against a target of 10,000 sterilisation operations, the performance at the camp was 10,572 operations.

(c) Does not arise.

Central School in Madhya Pradesh

2040. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the present number of the Central Schools in Madhya Pradesh is not adequate keeping in view the number of students desirous of seeking admission therein; and

(b) whether Government propose to open more central schools in the said State?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy): (a) and (b). There are at present 9 Central Schools in the State of Madhya Pradesh and these schools are at present considered to be adequate keeping in view the demand from the eligible categories of students. There is no proposal to open more Central Schools in the State.

दिल्ली परिवहन उपक्रम का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के बाद दिल्ली में बस सेवा

2041. श्री के० बालदण्डायुतम : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन उपक्रम का नियंत्रण अपने हाथ में लिये जाने के बाद से राजधानी में बस सेवा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) राजधानी में बस सेवा में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). 3-11-1971 को जब नगर परिवहन सेवाओं का प्रबंध एक सांविधिक सडक परिवहन निगम को हस्तांतरित किया गया ताकि राजधानी में बस सेवाओं के परिचालन में सुधार किया जा सके, तब से बहुत से कदम उठाये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप सड़क पर बसों की संख्या बढ़ी, कार्यकरण घाटे में कमी हुई, लुप्त फेरों में कमी हुई और गाड़ियों के प्रयोग में सुधार हुआ। इससे निगम नये मार्ग चालू करने और कुछ मौजूदा मार्गों का भी विस्तार कर सका है। मिलने वालों की सुविधा के लिये सायं को अस्पतालों से शटल सेवाएं भी शुरू की गई हैं। विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त विशेष फेरों की व्यवस्था की गई है अतिरिक्त डिपुओं की व्यवस्था करने के लिये भी कार्यवाही की गई है इससे बेड़े के सुथरे रखरखाव में मदद मिलेगी।

294 अतिरिक्त बसों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं इनमें से 133 बेड़े में पहले ही शामिल कर गये है। शेष बसों की भी अक्तूबर 1972 तक प्राप्त होने और सड़क पर चलाने की संभावना है। यह भी निश्चय किया गया है कि 1972-73 और 1973-74 के

दौरान 425 और बसें प्राप्त की जायें । इनमें से 250 के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक और शेष के अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने की संभावना है। बेड़े में वृद्धि होने से सेवाओं में और सुधार होने की आशा है।

कृषि-उत्पादों की कीमतों को सिफारिश करने के लिये आयोग की स्थापना

2042. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप, कृषि उत्पादों की कीमतों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). उत्पादक एवं उपभोक्ता के हित तथा अन्य विभिन्न बातों का ध्यान रखते हुए प्रमुख कृषि जिन्सों के साहाय्य/अधिप्राप्ति मूल्यों के विषय में सिफ़ारिश देने के लिए पहले से ही कृषि मूल्य आयोग है। इस कार्य में यह उत्पादन की लागत के उपलब्ध आंकड़े तथा अन्य संबंधित जानकारी भी ध्यान में रखता है। इस प्रकार का कोई और निकाय गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गडरियों की संख्या तथा उनके उत्थान के लिये कार्यवाही

2043. श्री सी० के० जाफर शरीफ़ :

श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में, राज्य वार, गडरियों की संख्या कितनी है; और

(ख) उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भारत में 1971 की जनगणना में गडरियों की संख्या के विषय में आकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में गडरियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में राज्य सरकारों ने भेड़ विकास के लिये स्थानीय भेड़ सुधार के लिये अपेक्षित युवा किस्म के मेढों के वितरण, भेडपालन पद्धतियों के सुधार, वैज्ञानिक रीति से भेड़ों की ऊन उतारने और बाजार के लिये ऊन तैयार करने के लिये भेड़पालकों को भेड़ों के स्वास्थ्य के विषय में मार्गदर्शन करने के लिये राज्य सरकारों ने योजनायें मंजूर की हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और मैसूर राज्यों में बड़े पैमाने पर भेडों की ऊन उतारने, ऊन श्रेणीकरण और विपणन कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भेड़पालकों को यंत्रों द्वारा ऊन उतारने की सुविधायें उपलब्ध की गई हैं। कुछ राज्यों में भेड़पालकों से ऊन खरीदी जा रही है और श्रेणीकरण के उपरांत इस ऊन श्रेणीकरण केन्द्रों पर बेचा जाता है।

विवरण

1961 की जनगणना के अनुसार भारत में भेडपालकों कीं संख्या

अंचल/राज्य	व्यक्ति
भारत	872,988
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	58,424
2. असम	6
3. बिहार	7,590
4. गुजरात	6,003
5. जम्मू और कश्मीर	2,562
6. केरल	192
7. मध्य प्रदेश	5,423
8. मद्रास	1,718
9. महाराष्ट्र	57,790
10. मैसूर	56,479
11. उडीसा	770
12. पंजाब	13,521
13. राजस्थान	69,254
14. उत्तर प्रदेश	19,973
15. पश्चिम बंगाल	642
संघ क्षेत्र	
1. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	—
2. दिल्ली	48
3. हिमाचल प्रदेश	2,475
4. लक्कदीव, मिनिकाय द्वीप समूह	—
5. मणिपुर	—
6. त्रिपुरा	49
7. दादर और नगर हवेली	11
8. गोवा, दमन और दीव	—

अंचल/राज्य	व्यक्ति
9. पाण्डिचेरी	57
10. उपलो	—
11. नागालैंड	—
12. सिक्किम	1

स्रोत: भारत की जनगणना, 1961, अंक 1, भाग-2वीं (1) पृ० 380.

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा विकसित कपास की नई किस्में

2044. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर, द्वारा विकसित कपास की दो नई किस्मों की सरकार द्वारा कृषकों को खेती के लिए उपलब्ध करा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जून, 1972 में सूरत में आयोजित अखिल भारतीय कपास वर्कशाप ने कृषि-विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर द्वारा विकसित कपास की दो नई किस्मों संकर वारालक्ष्मी तथा जी० एस०-23 किस्म को निर्मुक्त करने की सिफारिश की है । मैसूर राज्य में इन किस्मों की खेती करने की सिफारिश की गई है । किस्म-निर्मुक्ति सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य किस्म निर्मुक्ति समितियां, उनके राज्यों को वर्कशाप द्वारा सिफारिश की गई किस्मों की निर्मुक्ति के लिये सक्षम है ।

(ख) उपरोक्त दो किस्मों से वारालक्ष्मी संकर 60 तक (सिक्सटीज) कताई करने के उपयुक्त पाई गई है । बंगलौर को एक मिल में किये गये परीक्षण से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इसे उस मिल में प्रयुक्त किये जाने वाले सूडान/मिस्र देश के मिश्रण के स्थान पर प्रयोग करने के लिये उपयुक्त पाया गया है ।

विदेशी मुद्रा की बचत वाणिज्यिक उत्पादन तथा वस्त्र उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में इसके उपयोग पर निर्भर करेगी । अत: वर्तमान में विदेशी मुद्रा की बचत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

समस्त फालतू भूमि पर सांझी खेती की योजना

2045. **श्री हरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में समस्त फालतू भूमि को भूमिहीन लोगों में वितरित करने की बजाय उसमें सांझी खेती की नीति अपना रही है ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में यह सुझाव दिया गया था कि भूमि की बन्दोबस्ती के मामले में वैयक्तिक खेती के लिए भूमि के पुनर्ग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित पट्टेदारों, अलभप्रद जोतों वाले कृषकों और भूमिहीन कार्यकर्ताओं को भूमि को अधिकतम सीमा लागू करने से अधिग्रहण की गई भूमि देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि बन्दोबस्ती का कार्य यथासंभव सहकारी आधार पर किया जाए । फालतू भूमि के वितरण के मामले में 23 जुलाई, 1962 को हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि भूमिहीन कृषि कार्यकर्ताओं और विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । उन्हें साझी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, परन्तु इसके लिए उन्हें विवश नहीं किया जाएगा ।

गोंड (स्वैम्प हिरण) को समाप्त होने से बचाने के लिये कार्यवाही

2046. श्री हरी सिंह :

श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गोंड (स्वैम्प हिरण), जो विश्व में दुर्लभ नस्ल है, देश में समाप्त होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो देश में गोंड (स्वैम्प हिरण) को समाप्त होने से बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Bus Service in Delhi Since D.T.U. Take Over

2047. Shri Hari Singh :

Shri Ishwar Chaudhry:

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the improvements effected in the transport service, overcrowding of passengers and service conditions of the employees after the conversion of Delhi Transport Undertaking into Delhi Transport Corporation; and

(b) the steps taken by Government to improve the transport service in keeping in view the constant rise in the number of passengers?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) : (a) The main improvements effected by the Delhi Transport Corporation since it took over the city Transport service with effect from 3-11-71 are as follows :—

(1) Increase in the number of buses on road.

(2) Increase in the daily kilometerage.

(3) Reduction in the number of missing trips.

(4) Reduction in the working deficits.

(5) Introduction of new routes and extension of some existing ones.

(6) Additional special trips for students.

(7) Introduction of shuttle services from hospitals in the evenings.

(8) Installation of route guide boards and time table boards at important loading and unloading points.

The employees of the Delhi Transport Corporation continue to be governed by the service conditions as were applicable to them before 3-11-71. However, an incentive scheme for drivers has been introduced on an experimental basis. Similar schemes for conductors and workshop staff are also being formulated.

(b) Orders have already been placed for the acquisition of 294 additional buses out of which 133 have already been received and added to the fleet. The remaining buses are expected to be received by October, 1972. It has also been decided to acquire 425 more buses during 1972-73 and 1973-74. Out of this, 250 are expected to be received by

the end of the current financial year and the remaining 175 in the next year. Steps are also being taken to repair some of the old buses on an urgent basis and make them road-worthy. With the augmentation of the fleet, the Corporation will be able to cope with the transport requirements of the public effectively. Steps are also under way for the construction of additional depots, which will result in better maintenance of the fleet, resulting in overall improvement in the services.

खेलों को शिक्षा का अंग बनाया जाना

2048. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् के अध्यक्ष से खेलों की शिक्षा का एक अंग बनाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का सारांश क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग): जी नहीं ।

नौवहन सुविधाओं का विकास

2049. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, नौवहन अभिसमय द्वारा, जिसके साथ भारत सम्बन्धित है, लगाये गये प्रतिबन्धों को ध्यान में रखते हुए, नौवहन सुविधाओं का विकास करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): नौवहन सुविधाओं का विकास सरकार के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है और चौथी योजना में 40.00 लाख जी आर टी के लक्ष्य में से 35 लाख जी आर टी परिचालन में और 5.00 लाख जी आर टी आदेश पर होंगे । नौवहन के विकास के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही निम्नप्रकार है :—

1. तटीय व्यापार को राष्ट्रीय नौवहन के लिए सुरक्षित रखना ।
2. सरकारी क्षेत्र में नौवहन निगम की स्थापना ।
3. सरकारी क्षेत्र में पोत निर्माण उद्योग का विकास करना ।
4. सरकार नियंत्रण संचालित माल के आबंटन में भारतीय जहाजों को अधिमान्यता देना ।
5. अतिरिक्त जहाजों की प्राप्ति के लिये भारतीय नौवहन कंपनियों को रियायती शर्त परऋण देना ।
6. जहाजों की प्राप्ति के लिये विदेशी ऋण उपलब्ध कराना ।
7. चौथी योजना के अन्त तक उपलब्ध जहाज की लागत का 40 प्रतिशत विकास घटौती देना ।

8. यू० एस० एस० आर०, पोलैंड, यू० ए० आर० और जे० डी० आर० जैसे देशों के साथ द्वि-पक्षीय नौवहन सवायें शुरु करना ।

9. 1963 से नौवहन उद्योग में विदेशी अतिभाग की सीमा को 25 से 40 प्रतिशत बढ़ाना।

10. व्यापार पोत विधियों का पुनर्निरीक्षण और एकीकरण ।

11. कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।

12. नाविकों की भर्ती की प्रणाली में सुधार और नाविक रोजगार कार्यालयों की स्थापना।

13. राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड, व्यापार पोत प्रशिक्षण बोर्ड और राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड जैसी सलाह देने वाली संस्थाओं की स्थापना।

Cost price, Market price and Procurement price of wheat, rice, pulses, sugar and cotton

2051. Shri Lalji Bhai:

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the cost price and the prevailing market price as also the Government procurement price per quintal of wheat, rice, pulses, sugar and cotton in the various States; and

(b) the basic policy of Government in this regard?

The Minister of State in The Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) : Reliable data on cost prices of the specified commodities are not yet available with the Government. Information regarding prevailing market prices and procurement prices fixed by Government is given in the attached statements (I and II). [Placed in Library. *See* No. L.T. 3382/72].

(b) The price policy of the Government aims at safeguarding the interests of the producers as well as the consumers. Government endeavours to ensure fair and remunerative prices to the farmers for their agricultural produce by fixing fair prices/procurement prices and undertaking purchase operations for various agricultural commodities at the prices fixed. Stocks of foodgrains available with the Government are issued to the State Governments at fixed and reasonable prices for distribution to consumers.

मध्य प्रदेश में जम्मू तथा कश्मीर को स्वतंत्र देश दर्शाने वाली पाठ्य पुस्तकें

2052. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री राम प्रकाश :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में कुछ ऐसी पाठ्य पुस्तकें हैं जिनमें जम्मू तथा कश्मीर को श्रीलंका, नेपाल आदि के साथ स्वतंत्र देश के रूप में दिखाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रकाशक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्वदेशी सप्लाईकर्ताओं द्वारा निर्धारित समय पर माल न पहुंचाने के कारण विशाखापत्तनम शिपयार्ड के वितरण कार्यक्रम पर प्रभाव

2053. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी सप्लाईकर्ताओं द्वारा माल पहुंचाने के निर्धारित समय का पालन न करने से विशाखापत्तनम शिपयार्ड का वितरण कार्यक्रम अव्यवस्थित हो गया है, कार्य में लगी भारी पूंजी ब्लाक हो गई है तथा लगभग दो वर्ष से आठ करोड़ रुपये की विकास योजना की क्रियान्विति में बाधा पड़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार स्थिति में किस प्रकार से सुधार करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (ख): यह कुछ हद तक सही है कि स्वदेशी विक्रेताओं द्वारा माल पहुंचाने के निर्धारित समय का पालन न करना, बहुत सी बातों में से एक बात है जिससे हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विकास योजनाओं की क्रियान्विति में बाधा पड़ी है और विलम्ब हुआ है और जिसके कारण पूंजी ब्लाक हुई है। परन्तु सरकार स्थिति से निपटने का प्रयास कर रही है। शिपयार्ड के तकनीकी अधिकारी नियमित रूप से विक्रेताओं के पास जाते हैं ताकि शीघ्रता की जा सके और उनकी क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। सरकार उस उपस्कर को जो स्वदेश में नहीं मिल सकते हैं, के आयात के लिये प्रस्ताव पर अनुकूल विचार करती है, हाल ही में सरकार ने एक संचालक समिति बनाई है जो और बातों के साथ-साथ स्वदेशी फर्मों की क्षमता की जांच करती है ताकि सुपुर्द शर्तों का पालन हो सके और ऐसी क्षमता के संदर्भ में प्रगति पर निगरानी रखी जा सके।

छोटे मध्यम श्रेणी के तथा बड़े किसानों के लिये कृषि ऋण की नई योजना

2054. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री किसानों को ऋण देने की नई नीति केबारे में 15 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न सं० 196 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि देश में छोटे, मध्यम श्रेणी के तथा बड़े किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कृषि ऋण देने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : लघु कृषकों को कृषि ऋण देने के सम्बन्ध में चतुर्थ योजना में अपनाई जाने वाली नीति लोक सभा के प्रश्न सं० 196 के उत्तर में बताई गई थी, देश में लघु सीमांत और बड़े कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कृषि ऋण की कोई विशेष योजना नहीं है। जैसा कि पूर्वोत्तर में बताया गया है कि सरकार की नीति यह है कि लघु कृषकों के लिये वित्तीय संस्थाओं को ऋण सम्बन्धी नीतियों और विधियों का नवीकरण किया जाये। छोटे कृषकों के हितों को दृष्टि में रखते हुये इकट्ठी की जाने वाली अंशपूंजी तथा जमानत की आवश्यकताओं आदि के विषय में सहकारी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों में छूट दी गई है। लघु कृषकों को ऋण देने के विषय में वाणिज्य बैंक भी उदार प्रतिमान अपनाते हैं। कृषि पुनर्वित्त निगम ने लघु कृषक विकास एजेंसी। सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसी क्षेत्रों के अन्तर्गत योजनाओं के लिये 100 प्रतिशत पुनर्वित्त की छूट को 30 जून, 1973 तक बढ़ा दिया है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि :—

(1) वर्ष 1969–70 के दौरान दस राज्यों और पांच संघ राज्य क्षेत्रों में अल्प तथा मध्यम अवधि के रूप में दी गई 403 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 111 करोड़ रुपये (27.5 प्रतिशत) 2 हैक्टार तक के भूमि धारकों को और 23 करोड़ रुपये (5.7 प्रतिशत) काश्तकारों तथा कृषि श्रमिकों को दिये गये थे। इस प्रकार सहकारी संस्थाओं से कुल अग्रिम राशि का 33.2 प्रतिशत भाग साधारणतः निर्धन वर्गों के लिये था।

(2) इसी प्रकार दस राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी और विकास बैंकों द्वारा दीर्घावधि के रूप में दी गई 88.31 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 21.93 करोड़ रुपये अर्थात् लगभग 25 प्रतिशत भाग दो हैक्टार तक की जोत वाले कृषकों के लिये था।

(3) दिनांक 25-12-1970 को चौदह राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों और स्टेट बैंक आफ इंडिया के समूह द्वारा कृषि के लिये दिये जाने वाले प्रत्यक्ष वित्त के अन्तर्गत 184.26 करोड़ रुपये की कुल शेष राशि में से 40.55 करोड़ रुपया अर्थात् 22 प्रतिशत भाग पांच एकड़ तक की जोत वाले कृषकों के लिये था।

(4) जून, 1971 के अन्त तक ऋण गारंटी योजना के अन्तर्गत कृषकों को 438.07 लाख रुपये की राशि अल्प ऋण (अल्पावधि उत्पादन के लिये 2500 रुपये और दीर्घावधि के लिये 10,000 रुपये) के रूप में दी गई थी। यह राशि 30 सितम्बर, 1971 तक 715.51 लाख रुपये हो गई।

देश में कार्य कर रहे विदेशी कृषि विशेषज्ञ

2055. श्री के० मालन्ना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने विदेशी कृषि विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी संख्या में कमी करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 148।

(ख) सरकार की सदा ही यह नीति रही है कि देश में वहीं विदेशी विशेषज्ञ रखे जायें जिनकी उपस्थिति सम्बन्धित क्षेत्र में नितान्त आवश्यक हो। इस नीति को लागू करने के लिए समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम के बिक्री केन्द्र

2056. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम के कुछ बिक्री केन्द्र हैं और यदि हां, तो उनकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ;

(ख) क्या उपरोक्त निगम ने कुछ और केन्द्र खोलने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन केन्द्रों के कृत्य क्या होंगे; और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) से (ग) : भारतीय खाद्य निगम ने 27-3-1972 और अगस्त, 1972 के आरम्भ की अवधि के बीच 11 बिक्री केन्द्र खोले हैं। तथापि, केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की सारी सप्लाई स्थापित सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से करने के सरकार के हाल ही के निर्णय के अनुसरण में बिक्री केन्द्रों से खाद्यान्नों की बिक्री बन्द कर दी गई है।

डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाइप II के क्वार्टरों के लिए सामूहिक स्टेंडर्ड शुल्क

2057. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाइप II के क्वार्टरों के लिए मूल नियम 45-ए के अन्तर्गत सामूहिक स्टैंडर्ड शुल्क 42 रुपये प्रतिमास है ;

(ख) क्या कुछ अलाटियों से इससे अधिक किराया लिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और पहले से प्राप्त की गई अतिरिक्त राशि की प्रति-पूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग): डी० आई० जेड क्षेत्र में नव निर्मित बहुमंजिले टाईप II क्वार्टरों की पूलित मानक लाईसेंस फीस की दर, इन क्वार्टरों का आवंटन करते समय निर्धारित नहीं की गई थी। यह बकाया रकम अधिक न हो जाए, इससे बचने के लिए लाइसेंस फीस आवंटियों की परिलब्धियों के 10% के हिसाब से वसूल करनी आरंभ कर दी गई थी। कुछ मामलों में, जहां परिलब्धियों का 10% पूलित मानक लाइसेंस फीस से अधिक होगा, तो वसूल की गई अधिक राशि या तो वापिस कर दी जायेगी या ऐसे लेखों का पुनरीक्षण पूरा होने के बाद आगे होने वाली वसूलियों के विपरीत समायोजित कर दी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन के लिए प्राथमिकता का निर्धारण

2058. **श्री बी० के० दासचौधरी :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में 1, अगस्त, 1972 को टाइप IV, III और II के क्वार्टरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन के लिए प्राथमिकता की कौनसी तिथि पहुंच गई थी;

(ख) क्या प्रत्येक टाईप के लिए प्राथमिकता की एक निश्चित तारीख तक के लोगों को क्वार्टर देने के लिए कुछ आवेदन पत्र मांगे गये थे; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक टाईप में किस तारीख के लोगों को क्वार्टर मिलने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार ने उन कर्मचारियों को, जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है और जिनको अभी तक क्वार्टर नहीं मिले हैं, क्वार्टर देने के लिए क्या कार्यवाही की है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जहां तक दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास का सम्बन्ध है, 1-8-1972 को प्राथमिकता की निम्नलिखित तारीखें पहुंच गई हैं :—

टाईप II	1-12-1953
टाईप III	2-7-1945
टाईप IV	11-5-1944

(ख) 1-8-1970 से आरंभ होने वाले आवंटन वर्ष के लिए आवेदन पत्र सीमित आधार पर आमंत्रित किये गए थ, और प्राथमिकता की जिन तारीखों तक इन टाईपों के आवेदन पत्र मांगे गये थे, वे निम्नलिखित हैं :—

टाईप II	31-12-1955
टाईप III	31-12-1950
टाईप IV	31-12-1948

इन तारीखों का निर्धारण आवंटन वर्ष के दौरान उपलब्ध होने वाली संभावित रिक्तियों तथा पूर्ण होने वाले संभावित नये मकानों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान, दिल्ली में सामान्य पूल की निचली टाईपों में 3,772 नये एकक और बढ़ाए जाने की आशा है, इन मकानों के बढ़ जाने से 20 वर्ष से ऊपर की सेवा वाली सरकारी कर्मचारियों को वास उपलब्ध किये जाने की संभावना है।

Blind Persons in the Country

2059. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the State-wise number of blind persons in the Country?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya): No scientific census to ascertain the exact figures of blind persons in the country has so far been made. However, the incidence of blindness worked out by the Trachoma Control Pilot Project during 1957-63 in 15 States is indicated in the attached statement.

Statement

State	Economic Blindness per 1,00,000 of population
Andhra Pradesh	590
Assam	1,540
Bihar	850
Gujarat	1,240
Jammu & Kashmir	410
Kerala	450
Madhya Pradesh	1,530
Madras	770
Maharashtra	1,380
Mysore	2,400
Orissa	1,230
Punjab	960
Rajasthan	690
Uttar Pradesh	1,000
West Bengal	530

Utilisation of Storage Capacity of Warehousing Corporation of Madhya Pradesh

2060. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the foodgrain storage capacity of Warehousing Corporation of Madhya Pradesh is not being utilised fully ; and

(b) if so, the action being taken to improve this condition ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) : The average monthly occupancy of the storage space of the Madhya Pradesh State Warehousing Corporation works out to about 70% approximately.

(b) Efforts are being made by the Corporation to secure more custom from the Food Corporation of India and the Madhya Pradesh Apex Marketing Federation to store their foodgrains with the Warehousing Corporation at places where they do not have their own godowns. Efforts are also being made to get custom from leading manufacturers of fertiliser to utilise the warehouses of the State Warehousing Corporation to the maximum.

देश में कुष्ठ रोग

2061. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या देश में कुष्ठ रोग के मामलों के बारे में कि वे किस प्रकार के हैं तथा उनकी गम्भीरता के बारे में अध्ययन करने के लिये सरकार ने कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश की पूर्वोत्तर सीमा पर रामकीड़ा जैसे कुछ गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को कुष्ठ रोग हैं जो कि अग्रिम अवस्था में है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में गांवों की सहायता हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे वहां के लोग इस रोग का मुकाबला कर सकें ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। 1955 से समूचे देश में एक व्यवस्थित और विधि पूर्वक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने यह बीमारी स्थानीय बीमारी के रूप में कम व्याप्त है। यहां पर आम तौर पर कुष्ठ रोग की व्यापकता 0.5% से कम है। राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने सूचित किया है कि मध्यप्रदेश में ऐसा कोई ग्राम नहीं है जहां 50 प्रतिशत ग्रामीण कुष्ठ रोग से पीडित हों।

(ग) देश में चलाया जा रहा राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रक कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कन्द्र के तत्वावधान में चलने वाली एक योजना है जिसके लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। इस कार्यक्रम में कुष्ठ नियंत्रण एकक सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्र खोलने और कुष्ठ उपकेन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कुष्ठ नियंत्रण एकक बनाने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक देश में 227 कुष्ठ नियंत्रण एकक और 1423 सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्रों की स्थापना की जा चकी है। इस के अलावा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी 37 कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 8 करोड़ 93 लाख की आबादी इस के अन्तर्गत लाई जा चुकी है और 10 लाख 28 हजार कुष्ठ रोगियों को इलाज के लिए दर्ज किया गया है।

अकेले मध्य प्रदेश राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 कुष्ठ नियंत्रक एकक, 71 सर्वेक्षण शिक्षा और उपचार केन्द्र और स्वच्छिक संगठन का एक कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र काम कर रहे हैं। इन के अन्तर्गत 27 लाख 30 हजार की जनसंख्या लाई जा चुकी है और उपचार के लिए 17,887 रोगियों को दर्ज किया गया है।

मिट्टी-परीक्षण प्रयोग शालाओं की स्थापना

2062. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनी हुई सहकारी समितियों द्वारा मिट्टी परिक्षक प्रयोगशालाओं की स्थापना को मार्ग-दर्शी योजना की मुख्य बातें क्या हैं जिसे एन०सी०डी०सी० ने तैयार किया है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत हरियाणा और महाराष्ट्र में जिन चार सहकारी समितियों को सहायता दी गई है; इन्हें छोड़कर देश में कितनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं; और

(ग) मिटी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये एन०सी०डी०सी० किस प्रकार की सहायता देती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) इस योजना के अन्तर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी है और प्रत्येक प्रयोगशाला प्रति वर्ष 30,000 नमूनों का परीक्षण कर सकेगी, जिन पर अनावर्ती खर्च 1.7 लाख रु० और आवर्ती खर्च 80,000 रु० प्रति वर्ष होगा।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजना के अन्तर्गत अब तक मध्य प्रदेश में एक सहकारी समिति (महाराष्ट्र की तीनतथा हरियाणा की एक समिति के अतिरिक्त) को सहायता दी गई है। इन पांचों के अतिरिक्त देश में 31 चल गाड़ियों सहित 200 मृदा-परीक्षण प्रयोगशालायें हैं।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत एन०सी०डी०सी० राज्य सरकारों को उनकी प्लान सीलिंग के अतिरिक्त अनावर्ती खर्च के लिए प्रत्येक मृदा-परीक्षण प्रयोगशाला हेतु 1.70 लाख रु० दीर्घकालीन ऋणों के रूप में देती है जिसे राज्य सरकार सम्बद्ध सोसायटी की 1 लाख रु० अर्ध पूंजी और 70,000 रु० ऋण के रूप में देती है।

उर्वरकों तथा खेती के काम आनेवाली अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने, उनका भण्डार बनाने और उनके वितरण के लिए विपणन सहकारी समितियों को दिया गया ऋण

2063. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969–70, 1970–71 और 1971–72 से उर्वरकों और खेती के काम आने वाली अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने, इनका भण्डार करने तथा इनका वितरण के लिए विपणन सहकारी समितियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ-धन का राज्यवार नियतन क्या है ;

(ख) उर्वरक व्यापार बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए इन सहकारी थोक व्यापारियों को विभिन्न राज्यों में रिजर्व बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ इंडिया, राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने ऋण की पेशकश की गई; और

(ग) कितने सहकारी थोक व्यापारियों ने विभिन्न राज्यों में इस सहायता से लाभ उठाया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण (नंबर 1) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3383/72]**

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) एक विवरण (नंबर 2) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3383/72]**

बकाया अस्थायी ऋणों के बारे में आई० आई० टी० दिल्ली की अधिसूचना

2064. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०आई० टी० दिल्ली के प्राधिकारी ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी की थी कि अस्थायी ऋणों की बकाया राशि 50,000 रुपये से अधिक नहीं रहनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने मामलों में उक्त अधिसूचना का पालन नहीं किया गया और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण थे?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार, बकाया अस्थाई ऋणों के लिये 50,000 रुपये की सीमा निर्धारित करते हुए कोई अधिसूचना अथवा आदेश जारी नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नौवहन उद्योग का विकास करने के लिये बंगला देश को सहायता

2065. **श्री सरजू पांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश ने अपने देश में नौवहन उद्योग का विकास करने के लिये भारत से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बंगला देश को कितनी सहायता दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : भारत सरकार बंगला देश को दो जहाज देने के लिये सहमत हो गई है जिसका विक्रय मूल्य उक्त सरकार को उपलब्ध 600 लाख रू० के उधार से वहन किया जायेगा। उक्त सरकार को एक जहाज अब सौंप दिया गया है। शिपिंग कारपोरेशन आफइंडिया ने बंगला देश शिपिंग कारपोरेशन के साथ भी समझौता किया है जिसमें और बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि वह बंगला देश शिपिंग कारपोरेशन को, निम्नलिखित उपलब्ध करेगा :—

(i) यू०के०, नार्थ कान्टिनेंट कांफ्रेन्स में शामिल देशों के साथ बंगला के निर्यात व्यापार के लिये एकतरफ यात्रा/समय चार्टर के आधार पर जहाज;

(ii) आस्ट्रेलिया, यू०एस०ए०, जापान, पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका, गल्फ क्षेत्र इत्यादि जैसे अन्य जहाजी क्षेत्रों में बंगला देश माल के लिये स्थान;

(iii) बहुत अनुकूल उपलब्ध दरों में बंगलादेश शिपिंग कारपोरेशन को जहाज चार्टर करने की व्यवस्था।

(iv) बंगला देश शिपिंग कारपोरेशन द्वारा जहाजों की अधिप्राप्ति होने तक अपने जहाजों पर 50 इंजीनियरों और नौचालन अधिकारियों का नियोजन;

(v) बंगला देश के जहाजों को चलाने के लिये जब कभी आवश्यक हो, इंजीनियरों और मास्टरों की सेवाएं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

2066. **श्री सरजू पांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है;

(ख) क्या देश में वर्तमान अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधाओं को सुधारने और उनका विकास करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) श्री बो० भगवती की अध्यक्षता में एक समिति ने देश में वर्तमान अन्तर्देशीय जल परिवहन पद्धति संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया और उसके विकास के लिये एक चरणवार कार्यक्रम की सिफारिश की ।

(ख) समिति ने क्रमशः चौथी योजना और पांचवीं योजना काल के दौरान कार्यान्वयन के लिये 12.42 करोड़ रुपये के लागत की 32 योजनाओं और 14.89 करोड़ रुपये की लागत की 14 योजनाओं की सिफारिश की । इनमें से 5.97 करोड़ रुपये लागत की 19 योजनाएं अब तक मंजूर हो चुकी हैं ।

(ग) समिति द्वारा सिफारिश की गई योजनाएं मुख्यतः जिनसे संबंधित है वे इस प्रकार हैं : बकिंगघम नहर के सुधार; गोदावरी डेल्टा नहरों में जलपाश, घाटों के निर्माण, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में वाणिज्यिक सेवा; कुम्बरजुआ नहर का सुधार और गोवा में नावों की व्यवस्था, गुजरात में जलमार्गों के लिये निकर्षण उपस्कर की खरीद झेलम में यंत्र दिता सेवा को शुरू करना; चम्पाकारा नहर और चावारानीन्दाकारा जलमार्गों की चौड़ा और गहरनीकरना; केरल में पश्चिम तट नहर का सुधार; एजेर और मछलीपत्तनम नहर का लाइनिंग करना; तुन्गभद्रा नहर में अन्तर्देशीय नौचालन का विकास; महानदी में नौचालन का सुधार; कृष्टापुर नहर का सुधार; हुगली में नावों की व्यवस्था ।

तटवर्ती जहाजरानी का विकास न होने के कारण छोटे पत्तनों का उपयोग न होना

2067. **श्री सरजू पांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती जहाजरानी का विकास न होने से देश में छोटे पत्तनों की सुविधाओं का अधिकांशतः उपयोग नहीं हो पाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तटवर्ती जहाजरानी का बड़े पैमाने पर विकास करेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर): (क) और (ख) : डुबाव प्रतिबन्धों और घाट की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण लघुपत्तन केवल बहुत छोटे तटीय जहाजों और पाल जहाजों की जरूरत पूरी करते हैं, जहां तक छोटे जहाजों का संबंध है, रेल और सड़क परिवहन से प्रतियोगिता के कारण माल में कमी आ रही है । अतः सरकार ने तटीय नौवहन के अंतः संबंधित समस्याओं की और छोटे पत्तनों पर यातायात/सुविधाओं के गहन अध्ययन के लिये एक समिति बनाई है ।

पूर्वी राज्यों में सुफाला किस्म का मिश्रित उर्वरक

2069. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों में सुफाला किस्म के मिश्रित उर्वरक की अत्यन्त कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सुफाला किस्म के मिश्रित उर्वरक का पर्याप्त मात्रा में आयात करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : पूर्वी राज्यों में सुफला किस्म के मिश्रित उर्वरक की अत्यन्त कमी के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । पूर्वी अंचल के राज्यों से जानकारी मांगी गई है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुख्य निकाय का पुनर्गठन

*2070. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के मुख्य निकाय का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) क्या इस अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, प्रलेखन-निदेशक आदि अब भी उसी क्षेत्र से हैं; और

(ग) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के स्थायी सदस्य मुख्य कार्यकारी रूप में किसी ख्याति प्राप्त सामाजिक विज्ञान वेत्ता की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन 1 अप्रैल 1972 को हुआ था। तथापि अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, जिनके कार्यालय की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(ख) जी हां। किन्तु यह केवल संयोगवश है।

(ग) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वितीय सदस्य-सचिव की नियुक्ति में कोई देरी नहीं हुई है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के नियम 14 के अन्तर्गत परिषद का प्रथम सदस्य सचिव, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गयी है, अपने पद पर उतने समय तक बना रहेगा; जितने समय तक केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से परिषद् द्वारा नियुक्त किया गया सदस्य सचिव अपने कार्य भार को संभाले रहता है। वह पूर्णतः अवैतनिक रूप से कार्य करता है तथा उसने यह इच्छा व्यक्त की है कि, उन्हें यथा शीघ्र इस पद से मुक्त किया जाए। परिषद ने यह पद विज्ञापित कर दिया है तथा प्रवरण-समिति नियुक्त की है। इसके प्रस्तावों की प्रतीक्षा है।

सम्पदा निर्देशक द्वारा गैर-सरकारी व्यक्तियों को आवंटित मकानों आदि की सूचि

2071 **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पदा निदेशक द्वारा बहुत गैर-सरकारी व्यक्तियों को मकान तथा फ्लैट अलाट किए गए हैं ;

(ख) क्या ऐसे अलाटियों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) क्या ऐसे सभी अलाटियों की सूची जिन पर 15 जूलाई, 1972 को 1000 रुपये से अधिक का किराया बकाया है, सभा पटल पर रखी जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता पत्तन के चाय-गोदाम का बंद होना

2072. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन के चाय गोदाम को बंद कर दिया गया है,

(ख) क्या इस गोदाम के बंद हो जाने के फलस्वरूप इस पत्तन को लगभग 24 लाख रुपये की वार्षिक हानि हो रही है,

(ग) क्या इससे चाय उद्योग तथा चाय के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है यदि हां, तो इस गोदाम को किन परिस्थितियों के वश हो कर बन्द किया गया, और

(घ) इस संबंध यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) मैसर्स बाल्मर, लावरी एण्ड कंपनी लिमिटेड जो कि चाय व्यापार के लिये मालगोदाम मालिकों के रूप में कार्य करते थे, अक्तूबर, 1971 में एक और जनवरी 1972 में दो (कुल तीन) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के मालगोदामों को खाली किया।

(ख) पत्तन आयुक्तों ने उस अवधि के दौरान जब कि मालगोदाम खाली रहे, प्रति वर्ष 25.14 लाख रुपये की दर से किराये का नुकसान उठाया है।

(ग) विदेश व्यापार मंत्रालय के अनुसार, इन मालगोदामों के बंद होने के कारण चाय उद्योग और चाय निर्यात कर्त्ताओं को काफी असुविधा हुई, परन्तु पहले दो वर्षों में संगत अवधियों की तुलना में ये मालगोदाम कम अर्से के लिए बंद रहे अतः इस अवधि के दौरान चाय के निर्यात में कोई कमी नहीं हुई है।

(घ) लम्बी अवधि के वैकल्पिक प्रबंध होने तक केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड जो भारत सरकार का एक उपक्रम है ने 12 जुलाई, 1972 से तीन में से दो मालगोदामों को अपने अधिकार में ले लिया है। पत्तन आयुक्तों ने तीसरा माल गोदाम अन्य प्रयोजनों के लिए किराए पर देने के लिए रख लिया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत वैज्ञानिकों के वेतनमान

2073. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत वैज्ञानिकों के श्रेणीवार वेतनमान क्या हैं;

(ख) वैज्ञानिकों को उच्च पदों पर नियुक्त तथा पदोन्नत करने की प्रतिक्रिया तथा सिद्धान्त क्या हैं;

(ग) क्या सरकार वेतनमानों का पुनरीक्षण करने और भर्ती तथा पदोन्नति सम्बन्धी नियमों और नियमनों में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3384/72]**

(ख) परिषद के उप-नियमों के उपबंधों के अनुसार, जैसा कि उन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, वर्ग 2 तथा वर्ग 1 के समस्त वैज्ञानिक पदों की भर्ती विज्ञापन द्वारा अखिल-भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है।

(ग) तथा (घ): जी नहीं। कृषि-वैज्ञानिकों के वेतनमानों के संशोधन के सामान्य प्रश्न पर भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के वैज्ञानिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इसके सम्बन्ध में सरकार के निर्णय उपलब्ध होने के पश्चात विचार किया जायेगा। इसी प्रकार वैज्ञानिक पदों के भर्ती तथा प्रोन्नति सम्बन्धी वर्तमान नियमों तथा विनियमों के परिवर्तन के सामान्य प्रश्न पर हाल ही में गठित की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

Revenue Derived from visitors to Qutab Minar, Red Fort in Delhi, Taj Mahal and Red Fort, Agra

2074. Shri Hukam Chand Kachwai :

[Shri Achal Singh :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the revenue derived by the Government from the visitors to Red Fort, Delhi, Taj Mahal, Agra, Red Fort of Agra and Qutab Minar of Delhi during the financial year 1970—71 and Taj Mahal and Red Fort, Agra during the financial year 1971—72; and

(b) the number of Indian and Foreign visitors who visited the above monuments during the said years?

The Minister of Education Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan

(a) The revenue derived from visitors is as under :

1970—71

Red Fort, Delhi	Rs. 3,83,626.50
Qutab Minar, Delhi	Rs. 1,75,154.50
Taj Mahal, Agra	Rs. 5,08,383.00
Agra Fort	Rs. 2,35,514.00

1971—72

Taj Mahal, Agra	Rs. 4,99,125.50
Agra Fort	Rs. 2,33,017.00

(b) the number of Indian and foreign visitors calculated on the basis of tickets is as under :

1970—71

Red Fort, Delhi	7,67,253
Qutab Minar, Delhi	3,50,309
Taj Mahal, Agra	10,16,766
Agra Fort	4,71,028

1971—72

Taj Mahal, Agra	9,98,251
Agra Fort	4,56,034

These figures do not include persons up to the age of fifteen who are admitted free.

The number of visitors to these monuments on Fridays which are free entry days is also not included in the above figures.

The Survey does not maintain a separate record of the foreigners visiting the monuments.

Expenditure on Maintenance of Protective Buildings, Temples and Masjids declared as protected Monuments.

2075. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred by Government during the financial years 1970-71 and 1971-72 for maintenance of buildings, temples and masjids declared as protected monuments by the Archaeological Survey of India; and

(b) the amount to be spent in this behalf on this account during the financial year 1972-73.

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) The expenditure incurred on Special repairs and maintenance of ancient monuments are :

1970—71	Rs. 53.23 lakhs.
1971—72	Rs. 66.11 lakhs.

(b) The amount proposed to be spent on this account in 1972—73 is Rs. 68.60 lakhs.

Construction of Government Quarters

2076. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the number of Government quarters constructed by Government for their employees during the last two years as also the number of quarters allotted to them; and

(b) the number of quarters of various types under construction at present?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) In the General Pool, 2993 quarters of various types have been constructed and 2977 quarters have been allotted in New Delhi, Bombay, Madras, Nagpur and Chandigarh. Information regarding Calcutta will be laid on the Table of the House as soon as received.

(b) 3829 Nos. of quarters of various types are under construction in New Delhi, Bombay, Madras, Chandigarh and Bangalore. Besides these, 64 Nos. of two-roomed and 128 Nos. of one-roomed multi-storeyed apartments are also under construction at New Delhi. Information regarding Calcutta will be laid on the Table of the House as soon as received.

Central advice to States on Cow Slaughter and views of States Thereon

2077. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Central Government have given any advice to the State Governments in regard to the banning of cow slaughter;

(b) whether the Central Government have since received the view of the State Governments in this regard; and

(c) if so, the reaction of Government there to and the action proposed to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Yes. The State which had partially prohibited cow slaughter were advised to enlarge the scope of present Legislation and the State which had not prohibited cow slaughter were advised to enact suitable Ligislation for prohibiting the slaughter of cows in conformity with the Directive Principles as contained in Article 48 of the Constitution.

(b) Yes.

(c) The subject of preservation, protection and improvement of stock coming under Entry 15 of List II in Seventh Schedule to the Constitution is a State subject and as such the State Legislatures have exclusive powers to make laws relating to cow slaughter under Article 246(3) of the Constitution. A Committee on Cow Protection has been constituted the Central Government to go into the question of cow protection, including total ban on the slaughter of cow and its progeny and having considered the matter in all its a spects, namely, constitutional, legal, economic and other relevant aspects, recommend to Government, for their consideration, appropriate practical steps for the protection of cows, calves, bulls and bullocks. The Committee will suggest ways and means for the effective implementation of the provisions of Article 48 of the Constitution and also give consideration to any suggestion that the Constitution should be amended to bring about a total ban on the slaughter of cow and its progeny.

The Central Government will decide further course of action after receiving the Report of the Committee which is now expected by 31st of March 1973.

बन्ध्यकरण के लिए आयु-सीमा

2078. **श्री पम्पन गौडा :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्ध्यकरण के लिये कोई आयु-सीमा निर्धारण की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी आयु निश्चित की गई है ?

निर्माण और आवास स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) : जी हां। महिलाओं के मामले में नसबंदी आपरेशन की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। पुरुषों के मामले में, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सामान्यत: आपरेशन के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है।

काजु अनुसंधान संस्थान की स्थापना

2079. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में एक काजु अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिंदे) : (क) जी नहीं। इस समय में देश के अन्दर अलग काजु अनुसंधान संस्थान स्थापित करन का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। कुछ समय पहले विदेश व्यापार मंत्रालय मे काजू के छिलके के तरह द्रव्य पर अनुसंधान करने के सम्बध में केरल में एक अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। किन्तु अभी तक मंत्रालय प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की हुई है। जिसका मुख्य कार्यालय केरल राज्य के कसरागोड नामक स्थान में स्थित है जो काजू एवं अन्य रोपण फसलों पर अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करता है अन्य बातों के साथ-साथ काजू की खेती तथा विधाओं पर गहन अनुसंधान के लिये, इस योजना के दौरान इसको और सुदृढ़ करने का विचार है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Land received under Bhoodan in Bihar

2080. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the acreage of land received by Bhoodan Yajna Committee a donation in Bihar and the acreage of cultivable and uncultivable land out of the said donated land;

(b) whether there is any such land which has been donated but possession of which has not been given so for, and

(c) if so, the acreage of such land and the reasons for not handing over the possession thereof and the efforts made by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Outstanding Dues to Bihar Co-operative Societies

2081. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Co-operative Societies of Bihar own Rs. 14 crores;

(b) whether there is no account available of Rs. 7 crores ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) The information is being collected from the State Government.

Housing Facilities for Harijans and Tribals in the Country

2082. Shri M. S. Murthy: Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the number of Harijans and tribals in the country who have no housing facilities and the time by which Government would be able to solve this problem?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : It is not possible to indicate the number of Harijans and tribals in the country who have no housing facilities. However, efforts are being made to ensure that housing facilities are provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes both from the provisions made in the Backward Classes Sector and the General Sector.

Central assistance to State for Increasing Milk Production

2083. Shri B. S. Murthy : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the fund provided by the Central Government to each State Government for increasing the production of milk during the last two years?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : According to the pattern in vogue, Central Assistance is not related to any individual programme or scheme but it is provided by the Centre on block loan and grant basis to each State in respect of its annual plan as a whole. The discretion for allocation of funds to individual State Plan Schemes including Schemes for increasing Milk production rests with the State Government concerned.

A Statement giving the outlay for animal husbandry and dairying and milk supply as included in the State Plan. of 1970-71 and 1971-72 as approved by the Planning Commission is enclosed. [Placed in Library. *See* No. L.T. 3385/72]. The statement also includes Central assistance given to States under the two Centrally Sponsored Schemes of (a) Progeny Testing of Bulls; and (b) Rinderpest Eradication.

सप्रू हाउस लायब्रेरी, नई दिल्ली से गुम हुई पुस्तकें

2084. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सप्रू हाउस लायब्रेरी, नई दिल्ली से 600 से अधिक पुस्तकों के गूम हो जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नरुल हसन) : (क) भारतीय विश्व कार्य परिषद द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघि माला को 626 पुस्तकें परिषद के पुस्तकालय से गायब थीं ।

(ख) और (ग) : परिषद् द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई है और दिल्ली पुलिस को अपराध शाखा द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

नार्वे सहायता कार्यक्रम के अधीन एक मत्स्य खोजक जलपोत की सप्लाई

2085. **श्री ए० के० गोपालन :**

श्री वयालार रवि :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नार्वे सहायता कार्य म के अधीन एक मत्स्य खोजन जलपोत बिना मूल्य प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने इस पोत को केरल सरकार को देने को पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त पेशकश संबंधी शर्तें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब शिन्दे) : **(क) से (ग).** भारत-नार्वे परयोजना से सम्बन्ध करारों के अन्तर्गत नार्वे से अन्तिम मत्स्य खोजक जलपोत वर्ष 1966 में प्राप्त हुआ था। मार्च, 1972 को समाप्त हुए अन्तिम करार तक, इन करारों के अन्तर्गत प्राप्त पोतों में से केरल सरकार को किसी पोत की पेशकश नहीं को गई है। ये पोत कोचीन में हैं। फिर भी मात्स्यको सहित अनेक क्षेत्रों में निरन्तर सहायता प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए नार्वे एजेन्सी कुछ मत्स्य खोजक जलपोत नि:शुल्क देगी। वित्त मन्त्रालय की निर्धारित प्रक्रिया के अन्तगत विक्रय मूल्य वाली जिनसों और उपस्कर के रूप में बाह्य सहायता की योजना को सीमा में समायोजित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार केरल सहित समुद्र-तटीय राज्य सरकारों से पूछताछ की गई थी यदि उन्हें पोत आवंटित किए गए तो क्या वे अपनी योजना सीमा में पोतों की लागत को पूरा कर सकेंगे। कोई शर्त नहीं लगाई गई थी क्योंकि पूछ-ताछ का अभिप्राय उस स्थिति का निर्धारण करना था जिस के आधार पर पोतोंके उपयोग को उपयुक्त व्यवस्था की जा सके। राज्य सरकारों ने अपनी योजना सीमा में पोतों को लागत के समायोजन में असमर्थता प्रकट की। अब बनाए गए प्रस्तावों के अनुसार पोतों को प्रचालन योजना केन्द्रीय गहरी समुद्र मत्स्यहरण संगठन द्वारा तैयार की जाएगी। यह पोतों के समन्वेषी कार्यक्रम का भी समन्वय करेगा। पोतों का संचलन सम्बन्ध राज्य सरकारें करेंगी और प्रस्ताव है कि संचलन को लागत को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जायगा। परन्तु ये प्रस्ताव अनन्तिम हैं। वर्ष 1974 से पूर्व पोतों के उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। सप्लाई किए जाने वाले पोतों की संख्या और उनके निर्वर्तन का भी निर्धारण नहीं किया गया है। पोतों के समन्वेषी कार्यक्रम के लिये अन्तिम व्यवस्था परिस्थितियों को देखते हुए की जाएगी।

केरल को सेला चावल की सप्लाई

2086. श्री ए० के० गोपालन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के उपभोक्ता सेला चावल बहुत पसंद करते हैं और कच्चे चावल की निरन्तर सप्लाई के विरुद्ध अनेक बार शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने केरल को सेला चावल सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए ; तो क्यों ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय पूल में सेला चावल का केवल सीमित स्टाक उपलब्ध है उसमें से केरल को पर्याप्त मात्रा पहले ही आबंटित की गई है। सेला चावल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर विचार हो रहा है।

केरल को चीनी का आवंटन

2087. श्री ए० के० गोपालन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को प्रतिमास कितनी चीनी दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी की वर्तमान मात्रा केरल राज्य की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार प्रति मास प्रति व्यक्ति एक किलो चीनी आवंटित करने के बारे में विचार करेगी ; और यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जनवरी, 1972 से अगस्त, 1972 के दौरान केरल सरकार को स्वैच्छिक वितरण प्रणाली आंशिक नियंत्रण के अन्तर्गत निम्न प्रकार उचित मूल्यालवी चीनी का कोटा आबंटित किया गया था :—

जनवरी, 1972	7602 मीटरी टन	मई, 1972	7612 मीटरी टन
फरवरी, 1972	7600 ,, ,,	जून, 1972	7612 ,, ,,
मार्च, 1972	7600 ,, ,,	जुलाई, 1972	7612 ,, ,,
अप्रैल, 1972	7612 ,, ,,	अगस्त, 1972	7160 ,, ,,

(ख) और (ग) : सभी राज्य सरकारों को चीनी का आबंटन जनसंख्या, 1967–68 और 1968–69 के दौरान खपत के पिछले रुख और चीनी की उपलब्धता का ध्यान में रख कर युक्ति युक्त आधार पर किया जाता है तथापि, राज्य में लेवी चीनी के वितरण की मात्रा और उसके तरीके का राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है बशर्ते कि निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को एक किलो प्रति मास से अधिक चीनी न दी जाए और एक परिवार को एक किलोग्राम प्रति मास के कम चीनी न दी जाए। चीनी की बहुत ही कम उपलब्धता देखते हुए केरल सहित राज्य सरकारों की उनके चीनी के मासिक कोटे में वृद्धि करने से सम्बन्धित मांग को मानना फिलहाल संभव नहीं है।

जीवाणु उवरक के सम्बन्ध में अनुसंधान

2088. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन नमी वाली जमीनों का आवसीकरण रोकने के लिये जिनमें रासायनिक उर्वरक बड़ी मात्रा में दिया जाता है, सरकार की जीवाणु उवरकों संबंधी अन्वेषण प्रोत्साहित करने की कोई योजना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पो० शिन्दे) : हाल ही के वर्षों में युट्रोफिकेशन अर्थात् शैवालों की अनावश्यक वृद्धि ने व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया हुआ है, क्योंकि वायुमंडल में 79 प्रतिशत तक नाइट्रोजन मौजुद है और यह वायु, जल तथा मृदा में एक बहुत ही गतिशील तत्व है। और तथ्य यह है कि शैवालों को 40 किस्में होती हैं जो कि सामान्य वर्षा में प्रति मिलियन नाइट्रोजन में 0.3 भाग या इसका आधा भाग होती है जिसके कारण शैवाल वृद्धि को पर्याप्त सहायता मिलती है? इस बात को दृष्टी में रखते हुये ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि विशेषत: भारत जैसे विकासशील देशों में जहां वर्ष 1969-70 के आंकड़ों के अनुसार जापान जैसे विकसित देशों में मुकाबले में केवल 1147वां भाग और नीदरलैंड जैसे देश के मुकाबले में 1181 वां भाग प्रति हैक्टार उर्वरक की खपत होती है, वहां उर्वरकों नाइट्रोजन से युट्रोफिकेशन उत्पन्न होती है। अत: अपने देश में फिलहाल रासायनिक उवरकों के प्रयोग से कोई हानि होने की आंशका नहीं है।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में अब तक किये गये अनुसंधान कार्यों से पता चलता है कि भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरको के प्रयोग से नमीयुक्त मृदा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी, अजोटोबैक्टर जैसे जीवाणिक उर्वरकों तथा नमीयुक्त भूमि में चावल लिये शैवालों की सामूहिक खेती की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये अनुसंधान अध्ययन काय शुरु कर दिया गया है और अनुसंधान कार्यक्रम के गतिमान करने पर विचार किया जा रहा है दालों तथा अन्य शिम्बी फसलों के बीजों को संरोषित करने के लिये रिजोबियल कर्पण जैसे जीवाण्विक उर्वरकों का प्रयोग अब सामान्य प्रचलन के रूप में होता जा रहा है।

भारत द्वारा निर्मित सभी सुख-सुविधाओं से लेस जहाज "हर्षवर्धन" से होने वाले लाभ का अनुमान

2089. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा निर्मित सभी सुख-सुविधाओं ले लेख जहाज "हर्षवर्धन" से इस वर्ष कितना लाभ होने का अनुमान है और किन मार्गों पर चलाया जायेगा?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : शिपयार्ड ने शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को केवल अक्तूबर 1973 में सुविधा युक्त पोत "हर्ष वर्धन" की सुपुर्दगी के संबंध में करार किया है। अत: इस वर्ष कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। यह जहाज भारत और पूर्वी आफ्रीका के बीच चलाया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक अध्यापकों को नियुक्ति के लिए द्रुत कार्यक्रम

2090. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बनाए गए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राथमिक अध्याषकों को नियुक्ति के द्रुत कार्यक्रम को इस वर्ष भी चालू रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और 1971-72 में इसमें कितनी सफलता मिली ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी) : (क) राज्यों/संघ क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुविधाओं में विस्तार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 1971-72 के दौरान एक केन्द्रीय योजना स्वीकृत की गई, थी, जो चालू वर्ष के दौरान भी जारी है।

(ख) इस योजना में अतिरिक्त प्राथमिक स्कूल अध्यापकों, निरीक्षकों की नियुक्ति कार्य अनुभव की जानकारी, पाठ्य-पुस्तकों तथा लेखन सामग्री के वितरण, मध्याह्न भोजन की पूर्ति तथा अतिरिक्त अध्ययन कक्षों के निर्माण की व्यवस्था है। 1971-72 के दौरान लगभग 28,000 अध्यापक, 164 निरीक्षक तथा 367 कार्य अनुभवी अध्यापक नियुक्ति किए गए थे। 1972-73 के लक्ष्य के अंतर्गत 30,000 अध्यापक 240 निरीक्षक तथा 1,000 कार्य अनुभवी-अध्यापक हैं। समूचा व्यय भारत सरकार वहन करेगी।

विदेशी जहाज रानी कंपनियो द्वारा बंबई की गोदियों के निकट तेल के टैंकरों को धोने से समुद्रीजल का दूषण

2091. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी जहाजरानी कंपनियों द्वारा बंबई की गोंदियों के निकट तेल के टेंकरों की धुलाई से इस क्षेत्र में समुद्री जल का खतरनाक सीमा तक दूषण हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के सुधार के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं। तेल पोत इस समय समुद्री तेल टर्मिनल (बूचर द्वीप) में सफाई सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। तेल पोतों को तब तक गोदियों में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उनकी पूरी तरह से सफाई न की गई हो और विस्फोटक पदार्थों के निरीक्षक द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाता है कि वे गैस युक्त हैं। तेल दूषण का जो एक मामला ध्यान में आया है, संदेह है कि उसके निम्नलिखित कारण है :

(1) बूचर द्वीप से रवाना होने के बाद तेल पोतों द्वारा सागर में तेल छोड़ना और (2) गोदियों में बंकर लाईनो में छिद्रों से शेष तेल गिरना।

(ख) इस प्रकार के कभी कमार होने वाले दूषण को रोकने के लिये मौजूदा उपबन्धों की अधिक सक्ति से लागू करने तथा पत्ता न्योंसों नौसैनिक अधिकारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में कृषि तथा पटसन की फसल को हुई हानि के लिए केन्द्रीय सहायता

2092. **श्री पी० गंगादेव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उडीसा में कृषि तथा पटसन की फसल को भारी हानी हुई है, और यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उड़िसा सरकार को इस हानि की पूर्ति के लिए कोई राहत और सहायता दी हैं, और

(ग) यदि हां तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी०शिन्दे): (क) से (ग) : संबंधित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राष्ट्रीय राजपथ संगठन उड़ीसा का कार्यकरण

2093. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ संगठन ने पिछले कुछ समय से अच्छा कार्य नहीं किया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा उड़ीसा राजपट निकाय को समर्थ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां, गत तीन वर्षों से।

(ख) यह स्थिति मुख्यत: राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग में उचित संगठन होने के कारण तथा कुछ हद तक इस्पात तथा सड़क निर्माण मशीनरी की कमी के कारण हुई है। राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये अनुरोध किया गया है, जिसमें अब एक मुख्य इंजीनियर के प्रभार में 15 प्रभाग तथा 5 सर्किल है। वे भी अधिक सड़क निर्माण मशीनरी उपलब्ध कर रहे हैं। अधिक इस्पात उपलब्ध करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं।

चीनी पर आंशिक नियंत्रण

2094. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने निर्णय किया है कि उसके द्वारा निर्धारित वसूली मूल्यों के आधार पर वसूली की चीनी की मात्रा का अनुमान लगाया जाएगा?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): जी हां। विभिन्न जोनों में विभिन्न ग्रेडों की चीनी के लिए चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के अधीन अधिसूचित लेवी मूल्यों के आधार पर लेवी चीनी पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है।

कोचीन शिपयार्ड के निर्माणकार्य में प्रगति

2095. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कोचीन शिपयार्ड के निर्माण–कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कार्य निर्धारित योजना के अनुसार हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) लगभग 170 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली गई है और शिपयार्ड स्थान तक रेल साइडिंग के विस्तार के लिए और 1.5 एकड़ भूमि की प्राप्ति के लिए अधिसूचित किया गया है। परामर्शदाताओ द्वारा सुपुर्दगी के लिये आवश्यक सभी तकनीकी डिजाइन और नक्शे सर्वश्री मित्सुविशी

हैवी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, टोक्यो से प्राप्त हुए हैं। शिपयार्ड संगठन द्वारा किये जाने वाले डिजाइन कार्य बहुत हद तक पूरे हो गए हैं। शिपयार्ड स्थान पर बाड़ लगाने, स्थान में सुधार करने, शिपयार्ड सड़कों के प्रथम चरण निर्माण, निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अस्थायी जल और विद्युत प्रदाय पद्धतियों और जल निकास निर्माण कार्यों जैसे आरम्भिक कार्य पूरे कर लिये गए हैं। प्रशिक्षण स्कूल, ढांचा, घर स्थापना, हल शांप, मुख्य विद्युत प्रदाय ग्रहण केन्द्र, प्रयोगशाला, तेल भण्डार पेंट भण्डार और द्वितीय चरण सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उपस्कृत मालगोदाम (नीव और ऊपरी ढांचा) अनुरक्षण शांप (नींव और ऊपरी ढांचा) और सामान्य भण्डार नीव के ठेके दे दिये गये हैं। बड़े समुद्री निर्माण कार्यों अर्थात्, निर्माण गोदी मरम्मत गोदी और घाटों के निर्माण संबंधी ठेके देने का प्रश्न भी विचाराधीन है बड़े बड़े विद्युत, यंत्रों सहित क्रेनों और मशीनरी की अधिप्राप्ति के लिए आर्डर दिये गए हैं और जिनमें से कुछ की सुपुर्दगी हो चुकी है। मशीनरी । उपस्कर संबंधी अन्य 75 मदों के टेंडर प्राप्त हो गए हैं और उनकी संवीक्षा की जा रही है। कार्यक्रम के अनुसार शिपयार्ड के निर्माण को पूरा करने के लिये, 29-3-1972 से भारत सरकार की पूर्णतया अपनी कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई है।

(ख) तथा (ग) : निर्माण गोदी, संख्या 3 घाट, हल शांप स्थापना और 150 टी गांट्री क्रेन के संबंध में ठेके देने संबंधी कुछ मामलों को छोड़कर जहां कि टेंडर भजने वालों की ओर से उचित उत्तर प्राप्त न होने के लिए दोबारा टेंडर प्राप्त किये गये थे, शेष कार्य सामान्य रूप से कार्यक्रम के अनुसार ही चल रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से परिवार नियोजन संबंधी प्रचार

2096. श्री एस० सी० सामन्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से किये जा रहे परिवार नियोजन के प्रचार कार्य का मूल्यांकन किया है ; और

(ख) उन का मंत्रालय गैर-हिन्दू समुदायों में उद्देश्यपूर्ण प्रचार में सुधार करने के लिये क्या उपाय करना चाहता है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) समाज के सभी वर्गों को जानकारी देने, उन्हें समझाने तथा प्रोत्साहित करने के लिये उनके सामने यह विषय अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है और अनेक प्रकार की अपीलें की जा रही है। समाजार्थिक रूप से पिछडे हुए होने के कारण परिवार नियोजन में अपेक्षाकृत कम रुची रखने वाले वर्गों की विशेषकर सामाजिक-मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुकुल उपाय ढुंढने के लिये एक विशिष्ट अभियान सल खोलने का भी विचार है।

पुस्तक संवर्धन डिवीजन का कार्यक्रम

2097. श्री० एस० सी० सामन्त : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तक संवधन डिवीजन के कार्य अभी तक शिक्षा और संस्कृति विभागों में बंटे, हुए हैं ; और

(ख) इस डिवीजन को पुस्तक-जगत का ज्ञान रखने वाले किसी वरिष्ठ निदेशक के अधीन न रखने के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां।

(ख) उप शिक्षा सलाहकार, जो इस प्रभाग के इंचार्ज हैं, पुस्तक जगत में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा "इण्डिया-लैंड एण्ड पीपल" पर प्रकाशित पुस्तकें

2098. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 'इण्डिया—लैंड एण्ड पीपल' पुस्तक माला में अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं, और

(ख) नए उत्तर – पूर्वी राज्यों और त्रिपुरा मिजोरम और अरुणोचल जैसे क्षेत्रों पर पस्तकें न प्रकाशित करने के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :(क)इस माला में अब तक 51 प्रकाशित पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं।

(ख) "इण्डिया– लैंड एण्ड पीपल" इस समय चल रही माला है और लगभग अगस्त, 1973 तक देश के सभी क्षत्रों को शामिल किये जाने की संभावना है। इस माला में असम को लगभग चार पुस्तकें तथा नागालैण्ड की एक शामिल की गई हैं।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के बाद भूमि पाने वाले व्यक्तियों को केन्द्रीय सहायता

2099. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने के बाद उपलब्ध भमि पर भूमिहीन व्यक्तियों को बसाने के लिये वित्तीय तथा अन्य सहायता देने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं तथा इस संबंध में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा किस अनुपात में सहायता दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : लघु तथा सीमान्त किसानों के रूप में नए अलाटियों को सहकारिता तथा वाणिज्यक बैंकों आदि वर्तमान संस्थानों से वित्तीय सहायता मिलगी इस के अतिरिक्त लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक जैसी, विशिष्ट परियोजनाओं से उन क्षेत्रों में जहां वे चालू हैं, वित्तीय सहायता मिल सकेगी। लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक जैसी विशिष्ट परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में हैं और केन्द्र सरकार इन्हें पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

हिन्दी पुस्तकों का तैयार किया जाना

2100. **श्री डी० पी० जादेजा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1972 के 'हिन्दूस्तान टाइम्स' में हिन्दी पुस्तकों के तैयार किये जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इन पुस्तकों के असंतोषजनक उत्पादन के क्या कारण हैं, और

(ग) गत दो वर्षों में इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितना धन मंजूर किया गया और इस का कितना प्रतिशत भाग इन पुस्तकों के तैयार करने पर खर्च किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां।

(ख) विश्वविद्यालय स्तर की हिन्दी पुस्तकों और साहित्य के निर्माण हेतु 1968–69 में शुरु की गयी योजना मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

योजना के आरंभ में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई मार्ग दर्शक रूप रेखाओं के अनुसार योजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को स्वायत्त – विभागीय बोर्ड स्थापित करने थे। इसके लिये कुछ राज्यों में काफी समय लगा। इस कारण, चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में उन्नति धीमी रही। इसके अलावा, पुस्तक निर्माण कार्य में पांडुलिपि स्तर तक प्रगति नहीं के बराबर होती है। विशेषज्ञ विषय नामिका की स्थापना करनी होती है, शीर्षकों का चयन करना होता है, लेखक, अनुवादक की शिनाख्त करनी होती है और अनुवाद के मामले में कापीराइट अधिकार लेने होते हैं। पुस्तकें प्रकाशित होते पर, परिणामों का पता चलता है। योजना की प्रारम्भिक प्रत्यक्ष धीमी प्रगति का यह भी कारण है।

(ग) विवरण संलग्न है जिसमें राज्य सरकारों को दिए गए अनुदान और पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न पुस्तक निर्माण बोर्डों द्वारा किया गया प्रतिशत खर्च दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखीए संख्या एल० टी० 3386-72]** ।

दिल्ली में बस सेवा में सुधार

2101. **श्री के० सूर्यनारायण :**

श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में परिवहन सेवा अच्छी न होने के कारण यात्रा करने वाले लोगों को होने वाली बहुत अधिक कठिनाइयों की उन्हें जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर अधिक भीड़ वाले घंटों में दिल्ली परिवहन निगम की सेवा में सुधार करने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत और अधिक मिनी बसें चलाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग). दिल्ली परिवहन निगम की बस के परिचालन को सुप्रवाही बनाने के लिये निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं। इनके परिणामस्वरुप, कार्यकरण घाटे और लुप्त फेरों में कमी और गाड़ियों के बेहतर इस्तेमाल से अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरु हो गए हैं। पुरानी और खराब बसों को चालू करने योग्य बनाने के लिये उनकी मरम्मत की जा रही है। 30 मिनी सहित 294 अतिरिक्त बसों की अधिप्राप्ति के लिए आर्डर भी दे दिये गए हैं। 133 बसें पहले ही से प्राप्त की जा चुकी हैं और उन्हें बड़े में शामिल कर लिया गया है। शेष बसों को भी अक्तूबर, 1972 तक प्राप्त होने की संभावना है। 1972–73 और 1973–74 के दौरान

425 अतिरिक्त बसों को प्राप्त करने का निश्चय किया गया है। इनमें से 250 के चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक और शेष के अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो जाने की संभावना है। बेडे में वृद्धि होने से सेवाओं में सुधार होने की आशा है।

व्यस्त समय के यातायात से निपटने के लिए, जिसमें अधिकतर कार्यालय जाने वाले शामिल है, विभिन्न स्थानों से प्रातः काल कार्यालयों को जाने के लिए और शाम को वापस लौटने के बेड़े लिए विशेष फेरों की व्यवस्था की गई है।

वनस्पति तथा वैजीटेबल का उत्पादन कर रहीं फर्में

2102. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनस्पति तथा अन्य वैजीटेबल उत्पादों का उत्पादन कर रही उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके उत्पादों को भरने के लिये टीन के डिब्बे बनाने के लिए सी० ओ० वी० लाइसेंस दिये गय हैं तथा जिन्होंने उनके मंत्रालय के वनस्पति निदेशालय से टीन की प्लटे अलाट किये जाने के मामले में सहायता मांगी है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वनस्पति के निम्नलिखित निर्माताओं को वनस्पती भरने के लिए टीन के डिब्बे बनाने के लिए या उनकी मौजूदा क्षमता में विस्तार करने के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस दिए गए हैं :–

(1) नये यूनिट

(1) मैं० दीपक वैजीटेबल आयल इन्डस्ट्रीज लि०, मानवादर।
(2) मैं० प्रीमीयर वैजीटेबल प्रोडक्टस लि०, जयपुर।
(3) मैं० किशन चन्द एण्ड कं० आयल इण्डस्ट्रीज, लुधियाना।
(4) मैं० प्रभात सालवेंट एक्स्ट्रैक्शन इन्डन्ट्रीज लि०, मानवादर।
(5) मैं० महाराष्ट्र वैजीटेबल प्रोडक्टस लि०, धुलिया।

(2) मौजूदा क्षमता का विस्तार करने के लिए

(1) मैं० भावनगर वैजीटेबल प्रोडक्टस लि०, भावनगर।
(2) मैं० हिन्दुस्तान डिवलपमेंट कारपोरेशन लि०, कलकत्ता।
(3) मैं० वैस्टर्न इंडिया वैजीटेबल प्रोडक्टस लि०, अमलनेर।

(ख) इस समय प्रचलित वितरण संबंधी कार्यविधि के अनुसार, शर्करा तथा वनस्पति निदेशालय ने लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के माध्यम से टिनप्लेट उत्पादकों को इन फर्मों की लाइसेंस शुदा क्षमता के बारे में सूचित किया है ताकि वे तदनुसार टिनप्लेट निर्मुक्त कर सकें।

समाज शास्त्री समिति सम्मेलन के लड़े-जोखे की जांच

2103. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के अधिकारियों ने 9वें समाजशास्त्री समिति सम्मेलन (वर्ष 1969 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में आयोजित) के हिसाब किताब को लगातार 2 वर्ष से केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस अनियमितता के बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क और ख). भारतीय समाज शास्त्रीय सोसाइटी के अनुरोध पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली नौवें समाज शास्त्रीय सम्मेलन के अतिथेय के लिए सहमत हो गई थी जिसे नवम्बर, 1969 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। संस्थान ने इस सम्मेलन के खर्च के लिए 19,000 रु० भी देने का निर्णय किया था।

2. इस सम्मेलन पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कुल 29,448.36 रु० खर्च किया। इस मद खाते पर उसका अपना अंशदान केवल 19,000 रु० का था तथा महात्मा गांधी शताब्दी समिति द्वारा 6,000 रु० का सहायक अनुदान संस्वीकृत किया गया, जो कि उसे भारतीय समाज शास्त्रीय सोसायटी के जरिए दिया गया था। चूंकि लगभग 4,448.36 रु० की बकाया राशि भारतीय समाज शास्त्रीय सोसायटी से अभी प्राप्त की जानी है अतः लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका तथा महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व को भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

3. 2 मार्च, 1972 को भारतीय समाज शास्त्रीय सोसायटी से 5,000 रु० की राशि प्राप्त हुई थी। उसके यदि लेखों को अन्तिम रुप दिया गया था और आन्तरिक आडिट द्वारा लेखा परीक्षा भी किया गया था। उन्हें अब महा लेखा पाल केन्द्रीय राजस्व की एक पार्टी को प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि संस्थान में कार्य कर रही है।

4. अतः यह स्पष्ट है कि महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व को इन लेखों को प्रस्तुत करने में देरी का मुख्य कारण भारतीय समाज शास्त्र सोसायटी से आवश्यक निधियां प्राप्त न होना है।

5. भारतीय समाजशास्त्री संस्था से यह ज्ञात हुआ है कि यह संस्था भूतपूर्व मानवीय तथा सामाजिक विज्ञानों के विभागाध्यक्ष से अभी तक लेखा विवरणों को परीक्षित तथा अन्तिम रूप से तैयार नहीं करवा सकी है जो इस संस्थान की ओर से सम्मेलन को आयोजित करवाने का प्रभारी था। उनके विरुद्ध कुछ अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। अभिशासन मंडल ने इन शिकायतो पर विचार किया है और इस मामले की जांच पड़ताल करने और मंडल को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए दो व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की है।

यमुना नदी पर आई०टी०ओ०पुल के रास्ते से दिल्ली परिवहन निगम की बसों का नया मार्ग निर्धारित करना

2104. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों के लिये नयी दिल्ली में यमुना नदी पर आई० टी० ओ० पुल के रस्ते से नया मार्ग निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पुल पर से प्रतिदिन कितनी बसें गुजरती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इतने लम्बे समय तक बसों का नया मार्ग निर्धारित न करने क्या कारण है?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 1-8-1972 से पहाड गंज तथा रफी मार्ग के बीच चलने वाली 11-एफ बस मार्ग संबंधी तथा यमुनापार की विभिन्न वस्तियों से होकर जाने वाली 20 तथा 46 नम्बर बसों के मार्ग को तथा कार्यालय के समय विशेष फेरे लगाने हेतु आई० टी० ओ० पुल से होकर जाना निर्धारित किया गया है।

(ख) प्रतिदिन आई० टी० ओ० पुल से होकर जाने वाली बसों के 56 फेरे लगाये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Central Director for the conversion of Barran land into cultivable land during fifth plan

2105. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of barren land proposed to be converted into agricultural land during the fifth Five Year Plan; and

(b) whether the Central Government have issued any instructions to the State Governments in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde): (a) The Centrally sponsored schemes for reclamation of cultivable wasteland were transferred to the State Sector w.e.f. 1-4-1969. Targets for this programme are fixed by the State Governments. However, the same are discussed with the Planning Commission before finalisation. The Fifth Plan is yet to be finalised.

(b) No instructions have been issued by the Central Government to the State Governments. Land, being a State subject, under the Constitution of India, its programme of reclamation, development etc. is administered by the concerned State Governments themselves, keeping in view their own requirements. The report of the Committee on Natural Resources, published by the Planning Commission in 1963, contains recommendations which would be useful to the state Governments in drawing up their Plans in this regard.

शहरी कूड़े-कर्कट तथा मल (नाईट सोयल) की आर्गनिक खाद के रूप में उपयोग में लाने के बारे में समिति का प्रतिवेदन

2106. **श्री अरविन्द नेताम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग के उपाध्यक्ष श्री वी० श्रीनिवास की अध्यक्षता में इस बात का पता लगाने के लिये एक समिति गठित की है कि शहरी कूड़ा-कर्कट तथा मल (नाईट-सोयल) को किस सीमा तक आर्गेनिक खाद के रूप में उपयोग मे लाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति अपना प्रतिवेदन कब तक पेश कर देगी?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन छः महीने की अवधि अर्थात् 5 नवम्बर, 1972 तक देना अपेक्षित है।

अस्पताल प्रशासकों का संवर्ग

2107. **श्री अरविन्द नेताम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार अस्पताल प्रशासकों का संवर्ग बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अस्पताल में सुचारु रूप से चलाने संबंधी कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में दो कृषि विश्वविद्यालयों को स्वीकृति के लिए अनुरोध

2108. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में दो और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति देने का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

भारत के महान सपूतों के नाम तथा स्मृति से सम्बद्ध शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थान

2109. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक संस्थानों के नाम क्या हैं जो (1) महात्मा गांधी, (2) पंडित जवाहरलाल नेहरु, (3) मौलाना अब्दुल कलम आजाद, (4) सरदार वल्लभ भाई पटेल, (5) डा० राजेन्द्र प्रसाद, (6) डा० जाकिर हुसेन और, (7) लाल बहादुर शास्त्री के नामों तथा स्मृति के साथ जुड़े हैं और जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा (1) स्वयं चलाये जाते हैं, (2) स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से प्रबंधित है, (3) आंशिक रूप से वित्त पोषित हैं और (4) तदर्थ अनुदान पाते हैं;

(ख) भारत के महान स्कूलो के नामों से जुड़े इनमें से प्रत्येक संस्थान ने पृथक–पृथक अब तक (1) कितना वार्षिक व्यय किया और (2) अब तक कुल कितना व्यय किया;

(ग) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम तथा स्मृति से जुड़ी ऐसी ही अन्य संस्थाओं का पथक्–पृथक् (1) वार्षिक खर्च कितना है, (2) अब तक का कुल खर्च कितना है; और

(घ) सरकार का नेताजी के प्रति भेदभाव का रवैया होने के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंस्टीट्यूट आफ एडवांसड स्टडीज, शिमला, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय सरकार के पुस्तकालयों में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा और उन पर लिखी गई पुस्तकें

2110. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ एडवांस स्टडीज, शिमला के पुस्तकालय में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरु की तथा उन पर लिखी गई अधिकांश पुस्तकें उपलब्ध हैं, परन्तु नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की तथा उन पर लिखी गई कोई भी पुस्तक वहां नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की तथा उन पर लिखी गई पुस्तक उपलब्ध है, और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी पुस्तकालयों को नेताजी द्वारा लिखीत तथा उनपर लि ी पुस्तकें रखने के लिए सरकार निदेश देगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, नहीं। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के पुस्तकालय में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को तथा उनके बारे में लिखी गयी पुस्तकें शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक-एक प्रति प्राप्त करता है। केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय तथा दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय में भी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की तथा उनके संबद्ध में लिखी गयी पुस्तकें हैं।

वर्ष 1971-72 में अनाज के लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन में कमी और 1972-73 में अनाज के उत्पादन का अनुमान

2111. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में अनाज के उत्पादन में कमी से अनाज उत्पादन के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर आत्म निर्भरता संबंधी लक्ष्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो विदेशों से अनाज का आयत कब तक बन्द कर दिया जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1972-73 में अनाज का कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना, स्वीकृत नीति है और यह उद्देश्य किसी एक वर्ष के उत्पादन द्वारा प्रभावित नहीं होता है।

(ख) सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1972 से रियायती या वाणिज्यिक आधार पर खाद्यान्नों के आयात का कोई नया समझौता नहीं किया गया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान कई राज्यों में खरीफ की फसल सूखे से भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रभावित हुई है। इस प्रकार हुई हानि को पूर्ति के लिये कई निवारक उपाय किये जा रहे हैं। इनमें सब उपलब्ध स्रोतों से सिंचाई की व्यवस्था करना, जहां सम्भव हो फसलों का पुन-रौपण, अन्तरवर्ती अल्पकालीन फसलों को लगाना तथा सघन रबी/ग्रीष्म उत्पादन का व्यापक कार्यक्रम तैयार करना सम्मिलित है। फिर भी, अभी यह कृषि-वर्ष 1972-73 का प्रथम चरण है और इस समय खाद्यान्नों के उत्पादन का कोई अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है।

बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देनें के लिए योजना

2112. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने संबंधी योजनाएं तैयार की हैं, यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं के राज्य–वार आंकड़े क्या हैं ;

(ग) कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जा चुकी हैं और शेष योजनाओं के लिए क्या समय–सीमाएं रखी गई हैं ; और

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत कितने बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और उनके राज्य-वार आंकडे क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) : शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने तथा 1971–72 के दौरान शिक्षा के प्रसार के लिए मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत स्कूलों में अतिरिक्त निरीक्षक तथा अध्यापक नियुक्त करने, कार्य अनुभव शुरु करने , नि: शुल्क पाठ्यपुस्तकें और लेखन सामग्री देने, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त कक्षाओं के कमरे निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को सहायता दी जाती है। इस योजना के अधीन 1971–72 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को दी गई सहायता अनुबंध I में देखी जा सकती है। [ग्रंथालय में रख गया। देखिए संख्या एल० टी० 3387/72] 1971-72 के दौरान स्वीकृत किए गए तथा नियुक्त किए गए अध्यापको स्कूल निरीक्षकों तथा कार्य अनुभव अध्यापकों की संख्या का राज्य-वार विवरण भी सलग्न है (अनुबंध 2) ।[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०3387/72] 1972-73 के लिए, 30,000 अतिरिक्त अध्यापको, 240 स्कुल निरीक्षको को और अधिक नियुक्ती नि:शुल्क पाठयपुस्तकें तथा लखन-सामग्री के वितरण, यथा लगभग 9 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन देन 1000 स्कुलों में काय अनुभव शुरू करने तथा 30,000 कक्षाओ के कमरे निर्माण करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों को सस्तो कृतियां जारी कर दी गई है ।

हिन्दी तथा अन्य भाषाओं का बढ़ाया जाना

2113. **श्री समर गुह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे हिन्दी स्कूलों की संख्या कितनी है जिन्हें अहिन्दी भाषियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये पूरी या अन्शिक रुप से वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों में ऐसे हिंदी स्कूलों को (1) चलाने, (2) राज्य सहायता देने तथा (3) अन्य विभिन्न अनुदान देने के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) केन्द्र सरकार क्रमश: बंगाली, तमिल, तेलगु, मलयालम, उड़िया, असमिया, मराठी तथा कन्नड़ भाषा न जाननेवालों को उक्त भाषा पढ़ाने वाले कितने स्कूलों को स्वयं चला रही है अथवा उन्हें वित्तीय सहायता दे रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दी से इतर भाषाएं पढ़ाने पर पृथक्–पृथक कितनी राशि खर्च की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के०एस०रामास्वामी) : (क) अहिंदी भाषी लोगों को हिन्दी पढ़ाने के लिए यह मंत्रालय सीधा ही कोई स्कूल नहीं चलाता है। तथापि, "हिन्दी के प्रसार तथा विचकार के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान" देने की इस मंत्रालय की योजना के अधीन अहिंदी भाषी लोगों को हिन्दी पढ़ाने के केन्द्र चलाने के लिए ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। 1971–72 के दौरान ऐसे केन्द्रों की संख्या 2,000 के लगभग थी।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित प्रबंधों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई कुल वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :—

1969–70	12,51,717.00 रुपये
1970–71	12,73,281.00 रुपये
1971–72	15,05,067.00 रुपये

(ग) प्रादेशिक भाषाएं पढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार संघ कोई स्कूल नहीं चलाती : तथापि, इन भाषाओं के शिक्षण के लिए कक्षाएं चलाने वाले पांच स्वैच्छिक संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता दी गई थी।

(घ) चूंकि ये संस्थाएं उसी अनुदान में से सामान्यतया एक से अधिक भाषा के लिए कक्षाओं का आयोजन करती हैं, अतः प्रत्येक भाषा के पृथक-पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपर्युक्त (ग) में उल्लीखित प्रबंधो पर पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित खर्च किया गया :—

1969–70	8,753.00 रुपये
1970–71	29,500.00 रुपये
1971–72	2,477.00 रुपये

जिन भाषाओं के शिक्षण के लिए अनुदान दिए गए, वे यह हैं : असमी, उड़िया, तमिल, तेलगु, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, मराठी तथा बंगाली।

राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों का सम्मेलन

2114. श्री शशि भूषण :

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जून, 1972 को हुए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों, प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारियों और परिवार नियोजन अधिकारियों के सम्मेलन में गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम को लागू करने और इसको क्रियान्वित करने में राज्यों के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार किया गया था ;

(ख) राज्य सरकारों को इस बारे में सरकार क्या विशेष सुविधाएं प्रदान कर रही है ;

(ग) क्या सब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने, ऐसी संस्थाओं को जहां गर्भपात करवाया जा सके तथा इस कार्य करने के लिये चिकित्सकों को स्वीकृति देने के लिये, अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित बोर्डों की स्थापना कर दी है, क्या इस प्रयोजन के लिए कोई फीस निर्धारित की गई है ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये बोर्डों द्वारा स्वीकृत संस्थाओं और चिकित्सकों का व्यापक प्रचार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम को लागू करना एक स्वास्थ्य संबंधी उपाय है और जैसा कि वे अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में करते हैं, राज्य सरकारों को गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम को लागू करने के लिए भी अपने बजट से विशष सविधाएं देनी होंगी। फिर भी, वर्तमान सुविधाओं आदि के विस्तार के लिए कुछ केन्द्रीय सहायता देने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। अब तक 14 राज्यों और 4 संघ शासित क्षेत्रों ने ऐसे बोर्डों का गठन किया है। इस कार्य के लिए कोई फीस निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) प्रचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

दिल्ली में पब्लिक स्कूलों को अधिकार में लना

2115. **श्री शशि भूषण : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पब्लिक स्कूलों को अधिकार में लेने का मामला कुछ समय से सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या निर्णय लिया गया हैं।

(ख) क्या सरकार को दिल्ली में पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो शिकायतों का स्वरुप क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि उपर्यूक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) नई दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल के विरुद्ध कुछ आरोप प्राप्त हुए थे। ये 1965 में कथित अनाधिकृत संग्रह किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, जवान निधी, तथा स्कूल के प्राधिकारियों द्वारा स्टाफ, के कुछ सदस्यों की अनियमित सेवा समाप्ति के बारे में थे। दिल्ली के पुलिस महानिरीक्षक से जाँच पड़ताल करने तथा इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) ऐसा करने के लिए सरकार के पास कोई कानूनी प्राधिकार नहीं है।

नकली औषधियों की बिक्री

2116. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नि र्जन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दे श में नकली दवा बचने के आरोप में कितने औषध विक्रेताओं पर मुकदमा चलाया गया और उनके नाम क्या है; और

(ख) क्या वर्तमान कानून में संशोधन करने अथवा इस संबंद्ध में कोई विधान बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है, जिससे रोगियों को शुद्ध औषधियां मिल सके और दोषी व्यक्तीयों को कठोर दण्ड दिया जा सके।

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) औषधी एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में गलत-मार्का तथा मिलावटी औषधियों के निर्माण तथा विक्री संबंधी अपराधों के लिए कठोर दण्ड देने की व्यवस्था पहले से ही है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा बारानी खेती सम्बन्धी परीक्षण

2117. **श्री झारखंडे राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में बारानी खेती में सुधार लाने हेतु परीक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। अक्तूबर, 1970 से वारानी भूमि विषयक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। यह परियोजना, देश में विभिन्न कृषि जलवायु संबंधी परिस्थितियों का प्रतिरूप करने के लिये और बारानी भूमि परिस्थितियों के अंतर्गत उत्पादन में सुधार लाने के लिये, अनुसंधान कार्यक्रम उद्देशों द्वारा तकनालोजी विकास के लिये 24 चुनींदा केन्द्रों में कार्य कर रही है। परिषद के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और अन्य समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं में भी अनुसंधान किया जा रहा है, यह कार्य विशेषकर बारानी भूमि परिस्थितियों के अंतर्गत अखिल भारतीय समन्वित कृषि सस्य परीक्षण योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में सुधार लाने के लिये किया जा रहा है।

(ख) बारानी भूमि कृषि विषयक सधन अनुसंधान प्रयासों की अल्प अवधि के अंतर्गत अनेक उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए है और उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं :–

(1) आंध्र प्रदेश, मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी भारत के कुछ भागों के अधिकतर शुष्क क्षेत्रों में सरजमखी की खेती काफी अच्छी फसल सिद्ध हो रही है।

(2) वारानी भूमि की परिस्थितियों के अंतर्गत, संकर बाजरा एचबी–3, एच बी–1 किस्म से 32 प्रतिशत से ज्यादा उपज प्राप्त होती हैं जो स्थानीय चयनों से उत्तम है।

(3) अपलैंड डिल्ड राइस की तरह नया, सी आर 44–1, कृष्णा, कावेरी और वाला किस्मों की खेती अच्छी रहती है।

(4) लोबिया, सी 152 की फसल वर्षा सिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत काफी अच्छी रहती है।

(5) बीजापुर और बेलारी क्षेत्र में काली कपास के क्षेत्र में सितंबर में बोई गई रबी 'ज्वार' के अनुसंधान परिणाम अक्तूबर से अधिक अच्छे रहते है।

(6) बारानी भूमि केवल प्यासी ही नहीं है, बल्कि भूखी भी है और उर्वरक का उपयोग होने से वे भलीभांति सूखे का सामना कर सकती है और उपज भी ज्यादा प्राप्त होती हैं।

हरियाणा में "बीरबल का छत्ता" नामक स्मारक

2118. **श्री झारखंडे राय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ीरबर का छत्ता कहलाने वाले एक मध्यकालीन स्मारक के हरियाणा राज्य में नारनौल में विद्यमान होने के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या यह स्मारक अब तक उपेक्षित दशा में है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार का विचार इस स्मारक को संरक्षण के लिए कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां । यद्यपि, जनसाधारण में "बीरबल का छत्ता" प्रसिद्ध है, किंतु इस स्मारक का निर्माण राय मुकन्द दास ने कराया था, जो शाहजहां के राज्य काल में नारनोल के राज्यपाल थे ।

(ख) और (ग). चूंकि यह स्मारक हरियाणा सरकार के संरक्षण में है अतः केन्द्रीय सरकार उस सरकार से इसके उचित संरक्षण हेतु उपयुक्त कदम उठाने के लिए अनुरोध कर रही है ।

चावल उत्पादक क्षेत्रों में कृषि क्रांति पर रासायनिक उर्वरकों की कमी का प्रभाव

2119. **श्री झारखेंडे राय** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के चावल उत्पादक क्षेत्रों में कृषि क्रांति लाने की सरकार की योजना पर रासायनिक उर्वरकों की वर्तमान कमी का कितना प्रभाव पडेगा; और

(ख) चावल उत्पादक क्षेत्रों में उर्वरकों की कमी से उत्पन्न हुई कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि उर्वरकों की कमी की संभावना के फलस्वरूप अधिक उत्पादनशील किस्म के चावल के उत्पादन को कितनी क्षति पहुचेंगी । उर्वरक आपूर्ति के मामले में अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रमों की प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये है :

(1) राज्यों से कहा गया है कि वे केवल प्राथमिकता वाली फसलों के प्रयोग के लिये ही उर्वरक की योजनाएं तैयार करें और उसके अनुसार ही उर्वरक के वितरण का प्रबंध करें ।

(2) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिय गये मार्गदर्शनों के आधार पर अच्छी जुताई, पानी का अच्छा प्रबंध और वनस्पति संरक्षण, अच्छी निराई और संतुलित उर्वरीकरण अदि विभिन्न उपायों को अपनायें ।

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश जारी कर दि गये है जिसके अनुसार उत्पादकों क लिय वधानिक रूप से आवश्यक है कि व क्षेत्रीय संमेलन में वायदा की गई उर्वरकों की मात्रा राज्यों को सप्लाई करे । इसस यह सुनिश्चित हो जायगा कि प्रत्यक राज्य की आपूर्ति समान रूप स हो सके ।

(4) सहकारी संस्थाओं व कृषि उद्योग निगमों आदि के माध्यम से वितरण करने के लिये, सरकार ने देश में उत्पादित अमोनियम सल्फेट का 30 प्रतिशत भाग अपने हाथ में ले लिया है। यह मात्रा प्राथमिकता फसलों व क्षेत्रों में प्रयोग की जायेगी ।

(5) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सहकारी तथा प्राइवेट विक्रेताओं के गोदामों में उपलब्ध भंडारों की ध्यानपूर्वक माल सूची तैयार करें जिससे कि उपलब्ध उर्वरकों का अधिकतम उपयोग किया जा सके ।

रूमानिया द्वारा जहाजों की डिलिवरी

2120. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानियां में तय-शुदा मूल्य पर भारत को दस जहाज देने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) रूमानियां के पोत निर्माताओं ने निम्नलिखित बताये गये कारणों से तयशुदा मूल्य पर 10 जहाजों की सुपुर्दगी करने मे अपनी असमर्थता प्रकट की है :–

(1) करार पर हस्ताक्षर होने के पश्चात पूर्जी और सामान की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है और उनके प्रथम अनुमानों तथा वास्तविक मूल्यों जिनका अब भुगतान करना है, के बीच काफी अन्तर था ।

(2) श्रम लागतों में सतत बढती हुइ प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी ।

(3) तकनीकी पत्रों को अंतिम रूप देते समय मूल विशिष्टियों में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया था जिनके कारण जहाज और भी महंगे हो गये है।

परंतु अब एक मैत्रीपूर्ण समझौता हो गया है ।

कलकत्ता पतन क्षेत्र मे छिटपुट चोरी

2121. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पतन क्षेत्र में छिटपुट चोरी को रोक दिया गया है और अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा कुछ तस्कर गतिविधियों का भी पता चला है; और

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) . पत्तन के क्षेत्र में निषेधात्मक उपायों के तेज करने, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आगमन से और सीमाशुल्क गोदी गुप्तचर यूनिट की स्थापना के परिणामस्वरूप कलकत्ता पत्तन में उठाई गीरी की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है और तस्करी के कई

प्रयत्न विफल कर दिये गये हैं। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उठाईगीरी के मामलों में अगस्त, 1971 से जून, 1972 के दौरान 348 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने जब से अगस्त, 1971 से गोदियों और जेट्टियों का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है तब से 24 व्यक्तियोंको तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किया गया है।

गोपालपुर लघु पत्तन का निर्माण कार्य

2123. **श्री अर्जन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु पत्तन के स्थापना स्थल में परिवर्तन के सुझाव को ध्यान मे रखते हुये, गोपालपुर में 2.75 करोड रुपये की लागत वाले लघु पत्तन का निर्माण कार्य तुरंत आरंभ करने का है, और

(ख) यदि हां, तो लघु पत्तन का निर्माण कार्य कब तक समाप्त करने की योजना है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक विशेषज्ञ समिति ने गोपालपुर के छोटे पत्तन के विकास का अध्ययन किया और जिसने मौजदा लगून में इसकी स्थापना की सिफारिश की। इस संबंध में केन्द्रीय जल और शक्ति अनुसंधान केन्द्र से अभी तक जल सर्वेक्षण अध्ययन के परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। उडीसा सरकार से विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सामग्री की भी प्रतीक्षा की जा रही है। इस बीच, राज्य सरकार ने एक वैकल्पिक स्थान का सुझाव दिया है। नये प्रस्तावों, जल सर्वेक्षण अध्ययन के परिणाम और वकल्पिक स्थान विषयक की गई अन्य जांचों के संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। चूंकि योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अतः इसकी पूरे होने की तारीख के बारे में कुछ भी कहना समय पूर्व होगा।

बालासौर उड़ीस में चांदवाली पत्तन के विकास कार्य पर खर्च की गई धन राशि

2124. **श्री अर्जन सेठी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या उडीसा में बालासौर जिले में चान्दवाली पत्तन के विकास कार्य के लिये दूसरी योजना के अन्तर्गत जो 23000 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी उसे वास्तव में खर्च किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या है जिन पर स्वीकृत धनराशि खर्च की गई थी ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख) . उडीसा सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है, जोकि चंदवाली के छोटे पत्तन की कार्यकारी प्रभारी है। उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के द्वारा विदेशी सहायता पाने वाले विकासशील देश

2125. श्री अर्जन सेठी :
श्री पीलू मोदी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि 1 जुलाई 1972 के 'हिंदुस्थान टाईम्स' में प्रकाशित हुआ था क्या यूनेस्को के साथ सहयोग संबंधी आयोग के दसवें संमेलन में उन्होंने कहा था कि विकासशील देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को जैसी एजेंसियों के द्वारा विदेशी सहायता लेने पर ऐसी सहायता लेने वाले देश का अक्सर शोषण हो जाता है; और

(ख) उनके वक्तव्य की अन्तर्निहित बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जो मंत्रीजी ने कहा था वह इस प्रकार है :– "संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से बहुपक्षी सहायता सामान्यतः बिना शर्त की होनी चाहिए, किन्तु यह सहायता लेने वाले देश के शोषण में बहुधा सहायक भी होते है।

(ख) मंत्री जी के भाषण के अन्य भागों में इस तात्पर्य को स्पष्ट किया गया है, जिसमें यह वर्णन करते हुए कि यूनेस्को की सफलताएं यद्यपि सीमित है किंतु वे अभी भी स्मरणीय है, मंत्री जी ने कहा था कि "विकास शील देशों को यूनेस्को द्वारा दी गई प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता इस प्रकार की है जिससे विकास शील देशों यद्यपि सदैव नहीं किंतु अक्सर लाभान्वित नहीं होते। संस्थानों का निर्माण और संरचनात्मक ढांचा लगभग पूरे का पूरा विदेशों से उधार लिया होता है जिसका देशी समस्याओं के साथ अक्सर नहीं के बराबर संबंध होता है। और देशी वैज्ञानिक तथा प्रोद्योगिक प्रयास केवल उनके अनुसेवी रह जाते है।" मंत्री जी का अभिमत यह था कि यूनेस्को के कार्यक्रमों का इस प्रकार पुनः अनुस्थापन किया जाय जिससे विकास शील देशों की राष्ट्रीय विकास और आपसी सहयोग उनकी क्षमता और पूर्ण रूप से उपयोग करने में सहायता की जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि यूनेस्को को ऐसी कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए जिनका तीव्रकारी प्रभाव हो। जिनका संबंध शिक्षा और विज्ञान निर्माण की उत्पादिता से हो जो किस्म के सुधार में सहायक हो और जो विकास शील देशों को को यथा शीघ्र अपनी विशेषज्ञता को विकसित करने में सहायक हो।

दिल्ली दुग्ध योजना के पूर्णकालिक दुग्ध स्टालों पर कार्य करने वाले विक्रय कर्मचारियों (सेल्स अटेन्डेन्टस) के वेतनमानों का पुनरीक्षण

2126. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना के पूर्णकालिक दुग्ध स्टालों पर काम करने वाले विक्रय कर्मचारियों के पद के वेतन मान का पुनरीक्षण करने का है क्योंकिउस पर रुपये पैसों का लेन देन करने का उत्तरदायित्व है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख). सही पदनाम विक्रय सहायक है न कि विक्रय परिचारक। विक्रय सहायक के वेतन मान परिशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विक्रय सहायक स्टालों के प्रबंधकों की सहायता करते है और काऊंटर पर सेवा का कार्य करते है। वे रुपयों का लेन देन नहीं करते है। इस पद के कार्य ऐसे नहीं है जिससे कि वेतन-मान में कोई परिशोधन किया जाये।

विभिन्न कार्यालयों में दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कार्य-घंटे

2127. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले स्टालों के कार्य घंटे उन सरकारी कार्यालयों के कार्य घंटों की अपेक्षा अब भी आधा घंटा अधिक है जिनके भवनों में ये स्टाल स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हे प्रतिदिन आधा घंटा अधिक काम करने पर समयोपरि भत्ता दिया जाता है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार उक्त स्टालों के कार्य घंटे उन कार्यालयों के कार्य घंटों के बराबर निश्चित करने के बारे में विचार कर रही है जिनके भवनों में वे स्थित है, और यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। दिन में 7½ घंटे कार्य करने पर ये कर्मचारी समयोपरि भत्ते के अधिकारी नहीं हो जाते।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना यद्यपि केन्द्रीय सरकार का विभाग है, फिर भी यह मुख्यत: एक वाणिज्यिक संस्था है, जो कि दुग्ध परिसंस्करण दूध तथा दुग्ध उत्पादों के विक्रय का कार्य करती है। सारे दिन खुल रहने वाले दुग्ध स्टाल जिन मंत्रालयोमें स्थित है मुख्यत: वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है। यह स्टाल कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिये मंत्रालयों के कार्य के समय से 15 मिनट पहले खोले और 15 मिनट बाद बंद किये जाते है। तथापि सारे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का कार्य समय और काम करन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

आंत्रशोथ और हैजे के मामले

2128. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस ग्रीष्म ऋतु में आंत्रशोध और हैजे के कितने मामलों की सूचना मिली;

(ख) क्या इस वर्ष आंत्रशोध और हैजे की घटनाओं की संख्या वर्ष 1971 की तुलना में बहुत अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है; और

(घ) जनहित को ध्यान में रखते हुए इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जुलाई, 1972 के अन्त तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से 72,533 व्यक्तियों की हैजा और आंत्रशोध होने की सूचना मिली है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उडीसा, तामिल नाडू, उत्तर प्रदेश राज्यों और दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र से इन रोगों की घटनाओं में वृद्धि होने की सूचना मिली है। सुरक्षित पेय जल की कमी तथा बाद में सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाना इसके मुख्य कारण हैं।

(घ) पेय जल स्त्रोतो के क्लोरीनीकरण, रोगियों का पृथक्करण और इलाज हैजा निरोधी प्रतिरक्षण व्यापक अभियान, जन स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि जैसे आवश्यक रोग निरोधी उपाय बरते जा रहे हैं।

सरकारी बस्तियों के सफाई कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौपना

2129. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों के सफाई कार्य को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौपा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नही है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सिर पर मल और कूड़ा ढोना

2130. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सफाई कर्मचारियों द्वारा सिर पर मल और कूड़ा ढोने के व्यवसाय को समाप्त करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रथा कब तक समाप्त हो जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस संबंध में कोई समय सीमा निश्चित करना संभव नहीं है ।

वर्ष 1973 में चीनी का अकाल

2131. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के भूतपूर्व प्रधान, श्री एम० के० सोमय्या द्वारा दिये गये उस वक्तव्य के बारे में, जिसमें उन्होनें कहा है कि आगामी वर्ष भारत को चीनी के अभूतपूर्व अकाल का सामना करना पडेगा, यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : "फाइनैन्सिल एक्सप्रेस" के दिनांक 19 जुलाई, 1972 में दो दिन पूर्व दिए गए प्रकाशित वक्तव्य की पूर्व रिपोर्ट में कुछेक अशुद्धियों का उल्लेख करते हुए श्री सोमय्या ने उस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख कर स्पष्ट किया है कि :-

(1) क्यों कि इस समय गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में लगभग 7-1/2 प्रतिशत की सीमांत बढ़ोतरी हुई है इस लिए अगले वर्ष मामूली अधिक फसल होने की आशा है ।

(2) योग्य प्रेक्षकों की राय मे अगले वर्ष 35 लाख मीटरी टन से अधिक चीनी का उत्पादन नहीं होगा ।

(3) यदि सरकार गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाती जिससे गन्ना उत्पादकों को अधिक लाभकारी मूल्य मिल सके तो चीनी की अत्यधिक कमी पैदा हो जाएगी; और

(4) यह कहना पूर्णतया ठीक नहीं कि उन्होंने सरकार की कार्यवाही को अदूरदर्शी कहा था और की उन्होंने केवल यह बताया था कि सरकार की नीतियां चालू स्थिति की प्रतिक्रिया के फल-स्वरूप बनाई गई थी न कि दीर्घकालिक नीति के परिणामस्वरूप ।

चीनी के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से 1972-73 के लिए चीनी और गन्ने के लिए नीति पर विचार विमर्श पहले से ही अंतिम दौर में चल रहा है। 1972-73 में जो नये चीनी कारखाने उत्पादन कार्य शरू करने वाले है उनके शुरू करने में तथा जिन पुराने कारखानों ने विस्तार कार्यक्रम बनाया है उनकी प्रगति में तेजी लाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है।

महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री द्वारा चीनी सम्बन्धी नई नीति की आलोचना

2132. श्री रामकंवर :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री श्री. वाई० जे० मोहिते द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है (1 जुलाई, 1972 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित) जिस में उन्होंने भारत सरकार की चीनी संबंधी नई नीति को "अयुक्तिक और गलत" बताया है;

(ख) क्या भारत सरकार ने श्री मोहिते के वक्तव्य की सावधानी से जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). चीनी की सांविधिक आंशिक नियंत्रण की नई नीति जोकि पहली जुलाई, 1972 से अस्तित्व में आई थी, मूलत: अनौपचारिक रूप से तथा तयसुदा प्रबंध को जारी रखने की है जो कि पहली जनवरी, 1972 से छः मास के लिये किया गया था । क्योंकि उद्योग के एक वर्ग ने 30 जून, 1972 के बाद इस अनौपचारिक प्रबंध को जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की इस लिए सरकार के लिए अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अधीन लेवी चीनी सप्लाई (नियंत्रण) आदेश, 1972, चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश 1972 और अन्य सहायक आदेश जारी करने आवश्यक हो गए । क्यों कि चीनी का मूल्य अधिनियम के अधीन अन्य बातों के साथ साथ गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य के

आधार पर निर्धारित करना पड़ता है। इसलिए अधिकांश जोनों में चीनी के अधिसूचित निकासी मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल से कम निकाले गए थे। यह मूल्य अनौपचारिक प्रबंध के अधीन एक समान था। भारत सरकार यह महसूस करती है कि उद्योग के एक वर्ग के अनौपचारिक प्रबंध से निकलने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों में उन्होंने जो कार्यवाही की, वह अनिवार्य और सही थी।

वसूली की चीनी के क्रय मूल्य निर्धारित करने के परिणाम

2133. **श्री रामकंवर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जून 1972 के 'इकानामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूली की चीनी के क्रय मूल्य निर्धारित करने के परिणामस्वरूप उचित मूल्य की दुकानों में चीनी के वितरण की स्थिति अव्यवस्थित हो जायगी; और

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कुछेक चीनी फैक्ट्रियों ने वास्तव में न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की है और अन्तरिम आदेश प्राप्त किए है जिससे सरकार चीनी (मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 को लागू नहीं कर सकती है लेकिन फैक्ट्रियों को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य और उनके द्वारा वास्तव में बेची गयी चीनी के मूल्य के बीच अंतर के लिए बैंक गारन्टी प्रदान की गयी है। इस घटना से कुछक क्षेत्रों में चीनी के मूल्य और उसकी मात्रा के बारे में लेवी चीनी की वितरण प्रणाली के कार्यचालन में विघ्न पड़ा है। कुल मिला कर, जुलाई, 1972 के दौरान फैक्ट्रियों ने लेवी चीनी का लगभग 90.3 प्रतिशत प्रेषित कर दिया है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अन्तर्गत आने वाली फैक्ट्रियां के मामलें में जुलाई, 1972 की लेवी चीनी की निर्मुक्ति की वैध अवधी तीन सप्ताह तक बढ़ा दी गयी है।

कृषि भूमि की चकबन्दी के लिये कार्यवाही

2134. **श्री वी० वी० नायक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि भूमि की चकबन्दी के लिये केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) विभिन्न राज्यों में कितने छोटे भूमि खण्ड के आगे उप-विभाजन पर कानूनया प्रथा द्वारा रोक लगाई गई है; और

(ग) क्या कृषि जोतों के आगे उप विभाजन और छोटे टुकड़े करने को रोकने के लिये कृषि भूमि उत्तराधिकार संबंधी विधियों में संवैधानिक अथवा अन्य प्रकार से संशोधन करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भूमि की चकबन्दी से संबंधित कार्यक्रम पर काफी बल दिया गया है। चौथी योजना के दौरान राज्यों द्वारा 9.4 लाख हैक्टर क्षेत्र में चकबन्दी करने के लिये 28.76 करोड रुपये का उपबंध किया गया है। पंजाब और हरियाणा में भूमि की चकबंदी का कार्य पूरा हो गया है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफी प्रगति हुई है। विभिन्न राज्यों में अब तक की गई प्रति प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों में निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र से छोटी जोतों के उपविभाजन और छोटे टुकड़े होने से बचाने के लिये कानूनी व्यवस्था की गई है:

आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र)
असम
बिहार
गुजरात
हरियाणा
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मैसूर
पंजाब
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
पश्चिम बंगाल
मणिपुर और
त्रिपुरा

(ग) इस समय संविधान में संशोधन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

राज्य	चकबंदी का क्षेत्र (हजार हैक्टर)	को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित जानकारी
आंध्र प्रदेश . .	36	1971
बिहार . .	70	1971
गुजरात	1028	सितम्बर, 1971
हरियाणा . .	4129	मार्च, 1972
जम्मू और काश्मीर .	33	मार्च, 1972
मध्य प्रदेश . .	3179	मार्च, 1972
महाराष्ट्र . .	7584	मार्च, 1972
मैसूर . .	803	मार्च, 1972
पंजाब . .	4737	मार्च, 1972
राजस्थान . .	1744	1971
उत्तर प्रदेश . .	10663	मार्च, 1972
दिल्ली . .	8	1971
हिमाचल प्रदेश .	360	1972

परिवार नियोजन का लागत लाभ अनुपात

2135. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लूप, गर्भ निरोधकों और नसबंदी जैसे परिवार नियोजन के उपायों का लागत लाभ अनुपात कितना है; और

(ख) लागत लाभ अनुपात की कैसे गणना की जाती है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) परिवार नियोजन की अलग-अलग विधियों के लागत लाभ अनुपात का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न अनुसंधान कार्यकर्ताओं ने कुछ प्रयत्न किए है । ये संलग्न सारणी में दिए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3388/72]**

(ख) लागत लाभ का अनुपात निकालने के लिए परिवार नियोजन के तरीके से रोके जाने वाले एक जन्म का आर्थिक मूल्य किसी वर्ष विशेष में रोके गए प्रत्येक जन्म पर हुए अनुमानित खर्च के आधार पर निकाला जाता है । लागत लाभ अनुपात का हिसाब लगाने की क्रियाविधियों तथा लागत प्रभावकारिता के विभिन्न तरीकों के बारे में जनसंख्या/परिवार नियोजन रिपोर्ट संख्या 6 फरवरी, 1971 में निहित डाक्टर वारेन सी० राबिन्सन के "जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक कल्याण" शीर्षक लेख में काफी विस्तार से दिया हुआ है ।

शक्ति-चालित हल के लिये उपयुक्त न्यूनतम भूमि

2136. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शक्ति चालित हल द्वारा लाभप्रद खेती करने के लिए स्टैण्डर्ड एकड़ के आधार पर आगणित न्यूनतम जोत का आकार क्या है; और

(ख) कम से कम कितनी भूमि पर शक्ति चालित हल चलाया जा सकता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) पावर टिलर द्वारा लाभप्रद खेती करने के लिये जोत के न्यूनतम आकार के निर्धारण के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) भूमि की जोत का आकार, जिस पर कि पावर टिलर का उपयोग किया जा सकता है, पावर-टिलर के आकार पर निर्भर करती है । नियमित खेती के लिये लगभग 8 × 6 मीटर खेती में सुगमता से पावर टिलर का प्रयोग किया जा सकता है ।

छोटे किसानों के विकास के लिए गठित अभिकरणों में निदेश

2137. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने देश में छोटे किसानों के विकासार्थ गठित अभिकरणों में राज्यवार कितनी पूंजी लगाई है ;

(ख) क्या इन अभिकरणों का प्रबंध स्वयं छोटे किसानों द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो उन का गठन, उनके कृत्य और कार्यविधि क्या है; और

(ग) क्या 'छोटे किसान' शब्द की परिभाषा प्रत्येक राज्य में निर्धारित कर ली गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और प्रत्येक राज्य से छोटे किसानों से सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटान की स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) लघु कृषक विकास एजेंसियों को 9 अगस्त, 1972 तक निर्युक्त की राशि कर राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3389/72]**

परियोजना के दौरान प्रत्येक लघु कृषक विकास एजेंसी को लगभग 150 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त होगा ।

(ख) जी नहीं । ये ऐजिसियां सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और सामान्यता जिलाधीश/उपायुक्त इसके अध्यक्ष होते है। ऐजेंसियों में लघु कृषकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। एजेंसी का प्रारुप संविधान संलग्न है। विवरण –II) **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3389/72]**

(ग) लघु कृषक उन कृषकों में से से छांटे जाते हैं जिनके पास सामान्यतया एक और तीन हैक्टार के मध्य जोत हों ।

समस्त एजेंसियों के कार्यालयों में लघु कृषकों से सहायता के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के निपटारे का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम पर राज्यों द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय

2138. श्री वयालार रवि : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों ने ग्रामीण रोजगार योजना संबंधी द्रुत कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित राशि से अधिक व्यय किया और किन राज्यों ने वर्ष 1971–72 में आबंटित राशि से कम व्यय किया है ; **और**

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु के राज्यों ने ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित धनराशि से अधिक व्यय किया है। बाकी राज्यों ने उन्हें आबंटित की गई धनराशि से कम व्यय किया है।

(ख) कुछ राज्य कई कारणों से उन्हे आबंटित की गई पूरी धनराशि व्यय नहीं कर सके । चूंकि 1971–72 ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष था, अतः विभिन्न प्रशासनिक तथा कार्यविधि समस्याएं हल की जानी थीं । इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के लिए भारत पाक संघर्ष, शरणार्थियों के आगमन आदि से उत्पन्न विशेष समस्याएं थीं । सभी राज्य सरकारों से 1972–73 में इसकी गति तेज करने का अनुरोध किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें ।

Provision for more Bridges on the Jamuna for the people coming from Shahdara

2139. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the passengers coming from Shahdara, Gandhinagar and Krishnanagar to Chandni Chowk, Delhi have to wait for hours for crossing Jamuna on account of heavy rush; and

(b) if so, the efforts made by Government to save their time and to provide facilities in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Om Mehta) (a) : Presumably the Hon'ble Member is referring to the congestion at the rail-*cum*-road bridge across Yamuna. It is true that there is traffic congestion on this bridge.

(b) To ease congestion to traffic crossing Yamuna river near Delhi, Government have already completed the construction of bridges at the following places:

(i) 2-lane barrage-*cum*-road bridge near Wazirabad;

(ii) 4-lane barrage-*cum*-road bridge near 'C' Power Station; and

(iii) 4-lane bridge near Humayun Tomb on the Bye-pass to Delhi, National Highway-24.

Besides the above, three boat or pontoon bridges were also being erected during fair weather.

Regularisation of unauthorised Trans-Yamuna Colonies

2140. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) when the work relating to regularisation of unauthorised trans-Yamuna colonies was taken in hand; and

(b) the progress made in this regard so far?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Prof. D. P. Chattopadhyaya): (a) The work relating to regularisation of unauthorised colonies of trans-Yamuna area was taken up in 1970.

(b) 34 colonies conforming to the land use have been regularised.

Setting up Hospital in Trans-Yamuna area in New Delhi

2141. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether there is any scheme to set up a big hospital in trans-Yamuna area in Delhi; and

(b) if so, whether work on this hospital has since started?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) Yes, Sir. It has been decided to set up a 500 bedded Hospital in Shahdara.

(b) Land measuring 45 acres has been acquired. It has been decided to have a medical college-*cum*-Hospital Complex in Shahdara for which preliminary meetings to lay guidelines etc. have already taken place.

Criteria adopted for opening Dispensaries in Delhi

2142. Shri Phool Chand Verma Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the criteria adopted for opening Dispensaries at various places;

(b) the number of small and big hospitals functioning in Delhi State at present; and

(c) the number of hospitals out of them where doctors are not available or are on leave; and the number of hospitals, out of them, where there is only one doctor?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) There is no uniform criteria adopted for opening dispensaries. Delhi Administration sets up one dispensary for 25,000 of population. At present preference is being given to Jhuggi-Jhompri areas and localities where low income group people live.

(b) There are 50 big and small hospitals in Delhi.

(c) None of the hospital is without doctors. Poor House Hospital under Delhi Administration is the only hospital with one doctor. Substitute is always provided in case the Medical Officer cannot attend his duty.

कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के नये तरीकों में प्रशिक्षण

2143. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दस जिलों में पुरुष तथा महिलाओं सहित लगभग चौदह लाख किसानों को कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के नये तरीकों में प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन जिलों के नाम क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षण योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन संबंधी प्रयत्नों को अत्यावश्यक समर्थन देने के लिये देश में 100 जिलों का चुनाव किया गया है। 30 जून, 1972 तक प्रशिक्षित कृषकों (पुरुष तथा महिलायें) की कुल संख्या लगभग 14 लाख है जिसका विस्तृत ब्यौरा अनुबन्ध 1 में दिया गया है **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3390/72]**

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले 100 जिलों के राज्यवार नाम अनुबन्ध 2 में दिये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3390/72]**

भारतीय नौवहन निगम और गैर सरकारी क्षेत्र में भारतीय नौवहन की आय

2144. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम को वित्तीय वर्ष 1971–72 में 7.25 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौवहन की सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में टनभार क्षमता कितनी है ; और

(ग) क्या भारतीय नौवहन के गैर सरकारी क्षेत्र की तुलनात्मक आय अधिक है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। यद्यपि 1971–72 वर्ष का तुलनपत्र अभी प्रकाशित नहीं हुआ है तथापि शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया को 1971–72 के दौरान लगभग 7.25 करोड़ रुपये का लाभ होने का अनुमान है।

(ख) 31-3-72 सभी भारतीय नौवहन कंपनियों का कुल परिचालनात्मक टनभार निम्न प्रकार था :—

निजी क्षेत्र . . .	12,95,314	जी आर टी
सरकारी क्षेत्र . .	12,25,106	जी आर टी
कुल .	25,20,420	जी आर टी

(ग) जी, नहीं। पिछले 10 वर्षों के लिये निकाली गई कुल लगाई गई पूंजी पर शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का लाभ औसतन 8.17 प्र० श० आता है जो ऐसे ही परिचालन में लगे तुल्य आकार के अन्य निजी क्षेत्र की नौवहन कंपनियों के लाभ से अधिक है।

मैसूर में मछली पकड़ने सम्बन्धी परियोजना को अन्तिम रूप देना

2145. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री मैसूर में गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग का विकास करने के बारे में 3 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1735 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मालपेर और होनावार पत्तनों का मछली पकड़ने संबंधी परीयोजना के रूप में विकास करने और कारबार में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में मछली पकड़ने की सुविधाओं की व्यवस्था करने और मछलियों के परिरक्षण के बारे में आगे क्या प्रगति हुई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : विश्व बैंक की सहायता से मालपेर होनावार तथा कारबार में मीन-उद्योग विकास के लिए मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना, ऐसी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता की शर्तों का प्रश्न विचाराधीन है। इस दौरान मालपेर तथा होनावार पर मीन-उद्योग बन्दरगाहों के लिए योजनाओं तथा प्राक्कलनों सहित मीन-उद्योग बन्दरगाहों के निवेशपूर्व सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना द्वारा तैयार की जा चुकी है। मालपेर तथा होनावार के लिए प्रस्तावित ग्रीन-उद्योग की अनुमानित लागत क्रमशः 275-00 लाख रुपये और 41-45 लाख रुपये है। वित्त मंत्रालय के परामर्श से इन बन्दरगाहों की स्वीकृति पर विचार किया जा रहा है। जहाँ तक कारबार मीन-उद्योग का संबंध है, वर्ष 1967 और 1972 के दौरान भारत सरकार द्वारा अब तक 25.9 लाख रुपये की कुल राशि स्वीकृति की गई है। कारवार में प्रदान की गई सुविधाओं में वार्फ, स्लिपवे तथा नीलम-कक्ष शामिल है, भारत नार्वेजियन करार के उपबन्धों के अधीन मछुवा प्रशिक्षण केन्द्र, नाव निर्माण यार्ड स्टेशन, एक हिम संयंत्र तथा शीत भंडार एवं स्तम्भन-संयंत्र की व्यवस्था की गई है।

तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने की क्षमता सम्बन्धी दीर्घावधि विकास कार्यक्रम

2146. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों के हजारों मील तटवर्ती क्षेत्र के साथ-साथ मछली पकड़ने की क्षमता का पता लगाने संबंधी दीर्घावधि कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : हमारे समुद्रों के मत्स्य संसाधनों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से गहन समुद्र सर्वेक्षण संगठन (वर्ष 1946 में संस्थापित) केन्द्रीय समुद्रीय मात्स्य की अनुसंधान संस्थान (वर्ष 1947 संस्थापित) तथा भारत-नार्वे परियोजना के समन्वय से समन्वेषी तथा प्रयोगात्मक मात्स्य ग्रहण और जैविक तथा

समुद्र–विज्ञानीय अध्ययन का कार्य सतत रूप से कर रहा है। 25 फैदम (150 फुट) तक की गहराई के संसाधनो का विवरण तैयार करने का कार्य विस्तृत रूप से कर लिया गया है और कुछ क्षेत्रों में तो समन्वेषी कार्य लगभग 40 फैदम की गहराई तक किया गया है। पश्चिम में मंगलौर से लेकर पूर्व में मंडपम तक समुद्र तट के दक्षिणी क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य और अधिक गहराई तक किया गया है और 100 से 225 फैदम के मध्य गहरे समुद्र में रहने वाली श्रिम्प तथा लोवस्टर मछलियों के महत्वपूर्ण संसाधनों का पता लगा है। अब तक पानी के तले अर्थात् समुद्र तल पर रहने वाली मछलियों पर ही बल दिया जाता रहा है । अब नलप्लासी मछलियों अर्थात् सतही और पानी के मध्य में रहने वाली मछलियों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। दक्षिण–पश्चिमी तट पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से तलप्लावी मत्स्य संसाधनों की जांच पड़ताल का पंच–वर्षीय कार्यक्रम सन 1971 में चालू किया गया था। पूर्वी तट पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से भी इसी प्रकार के सर्वेक्षण का एक प्रस्ताव संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। पांचवी योजना के दौरान, जो कि अब तैयार की जा रही है और अधिक कार्यकलापों को कर सकने वाले बड़े बड़े जहाजों की व्यवस्था कर गहन समद्र सर्वेक्षण संगठन तथा केन्द्रीय समुद्रीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान की गतिविधियों का विस्तार करने का प्रस्ताव है। भारत नार्वे परियोजना को मात्स्यकी विकास की समेकित परियोजना के रूप में बनाये रखने का प्रस्ताव है। ट्यूना एक मूल्यवान तथा निर्यात क्षमता वाली किस्म की मछली है। इसके विशेष सर्वेक्षणक तथा प्रयोगात्मक मात्स्यकी के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

शुष्क भूमि खेती के विकास सम्बन्धी अध्ययन] दल

2147. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शुष्क भूमि खेती (और बारानी खेती की तकनीकी) के विकास के बारे में भारत सरकार द्वारा स्थापित अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या क्या हैं ;

(ख) यह अध्ययन दल किस तारीख को स्थापित किया गया था ; और]

(ग) समिति सम्भवत: किस तारीख तक अपना काम पूरा कर लेगी तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) अध्ययन दल के सदस्यों के] नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. डा० ए० एस० चीमा, कृषि आयुक्त	अध्यक्ष
2. डा० जे० एस० कंवर, उप महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	वैकल्पिक अध्यक्ष
3. डा० ए० एम० मिचेल, (जल प्रौद्योगिकी केन्द्र), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।	सदस्य
4. डा० डी० पी० मोतीरयानी, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, जबलपुर ।	सदस्य
5. डा० एन० डी० रेगे, संयुक्तायुक्त (भू० सं०)	सदस्य
6. डा० जी० ए० पटेल, कृषि निदेशक, गुजरात ।	सदस्य
7. डा० रनबीर सिंह, कृषि निदेशक, राजस्थान ।	सदस्य

8. श्री० पी० एस० माजुमदार, कृषि से संबंधित मुख्य अधिकारी, योजना आयोग। सदस्य

9. डा० के० एन० सिंघल, निदेशक (बारानी खेती) सदस्य-सचिव

(ख) अध्ययन दल की नियुक्ति 3 जनवरी, 1972 को हुई थी।

(ग) अध्ययन दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट भारत सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की हुई है।

समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत राज्य कार्यक्रम का लागू किया जाना

2148. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सब राज्यों और संघ राज्यों में पंचायत राज्य कार्यक्रम लागू नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको सब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने और उन राज्यों से अनुरोध करने का विचार है जिनमें यह अभी लागू नहीं है ; और

(ग) समस्त देश में यह कार्यक्रम कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग). पंचायती राज, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, गोवा, दमन तथा दीव, पाण्डिचरी, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, दादरा तथा नगर हवेली, लक्कादीव, मिनिकाय, तथा अमिनदीवि द्वीपसमूह और मिजोरम को छोड़कर देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में लागू है।

पंचायती राज राज्य विषय है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा केन्द्र-शासित क्षेत्र प्रशासनों पर इस बात के लिए लगातार बल देती रही है कि पंचायती राज कार्यक्रम को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता है। सामुदायिक विकास और पंचायती राज संबंधी नीति विषयक पहुंच पर पिछली बार जून, 1968 में मद्रास में हुए सामुदायिक विकास और पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन में सिफारिश की थी कि "लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के उपकरण के रूप में पंचायती राज चालू रहना चाहिए और तीन-स्तरीय अथवा दो-स्तरीय ढांचे से संबंधित प्रश्न राज्य सरकारों की मर्जी पर छोड़ दिया जाना चाहिए।" तथापि, इसके लिए कोई समय सीमा परिकल्पित नहीं की गई है।

कुछ संस्थानों द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी का अध्ययन

2149. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बेरोजगारी के स्वरूप तथा उसके आकार और ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने के लिए कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्रों तथा अन्य अनुसंधान निगमों द्वारा देश के विभिन्न भागों में 12 अध्ययन किए गए हैं ;

(ख) क्या संस्थानों ने अपना सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है तथा सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिवेदनों में क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गए हैं और यदि नहीं तो प्रतिवेदन संभवतः कब तक पूरे हो जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) . जी हां। ये अध्ययन चल रहे हैं। सर्वेक्षणों का अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। सरकार को रिपोर्टों के बहुत जल्दी मिलने की उम्मीद है।

केन्द्रीय भूमि सुधार समिति, 1970 की सिफारिश

2150. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं जिसको मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी समस्यायें सौंपी थीं ; और

(ख) इस समिति की सही सिफारिशें कौन सी हैं जो इसने अगस्त, 1970 में अपने प्रतिवेदन में की थीं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भूमि सुधार समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1. कृषि मंत्री	अध्यक्ष
2. विधि तथा न्याय मंत्री	सदस्य
3. योजना मंत्री	सदस्य
4. कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	सदस्य
5. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	सदस्य
6. सदस्य (कृषि), योजना आयोग	सदस्य

बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तथा तामिलनाडु के मुख्य मंत्री, जोत की अधिकतम सीमा से सम्बधित समस्याओं पर विचार करने के लिये केन्द्रीय भूमि सुधार समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित किये गये थे।

(ख) केन्द्रीय भूमि सुधार समिति सितम्बर, 1970 में स्थापित की गई थी। इसने अपनी सिफारिशें अगस्त, 1971 में प्रस्तुत की थी न कि अगस्त, 1970 में। समिति की सिफारिशें निम्नलिखित थीं :—

(1) जोत की अधिकतम सीमा सम्पूर्ण परिवार पर लागू होनी चाहिये। 'परिवार' की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे सम्मिलित किय जा सकें ;

(2) जहां परिवार में सदस्यों की संख्या पांच से अधिक हो, वहां पांच से अधिक प्रत्येक सदस्य के लिये अतिरिक्त भूमि इस प्रकार प्रदान की जाय कि एक परिवार को ग्राह्य कुल भूमि, एक परिवार की अधिकतम सीमा के दुगुने से अधिक न हो;

(3) निरन्तर सिंचित भूमि अथवा दो फसल उगाने की क्षमता वाली सरकारी स्त्रोतों से निश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में पांच सदस्यों के परिवार के लिये अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ के मध्य निर्धारित की जा सकती है। मृदा की स्थिति, भूमि की उत्पादकता, उगाई जाने वाली फसल का स्वरूप, आदि एक राज्य से दूसरे राज्य में और जहां तक कि एक ही राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है, अतः समिति ने यह उचित समझा कि सारे देश के लिये जोत की अधिकतम किसी दृढ़ सीमा का सुझाव देने के बजाय सामान्यतः एक सीमा का निर्धारिण कर दिया जाये और उसके अंतर्गत जौत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये;

(4) भूमि की अन्य विभिन्न श्रेणियों के परिवर्तन अनुपात का निर्धारण, उसमें पानी की उपलब्धि, उत्पादकता, मृदा वर्गीकरण, उगाई जानी वाली फसलों आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिये। यहां तक कि बारानी भूमि के सम्बध में पांच सदस्यों के परिवार के लिये जोत की अन्तिम अधिकतम सीमा 54 एकड़ होनी चाहिये। यह सीमा भूमि की किस्म, वर्षा, निरन्तर सूखे की स्थिति आदि को दृष्टि में रखते हुए विशेष औचित्य होने पर शिथिल की जा सकेगी।

(5) राज्य के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत यंत्रीकृत फार्मों, सुसंचालित फार्मों आदि की छुट समाप्त कर दी जानी चाहिये।

(6) चाय, काफी, इलायची, रबड़ आदि के बागानों की छूट के सम्बध में सम्बधित मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिये। इसके उपरान्त राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से इस छूट तथा अन्य प्रकार की छूटों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया जाना चाहिये।

Hospitals run by Christian Missionaries in the States

2151. **Shri Laxminarayan Pandey:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state the number of Hospitals being run by the Christian Missionaries in the various States?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing and Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : A statement is attached.

STATEMENT

Statement showing number of Christian Hospitals as on 31-7-72

Name of State	Number of Hospitals
1. Andhra Pradesh	83
2. Assam and North East Area	17
3. Bihar	43
4. Gujarat	12
5. Haryana	3
6. Himachal Pradesh	4
7. Jammu & Kashmir	1
8. Kerala	174
9. Madhya Pradesh	54
10. Maharashtra	51
11. Mysore	49
12. Orissa	14
13. Punjab	7
14. Rajasthan	15
15. Tamil Nadu	103
16. Uttar Pradesh	41
17. West Bengal	18

Name of Union Territory	Number of Hospitals
18. Delhi	3
19. Goa, Daman & Diu	5
TOTAL .	697

क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा चलाये जा रहे 'फेथ होम्स'

2152. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा भारत में कितने 'फेथ होम्स' चलाये जा रहे हैं;

(ख) इनके क्रियाकलाप क्या हैं; और

(ग) यदि सरकार द्वारा इन्हें कोई अनुदान दिया जाता है तो कितना ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में साम्प्रदायिक और जातिगत प्रभाव को समाप्त करना

2153. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री सी० जनार्दनन :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता और जातियता का अब भी काफी प्रभाव है ;

(ख) क्या शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से साम्प्रदायिक और जातिगत प्रभाव को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या परिणाम उपलब्ध हुए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सरकार को इस आशय की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि साम्प्रदायिकता तथा जातियता, राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न स्थितियों में कुछ अवसरों पर प्रभाव डालती हैं और जिसकी प्रतिक्रिया शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में होती है।

(ख) इन कुप्रभावों को रोकने और अन्ततः इन्हें समाप्त करने के लिए शिक्षित समाज में एकता की रचनात्मक अवधारणा, बुद्धिवाद और धर्म निरपेक्षता को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार अनेक कदम उठाती रही है। इस प्रकार की कार्यवाहियों में अन्तराज्यों तथा अन्य प्रकार के छात्र शिविरों का आयोजन करना शामिल है, जहां विभिन्न समुदायों, जातियों और प्रदेशों के युवक इकट्ठे रहते हैं तथा एक दूसरे की संस्कृति तथा परम्पराओं को समझते, एकता की मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों में राष्ट्रीय एकता समितियों

स्थापित करना, ऐसी पाठ्य सामग्रियां प्रकाशित करना जो एकता और धर्मनिरपेक्षता की विचार-धारा को मन में बैठाए अध्यापकों का अपेक्षित अभिविन्यास, भिन्न भिन्न प्रदेशों के लेखकों को इकट्ठा करना ताकि वे आपसी सूझ बूझ तथा अनुभूति का विकास कर सकें, जो उनकी पुस्तकों आदि में प्रतिबिम्बित होंगे।

(ग) इन चिर कालीन संस्थापित प्रवृत्तियों और रीतिरिवाजों को समाप्त करने के लिए दृढ़, सतत तथा दीर्घ कालीन प्रयासों की आवश्यकता है। तथापि अब तक के उठाए गए कदमों से शिक्षित समुदाय में अच्छी भावना का प्रादुर्भाव हुआ है। और सरकार को पूरा विश्वास है कि इन सतत प्रयासों द्वारा अखिर कर इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी।

संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करना

2154. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रुपरेखा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में अस्पतालों के कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये अलग पूल बनाया जाना

2155. श्री राम सहाय पांडे :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार राजधानी में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों के कर्त्तव्य को ध्यान में रखते हुए, उन्हें जनहित में क्वार्टर अलाट करने के लिये क्वार्टरों का एक अलग पूल बनाने के बारे में विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : जी हां।

(1) सफदरजंग (2) विलिंग्डन और (3) लैडी हार्डिग एवं कलावती सरन अस्पातलों, जिनके साथ केन्द्रीय सरकार का संबंध है, में से प्रत्येक में अस्पताल के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का एक-एक पूल बनाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवास प्लाटों की जनता में नीलामी द्वारा बिक्री

2156. श्री राम सहाय पांडे : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास के लिए विकसित अधिकतर प्लाटों का जनता में नीलामी करके निपटान किया गया है तथा उन्हें अत्याधिक मूल्यों पर बेचा जाता है;

(ख) क्या इन प्लाटों को समाज के धनी वर्ग के व्यक्ति ही खरीदते हैं क्योंकि मध्यम आय वर्ग तथा निम्न आय वग के व्यक्ति नीलामी में उन्हें नहीं खरीद सकते ; यदि हां, तो इन प्लाटों को लाटरी निकाल कर निर्धारित दरों पर लोगों को अलाट न किय जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह सलाह देने का है कि वह इन प्लाटों को लोगों को उचित निर्धारित दरों पर बेचे अथवा भविष्य में नीलाम किये जाने वाले प्लाटों में से कुछ कोटा निर्धारित करे जिससे वेतन-भोगी वर्ग आवास के लिए प्लाट खरीद सकें ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, नहीं । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अबतक 13,060 रिहायशी प्लाटों का आवंटन किया है । इनमें से 6,460 निर्धारित मूल्य पर आवंटित किये गये हैं न कि नीलामी द्वारा

(ख) तथा (ग) . विकसित भूमि के कुछ भाग को निलामी द्वारा निपटान करने की नीती का उद्देश्य निधियां एकत्रित करना है जिन्हें निम्न आय वर्गों के लिए मकान बनाने में आर्थिक सहायताहेतु अध-संरचनात्मक सुविधाओं तथा सेवाओं में पूंजी लगाने और हरित भूमि तथा सार्वजनिक खुले मैदान की व्यवस्था तथा अनुरक्षण के लिये पुन: प्रयोग में लाना है । कुछ विकासित प्लाट पूर्व निर्धारित दरों पर निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों को लाटरी द्वारा आवंटन करने के लिए उद्दिष्ट हैं। विकासित प्लाटों की खुली नीलामी में सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं बशर्ते कि उनके अपने अथवा उनके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम पहले ही दिल्ली में कोई प्लाट अथवा मकान न हो।

गन्ने की खेती के अधीन भूमि-क्षेत्र

2157. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितनी भूमि में गन्ने की खेती हो रही है और विभिन्न राज्यों में कितनी अतिरिक्त भूमि पर इसकी खेती की जायेगी ; और

(ख) इस निर्णय को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं और चालू वर्ष में इसके कितना गन्ना प्राप्त होने की आशा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) . चालू वर्ष के दौरान गन्ने के क्षेत्र और उत्पादन के प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं है । इसके अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र को लाने के लिये कोई विशेष योजनायें नहीं हैं। वर्ष 1971-72 के दौरान देश में उक्त फसल के क्षेत्र में वृद्धि होने के संकेत प्राप्त हुए हैं ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के 'प्रि-मेडिकल कोर्स' में दाखिला

2158. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में 'प्रि-मेडिकल कोर्स' के लिए बहुत थोड़ी सीटें होने के कारण इस वर्ष प्रथम श्रेणी के अंकों वाले बहुत से विद्यार्थियों को इस कोर्स में दाखिला नहीं दिया गया है,

(ख) क्या गत कुछ वर्षों से कम इस कोर्स के लिए दाखिला लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, और

(ग) यदि हां, तो शिक्षा संस्थाओं में दाखिले की क्षमता बढाने के क्या कारण है और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रि–मेडिकल कोर्स में विद्यार्थियों को दाखिला देने के बारे में अब क्या कार्यवाही की जा रही है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 'प्रि–मेडिकल कोर्स' में दाखिला न पा सकने वाले 486 ऐसे विद्यार्थी थे, जिन्होंने 67 प्रतिशत अथवा उससे कम किन्तु 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

(ख) जी हां।

(ग) कालेजों में सीमित भौतिक सुविधाओं के कारण विश्वविद्यालय के लिए दाखिले की क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं है। जिन छात्रों को प्रि–मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं मिल सका उन्हें अब वनस्पतिशास्त्र तथा प्राणी विज्ञान की बी० एस० सी० (आनर्स) कक्षा के दूसरे वर्ष में दाखिला मिल सकता है।

कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, दिल्ली में दाखिला

2159. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में आरम्भ किये गये कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, दिल्ली में बहुत से छात्र को दाखिला लेने के इच्छुक थे परन्तु इसकी क्षमता सीमित होने के कारण बहुत से छात्रों दाखिला को नहीं मिल सकता ;

(ख) इस संस्था में कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं ; और

(ग) क्या व्यवसायिक अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लाभ के लिए इस प्रकार की और संस्थायें खोलने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) कालेज आफ वोकेशनल स्टडीज के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल पाने के लिए 1500 छात्रों ने आवेदन भेजे थे। विश्वविद्यालय द्वारा 10 जुलाई 1972 को 412 उम्मीदवारों की प्रथम सूची निकाली गई थी। इस सूची में से, केवल 118 छात्र दाखिला लेने आए। अगले दिन 209 उम्मीदवारों की एक दूसरी सूची निकाली गई थी, जिसमें से 125 छात्र दाखिला लेने आए। इसके बाद तीन और सूचियाँ निकाली गई और दाखिला केवल 28 जुलाई 1972 को ही पूरा किया जा सका। कालिज में दाखिल किए गए छात्रों की कुल संख्या 407 है।

(ख) 1972–73 के शैक्षिक वर्ष के दौरान निम्नलिखित 6 विषय बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में शुरु किए जाएंगे।

(i) पर्यटन

(ii) पुस्तक प्रकाशन

(iii) बीमा

(iv) खुदरा और व्यापार

(v) भंडार देखरेख तथा भंडार लेखा विधि

(vi) कार्यालय प्रबन्ध तथा सेक्रेटरीशिप।

(ग) विश्वविद्यालय का अगले शैक्षणिक सत्र से एक और कालेज आफ वोकेशनल स्टडीज खोलने का विचार है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

2160. **श्री के० एस० चावडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों ने 1969–70, 1970–71 तथा 1971–72 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के रूप में राज्यवार कितनी धनराशि दी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। **ग्रंथालय में रखा गया। [देखिए संख्या एल० टी० 3391/72]**

ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी का बन्द होना

2161. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पश्चिम एशिया यात्री मार्ग पर ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी का शताब्दी पुराना एकाधिकार शीघ्र ही समाप्त होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या वैकल्पिक प्रबंध किये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मुगल लाइन लि०, जो कि एक सरकारी नौवहन कंपनी है, ने 26-6-72 से अपने नये जहाज एम० वी० अकबर से बम्बई और पश्चिमी एशिया गल्फ पत्तनों के बीच यात्री एवं-माल सेवा आरम्भ कर दी है। इससे, इस मार्ग पर ब्रिटिश इंडियास्टीम नेवीगेशन कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जायेगा।

सहकारी ऋण समितियां को सहकारी विपणन समितियों से सम्बद्ध करना

2162. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य के किसी जिले विशेष में सहकारी ऋण को सहकारी विपणन के साथ जोड़ने की योजना के कार्यकरण का अध्ययन कितनी स्टेट मार्केटिंग फैडरशनों ने पूरा कर लिया है;

(ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने केरल स्टेट को–आपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन के प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उक्त प्रकार के अध्ययन की क्या आवश्यकता थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) केवल केरल स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ने कालिकट तथा पालघाट जिलों के दो तालुकों में सहकारी ऋण को विपणन के साथ जोड़ने की योजना के कार्यकरण का एक नमूना अध्ययन पूरा किया है।

(ख) केरल सरकार से उनके विचार मांगे गए हैं, जिनके प्राप्त होने पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आगे कार्यवाही की जाएगी।

(ग) जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा सहकारी विपणन समितियों के कार्यकरण के राजस्थान के अजमेर जिले में सहकारी ऋण के साथ सहकारी विपणन को जोड़ने की योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के विशेष संदर्भ में किए गए नमूना अध्ययन से इस योजना के कार्यकरण में कुछ कमियों का पता चला है। इस से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सभी स्टेट को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को अपने-अपने राज्यों के एक-एक जिले में इस प्रकार के अध्ययन आरम्भ करने का सुझाव देने की प्रेरणा मिली, ताकि योजना की कमियों का पता लगाया जाए और उन्हें दूर किया जाए।

चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता

2163. **श्री पो० ए० सामिनाथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन 48 पुराने किस्म के चावल मिलों को आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता दी गई है, उन का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) अब तक उनमें से कितनी मिलों का आधुनिकीकरण हो चुका है ; और

(ग) इन चावल मिलों के संगठन, कर्मचारीगण वित्तपोषण और कार्यकरण की जिन समस्याओं पर नवम्बर, 1971 में हैदराबाद में सहकारी चावल मिलों संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन में विचार किया गया था, उनके हल ढूंढने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) दस ।

(ग) हैदराबाद में हुए सम्मेलन की सिफारिशें राज्य सरकारों और शीर्ष सहकारी विपणन परिसंघों, जिन्हें इस मामले में आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करनी है, को सूचित कर दी गई थीं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सहकारी क्षेत्र में आधुनिक चावल मिलें स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत 'ब्लाक' पूंजी की आवश्यकताओं का 75 प्रतिशत भाग प्रदान करता है। यह चावल मिलों की उपान्त धन (मार्जिन मनी) की आवश्यकताओं के लिए भी सहायता दे रहा है, ताकि वे अनुसूचित/वाणिज्यि बैंकों, जिन्हें भारत के रिजर्व बैंक ने सहकारी क्षेत्र की आधुनिक चावल मिलों को इस प्रकार की सहायता उदार रूप से देने के लिये कहा है, से पर्याप्त कार्यकर पूंजी प्राप्त कर सकें।

सहकारी चावल मिलों के सामने आ रही कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक विशेष कार्यकारी दल गठित किया गया था। इस दल की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि व धान कूटने के लिए सहकारी चावल मिलों का यथा-संभव अधिकतम सीमा तक उपयोग करें और साथ ही अपने अधिप्राप्ति कार्यों में सहकारी समतियों का अधिकाधिक उपयोग करें। इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, खड़कपुर के साथ

सहकारी चावल मिलों के वरिष्ठ तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु उपयुक्त पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी प्रबन्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, चावल मिल मशीनरी विनिर्माताओं से बिक्री के बाद की कुशल सेवा सुलभ करने के लिए अनुरोध किया गया है और उन्होंने ऐसा करना स्वीकार कर लिया है।

विवरण

राज्य का नाम	चावल मिलों की संख्या, जिन्हें आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी गई।
1. आन्ध्र प्रदेश	1
2. असम	4
3. बिहार	5
4. मध्य प्रदेश	10
5. उड़ीसा	17
6. पश्चिम बंगाल	6
7. मैसूर	5
योग	48

कृषि उत्पाद विधायक एककों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा सहकारी समितियों के लिए तैयार की गई योजना

2164. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने गत तीन वर्षों में कृषि उत्पाद विधायन एककों (प्रौसेसिंग यूनिट्स) की स्थापना हेतु सहकारी समितियों को निर्देश पद देने के उद्देश्य से कितनी आदर्श योजनाएं तैयार की है तथा परिचालित की हैं ; और

(ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा तैयार की गई आदर्श योजनाओं के आधार पर विगत तीन वर्षों में कितने कृषि उत्पाद विधायन एक (प्रोसेसिंग यूनिट्स) स्थापित किए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम ने गत तीन वर्षों, अर्थात् 1969–70 से 1971–72 के दौरान कृषि विधायन एककों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को मार्गदर्शक सिद्धान्त उपलब्ध करने के उद्देश्य से 15 आदर्श योजनाएं तैयार की है और परिचालित की हैं।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परिचालित आदर्श योजनाओं के आधार पर गत तीन वर्षों में 56 सहकारी विधायन एकक स्थापित किए गए।

चीनी मिलों द्वारा चीनी के उपोत्पादों का उपयोग

2165. श्री वी० मायावन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 14 चीनी मिलों के नाम और स्थान क्या हैं जिन्होंने चीनी के उपोत्पादों का उपयोग करने के लिये परियोजनाएं आरम्भ की हैं ;

(ख) क्या चीनी के उपोत्पादों का उपयोग करने के लिये परियोजनाएं स्थापित करने में अन्य सहकारी चीनी कारखानों की कठिनाइयों का कोई अनुमान लगाया गया ; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जहां तक खोई का संबंध है, मेसर्स शतकरी सहकारी सक्कर कारखाना लि०, सांगली (महाराष्ट्र) ने खोई से अखबारी कागज बनाने के लिए 44,500 पी० टन की वार्षिक क्षमता का एक संयंत्र स्थापित करने हेतु आशय पत्र प्राप्त किया है। आसवन उद्योग में शीरे का मुख्यत: कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस समय 37 चीनी कारखानों की डिस्टिलरियां हैं जो औद्योगिक अलकोहल, परिशोधित स्पिरिट और पेय शराब तयार करती हैं।

(ख) और (ग) . जो उद्योग चीनी उद्योग के सहउत्पादों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं उनकी देखभाल विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की जा रही है। एसा प्रतीत होता है कि सहकारी चीनी कारखानों को ऐसी परियोजनाओं के स्थापित करने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनका अभी तक समन्वित मूल्यांक नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा सहकारिता के आधार पर चीन मिलें स्थापित करने सम्बधी कार्यवाही

2166. श्री वी० मायावन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सहकारी समितियों को अभी हाल ही में लाइसेंस दिए गए हैं, उनके द्वारा चीनी के कारखानों की स्थापना में आ रही कठिनाइयों के बारे में उनके प्रतिनिधियों के साथ 5 और 6 जुलाई 1971 को पूना में जो विचार विमर्श हुआ था उसके अनुसरण में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के प्रयासों के परिणामस्वरूप कितने कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिंदे) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इस विषय में निम्नलिखित कदम उठाए है :–

(1) अंशपूंजी ने वृद्धि करना :

राज्य सरकारों से चीनी सहकारी समितियों की अंशपूंजी में अंशदान देने के लिए योजना प्रावधानों में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है। कुछ राज्यों के मामलों में योजना प्रावधानों में वृद्धि की गई हैं। तथापि, अभी भी संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हैं ।

चीनी कारखानों को सलाह दी गई है कि वे गन्ना उत्पादकों को नए लाइसेंसशुदा सहकारी चीनी कारखानों के हिस्से खरीदने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध मध्यकालीन ऋण की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए राजी करें। भारतीय रिजर्व बैंक से इस योजना को सरल बनाने का अनुरोध भी किया गया है, ताकि उसे आसानी से चलाया जा सके।

(2) दीर्घकालीन वित्त की उपलब्धता :

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने औद्योगिक वित्त निगम से निकट संपर्क बनाया हुआ है और उसे औद्योगिक वित्त निगम की चीनी उद्योग ऋण सलाहकार समिति में प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है।

औद्योगिक वित्त निगम ने अप्रैल, 1972 में, सभी नए लाइसेंस शुदा सहकारी चीनी कारखानों का एक सम्मेलन बुलाया था और अब पात्र सहकारी चीनी कारखानों को अपनी "ब्लाक" पूंजी की आवश्यकताओं के लिए औद्योगिक वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है।

(3) संयंत्र तथा मशीनरी की सप्लाई :

औद्योगिक विकास मंत्रालय जिसने चीनी कारखानों की मशीनरी के विनिर्माताओं की एक बैठक आयोजित की थी, के साथ संपर्क बनाया रखा जा रहा है और चीनी कारखानों द्वारा आर्डर किए गए संयंत्र तथा मशीनरी की सप्लाई, यथा सम्भव, शीघ्र करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(4) गन्ने का विकास :

राज्य सरकारों को नए लाइसेंसशुदा चीनी कारखानों के अधिकार-क्षेत्र में गन्ने के विकास के लिए विशष कदम उठाने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इस बारे में अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है।

(ख) पूना सम्मेलन के बाद 6 नए सहकारी चीनी कारखानों ने उत्पादन करना आरम्भ किया है।

सहकारी चीनी मिलें

2167. **श्री वी० सायावन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मंत्रालय (सहकारिता विभाग) के वार्षिक प्रतिवेदन, 1971–72 के पैरा 23 में उल्लीखित उन 74 सहकारी चीनी मिलों के नाम और स्थापना-स्थान क्या हैं जिनके लिए जून, 1971 तक 65.83 करोड़ रुपए की राशि ऋणों के रूप में स्वीकर की जा चुकी थी ; और

(ख) किन–किन सहकारी चीनी मिलों की और भारत औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए पहले ऋण की राशि अभी शेष है और वे कहां-कहां पर हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–3392/72**]

(ख) सभा; पटल पर रखे गए विवरण में जिन सहकारी चीनी कारखानों के नाम के साथ क चिन्ह लगाया गया है, उन्हें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से लिए गए पहले ऋण की राशि अभी पूर्णतया वापिस करनी रहती है।

चीनी उत्पादकों का सरकार के साथ असहयोग

2168. श्री सतपाल कपूर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादकों ने पहली जुलाई, 1972 से सरकार के साथ सहयोग न करने तथा सरकार के फैसले को स्वीकार न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) . कुछेक चीनी कारखानों ने उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की हैं और अन्तरिम आदेश प्राप्त कर लिए हैं जिससे सरकार लवी चीनी का मूल्य निर्धारण करने के लिए चीनी (मूल्य निर्धारिण) आदेश, 1972 को लागू नहीं कर सकती है लेकिन फक्ट्रियों को अधिसूचित मूल्यों और उनके द्वारा वास्तव में बेची गयी चीनी के मूल्यों के बीच अन्तर के लिए बैंक गारन्टी सुलभ की गयी। यह मामला न्यायाधीन है।

पूर्वी क्षेत्रों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाना

2169. श्री सतपाल कपूर : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी शिक्षा समिति ने यह सिफारिश की है कि देश के पूर्वी क्षेत्र में, विशेषकर हाल ही में गठित राज्यो में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने को ओर विशेष ध्यान दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) हिन्दी शिक्षा समिति की 18 जुलाई, 1972 को हुई बैठक में मेघालय के प्रतिनिधि ने पुर्वी राज्यों में हिन्दी के प्रसार पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया था।

(ख) भारत सरकार इन राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिए संबंधित राज्य सरकारों अथवा स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों की अपेक्षित वित्तीय सहायता की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

प्रत्येक जिले में छोटे तथा सीमान्त कृषकों के लिये विकास योजना आरम्भ करने के लिए एजेंसी

2170. श्री सतपाल कपूर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे और सीमांत कृषकों के लाभ के लिए सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में छोटे तथा सीमांत कृषकों को एजेंसियां खोलने के लिए किसी एजेंसी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक ऐसी कुल कितनी छोटी तथा सीमांत कृषक एजेंसियां स्थापित की गई हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितने किसानों को अब तक लाभ पहुंचा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश के 87 चुनींदा परियोजना क्षेत्रों में लघु कृषक विकास एजेंसियों/सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसियों को स्थापना करने का मार्गदर्शी प्रयोग आरम्भ हो चुका है ।

(ग) एजेंसियों से 31 मई, 1972 तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार लघु कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत 1.5 लाख लघु कृषकों को तथा सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिकों के अंतर्गत 0.47 लाख सीमांत कृषकों और कृषि श्रमिकों को विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभ हुआ है।

खाद्यान्नों का भण्डार करने की क्षमता

2171. श्री सतपाल कपूर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 30 जून, 1972 को खाद्यान्नों का भंडार करने की वर्तमान क्षमता कितनी थी;

(ख) इस वर्ष 30 जून, 1972 तक देश की विभिन्न राज्य सरकारों ने कितनी मात्रा में खाद्यान्न की वसूली की;

(ग) क्या भंडार क्षमता की कमी के कारण कुछ खाद्यान्न अब भी खुले में पड़ा है, यदि हां, तो इन खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) भाण्डागारों की कमी के कारण गत तीन वर्षों में कितना खाद्यान्न खराब हुआ था?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) 31-3-1972 को सरकारी एजसियों की अपनी भण्डारण क्षमता इस प्रकार थी :—

(लाख मीटरी टन में)

एजेन्सी	क्षमता
भारतीय खाद्य निगम	4.33
राज्य सरकारें	1.69
केन्द्रीय भाण्डागार निगम	0.89
राज्य भाण्डागार निगम	0.35
सहकारी समितियों	3.10
	10.36

(ख) चालू खरीफ और रबी अधिप्राप्ति मौसमों में 30 जून, 1972 तक 83 लाख मीटरी टन खाद्यान्न अधिप्राप्त किए जा चुके हैं।

(ग) सभी अधिप्राप्त खाद्यान्नो को कवर तथा प्लिन्थ (सी०ए०पी०) स्टोरेज सहित ढके हुये भण्डारों मे रखा गया है। विभिन्न एजेन्सियों द्वारा अपनी क्षमता में किराने की क्षमता द्वारा वृद्धि की गई है।

(घ) केन्द्रीय कोटे पर अधिप्राप्त किये गये खाद्यान्नों को भण्डारण सुविधाओं की कमी के कारण कोई क्षति नहि पहूची है

पंजाब विश्वविद्यालय से येल विश्वविद्यालय को अमूल्य जीवाश्यों की तस्करी

2172. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ से येल विश्वविद्यालय की अमूल्य जीवाश्यों की तस्करी की ओर दिलाया गया है, जो करार के विरुद्ध है,

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है, और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार का क्या एहतियाती उपाय करने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) पंजाब विश्वविद्यालय ने ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

केरल में भूमिहीन श्रमिकों को आवास के लिए भूखण्ड देना

2173. **श्री सी० जनार्दनन** :

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को आवासीय भूखंड देने संबंधी कोई योजना केरल सरकार ने भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की सहायता की मांग की गई है ;

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

निर्माण और आवास तथा स्वाथ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने लगभग 8 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग की, जिस में लगभग 6 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने हेतु अपेक्षित भूमिहीन के अर्जन के लिये तथा 2 करोड़ रुपये इन स्थलों के विकास के लिये थे।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 960 पंचायतों के क्षेत्रों में 96,000 आवास-स्थलों की व्यवस्था के लिये परयोजनायें स्वीकृत कर दी हैं। राज्य सरकार को भी चालू वित्तीय वर्ष में 2.74 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें से 2.02 करोड़ रुपये लगभग 4681 एकड़ भूमि के अर्जन की लागत के $33\frac{1}{3}\%$ व्यय के रूप में हैं। भूमि की लागत का बकाया $66\frac{2}{3}\%$ भूमि के मालिकों को विक्रेय बाण्डों के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा अगले दो वित्तीय वर्षों में चुकाए जाने हैं। इसके बाद भारत सरकार ये रकमें (जब कभी वे देय होंगी) राज्य सरकार को अदा कर देगी।

स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के शेष 72 लाख रुपये 96,000 आवास स्थलों के विकास के खर्चे में लगें जाएंगे । आवास-स्थलों के विकास के खर्चे के बकाया 50% की व्यवस्था लाभ-भोगियों के स्वैच्छिक श्रम/अंशदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा की जायगी ।

नकली हरिजन कल्याण संगठनों को अनुदान

2174. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार की यह शिकायत हुई है कि पिछले कई वर्षों में ऐसे नकली हरिजन कल्याण संगठनों के नाम पर जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अनुदान दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई और यदि हाँ तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसे संगठनों को अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) नहीं ।

ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

जापानी फर्म द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिये हेलिकोप्टर सप्लाई करना

2175. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक जापानी फर्म को कृषि उद्येश्यों के लिये 40 हैलिकोप्टर सप्लाई करने का हाल ही में अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त फर्म से अब कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

Changes in Agricultural Education System

2176. Shri Shiv Kumar Shastri:

Shri V. Mayavan:

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether he has made some suggestions to bring about changes in the system of agricultural education;

(b) if so, whether he means changes in methods of cultivation; and

(c) the time by which these changes are likely to be affected?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) . Minister of Agriculture while addressing the Annual General Meeting of the Indian Council of Agricultural Research on July 10, 1972 stated as follows :

'One of our major requirements now in the field of training is to develop a new class of agricultural graduates who can catalyse cooperative endeavour among small farmers. Ours is already a country of small holdings and active steps are under way to enforce land ceilings. It is therefore imperative that a collective management philosophy and a technique should be developed which, while enhancing the efficiency of our agriculture, does not interfere with ownership rights. Collectivisation of management with individuality of ownership is a goal which requires for its accomplishment a large number of well-trained technical persons who can demonstrate effectively the value of cooperative endeavour in fields like water management, pest control and post harvest technology. The I. C. A. R. with the help of Agricultural Universities is planning to sponsor training courses or agricultural graduates specially designed to equip them to launch this movement. Unless this is done, it may be diffcult to make much headway in converting the scientific break through already accomplished in crops like rice, as well as in areas like cattle breeding and fish rearing, into production break throughs.

Collective management technology is necessary for taking full advantage of recent developments in scientific water management and pest control. In order to produce trained personnel who can help to introduce such technology in our villages, the I. C. A. R. is proposing to organise suitable training courses. A study Group constituted to work out the details of such a training programme has given concrete suggestions, which are not under examination. It is hoped that these courses will be started within the next six months.

Disinterest in Improvement of Sugar Mills due to Nationalisation

2177. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the owners of private sugar mills are not taking any interest in the programmes of development and improvement of their mills as a result of the rumours of nationalisation of sugar mills;

(b) whether this would not only affect sugar production but the recovery of sugar as well ; and

(c) if so, the time by which Government would take a final decision in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No such instances have come to the notice of Government.

(b) Does not arise.

(c) The Report of the Sugar Industry Enquiry Commission, which was appointed primarily in the context of the growing demand for nationalisation of the sugar industry, is awaited. Government will consider the question of nationalisation after receipt of the recommendations of the Commission.

Transit Loss suffered by F. C. I. during Last Three Years

2178. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the total amount of transit loss in crores of rupees suffered by the Food Corporation of India during the last three years and the measures proposed to be adopted to check such loss in future; and

(b) the reasons for incurring such a heavy loss?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) During the three years from 1968-69 to 1970-71, as against the quantity of about 184.4 lakh tonnes of foodgrains transported on F. C. I. account, about 3.13 lakh tonnes of the value of Rs. 22.6 crores were lost in transit. The losses during the year 1971-72 are still under scrutiny.

The Food Corporation of India has already taken a number of steps to reduce the incidence of transit losses. Some of the important measures taken are:

(i) Special attention to proper packing and legible markings of bags; loading of bags 18" away from the wagon doors to avoid pilferage and protection of foodgrains on the platforms and in sheds.

(ii) Setting up of vigilance squads to conduct surprise checks at various loading/unloading and weighment points.

(iii) Prompt follow-up action to trace unconnected/ missing wagons in close liaison with the Railways.

(iv) Arrangements to move foodgrains in covered wagons, as far as possible. When movement in open wagons becomes inescapable, loading of bags is done in a pyramid and the bags are properly covered with tarpaulins which are lashed, so that rain water drains off without causing any damage. The open wagons are moved in block rakes duly escorted by the Railway Protection Force and the rakes are checked in railway yards en route. Whenever foodgrains are moved by road, the bags are properly covered by tarpaulins and are adequately protected.

(v) Movements by rail are being planned to avoid transhipment (break or gauge from broad gauge to metre gauge and vice versa), as far as possible to minimise losses in handling.

(b) The transit losses occur mainly on account of pilferage, spillage, transhipment and loaded wagons getting unconnected, en route. These are some of the common hazards inherent in the transportation of food-grains by rail and road.

Handicapped Persons

2179. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the total number of hadicapped persons in the country and the number of youths and children therein separately;

(b) whether Government have ever thought about providing them Government Service according to their capacities; and

(c) if so, the number of those employed so far in Government service indicating the posts on which they have been appointed and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Handicapped persons have not been enumerated since 1931. Census sample surveys reveal that there may be about 12 million blind, deaf and orthopaedically handicapped persons and about 2 million mentally retarded children. No age-wise distribution is available.

(b) 11 special employment exchanges for the physically handicapped endeavour to place blind, deaf and orthopaedically handicapped persons in the private and public sectors as well as in Government services.

(c) Since their inception in 1959, the special employment exchanges have placed 8,911 physically handicapped persons in employment. Details about those employed by the Government of India and the posts on which they are employed, are not available.

केरल राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों में फीस को समान करने की सरकारी नीति के विरुद्ध कैथोलिक पादरियों की गतिविधियां

2180. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि केरल में कैथोलिक पादरियों ने उक्त राज्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी कालेजों में फीस को समान करने की सरकार कि नीति के विरुद्ध अपने धार्मिक अनुयायियों को संघटित करने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कोई समझौता किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

Issue of Industrial Licences for Mining Coal in Madhya Pradesh

2181. **Shri V. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the names of parties and individuals who applied for industrial licences for mining coal in Madhya Pradesh, year-wise and district -wise, during the last three years;

(b) the names of those parties/individuals whose applications for industrial licences have been granted/rejected during this period; and

(c) the names of those parties/individuals whose applications are pending with Government and the reasons therefor in each case?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) (a) to (c). Details of pending applications are normally not disclosed. However, two applications in 1970, five in 1971 and three in 1972 (upto 30th June, 1972) were received for licences for production of coal in Madhya Pradesh. District-wise information is not maintained. Out of these applications, two industrial licences were granted and the rest are under the consideration of the Government. Details of licences issued are published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences & Export Licences, the Weekly Indian Trade Journal and the Monthly Journal of Industry & Trade" copies of which are supplied to the Parliament Library.

Consideration of Industrial licence applications necessaitates fairly detailed examination of various aspects of the proposals. The disposal of a particular application is often delayed due to a number of reasons including frequently failure of the applicant to furnish complete information in the first instance. Occasionally policy decisions on the concerned industries are required. Government is, however, making all possible efforts to ensure expeditious disposal of the pending applications.

मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र

2182. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 से 31 मार्च, 1972 तक सरकार को मध्य प्रदेश में उद्योग शुरू करने हेतु व्यक्तियों तथा कंपनियां से लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, आवेदनकर्ताओं के नाम क्या हैं और वे किस प्रकार के उद्योग शुरु करना चाहते हैं और उनमें स कितने व्यक्तियों तथा कम्पनियों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) इन उद्योगों को कहाँ-कहाँ पर स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). 1 जनवरी, 1970 से 30 जून, 1972 की अवधि में मध्य प्रदेश नये उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंसों के लिये 126 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इस अवधि में मध्यप्रदेश में नये उद्योगों के लिये 6 औद्योगिक लाइसेंस तथा 44 आशय पत्र जारी किये गये। साधारणतया अनिर्णित आवेदन-पत्रों का ब्यौरा बताया नहीं जाता है। उद्योगों का नाम तथा स्थान का उल्लेख करते हुए सभी लाइसेंसों/आशय पत्रों का ब्यौरा नियमित रूप से साप्ताहिक 'बुलेटिन आफ इंडस्ट्रोयल लाइसेंस' 'इम्पोर्ट लाइसेंस एक्सपोर्ट लाइसेंस', 'साप्ताहिक इंडियन ट्रेड जनरल' तथा मासिक 'जनरल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। संसदीय पुस्तकालय के इन प्रकाशनो कों प्रतियां भेजो जाती है।

मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिये आवेदन-पत्र

2183. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सोमेंट संयंत्र स्थापित करने के संबंध में उनके मंत्रालय में स्वीकृति के लिये कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) उनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बृहत्तर व्यापारिक गृहों से संबंधित एक आवेदन अनिर्णीत है। इस पर एकाधिकार प्रतिबन्धकात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को दृष्टि से अनापत्ति प्रतीक्षित है।

मध्य प्रदेश में भारी उद्योग

2184. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश मे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने भारी उद्योग और वे किस-किस स्थान पर स्थित हैं तथा उनमें किन-किन वस्तुओं का निर्माण होता है; और

(ख) उनमें कितने व्यक्ति काम करते हैं।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मध्य प्रदेश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में प्रमुख औद्योगिक ऐककों की सख्या क्रमशः 26 और 112 है। राज्य कुछ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक मशीनें जैसे रेयन संयंत्र, विलेयक निस्सारण संयंत्र, पेरने के उपकरण, कोयला लोहा अयस्क लोहा तथा इस्पात, इस्पात को ढलो हुई वस्तुएं चमकोलो छड़े तथा शोगटंफ, ट्रांसफार्मर जनित्रण सैट, स्विचगियर तथा मोटरें, एल्यूमिनियम के कंडक्टर सोमेंट तथा एस्बेस्टास सोमेंट के उत्पाद, रसायन उद्योग तेल तथा आटा पीसने कागज, चोनो सूती, तथा संश्लिष्ट वस्त्र शामिल हैं। राज्य में उद्योगों के कुछ प्रमुख स्थापना स्थल भोपाल, उज्जैन, देवास, महेश्वर बरहानपुर, किमोर. मेंढर चांदनी, रायपुर, भिलाई, इंदोर, ग्वालियर, बैलाडोका, सतना, जबलपुर, तथा रतलाम हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों की बताई गई संख्या क्रमशः 26,54/2 तथा 1,12,352 हैं।

मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए उसके लिए चौथी पंचवर्षीय योजना का विस्तार

2186. **श्री मार्तण्ड सिंह :**

श्री गंगाचरण दीक्षित :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार का विचार उस राज्य के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन संबंधी योजनाओं का तथा इनके लिये रखी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) मध्य प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करने से विदित हुआ है कि राज्य के योजना परिव्यय के वर्तमान अनुमोदित 393 करोड़ रुपये के परिव्यय से बढ़ाकर 435 करोड़ रुपये किया जा सकता है । बढ़े हुए परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था राज्य द्वारा अपने संसाधन से किये जाने का प्रस्ताव है। हाल ही में मध्य प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय में और अधिक वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है । इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बढ़े हुए परिव्यय के क्षेत्रवार आबंटन को अभी निश्चित किया जाना है।

चार्ज इंडीकेटर मीटर

2187. **श्री अमर नाथ चावला** : क्या **संचार** मंत्री टेलीफोन के मीटर लगाने के बारे में 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2671 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच टेलीफोन कालों का रिकार्ड रखने वाले आधुनिकतम चार्ज इंडीकेटर मोटर की क्षेत्र-जांच पूरी कर ली गई है तथा उपभोक्ताओं के निवास स्थानों पर इन मीटरों के लगाये जाने के प्रश्न पर निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रि-मण्डल सचीवालय द्वारा किये गये निर्णय का केन्द्रीय सचिवालय सेवा पर लागू होना

2189. **डा० रानेन सेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के दिनांक 22 जुलाई, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9-3-72 सिव्वन्दी (डी) के पैरा 4 का निर्णय केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं पर भी लागू होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) गृह-कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9-11-55-आ०, पी०, एस०, दिनांक 22-12-1959 में सन्निहित सामान्य वरिष्ठता के सिद्धांत केन्द्रीय सरकार के अधीन जिन सेवाओं । पदों पर लागू होते हैं, उन्हीं पर 22 जुलाई, 1972 के अनुदेश भी लागू होते हैं । दिनांक 22-12-1959 का कार्यालय ज्ञापन केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के लिए लागू नहीं किया गया, जिनके लिए वरिष्ठता के अलग सिद्धान्त निर्धारित किये गय थे । तथापि, यह मामला निर्णयाधित है क्योंकि कुछ सम्बद्ध व्यक्तियों ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर की है ।

Expenditure on paper Mill in M. P.

2190. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the total amount of expenditure to be incurred on the paper mills proposed to be set up in Madhya Pradesh, separately;

(b) the total quantity of paper to be produced in the said mills; and

(c) the extent to which the demand of Madhya Pradesh Government in regard to setting up of paper mills would be met by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The investment on paper mills proposed to be set up in Madhya Pradesh is Rs. 83·78 crores.

(b) : 2,73,000 Metric tonnes.

(c) : No such demand has been received from M. P. Government.

Allocation of funds to M. P. during 1972-73.

2191. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the amount which would be allocated to Madhya Pradesh during 1972-73;

(b) the amount out of which it would be in form of loan and also the amount which would be in the form of grant; and

(c) the amount to be mobilised by the State from internal resources and the various sources from which it would be mobilised?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) the allocation of Central assistance to Madhya Pradesh for the approved State Annual Plan 1972-73, amounts to Rs. 50.83 crores.

(b) According to the existing pattern of Central assistance, 70% of the allocation would be relased in the form of loan and the balance in the form of grant.

(c) The sources from which the State's contribution of Rs. 58.17 crores for financing the State Annual Plan 1972-73 would be available are: balance from current revenues, yield from additional taxation measures taken upto 1971-72, expected yield from additional taxation measures in 1972-73, share in additional taxation by the Centre and negotiated loans and market borrowings.

Industries in Backward areas of M.P.

2192. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industiral Development and Science and Technology** be pleased to state the number of industries in public and private sectors functioning in the backward districts of Madhya Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheswhar Prasad) : The number of industries in public and private sectors functioning in the 34 backward districts of Madhya Pradesh under Industries (Development & Regulation) Act, 1951 is 19 and 35 respectively. The number of registered Small Scale Industrial Units in the private sector functioning in these districts of the State is 8,632, as on 31-3-1972.

दिल्ली में बन्दी बनाये गये चोर तथा उनसे पकड़ा गया सामान

2193. **श्री शशिभूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में दिल्ली में चोरी तथा सेंधमारी आदि के संबंध में कुल कितने चोरों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) उन से कुल कितने मूल्य की वस्तुएं पकड़ी गई हैं ;

(ग) इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस प्रकार पकड़ी गई वस्तुओं को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह सामान उनके मालिकों को कब सौंपा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) गत छः महीनों में अर्थात् 1-2-1972 से 31-7-1972 तक चोरी तथा सेंधमारी के मामलों में 1208 व्यक्ति गिरफ्तार किय गये थे।

(ख) 38,23,728 रुपये 22 पैसे ।

(ग) 64 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है। 517 व्यक्तियों के मामलों की जांच-पड़ताल हो रही है और 627 व्यक्तियों के चालान किये गये हैं। चालान किये गये व्यक्तियों में से 79 को दोषसिद्ध किया गया, 3 को बरी कर दिया गया और 545 व्यक्तियों के मामले न्यायालयों में विचारणाधीन हैं।

(घ) पुलिस द्वारा जब्त की गई ऐसी सम्पत्ति संबंधित न्यायालय के आदेशों के अधीन लौटा दी जाती है। बरामद की गई लगभग सारी सम्पत्ति संबंधित न्यायालयों द्वारा पास किये गये आदेशों के अनुसार उसके मालिकों को दे दी गई है। किन्तु कुछ मामलों में वह सम्पत्ति, जो विचारण के दौरान न्यायालय में दिखाई जानी है अभी तक मालिकों को नहीं दी गई है। उसे मामलों के निर्णय पर अथवा सुपरदारी पर, जैसे ही संबंधित न्यायालयों से आदेश प्राप्त हो जायगे उन्हे दे दिया जायेंगा।

दिल्ली में और अधिक जेलों का बनाया जाना

2194. **श्री शशिभूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सन्ट्रल जेल, तिहाड़ में बन्दियों की संख्या बहुत अधिक है और वहां बहुत सी अनियमितायें हो रही हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार राजधानी में कुछ और जेलें बनाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इन जेलों को किस-किस स्थान पर बनाने का विचार है और इस उद्देश्य के लिए भूमि कब तक आबंटित कर दी जायेंगी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां श्रीमान् । कुछ अनियमिततायें ध्यान में आई हैं।

(ख) तथा (ग). एक जिला जेल और दो उप-जेल बनाने का प्रस्ताव है। किन्तु उनके स्थान के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकार के नियंत्रण में चल रही मिलों का कार्यकरण

2195. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों से सरकार के पूर्ण अथवा आंशिक नियंत्रण में इस समय कुल कितनी मिलें चल रही हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितनी मिलों का उत्पादन बढ़ाया जा सका है तथा सरकार ने उनमें किस प्रकार का आधुनिकीकरण किया है और इस पर कितनी धन राशि व्यय की गई है ;

(ग) इन मिलों के प्रबन्ध में किस प्रकार का सुधार किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार ने कर्मचारियों के संबंध में कोई सामान्य नीति बनायी है जिससे ये मिलें कुशलता से कार्य कर सकें और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

माल डिब्बा उद्योग में इस्पात की कमी

2196. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बा निर्माण उद्योग ने माल डिब्बा बनाने के लिये रेलवे वर्कशापों में उपलब्ध कुछ सुविधाओं में परिवर्तन करने से संबंधित सरकार के निर्णय के प्रति रोष प्रकट किया है ;

(ख) क्या उद्योग ने यह भी कहा है कि इस्पात की सप्लाई में कमी तथा छोटी-छोटी संख्या में माल डिब्बों की सप्लाई करने के अनियमित आदेशों के कारण भी सप्लाई में बाधा पड़ी थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अनुमान लगाया है कि रेलवे वर्कशापों में कितने माल डिब्बे बनाये जा सकते हैं तथा उद्योग को क्रयादेश देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया है जिससे उद्योग को अच्छा कार्य करने में सहायता मिले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार ने मालगाड़ी के डिब्बों के निर्माण हेतु रेलवे वर्कशापों में उपलब्ध सुविधाओं में कोई भी परिवर्तन करने के बारे में निर्णय नहीं लिया है।

(ख) मालगाड़ी के डिब्बे बनाने वाले कम उत्पादन होने का एक कारण इस्पात की कमी बताते चले आ रहे हैं।

(ग) रेलवे मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि माल डिब्बे निर्माण का कार्य केवल तीन वर्कशापों में होता होगा। वर्ष 1972–73 के लिये इन तीन वर्कशापों का लक्ष्य 2,860 मालगाड़ी के डिब्बे रखा गया है।

मालगाड़ी डिब्बा उद्योग को माल डिब्बों के लिये क्रयादेश वार्षिक आधार पर दिये जात हैं और जहाँ तक संभव होता है इनके लिये इकट्ठे आर्डर दिये जाते हैं जिससे माल डिब्बा निर्माताओं को अपनी योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

उत्तर प्रदेश भूमि अधिकतम सीमा विधेयक

2197. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरल भूमि सुधार अधिनियम के कुछ उपबन्धों को रद्द किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने भूमि अधिकतम सीमा विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के उपबन्धों के कानूनी पहलू को केन्द्रीय सरकार को विचारार्थ भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश जोत सीमा निर्धारण (संशोधन) विधेयक, 1972 को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने को कहा है।

(ख) प्रस्ताव की परीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में आजीवन कारावास वाले अपराधियों के मामलों का पुनर्विलोकन

2198. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का पुनरिक्षण बोर्ड, जो आजीवन कारावास वाले अपराधियों को छोड़ने के विचार से उनके मामलों का पुनर्विलोकन करता है, की बैठक वर्ष में दो बार फरवरी तथा अगस्त में होती है;

(ख) क्या इस वर्ष इसकी बैठक हुई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) बोर्ड की बैठक कब होने की आशा है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) पुनरिक्षण बोर्ड की बैठक वर्ष में दो बार होती है किन्तु यह अनिवार्य नहीं कि यह फरवरी और अगस्त के महीनों में हो।

(ख) तथा (ग). इस वर्ष बोर्ड की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है क्योंकि बोर्ड के कुछ सदस्य, जो पहले महानगर परिषद् के सदस्य थे, नई परिषद के लिए निर्वाचित नहीं हुए। पुनरिक्षण बोर्ड का गठन हाल ही में किया गया है और इस महीने में इसकी बैठक होने की सम्भावना है।

असम के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास-कार्य

2199. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के दो पर्वतीय क्षेत्रों अर्थात् मिकिर पर्वतीय जिले तथा उत्तर कछार पर्वतीय जिले में विकास कार्यों के लिए किसी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970–71 और 1971–72 के लिए कितनी धनराशि रखी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन दो पर्वतीय जिलों में विकास–कार्यों के लिए विशेष धनराशि की व्यवस्था करने पर विचार करेगी क्योंकि ये दोनों जिले पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक पिछड़े हुए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) असम राज्य की चौथी योजना के वि प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय सहायता आबंटित करते समय, मिकिर पहाड़ी जिला, कछार पहाड़ी जिला, शिलांग नगर पालिका क्षत्र, छावनी तथा वर्तमान–मेघालय राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र मिजोराम, जो कि उस समय असम राज्य में शामिल थे, कि विकास संबंधी जरुरतों और विशेष समस्याओं जिन पर पर्याप्त महत्व दिया गया, को ध्यान में रखा गया था।

(ख) और (ग). 1970-71 और 1971-72 में वर्तमान असम राज्य के इन दो जिलों को कितनी धनराशि प्रदान की गई थी – इस संबंधी में भारत सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अपेक्षित सूचना भेजने के लिए असम सरकार से अनुरोध किया गया है और वह जब भी प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1972-73 के लिए असम की वार्षिक योजना

2200. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम सरकार ने 1972-73 के लिए वार्षिक योजना की क्रियान्वित के लिये कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है, और

(ख) इस बारे में योजना आयोग ने क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). राज्य योजना 1972-73 के लिए, असम सरकार ने 50.61 करोड़ रुपये की राशि के योजना प्रस्तावों के कार्यान्वियन के लिए 45.41 करोड़ की केन्द्रीय सहायता मांगी। इसमें उन क्षेत्रों के लिए जो अब 21-1-1972 से संघ शासित क्षेत्र मिजोराम के भाग हैं, कतिपय

अनिर्दिष्ट परिव्यय भी शामिल है। राज्य के योगदान तथा केन्द्र द्वारा उपलब्ध किए गए संशोधनों के विश्लेषण के आधार पर, 43 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था जिसके लिए निम्नांकित वित्तीय व्यवस्था थी :—

(करोड़ रुपये)

केन्द्रीय सहायता	35.46
राज्य संसाधन	7.54
जोड़ .	43.00

43 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय में संघ शासित क्षेत्र मिजोराम के लिए 2.75 करोड़ रुपये भी शामिल है।

असम के राजनीतिक पीड़ितों के लिये ताम्र पत्र

2201. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम से जिन राजनीतिक पीड़ितों को भारतीय स्वतंत्रता की 25 वीं वर्ष गांठ के अवसर पर ताम्र पत्र प्रदान किये जाने के लिये चुना गया है, उनके नाम क्या हैं;

(ख) इस प्रकार चयन के लिये अपनाई गई कसौटी तथा प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या उक्त ताम्र पत्र के लिये असम से केवल 25 राजनीतिक पीड़ितों को ही चुना गया है यद्यपि इस पुरस्कार के लिये उक्त राज्य में अनेक राजनीतिक पीड़ित पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). ताम्र पत्र पूरे 25वीं जयन्ती वर्ष के दौरान हर महीने होने वाले समारोहों में उन सभी व्यक्तियों को प्रस्तुत किये जाने हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए छः महीने की जेल काटी थी। अतः असम की पूरी सूची असम सरकार द्वारा अभी तैयार की जा रही है।

इन समारोहों में से प्रथम समारोह 15-8-1972 को हुआ जो कि देशभर से केवल एक हजार स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सीमित था। असम के जिन व्यक्तियों को प्रथम समारोह में आमंत्रित किया गया, उनकी सूची संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3393/72**] यह सूची भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में असम सरकार द्वारा किये गये चयन पर आधारित है।

केरल में कुछ सम्प्रदायों द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा संस्थानों के अधिग्रहण के लिये अध्यादेश

2202. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में कुछ सम्प्रदायों द्वारा चलाये जा रहे शिक्षा संस्थानों के अधिग्रहण कर सकने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र से कहा है क्योंकि इन शिक्षा संस्थानों के प्रबन्धक उन्हें फिर से खोलने से इन्कार करते हैं जिस के परिणाम-स्वरूप बहुत से छात्र शिक्षा सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और प्रबन्धकों ने किन परिस्थितियों के कारण इन शिक्षा संस्थानों को बन्द किया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) तथा (ख) . केरल सरकार ने केरल गैरसरकारी कालेज (प्रबन्ध विनियमन) अध्यादेश, 1972 राष्ट्रपति के अनुदेशों के लिए भेजा है जिसमें राज्य सरकार को केरल के गैर-सरकारी कालेजों के प्रबन्ध को अस्थायी रूप से अपने हाथ में लेने के अधिकार की व्यवस्था है। अध्यादेश के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है।

परमाणु खनिजों के लिए विशेष सैल की स्थापना

2203. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में परमाणु खनिजों की जांच करने और उससे सम्बन्धित कार्यों में तालमेल के लिये एक विशेष सैल स्थापित करने का है; और

(ख) क्या प्रारम्भिक जांच कार्यों के परिणाम उत्साहवर्धक हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अपेक्षित परमाणु खनिज के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं उन्हें निकालने से सम्बन्धित विकास कार्य करना परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग का दायित्व है।

(ख) जी, हां। अपेक्षित विवरण परमाणु ऊर्जा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया जाता है, जिनकी प्रतियां माननीय सदस्यों को प्रसारित की जाती हैं तथा संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों को स्व-नियोजन की व्यवस्था करने के लिये कार्यक्रम

2204. **श्री निहार लास्कर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों को स्व-नियोजन देने के लिए एक नया कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों को स्व-नियोजन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु भारत सरकार द्वारा 1971–72 में प्रारंभ कि गई निम्नलिखित स्किमों से ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित व्यक्तियों को स्व-नियोजन के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है :

(1) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना

(2) उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता।

भारतीय जीव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग

2205. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय जीव-विज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सदस्य श्री जेकब कुरियन की सिफारिशों पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) नही, श्रीमानजी, सरकार की श्री जैकब कुरियन द्वारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर बनाए गए किसी भी सिफारिश की सूचना नही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नही होता।

कलकत्ता से भारतीय जीव-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय का स्थानान्तरण

2206. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता स्थित भारतीय जीव-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय का स्थानांतरण कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यालयों को स्थानांतरित करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम): (क) नही श्रीमान जी, कलकत्ता से भारतीय जीव-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के कार्यालयों के स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रस्ताव नही है ।

(ख) प्रश्न ही नही उत्पन्न होता ।

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए बिहार सरकार की योजना

2207. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में लगभग 64,000 शिक्षित, कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए विशेष योजना तैयार की है; यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि अपेक्षित है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये राज्य को कुछ वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी इस प्रकार की योजनाएं बनाई हैं और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए इन राज्यों को कितनी सहायता देने पर सहमत हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3394/72]**

शिमला समझौते के विरुद्ध आन्दोलन के पीछे बड़ी शक्तियां

2208. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1971 के "ट्रिब्यून' नामक समाचार पत्र; 'बिग पावर्स बिहाइन्ड एजिटेशन अगेन्स्ट शिमला एग्रीमेन्ट (शिमला समझौते के विरुद्ध आन्दोलन के पीछे बड़ी शक्तियां)' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस बारे में सरकार के पास और कोई सूचना नहीं है ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लोअर डिविजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नत करने संबंधी मानदंड

2209. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के बहुत से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लोअर डिविजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नत किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और सरकार ने मंत्रालयों तथा आम कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लोअर डिविजन क्लार्कों के रूप में पदोन्नत करने के लिए क्या मानदंड अपनाया है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). तीसरी श्रेणी के पद चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नत पद नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों पदों के कार्य-स्वरूप एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर प्राप्त अनुभव, लोअर डिविजन क्लर्कों के पदों के लिए कोई महत्वपूर्ण साबित हो सकता। तथापि, चतुर्थ श्रेणी के शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को तीसरी श्रेणी के पदों में प्रवेश के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से,अनेक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके अधीन ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रोजगार कार्यालयों में तीसरी श्रेणी के पदों के लिए अपने नाम दर्ज करा सकते हैं। रोजगार दफ्तर द्वारा नामांकित किये जाने पर, उनकी चतुर्थ श्रेणी में की गई सेवा की सीमा में आ ु की छूट देते हुए, उन्हें इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति किये जाने के लिए विचार किया जा सकता है, जिस कार्यालय में वे काम कर रहे हों हालांकि उस कार्यालय के श्रेणी तीन के पदों पर नियुक्ति करने हेतु विचार किया जा सकता है, जबकि उनका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों के बीच में नहीं है। इसके अतिरिक्त लोअर डिविजन क्लर्कों के पदों की रिक्तियों के 10 प्रतिशत स्थान चतुर्थ श्रेणी के शैक्षिक अहता प्राप्त कमचारियों के लिए आरक्षित किये गए हैं, जो चतुर्थ श्रणी के उन कर्मचारियों में से परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिनकी उम्र 45 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिए 50 वर्ष) है। यह योजना रेलवे, डाक व तार, और भारतीय लेखा-परीक्षा व लेखा विभाग में लागू नहीं है, जिनकी अपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को श्रेणी तीन के पदों पर नियुक्त करने के लिये अपनी निजी योजना है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में काम कर रहे 599 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने 10 प्रतिशत आरक्षित रिक्तियों के हेतु नियुक्ति के लिए अप्रल,1970 में हुई सीमित परीक्षा में सम्मिलत होने के लिए आवेदन पत्र दिये थे, जिन में से 341 उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दी गई थी तथा अन्त में इनमें से 91 लोवर डिविजन क्लर्कों के पद पर नियुक्त किए गए थे। इसी प्रकार दिसम्बर, 1970 और जून, 1971 में हुई सीमित परीक्षा के फलस्वरूप क्रमशः 81 और 65 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लोवर डिविजन क्लर्कों के पदों पर नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार मंत्रालयों/विभागों के कुल 599 चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों में से, जिन्होंने श्रेणी तीन के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता का दावा किया था, अब तक कुल 237 कर्मचारियों को लोवर डिविजन क्लर्कों के पदों पर नियुक्त किया गया है। मंत्रालयों/विभागों में काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी के केवल 285 कर्मचारियों ने जून, 1972 में होने वाली सीमित परीक्षा में बैठने के लिए प्रार्थना पत्र भेजे हैं और आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में शैक्षिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को श्रेणी तीन के पदों पर नियुक्ति के लिए उचित अवसर प्राप्त होंगे।

महंगाई भत्ता सूत्र के सम्बन्ध में मध्यस्थता

2210. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों की यह मांग स्वीकार कर ली है कि यदि दोनों पक्षों में मतभेद है, तो महंगाई भत्ता निश्चित करने वाले सूत्र पर मध्यस्थ नियुक्त किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा):(क) तथा (ख). संयुक्त परामर्शदात्री मध्यस्थ योजना के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध किया था कि महंगाई भत्ता निश्चित करने वाले सूत्र का संशोधन किया जाए ताकि :—

(1) औसत सूचकांक की वृद्धि को निश्चित करने के लिए 12 मास से 3 मास के काल-घटक में घटाया जाए;

(2) अंक-घटक में औसत 10 अंकों के स्थान पर औसत 5 अंकों में घटाया जाए;

(3) श्रेणी IV तथा श्रेणी III के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों में प्रत्येक एकल कर्मचारी के वेतन का पूर्ण तटस्थता के आधार पर प्रमात्रा घटक का परिकलन किया जाए; तथा

(4) 1,000 रुपये तक मासिक मूल वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए सूक्ष्मान्न आधार पर महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाए ।

2. इस मांग के बारे में कोई सहमति न हो पाई, इसलिए राष्ट्रीय परिषद की 29 तथा 30 मई, 1970 को आयोजित की गई बैठक में महंगाई निश्चित करने वाले सूत्र पर मध्यस्थता के सम्बन्ध में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाये गये विषय पर असहमति जाहिर की गई, सरकार ने यह निर्णय किया है कि कर्मचारी पक्ष की विशिष्ट मांग जिसे उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट किया गया है, उसे विवाचन योग्य समझा जाएगा ।

तमिलनाडु में कृषक आन्दोलन

2211. **श्री बनमाली पटनायक :**

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने उन्हें कृषक आन्दोलन तथा उनकी मांगों के संबंध में पत्र भेजा है ;

(ख) क्या किसानों की मांगें इस सम्बन्ध में केन्द्रीय नीति के विपरीत हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली मई में हुई एक बैठक में आम सहमति थी कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये अतिरिक्त साधनों के बढ़ाने की सभी संभावनाओं का पता लगाना आवश्यक है । किन्तु संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टियों से संबंधित कराधान उपाय पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के विचार का विषय हैं ।

(ग) भारत सरकार तथा योजना आयोग उत्सुक हैं कि राज्य सरकारें अपनी विकास योजनाओं की अर्थ व्यवस्था के लिये अतिरिक्त साधन जुटाय जिस प्रकार भारत सरकार देश के विकास के लिये अतिरिक्त साधन जुटाती रही है । आजतक कभी भी इस प्रकार साधन जुटाने की आवश्यकता का प्रश्न विवादास्पद नहीं रहा किन्तु ऐसे साधनों को जुटाने के लिय विशिष्ट तरीकों के संबंध में यदि कोई भ्रम पैदा हो तो लोकतंत्रीय ढंग से उसका निवारण किया जाना चाहिये ।

टाटा बन्धुओं, बिड़ला बन्धुओं तथा साहू जैन बन्धुओं जैसे बड़े उद्योग गृहों के सम्बन्ध में जांच कार्य

2212. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े उद्योग गृहों के संबंध में जांच आयोग ने अभी तक किसी मामले को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो टाटा बन्धुओं, बिड़ला बन्धुओं तथा साहू जैन बन्धुओं की फर्मों के संबंध में जांच कार्य कब तक किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग द्वारा की जा रही जांच पड़ताल जिसमें टाटा, बिड़ला और साहू जैन से संबंधित सार्थ भी सम्मिलित हैं, प्रगति पर हैं । आयोग के अनुरोध पर, सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 18-2-1972 से एक साल और बढ़ा दी गई है ।

भारतीय स्वाधीनता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर ताम्र-पत्रों का वितरण

2213. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या (एक) गदर पार्टी, (दो) प्रथम विश्व युद्ध भारत-जर्मनी षड्यन्त्र मामला, (तीन) काकोरी षड्यन्त्र मामला, (चार) चटगांव शस्त्रागार पर छापे का मामला, (पांच) लबंग (दार्जिलिंग) गोलीकांड मामला, (छह) का मिल्ला डी० एम० गोलीकाण्ड मामला, (सात) अन्तर्प्रान्तीय षड्यन्त्र मामला, (आठ) क्रान्तिकारी संघर्ष से सम्बद्ध अन्य षड्यन्त्र के मामलें, (नौ) अन्दमान सैल्यूलर जेल के बन्दी, (दस) ऐसे भूतपूर्व सिद्धदोष व्यक्ति जिन्हें क्रान्तिकारी गतिविधियों के सम्बन्ध में आजीवन कारावास दिया गया था और (ग्यारह) अगस्त क्रान्ति के वीर, विशेषकर बलिया, बेहर, मिदनापुर, बैलूरघाट तथा सितारा से सम्बन्धित नेताओं, भाग लेने वालों तथा भूतपूर्व सिद्धदोष व्यक्तियों को भारतीय स्वाधीनता की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर ताम्र-पत्र दिये जायेंगे और उनका स्वागत किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के कारण कम से कम छः महीने की जेल काटी है, ताम्र-पत्रों के पात्र हैं । राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से इसी आधार पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की सूचियां तयार करने को कहा गया था ।

सिलेक्शन ग्रेड स्टेनोग्राफरों की अवर सचिवों के पदों पर पदोन्नति

2214. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** 5 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सिलेक्शन ग्रेड के कितने स्टेनोग्राफरों को अवर सचिव के पदों पर पदोन्नत किया गया;

(ख) उसी अवधि में कितने अनुभाग अधिकारियों को अवर सचिव के पदों पर पदोन्नित किया गया;

(ग) क्या सिलेक्शन ग्रेड स्टेनोग्राफरों और अनुभाग-अधिकारियों—दोनों वर्गों की वरिष्ठता सूची एक ही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुछ नहीं । केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के सिलेक्शन ग्रेड का प्रारम्भ 1 अगस्त, 1969 से किया गया, जब कि इस सेवा का पुनर्गठन किया गया था और सिलेक्शन ग्रड स्टनोग्राफरों को अवर सचिव के ग्रेड में केवल इस वर्ष से ही पदोन्नति के लिये विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है । 1-8-1969 के पूर्व, ग्रेड-1 के स्टेनोग्राफर को अवर सचिव के रूप में पदोन्नति के लिये अनुभाग अधिकारी ग्रेड से पात्रता प्राप्त थी ।

(ख) 220 (इसमें 9 अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के भूतपूर्व ग्रेड-1 से अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था) ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के सिलेक्शन ग्रेड अधिकारियों की संयुक्त वरिष्ठता सूची को अवर सचिव के रूप में पदोन्नति के लिये अनुमोदित अधिकारियों की प्रवर सूची तैयार करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड-1 में पदोन्नति तथा सिलेक्शन ग्रेड) विनियम, 1964 के अनुसार तैयार किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेशमी वस्त्रों पर बिक्रीकर

2215. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल एसोसियेशन ने शुद्ध रेशमी वस्त्रों पर बिक्री कर लगाने वाली अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). दिल्ली हिन्दुस्तानी मर्केन्टाइल एसोसियेशन, दिल्ली से सरकार का एक अभ्यावेदन मिला है, जिसमें एसोसियेशन ने शुद्ध रेशमी वस्त्रों पर बिक्री कर को वापस लेने के लिये अनुरोध किया है । बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने की योजना के अन्तर्गत "रेशमी वस्त्र" आ जाते थे । रेशमी वस्त्रों पर से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क उठा लेने से घोषित वस्तुओं की सूची से रेशमी वस्त्र भी समाप्त हो गया था । इस प्रकार उस पर बिक्री कर लगाने का राज्य को अधिकार हो गया था । उत्तरी क्षेत्र के लिये बिक्री कर की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में "रेशमी वस्त्रों" पर बिक्री कर लगाने का निर्णय किया गया था । दिल्ली में बिक्री कर का लगाया जाना इसी सिफारिश के अनुसार था । कर लगाये जाने के बाद दिल्ली के व्यापारियों से इस कर को लगाने के विरुद्ध आवेदन प्राप्त हुए हैं । यह निश्चय किया गया है कि आवेदनों को देखते हुये मामले को पुनः क्षेत्रीय परिषद के समक्ष विचार के लिये रखा जायेगा । परिषद की अगली बैठक सम्भवतः किसी समय सितम्बर, 1972 के पश्चात होगी ।

भूतपूर्व सनिकों और शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए पदों का आरक्षण

2217. **श्री के० लकप्पा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी श्रेणी के $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत रिक्त पद और तीसरी श्रेणी के $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत रिक्त पद भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुये सैनिकों के आश्रितों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आरक्षण किस तारीख तक लागू रहेंगे ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी III के पदों की प्रत्येक श्रेणी में तथा प्रत्येक श्रणी III सेवा के ऐसे पदों में 10 प्रतिशत रिक्तियों के लिए और श्रेणी IV के पदों की प्रत्येक श्रेणी तथा श्रणी IV सेवा के ऐसे पदों में 20 प्रतिशत रिक्तियों के हेतु आरक्षणों की व्यवस्थां की गई है। आदेशों में यह भी व्यवस्था की गई है कि भूतपर्व सैनिकों की किसी श्रेणी के पदों के लिए आरक्षणों की प्रतिशतता में किसी एक भर्ती वर्ष में उस सीमा तक वृद्धि अथवा कमी कर दी जाएगी जो कि भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की (जिसमें अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आनीत शेष आरक्षण शामिल हैं) और यथास्थिति अन्य श्रेणीयों को मिला कर कुल संख्या उस वर्ष में भरी गई उस श्रेणी के पदों की रिक्तियों के पचास प्रतिशत से ठहरती हो। युद्ध में शहिद हुए व्यक्तियों के आश्रितों क लिए श्रणी III तथा IV के पदों में आरक्षणों को व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि विद्यमान अनुदेशों के अन्तर्गत रक्षा सेवा के युद्ध में शहीद हुए कार्मिकों के परिवार के दो सदस्य रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराये बिना सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी III तथा IV के पदों पर नियुक्त किए जाऐंगे।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षणों के आदेश 30 जून, 1974 तक लागू रहेंगे।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट द्वारा इमली के पत्तों से टार्टरिक ऐसिड बनाने हेतु एक प्रक्रिया का विकास

2218. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला ने इमली की पत्तियों से टार्टरिक ऐसिड बनाने की प्रक्रिया का विकास किया है ;

(ख) क्या दक्षिण भारत में इमली की पत्तियां बहुतायत में उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वाणिज्यिक स्तर पर उसका उपयोग करने के बारे में विचाराधीन रही है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

(ख) यह सूचित किया गया है कि, कुछ क्षेत्रों में पत्तियां पर्याप्त मात्रा में एकत्र करने की संभावना है।

(ग) प्रक्रिया के व्यापारिक प्रयोग के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन० आर० डी० सी०) इच्छुक पार्टियों के साथ बात-चीत कर रहा है।

इंडियन आक्सीजन द्वारा आर्गोन गैस का निर्यात

2219. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आक्सीजन को आर्गोन गैस का निर्यात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जब कि देश में इसकी कमी है ;

(ख) उस उपक्रम का नाम क्या है जो देश में आर्गोन गैस का सबसे बड़ा निर्माता है; और

(ग) आर्गोन गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि० द्वारा आर्गेन गैस का निर्यात 1968 में तब आरम्भ किया गया था जब दश में गैस का उत्पादन स्थानीय मांगे से अधिक था और यथासम्भव बहुत से उद्योगों में निर्यात आन्दोलन पर काफी जोर दिया गया था। आर्गेन गैस की कमी के बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि० से कहा गया है कि वह अपने निर्यात को कम कर दे ।

(ख) मैसर्स इंडियन आक्सीजन लि० कलकत्ता ।

(ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के ट्राम्बे स्थित एकक आर्गेन गैस का उत्पादन बढ़ाने के अलावा सरकार ने आर्गेन गैस का उत्पादन करने के लिय अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने हेतु आशय पत्र जारी कर दिए हैं कुछ विद्यमान एककों को भी उनके एयर सेपरेशन से आर्गेन उपलब्ध करने की व्यवस्था करने में सहायता की गई है ।

देश में स्थापित किये गये यंत्रीकृत ईटें बनाने वाले संयंत्र

2220. श्री हरिकिशोर सिंह :

श्री के० गालन्ना :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईटें बनाने के लिये देश में स्थापित किये गये यंत्रीकृत ईटें बनाने वाले संयंत्र घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कौन-कौन से संयंत्र घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) क्या इन संयंत्रों का उत्पादन भी कम हो गया है और इन संयंत्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 'ईटें' बनाने का उद्योग ऐसा उद्योग नहीं है जिसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की अनुसची में सम्मिलित किया गया हो। अतः उनके सभी एकक भारत सरकार को अपने उत्पादन की सूचना नहीं भेजते हैं । किन्तु उत्पादन के जो आंकड़े दिये गय हैं उनसे पता चलता है कि यंत्रीकृत प्रक्रिया से भवन निर्माण वाली ईटों के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है ।

नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम) द्वारा स्थापित यंत्रीकृत प्रक्रिया से ईटें बनाने वाले एक एकक में व्यावहारिक रूप में 1967-68 में इसके स्थापित होने के वर्ष से ही घाटा हो रहा है । संयंत्र के कार्य संचालन में सुधार करने के उद्देश्य से विशेषज्ञों द्वारा अनेक अध्ययन कराये गये हैं । दिसम्बर, 1971 में गठित एक समिति ने मार्च, 1972 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी सिफारिशों पर निर्माण और आवास मंत्रालय में विचार किया जा रहा है ।

बेरोजगार स्नातकों के बारे में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक विभाग का प्रतिवेदन

2221. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **विज्ञान और औद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार तथा अपर्ण रोजगार प्राप्त स्नातकों तथा ऐसे स्नातकों के बारे में जिन्होंने रोजगार के लिये प्रयत्न करना बन्द कर दिया है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक विभाग द्वारा किये गये अध्ययन का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) 1971 की जनगणना में एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक विभाग ने देश में तकनीकी कार्मिकों एवं अन्य स्नातकों की बेरोजगारी का एक अध्ययन किया था । रोजगार प्राप्त अथवा ऐसे स्नातकों को, जिन्होंने रोजगार सम्बन्धी प्रयत्न करना छोड़ दिया है, उक्त अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) अप्रैल, 1971 में बेरोजगारों की अनुमानित संख्या 5,79,858 थी । ये व्यक्ति विज्ञान, कृषि, कला या वाणिज्य में कम से कम प्रथम श्रेणी में उपाधि प्राप्त थे अथवा इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी या चिकित्सा में डिप्लोमा धारी थे ये लोग सभी वर्गों में बेरोजगारों की अनुमानित कुल संख्या के 19.1% अथवा 1/5 भाग थे । इनमें से 1,58,574 व्यक्ति रोजगार की तलाश में नहीं थे, क्योंकि उनमें अधिकांश (1,27,644) महिलायें थीं । उन्होंने रोजगार पाने की कोशिश क्यों नहीं की, इसका कारण मालूम नहीं है ।

अध्ययन द्वारा पता चला है कि व्यावसायिक-उपाधि-धारियों में चिकित्सकों तथा पशु-चिकित्सकों में बेरोजगारी बहुत कम अथवा 5-6 प्रतिशत के बराबर थी । दूसरे नम्बर पर कृषि के स्नातकोत्तर व्यक्ति आते हैं जिनमें बेरोजगारी लगभग 8% थी । इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी के स्नातक और साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिक तथा विज्ञान के स्नातकोत्तर व्यक्तियों में बेरोजगारी कुछ अधिक है जो 11 से 15 प्रतिशत के बीच में है ।

सभी वर्गों में सबसे अधिक बेरोजगार प्रथम श्रेणी के विज्ञान के स्नातक हैं जो लगभग 25% हैं—कला स्नातक (केवल प्रथम श्रेणी में) 24% के लगभग हैं ।

भारत सरकार शिक्षित व्यक्तियों में फैली बेरोजगारी से चिन्तित है और इसको कम करने के लिये कुछ उपाय भी किये गये हैं । बेरोजगारी का अध्ययन करने तथा उपचारात्मक उपाय बताने के लिये एक 'बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति' नियुक्त की गई है । शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिये चौथी योजना में 50 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है । इसमें से 20 करोड़ रुपये इसी वर्ष के बजट में आबंटित किये गये हैं । योजना आयोग द्वारा 27 करोड़ रुपये की एक धनराशि निर्धारित की गई है । यह राशि राज्य सरकारों को रोजगार के विशेष कार्यक्रम जुटाने के लिये आबंटित की गई है । इस कार्य के लिये राज्य सरकारों को भी 27 करोड़ रुपये और लगाने होंगे । उद्योगी बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंक भी वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं । योजना आयोग और राज्य सरकार भी बेरोजगारी की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं ।

इनके अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों को विशेष रूप से सहायता करने के लिये वैज्ञानिक का पूल, अनुसंधान छात्रवृत्तियां, अधिसंख्यक नियुक्तियां जैसी योजनाएं भी कार्यरत हैं ।

बेरोजगार इंजीनियरों के बारे में सर्वेक्षण

2222. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर बेरोजगार इंजीनियरों के बारे में सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सन् 1971 की जनगणना की मुख्य सूची में जो जांच के लिये सार्वभौमिक आधार पर बनाई गई थी कोई बेरोजगारी का प्रश्न नहीं पूछा गया था ।

किन्तु मुख्य सूची के साथ एक पूरक विशिष्ट सूची में जिसको "उपाधिधारक तथा तकनीकी कर्मचारी कार्ड" कहा जाता है केवल उपाधिधारक तथा तकनीकी डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र धारक लोगों की गणना की स्वयं गणना पद्धति द्वारा जांच की गई थी । इस पूरक सूची में समाहित सूचना को व्यापक नहीं कहा जा सकता । इस विशिष्ट सूची के विषयों में एक मद बेरोजगार इंजीनियरों के बारे में थी ।

(ख) उक्त (क) में लिखित विषय-मद की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(I) लिंग भेद के अनुसार बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या—

(क) स्नातक स्तरों तथा उससे ऊपर ।

(ख) डिप्लोमा स्तर—इंजीनियरों के प्रत्येक क्षेत्र में—जैसे (i) कृषि इंजीनियरी (ii) आर्किटेकचर/नगर तथा ग्राम्य योजना (iii) सिविल (iv) इलैक्ट्रिकल (v) इलेक्ट्रोनिक/टेलीकम्युनिकेशन रडियो (vi) मेकिनिकल (vii) केमिकल (viii) माइनिंग (ix) मटोलाजी (x) आटो इंजीनियरिंग (xi) एरो-इंजीनियरिंग (xii) जन स्वास्थ्य/सेनिटेरी इंजीनियरिंग/प्रोडक्टिव/इंडस्ट्रियल इंजिनियरिंग (xiii) अन्य इंजिनियरिंग तथा तकनीकी ।

(II) रोजगार ढूंढने वाले बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या तथा

(III) रोजगार न ढूंढने वाले बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या ।

उपरोक्त लक्षणों के अनुसार बेरोजगार इंजीनियरों के अस्थाई आंकड़े संलग्न सूची में दिए गए हैं । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-3395/72]**

भारत में नेपाली भाषा बोलने वाले व्यक्ति

2223. **श्री रतन लाल ब्राह्मण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर भारत में नेपाली भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मातृ भाषा सम्बन्धी सन् 1971 की जनगणना के आंकड़े अभी तैयार किये जा रहे हैं इसलिये इस समय अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पिछड़े क्षेत्रों के संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया ज्ञापन

2224. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सत्र के अन्त में चिरकाल से पिछड़े क्षेत्रों के संसद् सदस्यों ने उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन की जांच की जा रही है ।

Unemployed among Engineering Graduates

2225. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Central Government are adopting various measures to solve the unemployment problem of Engineering Graduates;

(b) if so, whether Government are also preparing the schemes for the graduates of other subjects; and

(c) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. L.T.-3396/72.]

Scheme to solve Unemployment

2226. **Shri J. G. Kadam** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the amount spent by each State Government by the end of March, 1972 out of Rs. 25 crores provided by the Central Government for all the States in the Budget for 1971-72 for employment scheme; and

(b) the number of unemployed persons who got employment State-wise under the said scheme indicating the nature of work provided to them?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). Detailed State-wise information regarding the progress of schemes for educated unemployed has already been laid on the Table of the House in reply to Unstarred question No. 1435 answered on 9-8-1972. Attention of the Hon. member is invited to the said information.

Employment provided to Educated Unemployed

2227. **Shri J. G. Kadam** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether an amount of Rs. 50 crores was provided in the Central Government Budget for the year 1971-72 for educated unemployed persons; and

(b) the number of educated unemployed persons provided with employment, State-wise, together with the nature of employment so provided and the amount out of it given to each State for this purpose?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) and (b). Detailed State-wise information regarding the progress of schemes for educated unemployed has already been laid on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 1435 answered on 9-8-72. Attention of the Hon. Member is invited to the said information.

अखबारी कागज के उद्योग के बारे में विशेषज्ञ समिति

2228. **श्री निहार लास्कर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज की सप्लाई, मांग, आवश्यकता तथा उपयोग के प्रश्न पर सरकार तथा समाचारपत्र उद्योग दोनों को सलाह देने के लिये एक निष्पक्ष "विशेषज्ञ समिति" स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इस समस्या का किस प्रकार समाधान करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अखबारी कागज़ एवं अखबार छापने की मशीन और अन्य सम्बन्धित वस्तुओं की आयात और आबंटन करने की नीति के प्रश्न पर सरकार को सलाह देने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक अखबारी कागज़ सलाहकार समिति पहले से ही गठित की हुई है । अन्य किसी विशेषज्ञ समिति को स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्म-निर्भरता

2229. **श्री निहार लास्कर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अर्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यथासम्भव शीघ्र आत्म-निर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कोई नये प्रयास किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गय हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). अपेक्षाकृत अधिक देसी उत्पादन तथा अधिक आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को बढ़ाने के लिये वार्षिक योजनाओं में विशेष कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं । 1972-73 की वार्षिक योजना में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में कपास, पटसन तथा तिलहन की उपज को बढ़ाने के लिये विशेष कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं । औद्योगिक उत्पादन से संबंधित कार्यक्रमों में ऐल्यूमिनियम तथा तांवा के मामले में क्षमता और वृद्धि करने के लिये अतिरिक्त व्यवस्था है तथा तेल की खोज और पेट्रोलियम के परिष्करण तथा इस्पात और उर्वरकों की वर्तमान क्षमता के सदुपयोग के लिये अपेक्षाकृत अधिक आवंटन किया गया है । पटसन तथा सूती वस्त्र उद्योगों के आधुनिकीकरण और अन्य निर्यात-प्रधान उद्योगों पर पड़ने वाले दबावों को कम करने हेतु काम प्रारम्भ करने के लिये भी व्यवस्था की गई है ।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय समिति प्रौद्योगिकी तथा खनन और वस्तु-निर्माण मशीनरी तथा उपकरणों, रसायनों अलोह धातुओं, विशिष्ट मिश्र धातुओं ईंधन और खनिजों की उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन की गुंजाइश का पता लगा रही है । सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से संबंधित एक कायकारी समिति क्षमता के उपयोग

में सुधार करने के लिये प्रत्येक उद्योग के संबंध में ठोस सिफारिशें करने में लगी हुई है। साथ ही उत्पादन सम्बन्धी बाधाओं का पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के लिये उपाय सुझाने के लिये निजी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योगवार अध्ययन किए जा रहे हैं।

भारतीयों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को सिविल सेवा में नियुक्ति के लिये जारी किये गये पात्रता प्रमाणपत्र

2230. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय नागरिकों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को सिविल सेवाओं में और केन्द्र सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये कितने पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये गये ;

(ख) ये व्यक्ति किस-किस देश के हैं और उनकी राष्ट्रीयता क्या है ;

(ग) ऐसे पात्रता प्रमाण-पत्र किन आधारों पर दिये जाते हैं ; और

(घ) क्या उन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति भारत-पाक युद्ध के दौरान तोड़-फोड़ की गतिविधियों में लगा हुआ पाया गया ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). 1 मई, 1969 से लेकर 30 अप्रैल, 1972 तक की अवधि के दौरान, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये, 31 पात्रता प्रमाणपत्र भारतीय नागरिकों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को जारी किए गए। इनमें से 25 नेपाल से, 4 पाकिस्तान से, 1 बर्मा से तथा 1 केनिया से थे।

(ग) नियमानुसार, भारत सरकार की यह नीति है कि गैर-भारतीयों को सरकार के अधीन सिविल पदों पर रोजगार की अनुमति न दी जाए। तथापि, कुछ पड़ौसी देशों के नागरिकों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों, जो कतिपय विदेशी राष्ट्रों से भारत में स्थायी रूप से बसने के लिये आ चुके हैं, के मामलो में छूट दी गई है। ऐसे मामलों पात्रता प्रमाणपत्र देने के पहले, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं को इस बात से भली भांति सन्तुष्ट कर लें कि उम्मीदवार नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(घ) हालांकि ऐसा कोई विशिष्ट उदाहरण अभी तक ध्यान में नहीं आया है, तथापि सम्बधित प्राधिकारियों से स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

हाल ही में आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं से हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी

2231. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन डाकुओं ने हाल ही में मध्य प्रदेश में शान्ति मिशन के समक्ष आत्म समर्पण किया था उनसे कितनी संख्या में हथियार और गोलाबारूद बरामद किया गया ;

(ख) उनमें से कितने हाथियार निषिद्ध श्रेणी के थे; और

(ग) उन डाकुओं से बरामद किये गये हथियारों और गोलाबारूद की लगभग कितनी कीमत है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (एफ० एच० मोहसिन) : (क) उन डाकुओं से, जिन्होंने अप्रैल के मध्य से जुलाई, 1972 के अंत तक आत्मसमर्पण किया है, 271 हथियार और लगभग 18000 कारतूस बरामद किये गये थे ।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण

2232. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशानिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को, जिनकी सेवायें विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिये निर्धारित की जाती है, अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जाती है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन अधिकारियों को एक राज्य से अन्य राज्य में स्थानान्तरित करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग प्रबन्ध को नियंत्रित करने वाले नियमों के अन्तर्गत, इन दो अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहमति से स्थानान्तरित किया जा सकता है । सरकार की सामान्य नीति के अनुसार केवल प्रशासनिक/सार्वजनिक हित या वैयक्तिक आधार पर विशेष परिस्थितियों में एक अन्तसंवर्ग स्थानान्तरण किए जाते हैं ।

पंजाब तथा हरियाणा के कृषि उद्योग निगम को लाइसेंस दिया जाना

2233. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में पंजाब तथा हरियाणा के औद्योगिक विकास निगम तथा कृषि उद्योग निगमों को कितने लाइसेंस जारी किए गए ;

(ख) उनके द्वारा अलग अलग वास्तव में कितने लाइसेंसों का उपयोग किया गया तथा कितने कारखाने स्थापित किए गए ;

(ग) निगमों के पास अभी कितने लाइसेंस अप्रयुक्त पड़े हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन लाइसेंसों का शीघ्र उपयोग करने के बारे में कुछ समय सीमा निर्धारित करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मै० पंजाब ट्रैक्टर्स लि०, मै० पंजाब ब्रुवरिज लि० और हरियाणा डेयरी विकास निगम को मिलाकर पाँच लाइसेंसों जारी किए गये हैं।

(ख) और (ग). ये लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न आवश्यकताओं में हैं। आम तौर पर एक उद्योग में उत्पादन शुरू होने में दो से तीन वर्ष तक का समय लगता है।

(घ) औद्योगिक लाइसेंस की संबद्ध शर्तों के अनुसार 12 महीने का समय रखा गया है इसमें उद्योग स्थापित हो जाना चाहिये?

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु लाइसेंस जारी करना

2234. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों में उ ोगों की स्थापना करने हेतु भारत में विभिन्न पार्टियों को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए ;

(ख) उक्त अवधि में इन लाइसेंसों के जारी किए जाने के फलस्वरूप अब तक कितने उद्योग स्थापित हुए हैं और इस प्रकार स्थापित हुए उद्योगों का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार लाइसेंस देने के पश्चात् उद्योग की स्थापना करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित समय सीमा क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पर्याप्त विस्तार नये उपक्रमों या नये सामान के लिये 89 और काम चलाने के लिय 63 लाइसेंस दिये गये हैं।

(ख) 34 उद्योगों की स्थापना के बारे में अभी तक सूचना प्राप्त हुई है। इनमें धातु-कर्मी उद्योग, बायलर और स्टीम जनेरेटिंग संयंत्र, विद्युत उपकरण, टेलीकम्युनिकशन, परिवहन, रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त), खाद्य और परिष्करण उद्योग, वनस्पति तेल और वनस्पति, कांच और मृत्तिका उद्योग सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ). औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों में साधारणतया 12 माह की अवधि की सीमा निर्धारित की गई होती है, जिसके अन्दर ही उद्योग की स्थापना हो जानी चाहिये।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा बनाया गया चिकित्सा औद्योगिक टेलीविजन

2235. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** :

श्री वेकारिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा एक नये चिकित्स-औद्योगिक टेलीविजन का डिजाइन तैयार किया गया है, यदि हाँ, तो नये टेलीविजन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ख) नये उपकरण की निर्माण लागत क्या है ; और

(ग) आयातित माडल की लागत की तुलना में यह कैसा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन ने विभिन्न चिकित्सा तथा उद्योग संबंधी प्रेक्षणों जैसे कि इलैक्ट्रो-कारडियोग्राम, तापमान, नाड़ी की गति, स्वांस प्रक्रिया, रक्तचाप, सांधातिक हृदय धड़कन आदि का प्रबोधन तथा प्रदर्शन करने हेतु एक बहुसरणी प्रदर्शन एकक का डिजाइन तैयार किया है तथा उसका विकास किया है, इसके साथ ही प्रवाह, दबाव, कम्पन तथा क्रमभंगता आदि का भी बहुसरणी प्रदर्शन किया जा सकता है।

(ख) तथा (ग). केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडिगढ़ ने सूचित किया है कि प्रत्येक ऐसे एकक की कीमत लगभग 5000 रुपये होगी और जबकि समान आयातित एकक का मूल्य 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक के आर्डर का होगा।

तमिल दैनिक के कार्यालय को लूटे जाने के पश्चात् उसके लिए, लिये गए चित्रों वाली न्यूजरील

2236. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 जून, 1972 को लोगों के एक दल द्वारा प्रमख तमिल दैनक 'अलाई ओसाई' के कार्यालय को लूटे जाने के तुरन्त पश्चात् फिल्म प्रभाग ने उस कार्यालय के चित्र लिये थे ;

(ख) क्या इन चित्रों वाली न्यूजरील को मद्रास में सिनेमाघरों से, केवल एक दिन दिखाने के बाद वापिस ले लिया गया था, यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) किस व्यक्ति ने इसकी वापिसी के आदेश दिये थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). संबंधित न्यूजरिल के उस अंश का जो 'अलाई ओसाई' पर आक्रमण के बारे में था तमिल नाडु राज्य में प्रदर्शन राज्य सरकार के कहने पर फिल्म प्रभाग के स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा वापिस लिया गया था ।

इण्डियन टेलिफोन इण्डस्ट्रीज में विदेशी शेयर

2237. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **संचार** मंत्री इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में विदेशी शेयरों के बारे में 24 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 980 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में विदेशी कम्पनियों के शेयरों के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) और (ख). मामला अभी सरकार के विचाराधिन है ।

प्रधान मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्य मंत्रियों को संदेहास्पद नक्सलवादियों के साथ मानवीय व्यवहार करने के लिये लिखा गया कथित पत्र

2238. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, केरल, उड़ीसा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों को संदेहास्पद नक्सलवादियों के साथ मानवीय व्यवहार करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1 मई, 1972 को प्रधान मंत्री ने आन्ध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और केरल के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे थे कि नक्सलपंथी गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त संदिग्ध व्यक्तियों के साथ विचारशील व मानवीय व्यवहार करने से ही अतिवाद के पुनः प्रकोप को समाप्त करने में सहायता मिल सकती है। इन व्यक्तियों के लम्बी अवधि के पुनर्वास के लिए कुछ ठोस उपायों का भी सुझाव दिया गया था।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पंजाब के मुख्य मंत्रियों ने अपने उत्तर में प्रधान मंत्री के सुझाव पर अपनी सहमति व्यक्त की है और सूचित किया है कि तदनुसार कदम उठाये जा रहे हैं। शेष तीन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से उत्तर की प्रतीक्षा है।

जापान की "मित्सुबिशी" के सहयोग से सूक्ष्म औजारों का निर्माण

2239. **श्री के० लक्कप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जापानी कम्पनी "मित्सुबिशी" हैवी इण्डस्ट्रीज लि० ने भारत में सूक्ष्म औजारों के निर्माण तथा विक्रय में तकनीकी सहायता देने के लिए एक भारतीय कम्पनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मेसर्स एस० आर० पी० टूल्स लि०, मद्रास ने मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लि०, टोकियो, जापान के साथ कटिंग टूल्स जैसे होल्स, गियर शेयर कटर्स, ब्रोचेस और शेविंग कटर्स के उत्पादन के लिये एक तकनीकी करार पर हस्ताक्षर किये हैं। तकनीकी सहयोग करार को सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

पालामऊ (बिहार) का विकास

2240. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिला पालामऊ (बिहार) का औद्योगिकीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या उक्त जिले के औद्योगिकीकरण के लिए अब तक कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). बिहार स्थित पालामऊ जिला देश के उन 225 जिलों में से है जिनका नये उद्योग प्रारम्भ करने में रुचि उत्पन्न करने तथा वर्तमान उद्योगों के विस्तार हेतु योजना आयोग द्वारा वित्तीय संस्थानों से रियायती धन राशि प्रदान करने के लिये चयन किया गया है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना की ग्रामीण उद्योग परियोजना की द्वितीय क्रमावली में पालामऊ जिले का चयन किया गया है। औद्योगिक विकास की योजना तैयार करने तथा औद्योगिक विभव का सर्वेक्षण करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं। 1973–74 के अन्त तक इन प्राथमिक कार्यों के पूर्ण हो जाने की आशा है। वर्ष 1972–73 में प्रारम्भिक कार्यों के लिये आवश्यक धनराशि राज्य सरकार को दे दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार के लिए नई दिल्ली में स्थापित किया जाने वाला सूचना केन्द्र

2241. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निर्णय किया गया था कि बिहार के लिए नई दिल्ली में एक सूचना केन्द्र खोला जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). कुछ राज्य सरकारों ने अपने लिए दिल्ली में सूचना केन्द्र खोले हैं। भारत सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है कि बिहार सरकार का इस प्रकार का केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

छोटा नागपुर के विकास के लिए योजना

2242. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने छोटा नागपुर के विकास के लिए कोई विशेष योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). योजना आयोग ने छोटा नागपुर विकास के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। जिला/प्रादेशिक योजना बनाना मूलत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । तथापि बिहार सरकार को सुझाव दिया गया था कि छोटा नागपुर तथा सन्थाल परगनों के पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्षेत्रिय योजनाएं बनाई जानी चाहिए। छोटा नागपुर मंडल तथा सन्थाल परगना जिला के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित किए गए योजना विकास प्राधिकार ने इस उद्देश्य के लिए आयोजनादल गठित करने का निश्चय किया है ।

डाक व तार विभाग के डिवीजन तथा सब-डिवीजन के गठन सम्बन्धी मानदंड

2243. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक, तार, यातायात, टेलीग्राफ इंजीनियरिंग अथवा रेलवे डाक सेवा की वर्तमान डिवीजनों तथा सब-डिवीजनों का द्विशाखन करने तथा अतिरिक्त सब-डिवीजन गठित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार डाक, रेलवें डाक सेवा, तार तथा दूर संचार इंजीनियरिंग शाखाओं के अन्तर्गत डाक व तार विभाग में सब-डिवीजनों और डिवीजनों के गठन संबंधी मानदण्डों का पुनरीक्षण कर रही है ;

(ग) क्या सरकार भागलपुर में पृथक टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन, मोतिहारी में टेलीग्राफ इंजीनियरिंग सब डिवीजन टेलिफोन डिस्ट्रिक्ट पटना में अतिरिक्त टेलीफोन डिवीजन, और कियूल अथवा भागलपुर में मुख्यालय सहित एक पृथक रेलवे डाक सेवा डिवीजन का गठन करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर कब तक अन्तिम रूप से निर्णय कर लिये जाने की आशा है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जब भी कभी कार्य-भार के मुताबिक आवश्यकता पड़ती है, इंजीनियरी डिवीजन/सब डिवीजन और टेलीग्राफ ट्रैफिक डिवीजनों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है और नए मुख्यालयों पर नए इंजीनियरी डिवीजन / सब-डिवीजन और टेलीग्राफ डिवीजन बना दिये जाते हैं । नए इंजीनियरी डिवीजन / सब डिवीजन बनाने के मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

(i) भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र का परस्पर संबद्ध होना, (ii) समाज हित, और (iii) प्रत्येक के लिए निर्धारित कम से कम कार्यभार होना । यह उस परिसम्पत्ति पर निर्भर करता है जिसका उन्हें रखरखाव करना होता है। नए ट्रफिक डिवीजन बनाना तारघरों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है।

जब भी आवश्यकता पड़ती है, डाक और रेल डाक सेवा डिवीजनों और सब डिवीजनों को कुछ निर्धारित मानदण्डों के आधार पर दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है।

(ख) इंजीनियरी डिवीजनों / सब-डिवीजनों के लिए निर्धारित मानदण्डों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। यह काम ऐस० आई० यू० (स्टाफ निरीक्षण यूनिट) को सौंपा गया है ।

डाक सब डिवीजन के मानदण्डों के संशोधन संबंधी प्रश्न पर विचार हो रहा है लेकिन डाक और रेल डाक सेवा डिवीजनों के सम्बंध में जो मानदण्ड इस समय लागू हैं, उन के संशोधन के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ). इस समय भागलपुर में एक अलग तथा तार इंजीनियरी डिवीजन और पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के अधीन एक अतिरिक्त टलीफोन इंजीनियरी डिवीजन बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है । मोतीहारी में एक टेलीग्राफ सब डिवीजन खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। आशा है कि इस प्रस्ताव पर एक महीने के भीतर अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया जाएगा ।

कियूल या भागलपुर में रेल डाक सेवा डिवीजन बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

बोकारो स्टील सिटी तथा जमशेदपुर को औद्योगिक नगर घोषित करना

2244. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो स्टील सिटी तथा जमशेदपुर को क्वाटरों का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करने के लिये औद्योगिक नगर घोषित किया गया है ;

(ख) क्या बरौनी-बेगुसराय क्षत्र को भी औद्योगिक नगर घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो विभदपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर भी स्वीकारात्मक हो तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है जिसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

पोस्ट एण्ड टेलिग्राफ सर्विस यूनियनों की मांग

2245. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की सर्विस यूनियनों ने मांग की है कि डाक तथा तार विभाग के दूर संचार विभाग में कर्तव्यों और संवर्गों को युक्तियुक्त बनाने की मांग की है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार और सर्विस यूनियनों के बीच कोई बातचीत हुई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस बातचीत को अन्तिम रूप देने और सर्विस यूनियनों की युक्तिकरण योजना के संबंध में निर्णय करने में डाक तथा तार विभाग को कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी हां, इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और आशा है कि इस पर निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा ।

पटना स्वचालित टेलीफोन केन्द्र का विस्तार

2246. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्वचलित टेलीफोन केन्द्र की क्षमता में विस्तार के लिए परियोजना और ब्यौरेवार अनुमान की मंजूरी दे दी गई है किन्तु विस्तार कार्य आरम्भ नहीं किया जा रहा है क्योंकि मंजूरशुदा परियोजना के लिये पटना टेलीफोन जिला को उपकरण आबंटित नहीं किया गया;

(ख) क्या पटना में टेलीफोन उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची बनाई है तथा मांग की पूरा करने के लिए पर्याप्त टेलीफोन क्षमता उपलब्ध न होने के कारण उनको टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं;

(ग) क्या पटना टेलीफोन जिला प्रबन्धक ने मांग को पूरा करने के लिये शीघ्र टेलीफोन उपकरण अलाट करने का अनुरोध किया है किन्तु अभी तक अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है; और

(घ) यदि भाग (क) से (ग) तक के उत्तर स्वीकारात्मक ह तो उसके क्या कारण हैं तथा 1972-73 में उपकरण अलाट किये जाने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं तथा क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मांग को पूरा करने का है और यदि हां, तो कब तक?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पटना के मौजूदा मुख्य ऐक्सचेंज के इलाके में टेलीफोन सेवा देने के लिए एक क्रासबार एक्सचज लगाने के प्रोजेक्ट का तखमीना मंजूर कर दिया गया है । किन्तु इस कार्य के ब्यौरेवार तखमीने की अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है ।

(ख) तारीख 30-6-72 को पटना की प्रतीक्षा सूची में ओ० वाई० टी० के अलावा अन्य टेलीफोन चाहने वाले सिर्फ 77 आवेदक थे। इस मांग की पूर्ति के लिए टेलीफोन की पर्याप्त क्षमता मौजूद है।

(ग) जिला मैनेजर टेलीफोन, पटना ने कुछ उपस्कर अलाट करने के प्रस्ताव भेजे हैं। मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के 1973–74 के निर्माण कार्यक्रम में ये उपस्कर अलाट करने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

(घ) तारीख 31-3-72 को जो अनुमानित मांग थी उसे पूरा करने के लिए 1972–73 में उपस्कर अलाट किए गए थे। मसर्स इंडियन टलीफोन इंडस्ट्रीज ने इनका निर्माण भी शुरू कर दिया है। तारीख 31-3-72 को पटना की अनुमानित मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद थी इसलिए 1972–73 में पटना के लिए कोई उपस्कर अलाट नहीं किया गया था। निकट भविष्य में टलीफान की जो मांग होगी उसे पूरा करने के लिए मेसर्स इंडियन टलीफोन इंडस्ट्रीज के 1973–74 के निर्माण कार्यक्रम में उपस्कर अलाट कर दिया जाएगा। उपस्करों की माजूदा सीमित और अपर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए इनकी सप्लाई में 2-3 साल का समय लग जाना अपरिहार्य है ।

जयपुर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निवास स्थान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

2247. श्री एम० एम० जोजफ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 जुलाई, 1972 को नई दिल्ली से गये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष दल द्वारा जयपुर में पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) उसके क्या कारण थे तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के दौरान दर्ज किए गए मामलों में राजस्थान के दो पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत तथा व्यनुपातकि परिसम्पत्ति से संबंधित आरोप थे, जयपुर में दिनांक 21-7-72 को उनके निवास स्थानों की तलाशी ली गई थी । तलाशियों के परिणामस्वरूप कतिपय दस्तावेज बरामद किए गए थे मामला अभी जांचाधीन है ।

आणविक शक्ति के मामले में भारत को इजराइल के साथ मिलाने के विरुद्ध भारत द्वारा रोष व्यक्त करना

2248. श्री एम० एम० जोजफ :

श्री समर गुह :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 जुलाई, 1972 को वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमरीका तथा रुस की संयुक्त राष्ट्र एसोसियशनों द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवदन तथा आणविक शाक्त के मामले के भारत को इजराइल के साथ मिलाने के लिय भारत द्वारा रोष व्यक्त करने संबंधी आरोपों का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) प्रतिवेदन, जो कि किसी सरकारी संगठनों का नहीं है, में यह आरोप लगाया गया है कि परमाणु हथियार न रखने वाले आठ देश, जिनमें भारत तथा इसरायल शामिल हैं, यदि आणविक अस्त्र बनाना चाहें तो उनके पास ऐसे अस्त्र बनाने के लिए विखंडनशील सामग्री तथा तकनीकी ज्ञान है।

(ख) परमाणु उर्जा का उपयोग केवलमात्र शान्तिमय उद्देश्यों के लिए करने की भारत सरकार की नीति यथापूर्व है।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अधीन पूर्णकालिक इंस्पैक्टर

2249. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पत्रकार संघ ने 20 जुलाई, 1972 को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अधीन एक पूर्ण–कालिक इंस्पैक्टर की नियुक्ति की मांग की है ताकि राजधानी में कई समाचार पत्रों द्वारा की जा रही अनियमितताओं को समाप्त किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य–मुख्य बातें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). श्रम तथा रोजगार विभाग से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार संघ ने 28 जुलाई, 1972 के अपने पत्र में यह लिखा था कि दिल्ली में 40 छोटे, मझौले तथा बड़े समाचारपत्र संगठन हैं, परन्तु श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम 1955 के उपबन्धों तथा वेज बोर्ड की उन सिफारिशों, जिनको इस प्रकार के संगठनों में कार्य करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैरश्रमजीवी पत्रकारों के लिए सरकार ने स्वीकार किया है, को लागू करने के लिए कोई भी पुर्णकालिक निरीक्षक नियुक्त नहीं किया गया है । संघ की मांग दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

Use of Hindi in Government Offices

2250. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether there are Hindi Stenographers in all the Central Government Offices and Hindi Typewriters have been provided there; and

(b) whether arrangements exist in the Central Government offices for sending replies in Hindi to the letters received in Hindi?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Yes, Sir. Such arrangements exist in the main Ministries Departments. As regards other offices these are being made.

बालासौर बाढ़ तथा तूफानग्रस्त क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों का तबादला

2251. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर बाढ़ तथा तूफान ग्रस्त क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों के तबादले किये गए हैं जब कि सरकार की नीति है कि ऐसे समय में ऐसे कर्मचारियों के तबादले नहीं किये जाने चाहिये, और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों का तबादला किया गया ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : बालासौर डाक डिवीजन में मई, 1972 में डाक कर्मचारियों का तबादला या तो सामान्य रूप सेवा के हित में किया गया था या उन की अपनी प्रार्थना पर किया गया था ।

(ख) कुल 38 कर्मचारियों का तबादला किया गया था। इन में से 9 का तबादला उन की प्रार्थना पर किया गया था, 7 का तबादला उसी स्थान पर किया गया था और 22 कर्मचारियों का तबादला उसी डिवीजन में दूसरे स्थानों पर सेवा के हित में किया गया था।

दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मेलन

2252. **श्री श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**
श्री झारखण्डे राय :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल में हुए एक सम्मेलन में स्वतंत्रता सेनानियों ने उन के लिए एक समान पेंशन योजना बनाये जाने तथा मकानों के निर्माण के लिए भूमि तथा ऋण दिये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुरोधों पर सरकार द्वारा विचार किया गया है, और यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). सरकार ने 24 जुलाई, 1972 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्मेलन के बारे में 23-7-1972 की प्रैस रिपोर्ट देखी है जिसमें इन बातों का उल्लेख किया गया है ।

भारत सरकार ने 15 अगस्त, 1972 से स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन देने की योजना को कार्यान्वित करने का पहले ही निर्णय कर लिया है। जहां तक मकान बनाने के लिए ऋण तथा भूमि का संबंध है, इन सिफारिशों पर विचार करना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का काम है।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

2253. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में औद्योगिक उत्पादन में लक्षित वृद्धि के लक्ष्य को वर्ष 1971 तथा वर्ष 1972 के पूर्वार्ध के दौरान प्राप्त कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त अवधि में किस दर से वृद्धि हो पाई है और कितनी कमी रह गई है ; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता के क्या कारण हैं और एक ही स्तर पर स्थिर हुई वृद्धि को उपर उठाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 8 से 10 प्र० श० की० वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित था पर 1971 में औद्योगिक उत्पादन की वास्तविक पर 3 प्र० श० रही है।

1972 के पूर्वाहन के उत्पादन के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अपर्याप्त औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न कारणों में कुछ श्रेणी के इस्पात और कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, निम्नश्रमिक उत्पादिता तथा कुछ क्षेत्रों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का अभाव प्रमुख रहा है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये प्रयास किए जा रहे ह।

खाद्य सामग्री को रक्षित रखने के लिये विकीरण प्रौद्योगिकी का उपयोग

2255. श्री राजदेव सिंह :

श्री समर गुह :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु उर्जा आयोग द्वारा किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप खाद्य सामग्री की रक्षा के लिये बड़े पमाने पर विकीरण के उपयोग की आशा बंधी है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम परीक्षण के लिये नियत अवधि अथवा तारीख क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) . भंडारों में रखे हुए आलू एवं प्याज को खराब होने से बचाने तथा उनके अंकुरित होने को रोकने, भंडारों में रखे हुए गेहूं को नष्ट होने से बचाने तथा नाशिकीटों का नियन्त्रण करने के लिए उनका कीटाणुनाशन करने तथा समुद्र से समाप्त होने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में विकिरण का प्रयोग करने की सम्भावना का अध्ययन पूरा किया जा चुका है। परमाणु ऊर्जा विभाग का विचार इन प्रक्रियाओं के लिए सन् 1973 के बाद ऐसे प्रायोगिक किरणीयन संयंत्रों की स्थापना विभिन्न चरणों में करने का है। स्वास्थ्य मंत्रालय को एक आवदन पत्र दिया जा चुका है तथा उस मंत्रालय की अनुमति प्राप्त होने तक इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन रुका रहेगा।

हरियाणा के विपक्षी दलों द्वारा मुख्य मंत्री के विरुद्ध दिये गये ज्ञापन

2256. श्री ईश्वर चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों के बारे में 12 अप्रैल, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 378 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन ज्ञापनों पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री बंसीलाल तथा अन्यों के विरुद्ध सन्निहित कतिपय आरोपों के संबंध में राष्ट्रपति को दिनांक 27 अक्तबर 1971 तथा 24 फरवरी 1972 को पेश किए गए ज्ञापनों के बारे में विचार किया जा रहा है।

थोरियम योगिकों का निर्यात

2257. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में थोरियम तथा थोरियन यौगिकों का निर्यात किया गया ;

(ख) उक्त निर्यात किन शर्तों पर किया गया; और

(ग) किन किन देशों को यह निर्यात किया गया ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) थोरियम के योगिकों की गत तीन वर्षों में निर्यात की गई कुल मात्रा निम्नलिखित है :—

वर्ष	मात्रा	कीमत
	(किलोग्राम में)	(रुपयों में)
1969–70	37,263	9,78,451
1970–71	35,832	9,83,968
1971–72	12,400	3,90,519

(ख) प्रत्येक देश के साथ निर्यात संबंधी शर्तें अलग–अलग हैं। मूल्य अदायगी की शर्तें कागज–पत्र मिलने पर अदायगी करने से लेकर 180 दिन के उधार पर माल देने तक भिन्न भिन्न हैं।

(ग) इनका निर्यात अरब मिस्र गणराज्य, जर्मन संघीय गणराज्य, हांगकांग, ईरान, जापान, दक्षिणी वियतनाम, श्रीलंका तथा ब्रिटेन को किया गया।

उपग्रह संचार का सामान्य जन को लाभ

2258. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपग्रह संचार व्यवस्था का सामान्य जन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निम्नलिखित मदों पर विकास कार्य आरम्भ हो गया है ;

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते राज्य सामुदायिक टेलीविजन सेट,

(2) इस के लिये वस्तुतः अल्प व्यय वाले एन्टना ; और

(3) डायरक्ट रिसेशन के लिये फ्रन्ट एन्ड कन्वर्टर्स ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (1) अहमदाबाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इलैक्ट्रानिक्स सिस्टमस डिविजन ने ठोस टी० वी० रिसिवर्स का विकास किया है जिसका उपयोग स्थिर उपग्रह संचार केन्द्र द्वारा, जिसकी स्थापना 1975 के मध्य तक हिन्द महासागर में होने की आशा है टी० वी० कार्यक्रम के सीधे अभिग्रहण के लिये किया जायगा।

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद ने जो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पूर्णरूप से सरकारी क्षेत्र में है, इस विषय पर समानान्तर विकासशील कार्य-कलाप किये हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किये जाने वाले सैट मजबूत होने चाहिये, जिस में न्यूनतम रक्षा तथा शक्ति की आवश्यकता पड़े ये सैट इसिल द्वारा बनाये जायेंगे। इन सैटों में विशेष चिकिन-मेश एंटेना तथा फ्रंट एंड कन्वर्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी जो उपग्रह से अत्यन्त सक्ष्म संकेतों को अभिग्रहण करके टी० वी० सेट के पर्दे पर दिखा सकें।

(2) इसके लिये अपेक्षित चिकिन-मेश एंटेना का विकास, एक्सपेरीमेंटल सेटलाइट संचार भ-केन्द्र जो अहमदाबाद में आई० एस० आर० ओ० का दूसरा डिवीजन है, द्वारा किया गया है।

(3) प्रत्यक्ष अभिग्रहण के लिये इ० एस० डो० ने भी फ्रंट एंड कन्वर्टर्स का विकास किया है। इसका अंतिम परीक्षण किया जा रहा है।

नरोरा स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र के लिये भारी उपकरण लगाना

2259. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग का विचार नरौरा परमाणु संयंत्र के लिये अपेक्षित भारी उपकरण संयंत्र-स्थल पर ही निर्मित करने का है अथवा ये उपकरण संयंत्र स्थल तक ले जाय जायेंगे; और

(ख) क्या मार्ग में आने वाले पुलों व नालों को आवश्यक रूप से चौड़ा करना आरम्भ कर दिया गया है ताकि उक्त भारी उपकरण को नरोरा ले जाते समय परिवहन संबंधी कोई बाधा न हो?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ऐसा प्रस्ताव है कि उपकरणों के कुछ भागों को अंशत: कर्मशालाओं में तैयार किया जायगा और तब उन्हें संयंत्र स्थल पर अन्तिम रूप दिया जायगा। टर्बाइन जनित्र जैसे कुछ उपकरण निर्माताओं कर्मशालाओं में तैयार किये जायेंगे तथा तदुपरान्त उन्हें स्थल पर लाया जायेगा।

(ख) पुलों एवं पुलियों को मजबूत बनाने और चौड़ा करने का काम उपयुक्त समय पर शुरु किया जायेगा।

मेरीन प्रोपल्शन रियेक्टर

2260. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मेरीन प्रोपल्शन रियेक्टर का डिजाइन तैयार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). मेरीन प्रोपल्शन रिएक्टर का डिजाइन तैयार नहीं किया गया है । तथापि परमाणु ऊर्जा से समद्री जहाजों को चलाने से संबंधित विकास कार्यों के विवरण से युक्त एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

राष्ट्रीय विज्ञान नीति के बारे में विज्ञान योजना समिति का प्रतिवेदन

2261. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

[डा० रानेन सेन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई 1972 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' मे प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार द्वारा गठित विज्ञान योजना समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है; यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की है —

(ख) सरकार इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित कर देगी, और

(ग) इस योजना पर अनुमानत: कितना खर्चा आयेगा और देश में किस सीमा तक उत्पादन में वृद्धि होगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (सी० सी० सुब्रह्मण्यम्) : **(क) तथा (ख).** सरकार ने 'इण्डियन एक्सप्रस' के 24 जलाई, 1972 की "विज्ञान योजना. अपने अन्तिम रुप में" (साइन्स प्लान गेट्स फाईनल टचेस) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के मद्द को दखा है। उपस्थित विज्ञान और औद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति, विज्ञान और प्रोद्योगिकी की योजना बनाने में कार्यरत है। विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने विज्ञान और प्रोद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों को पूर्ण करने के 22 (बाइस) पेनल बनाए है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना वर्तमान ज्ञान, तथा उपरोक्त क्षेत्रों के ब्यौरेवार मूल्यांकन और हमारी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं से संबंधित कार्यक्षमताओं के विकास पर आधारित होगी। योजना का मसौदा अप्रैल 1973 के अन्त तक तैयार करने की आशा है।

(ग) इस स्थिति पर कोई मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों द्वारा अनुसंधान तथा विकास की ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना

2262 : **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर–सरकारी क्षेत्र के पूरी तरह से संगठित औद्योगिक एकक की अनुसंधान तथा विकास की समस्या की ओर बहुत कम ध्यान देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उद्योग को अनुसंधान के प्रति जागरूक करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) सामान्यत: गैर–सरकारी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान विकास तथा अनुसंधान में पर्याप्त धन नहीं लगाते।

(ख) अनुसंधान और विकास कार्यों के कार्यान्वियन और व्यापारीकरण में गैर-सरकारी औद्योगिक फर्मों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के प्रश्न को समझने के लिये डा० वाई० नायडुअम्मा महा-निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर० की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता

2263. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय निजी क्षेत्र में कितने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इन संस्थाओं को कोई वित्तीय सहायता दे रही है, यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जा रही है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि इन संस्थानों का प्रशासन ठीक तरह चले और इनके द्वारा हाथ में लिए गए वैज्ञानिक कार्यक्रम ठीक प्रकार से पूरे किये जायें ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) निजी अनुसंधान संस्थायें 17 (सत्रह) हैं।

(ख) सरकार संस्थानों की आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के लिये पर्याप्त सहायक-अनुदान दे रही है।

(ग) ये संस्थान, समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा एक शासी परिषद् के द्वारा प्रशासित किए जाते हैं जिसमें निधि प्रदान करने वाले मंत्रालय तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं। इन संस्थाओं के कार्यक्रम की योजना की संवीक्षा सामान्यतया मंत्रालय या संबंधित विभागों और योजना आयोग द्वारा की जाती है। योजना आयोजन की क्रियान्विति पर संबंधित विभागों और योजना आयोग के द्वारा निगरानी रखी जाती है।

फिल्म तथा टेलीविजन संस्था द्वारा छात्रवृतियां

2264. **श्री पी० ए० सामिनाथन्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म तथा टेलीविजन संस्था द्वारा 1971-72 के दौरान की गई छात्रवृत्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस संस्था के विद्यार्थियों को विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	2
जम्मू और काश्मीर	1

महाराष्ट्र	5
मैसूर	2
उड़ीसा	1
पंजाब	1
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	2
कुल	17

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3398/72**]

चलचित्र वित्त निगम से ऋण

2265. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के चलचित्र वित्त निगम को 1 अप्रेल से 31 दिसम्बर, 1971 तक प्राप्त उन 43 आवेदन कर्ताओं का ब्यौरा क्या है जो कि 93.74 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति के लिए निर्णयाधीन पड़े हुए हैं ; और

(ख) उनमें से 7 आवेदन–कर्ताओं संबंधी ब्यौरा क्या है जिन्हें 10.07 लाख रुपए का ऋण दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). दो विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन की मेज पर रख दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3398/72**]

चलचित्र सेंसरशिप जांच समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों आदि का विचार

2266. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चलचित्र सेंसरशिप संबंधी जांच समिति की मुख्य सिफारिशों पर राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा चलचित्र उद्योग के विभिन्न वर्गों के विचार क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3399/72**]

निजी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन

2267. **श्री श्याम नन्दन मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से निजी सहकारी क्षेत्र में कुल उत्पादन में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन का कितना अनुपात रहा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : गैर सरकारी निगमित क्षेत्र और गैर निगमित उद्यमों के उत्पादन के पृथक् पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। संलग्न विवरण में तकनीकी विकास के महानिदेशालय और प्रायोजित करने वाले अन्य प्राधिकारियों (जैसे वस्त्र आयुक्त और चीनी तथा वनस्पति निदेशक की पंजी में दर्ज किए गए

एककों द्वारा भेजी गई वितरणी के अनुसार 1966 से 1971 के वर्षों) कलेण्डर वर्ष के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सूचीबद्ध किए गए 17 बड़े ग्रुपों का आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3400/72**]

समाचार पत्रों के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना

2268. **श्री० टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक विवरण न प्रस्तुत करने वाले 4961 समाचारपत्रों में से कितने समाचारपत्र समाप्त हो गए हैं अथवा नियम–पूर्वक प्रकाशित नहीं हो रहे हैं; और

(ख) उन 803 समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को क्या परिणाम भुगतने पड़ रहे है जिनका लगातार दो वर्ष तक वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने के कारण प्रकाशकों की सूची से निकाल दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के रिकार्ड में न होने वाले समाचार पत्र को कोई अखबारी कागज अलाट नहीं किया जाता। इसको डाक संबंधी रियायत मिलनी बंद हो जाती है और यह केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विचार किए जाने का हकदार नहीं होता।

भारतीय स्वाधीनता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वाधीनता सेनानियों का अभिनन्दन किया जाना और उन्हें ताम्र-पत्र प्रदान करना

2269. **श्री समर गुहा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वाधीनता की 25 वीं वर्षगाठ के अवसर पर आजाद हिन्द फौज के अफसरों और कर्मचारियों और शाही भारतीय नौ सेना में वर्ष 1945–46 में हुए विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों का अभिनन्दन किया जायगा और उन्हें ताम्र–पत्र प्रदान किये जायेंगे ;

(ख) क्या मानकुमार बसु ठाकुर और शाही भारतीय नौसेना के 27 अन्य उन अफसरों और कर्मचारियों के परिवारों को भी वही सम्मान प्रदान किया जायगा, जिन्हें वर्ष 1943 में फांसी दे दी गई थी अथवा मद्रास में गोली से उड़ा दिया गया था ; और

(ग) क्या सभी शहीदों, विशेषकर उन व्यक्तियों का मरणोपरान्त सम्मान किया जायगा, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी अथवा गोली से उड़ा दिया था और जिन्होंने आजाद हिंद फौज के मुक्ति–आक्रमण में अपने जीवन का बलीदान कर दिया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो देश की स्वाधीनता के लिए कम से कम 6 महीने की अवधि के लिए जेल गये हैं ताम्रपत्र पाने के पात्र हैं, जिनको अनेक उत्सवों में जो पूरे वर्ष भर मनाये जायेंगे, वितरित किया जायगा। आजाद हिन्द फौज तथा रायल इण्डियन नेवी के व्यक्ति भी उसके पात्र होंगे यदि वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

(ख) **और (ग)**. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/शहीदों को मरणोपरान्त सम्मानित करने के प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है।

प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण

2270. श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजना मंत्रालय देश के प्राकृतिक संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण कराने का विचार कर रहा है ;

(ख) क्या प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए कोई योजना तैयार की गई है, और यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कब किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि किसी भी देश के विकास में कमी व वृद्धि उसके उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के यथा संभव अधिकतम उपयोग पर निर्भर करती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख). योजना आयोग ने गत वर्ष सितम्बर में देश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण कार्यकलापों को तीव्रतम करने के उपायों की सिफारिशों के लिए 12 कार्यदल नियुक्त किए थ। ये कार्य-दल निम्नांकित विशिष्ट क्षेत्रों के थे :

1. लिग्नाइट और कोयला
2. परमाणु-ऊर्जा खनिज
3. लोहिवहीन खनिज समूह
4. लोह-खनिज समूह
5. औद्योगिक (अधात्विक) खनिज
6. जीव-संसाधनों का समुद्री सर्वेक्षण
7. अजीवी-संसाधनों का समुद्री सर्वेक्षण
8. स्थल जल संसाधन
9. सतह-जल संसाधन
10. वायव सर्वेक्षण
11. थल एवं मिट्टी संसाधन
12. वन संसाधन

कार्यदलों ने अपनी रिपोर्टों को हाल ही प्रस्तुत किया है और योजना आयोग की आन्तरिक समिति इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए विचार कर रही है।

(ग) सरकार माननीय सदस्य से सहमत है कि देश का विकास महानतया प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर निर्भर करता है। इन कार्य-दलों का स्थापन इस दिशा में लिया गया एक कदम है।

सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाये गये मुकदमें

2271. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने मई, 1972 में 22 सरकारी कर्मचारियों तथा 39 गैर-सरकारी व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए थे ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने कुछ व्यक्तियों को दोषी सिद्ध कराया तथा दोषी पाये गये व्यक्तियों अथवा फर्मों पर जुर्माने किए ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मई, 1972 के दौरान, 23 सरकारी कर्मचारियों तथा 37 गैर-सरकारी व्यक्तियों को अभियोजित किया गया।

(ख) तथा (ग). मई 1972 में न्यायालयों द्वारा 17 सरकारी कर्मचारियों (1 राजपत्रित अधिकारी तथा 16 अराजपत्रित अधिकारियों) तथा 10 गैर-सरकारी व्यक्तियों (1 फर्म सहित) को दोषी ठहराया गया तथा उन्हें अलग अलग अवधि की जेल की सजाएं दीं। तथा जुर्माने किए । दोषसिद्धि के मामले, गबन, जालसाजी, रिश्वत, दुर्विनियोग, धोखेबाजी, आपराधिक विश्वासघात, कदाचार तथा आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन तथा अफीम अधिनियम तथा आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम से संबंधित आरोपों से संबद्ध थे।

भारतीय आणविक भट्टियों के बारे में अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किये गये विचार

2272. **श्री के० वालतन्डायुतम :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा हाल में व्यक्त किये गय इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि भारतीय आणविक भट्टियों (रियक्टर) की अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति एजेन्सी द्वारा जांच नहीं की जा सकती, अतः इस प्रकार परमाणु हथियारों के फैलाव को खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इन विचारों से सहमत नहीं है।

योजना कार्यक्रम की क्रियान्विति में लोगों द्वारा भाग लिया जाना

2273. **श्री के० वालतन्डायुतम :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक योजना कार्यक्रमों की क्रियान्विति में लोगों को भागीदार बनाने पर जोर दिया जाता रहा है जबकि स्वयं योजना के निर्माण में लोगों को भागीदार बनाने की समस्या पर बहुत कम अथवा कोई ध्यान नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है कि योजना नीतियों के निर्माण में लोगों का सक्रिय योगदान हो ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) नियोजित विकास के प्रारम्भ से ही योजना आयोग ने विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों पर जन-सहमति प्राप्त करने और क्रियान्वयन में भागीदार बनाने पर पर्याप्त बल दिया है। भूतकाल में भी योजना की नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करने से पूर्व प्रतिनिधिक निकायों से परामर्श किया गया है। योजना निर्माण में जन सहभागिता की इस प्रक्रिया का विस्तार करने के लिए कुछ और उपाय अपनाये जा रहे हैं।

(ख) जैसा कि "पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक प्रपत्र में बताया गया है, पूरे देश में बहु-स्तरीय नियोजन शुरू किये जाने पर योजना नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन में लोगों का सक्रिय योगदान बढ़ाना सुनिश्चित है। इस दौरान पांचवी योजना की नीतियों और स्कीमों के निर्माण में सहायता देने के लिए बनाये गये विभिन्न संचालन दलों, कृतिक बलों और कार्यकारी दलों के विचार विमर्श में विशेषज्ञों के, लोकप्रिय और गैर-सरकारी मशवरों को सम्बद्ध करने की सावधानी बरती गयी है।

टैलिफोन बिलों की बकाया राशि

2274. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीफोन बिलों की वर्ष 1970 से, वर्षवार, बकाया राशि कितनी है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : 1970 से टेलीफोन बिलों की वर्षवार बकाया राशि इस प्रकार है :—

	तारीख	बकाया राशि
(i)	31-12-69 तक जारी किए गए बिलों की 1-4-70 को बकाया राशि	6,12,43,000
(ii)	31-12-70 तक जारी किए गए बिलों की 1-4-71 को बकाया राशि	5,55,64,000
(iii)	31-12-71 तक जारी किए गए बिलों की 1-4-72 को बकाया राशि	6,05,59,000

माप तोल में धोखा धड़ी

2275. श्री बो० के० दासचौधरी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में माप तोल में धोखा धड़ी बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी धोखाघड़ी के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है

(ग) क्या डाक तार एवं रेल विभागों के माप तोल की कभी जांच की गई है और मुहरें लगाई गई हैं; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनकी जांच पड़ताल करने और मुहरें लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार को इस बात का पता है कि देश की माप तौल व्यवस्था में ठगी होती है पर इस बात को सिद्ध करने के लिये कि इसमें वृद्धि हुई है कोई प्रमाण नहीं हैं। चूंकि माप और तौल के अभ्युपायों के प्रवर्तन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है अतः सरकार की जानकारी में लाये जाने वाले मामलों सम्बन्धित सरकारों को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिए जाते है।

(ग) कुछ राज्यों में रेलवे द्वारा व्यवहार में लाई जा रही माप तौल प्रणाली की जांच की जा रही है पर डाक तार विभाग के कार्यव्यवहार को अवाणिज्य करार दिए जाने के कारण उनकी माप तौल प्रणाली की जांच नही की जा रही है।

(घ) डाक और तार विभाग में प्रचलित माप और तौल प्रणाली की जांच और उस पर मुहर लगाने का कार्य निकट भविष्य में हाथ में लिया जायेगी। रेलवे में प्रयुक्त माप और तौल विधि की कुछ राज्यों में जांच की ही जा रही है और शेष राज्यों में भी यह कार्य निकट भविष्य में कर लिया जायेगा ।

पहाड़, गंज, नई दिल्ली स्थित अपने घर से एक लड़के का अपहरण

2276. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जून, 1972 की राजन्द्र नामक एक लड़के का पहाड़गंज, नई दिल्ली स्थित उसके घर से अपहरण कर लिया गया था ;

(ख) क्या इस मामले में उस लड़के के पिता ने पहाड़गंज पुलिस टेस्शन के सब-इन्सपेक्टर का हाथ होने का आरोप लगाया है ;

(ग) क्या दिल्ली युवक संघ ने भी इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन गृह मंत्री को भजा है; और

(घ) यदि हां, तो उस लड़के का पता लगाने के लिए और दोषी व्यक्ति को सजा देने तथा भविष्य में और कोई शरारत न होने देने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पहाड़गंज पुलिस थाने में 11 जून, 1972 को राजेन्द्र के अपहरण के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। किन्तु 9 जून, 1972 को श्री मनोहर लाल वर्मा ने श्री राजेन्द्र कुमार के तथा कथित अपहरण की पहाड़गंज पुलिस थाने में रिपोर्ट की थी।

(ख) पहाड़गंज पुलिस के एक सब-इन्सपेक्टर की सहापराधिता के कोई आरोप नहीं लगाये गये थे। किन्तु ऐसा एक आरोप हौज काजी पुलिस थाने के एक सब-इन्सपेक्टर के विरूद्ध लगाया गया था।

(ग) जी हां ।

(घ) श्री राजेन्द्र कुमार 12 अथवा 13 जून 1972 को अपने घर वापस आ गया था और अब घर पर ही है। श्री राजेन्द्र कुमार का अपहरण करने के आरोप के समर्थन में अब तक पुलिस रिकार्ड में कोई पुष्टिकृत साक्ष्य नहीं आया है।

गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रहने वाले लोग

2277. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी जनसंख्या में से 40 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे के स्तर पर रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या विशष उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार युक्ति युक्त निम्नतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए 1960-61 के मूल्यों के आधार पर 20 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रतिमास निजी उपभोग की आवश्यकता होगी। इस समय लगभग 22 करोड़ या 40 प्रतिशत लोग इस स्तर से कम स्तर पर जीवननिर्वाह कर रहे हैं।

(ख) चौथी योजना की बाकी अवधि तथा पांचवीं योजना का एक प्रमुख उद्देश्य यह होगा कि गरीबी के स्तर से कम स्तर पर रहने वाले लोगों की दशा में सुधार किया जाय। इसे इस प्रकार प्राप्त किया जाना है :

(1) यथासम्भव बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करना;

(2) अनाज, खाद्य तेल, मानक कपड़ा, चीनी तथा ईंधन व अन्य अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं जैसे अनिवार्य सामान के मूल्य स्थिर करना;

(3) ऐसी उत्पादन, वितरण तथा विनियोजन नीति का अनुसरण करना जो आनवार्य उपयोग की मदों को अधिक मात्रा में उपलब्ध करेंगे;

(4) सापेक्षतया सम्पन्न वर्गों के गैर-जरूरी उपयोग पर कठोरता पूर्वक नियंत्रण लगाना; तथा

(5) शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, पीने के पानी, आवास इत्यादि के रूप में कम से कम निम्नतम स्तर तक सामाजिक उपयोग की व्यवस्था करना।

ट्रकों के मूल्य में वृद्धि

2278. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 14 महिनों के दौरान ट्रकों की कीमतों में 12 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या टेल्को ने जिसका ट्रकों के 70 प्रतिशत बाजार पर नियंत्रण है अप्रैल, 1971 से 15 अप्रैल, 1972 के बीच की अवधि में ट्रकों के मूल्य में छः बार संशोधन किया है;

(ग) क्या ये मूल्य संशोधन न्यायोचित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या ट्रकों के मूल्य नियंत्रित करने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) मे० टेल्को ने अप्रैल, 1971 से 15 अप्रैल, 1972 के बीच छः बार अपनी गाड़ियों के मूल्य में संशोधन किया है।

(ग) और (घ). यह गड़बड़ी करने वाली प्रवृत्ति है । सरकार, इस बात पर विचार करने के लिये कि कौन सी कार्रवाई आवश्यक है, सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है।

Hurdle in the way of Progress of Hindi

2279. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether about 60 members of Parliament had submitted a memorandum to the Prime Minister some time back in which there was a proposal to constitute a high level Commission to formulate the outline of a set programme for future to find out the hurdles which stood in the way of progress of Hindi so far;

(b) the time by which a final decision would be taken in regard to setting up of the said Commission; and

(c) the reasons why official language could not make the required progress during initial period of 25 years of Independence?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir. 56 Members of Parliament have submitted such a memorandum to the Prime Minister.

(b) The matter is under consideration and the decision is expected to be taken soon.

(c) The progress made in the use of Hindi for official purposes of the union and the measures taken by the Government for its spread and development are given in the Annual Assessment Report which is laid before the two Houses of Parliament every year. The reasons for deficiencies, wherever noticed, and the remedial measures taken by the Government to remove them are detained in the said Report.

औद्योगिक और रासायनिक लवणों के मुल्य

2280. श्री हरि किशोर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और रासायनिक लवणों के मूल्य समस्त देश में समान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) 30 जून, 1972 को सब राज्यों में औद्योगिक और रासायनिक लवणों के मूल्य क्या-क्या थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नमक के मूल्य समस्त देश में समान करने का आप का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा तकनीकी जानकारी का ब्रिटेन को निर्यात

2281. श्री पी० के० देव :

श्री वेकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० ने हाल में कुछ ब्रिटिश कम्पनियों के साथ तकनीकी जानकारी के निर्यात के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में 10 जुलाई, 1972 के इकानामिक्स टाइम्स में एस० एस० टी० एक्सपोर्ट नौ हाऊ टू यू के शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) इस करार के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). हिन्दुस्तान मशीन टुल्स ने एच० एम० टी० मिनिचेकर के लाइसेंस/निर्माण के लिए मे० विकमेन मशीन एण्ड टूल्स सेल्स लिमिटेड, ब्रिटेन के साथ एक करार किया है। करार की शर्तें वाणिज्यिक लेन-देन की किस्म की होने के कारण उनका ब्यौरा बताना उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

(ग) जी, हां ।

आयोजन पद्धति में परिवर्तन लाना

2282. श्री सी० जनार्दनन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आयोजन पद्धति में कुछ परिवर्तन लाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन क्या क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य परिवर्तन निम्न प्रकार हैं :—

(1) बहु-स्तरीय आयोजन, क्षेत्रीय आयोजन, क्षेत्र / जिला आयोजन पर ज्यादा ज़ोर देना, और योजना बनाने और नियंत्रित करने के एक विस्तृत केन्द्रीय ढांचे के अन्तर्गत निर्णय करने की प्रक्रिया का वांछित विकेन्द्रीकरण करना ;

(2) भौतिक और वित्तीय रूप से परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बराबर मूल्यांकन करने और प्रगति बताने के लिए सूचना और अनुश्रवण प्रणाली का निर्माण करना;

(3) परियोजनाओं के एक शेल्फ का अग्रिम निर्माण और उनका प्रत्याशित मूल्यांकन करना ;

(4) आयोजन प्रक्रिया के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण ; और

(5) योजना निर्माण और क्रियान्वयन में जन साधारण द्वारा सक्रिय और सीधे भाग लेना और सम्मिलित होना।

औद्योगिक परीक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला के विस्तार तथा पुनर्गठन के लिये प्रस्ताव

2283. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से औद्योगिक परीक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला का विस्तार तथा पुनर्गठन करने के बारे में कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग). जी, नहीं। हाल में कोई ताजे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है। केरल सरकार से 1971 में प्राप्त प्रस्ताव में अपने औद्योगिक परीक्षण और प्रयोगशाला त्रिवेन्द्रम के विस्तार के लिए संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम से 450,000 डालर (या लगभग 32.75 लाख रुपये) की सहायता मांगी गई थी। योजना आयोग ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह सहायता की राशि 450,000 डालर (या 32,75 लाख रुपये) से घटाकर 100,000 डालर (या 7.28 लाख रुपये कर दे) ।

त्रिचुर, केरल में लघु उद्योग सेवा संस्थान के लिए नए भवन का निर्माण

2284. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचुर, केरल में लघु उद्योग सेवा संस्थान के लिए नए भवन का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : भवन का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

(ग) भूमि जिसे इस प्रयोजन के लिये अधिग्रहन किया था उसके मालिक ने क्षतिपूर्ति की राशि के खिलाफ सर्वप्रथम सब-जज त्रिचूर तथा बाद में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हैं। उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले से बडी हुई क्षतिपूर्ती की राशि मालिक को दे दी गई है। केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने योजना तैयार कर ली है जिसकी अब पुनरीक्षा की जा रही है। कार्य शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।

विदेशी मुद्रा का अर्जन

2285. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यक्ताओं को पूरा करने हेतु वर्तमान योजना की शेष अवधि में विदेशी मुद्रा कमाने के लिए कतिपय मदों को चुना है ; और

(ख) यदि हां, तो वे मदें कौन-कौन सी हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) . नौवहन और पर्यटन तथा पारम्परिक निर्यातपरक उद्योगों द्वारा विदेशी मुद्रा के अर्जन में हुए सुधार के साथ साथ मुख्य रूप से, इंजीनियरिंग की वस्तुओं, रासायनिक तथा उससे सम्बद्ध उत्पादों, रत्न और जवाहरात, मछली तथा मछली से तैयार की गई वस्तुओं, लौह अयस्क, दस्तकारी की वस्तुओं तथा सिले हुए कपड़ों जैसी वस्तुओं से निर्यात आय में वृद्धि होने की संभावना है।

उर्वरक एककों के लिए उपस्करणों के मानकीकरण के लिए विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की नियुक्ति

2286. श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक एककों में काम करने वाले मुख्य उपकरणों के मानकीकरण के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों की कोई सलाहकार समिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश पद क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देश में तरह तरह की रासायनिक मशीनरी के उत्पादन के विकास की प्रगति को आंकने और अध्ययन करने के विचार से और विभिन्न किस्मों के रासायनिक संयंत्रों की मानकीकृत क्षमता सुझाने के लिए, अगस्त, 1969 में सरकार ने "रासायनिक मशीनरी उद्योग विकास विशेषज्ञ समिति" का गठन किया था। समिति की संरचना और विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

विचारार्थ विषय :

(1) जहाँ पर भी संभव हो, विभिन्न रासायनिक संयंत्रों की मानकीकृत क्षमता का निश्चय करना और सुझाव देना,

(2) मानकीकृत संयंत्रों में लगे उपस्कर और मशीनरी की कुल लागत का अनुमान लगाना,

(3) देशी आयातित श्रेणियों में उपस्कर और मशीनरी का ब्यौरा बताना ; और

(4) आयातित वस्तुओं में से किस वस्तु का शीघ्र ही देश में विकास किया जा सकता है यह बताना।

संरचना :

1 तकनीकी विकास के महानिदेशक—अध्यक्ष

2 प्री० एम० एम० वाडी, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (तकनीकी विकास का महानिदेशालय) —सदस्य और वैकल्पिक अध्यक्ष

3 डा० ए० सीतारमैया, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (तकनीकी विकास का महानिदेशालय)—सदस्य

4 श्री एस० के० सिन्हा, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (तकनीकी विकास का महानिदेशालय)—सदस्य

5 श्री वी० एन० कस्तूरीरंगन, पेट्रोलियम एवं केमिकल, मंत्रालय—सदस्य

6 डा० आर० के० घोष, एफ० सी० आई० लि०—सदस्य

श्री एच० एच० जेठानंदानी, एफ० सी० आई० लि०—वैकल्पिक सदस्य

7 डा० बी० वी० मूता—चेयरमेन, केमिकल प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसियेशन आफ इंडिया —सदस्य

8 डा० एम० डी० पारिख—प्रबंध निदेशक मे० नेशनल रेयन कं० लि०—सदस्य

9 श्री रणवीर एम० खटाव, निदेशक, एसोसियेटिड सीमेंट कं० लि० –सदस्य

10 श्री जे० पी० मुकर्जी–चीफ इंजीनियर, मे० वालचंद नगर इंडस्ट्रीज–सदस्य

11 श्री के० पी० रंगप्पन नापर, सेल्स मेनेजर (प्लांट) एफ० ए० साटा इंजीनियरिंग एण्ड डिजायन आर्गेनाइजेशन–सदस्य

12 श्री एस० सी० बनर्जी–औद्योगिक सलाहकार (तकनिकी विकास का महानिदेशालय) –सदस्य

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजना में समायोजन करने हेतु संसाधनों कि उपलब्धता

2287. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचवर्षीय योजना में समायोजन करने के लिए उनके द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि इससे आम जनता की आवश्यकताएं पूरी हो सकें ;

(ख) गांव तथा जिला स्तरों तक आयोजना को कब तक व्यावहारिक रूप दे दिया जायेगा और इस उद्देश्य के लिए उनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए उन वित्तीय लक्ष्यों में वृद्धि की जायेगी जो पहले से ही निर्धारित हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन सूत्रों से इन संसाधनों को उपलब्ध कराया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) सामान्यतया लोगों की आवश्यकताओं का जायजा लेकर, पंचवर्षीय योजनायें तैयार की जाती है । अत: इस प्रयोजन के लिए पंचवर्षीय योजना में समंजन करने का प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, योजना कार्यक्रमों के अलावा, देश में बेरोजगारी की दशाओं को हलका करन के लिए हाल में कतिपय विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । ये ग्रामीण रोजगार की उस त्वरीत स्कीम के अलावा हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अपूर्ण रोजगार वालों को लाभान्वित करेगी ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा एकीकृत जिला योजनाएं तैयार करने से सम्बन्धित काम को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है । राज्य योजनाएं तैयार करने के लिए योजना आयोग ने राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांन्त तय किए हैं और उन्हें शीघ्र तैयार करने के लिए हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है । ग्राम स्तर पर योजना बनाने का विचार नहीं है ।

(ग) और (घ): प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समंजनों को पंचवर्षीय योजना में करने का विचार नहीं है अत: इस कारण वित्तीय लक्ष्यों को बढ़ाने तथा अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता । ऊपर भाग (क) में दर्शायी गई विशेष रोजगार उन्मुख स्कीमों के लिए धनराशियां जुटा कर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध की जायेंगी ।

अधिक सल्फर और कम राख वाले आसाम के कोयले के कृत्रिम पेट्रोलियम में परिवर्तित करने के लिए प्रयोगात्मक संयंत्र

2288. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक सल्फर और कम राख वाले आसाम के कोयले को कृत्रिम पेट्रोलियम में परिवर्तित करने के लिए किसी प्रयोगात्मक संयन्त्र परियोजना की मंजूरी दी है, और

(ख) क्या इण्डियन आयल और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने विज्ञान और औद्योगिक प्रयोगात्मक संयन्त्र परियोजना सम्बंधी राष्ट्रीय समिति में सहयोग देने से इन्कार कर दिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम) : (क) वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था जलगौडा में कोयले से तेल परिवर्तन प्रौद्योगिकी की क्रियात्मकता की परीक्षा के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है जिस पर वे कुछ समय अनुसंधान कर रहे थे।

(ख) नहीं श्रीमान जी, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद इस योजना में उपयोक्ता मंत्रालय, जिसे बाद में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, के निकटतम संपर्क के साथ काय करना चाहता है। इसलिए उन्होंने पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के पास प्रायोगिक सयंत्र की स्थापना में आर्थिक रूप से भाग लेने के लिए एक प्रस्ताव रखा है। वह मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

यह विषय अभी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद एवं पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के मध्य आदान-प्रधान की स्थिति में है तथा कोई अन्तिम विचार नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश में परमाणु कृषि-औद्योगिक समूह

2289. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग का उत्तर प्रदेश में परमाणु कृषि-औद्योगिक समूह की स्थापना करने का इरादा है ;

(ख) पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में परमाणु ऊर्जा आयोग ने भूमिगत जल के लिये जो सर्वेक्षण किया था उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) परमाणु ऊर्जा आयोग ने मीठापुर उर्वरक संयन्त्र की आवश्यकता पूरी करने हेतु परमाणु शक्ति तथा अपक्षारीकृत जल का उत्पादन करने वाली परियोजना का परित्याग कर दिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नरोरा नामक स्थान पर परमाणु बिजलीघर स्थापित करने का निर्णय किया है। इस बिजलीघर में 235 मेगावाट क्षमता के दो यूनिट होंगे।

परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी वर्ग ने परमाणु बिजली पर आधारित कृषि-उद्योग सम्मिश्रों की संकल्पना से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कार्यकारी वर्ग ने जिन परियोजनाओं का अध्ययन किया है उनमें गंगा के मैदान तथा कच्छ-सौराष्ट्र क्षेत्र में सम्मिलों की स्थापना से सम्बद्ध परियोजनाये शामिल हैं। इन सम्मिलों का अध्ययन और अधिक विस्तार से किया जा रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्मिल की स्थापना संभावना से सम्बन्धित अध्ययनों के बारे में यह निर्णय किया गया है कि यह पता अध्ययन किया जाये कि इस क्षेत्र में भूमिगत जल उपलब्ध है अथवा नहीं तथा वैज्ञानिक तरीकों से उसका उपयोग किस प्रकार किया जाये। यह अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ है।

योजना प्रचार की संतोषजनक आयोजना तथा समन्वय के लिए व्यवस्था

2290. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना प्रचार की संतोषजनक आयोजना तथा समन्वय के लिए क्या व्यवस्था कायम की गई है; और

(ख) पांचवीं योजना के प्रचार माध्यम लक्ष्य क्या क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) योजना प्रचार स्कीमों को, केन्द्र में सूचना व प्रसारण मंत्रालय तथा राज्यों में प्रचार विभागों के प्रचार माध्यम एककों द्वारा तैयार तथा कार्यान्वित किया जाता है। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो कि अन्य विकासोन्मुख मंत्रालयों के कार्यक्रमों का अंग बन गई हैं, जैसे स्वास्थ्य और परिवार नियोजन। योजना तैयार करने और समन्वित कार्यान्वियन की प्रक्रिया में उनको योजना आयोग से परामर्श का लाभ मिलता है ।

(ख) चौथी योजना की प्रचार स्कीमों को जो केन्द्र में सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सामूहिक संचार माध्यम एककों व राज्यों में प्रचार विभागों द्वारा तैयार किया जा रहा है।

उपभोक्ता वस्तुओं के थोक व्यापार को अपने अधिकार में लेना

2291. चौधरी राम प्रकाश :

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के थोक व्यापार को अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां ,तो ऐसा करने से क्या लाभ होंगे और इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धता का सुनिश्चय करने और मूल्यों को स्थिर बनाये रखने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। इस योजना में अन्य बातों के साथ साथ कई आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के थोक व्यापार में सरकारी क्षेत्र की भूमिका के सम्बन्ध में सिफारिसें भी सम्मिलित हैं।

पश्चिम उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में परमाणु बिजली घर स्थापित किया जाना

2292. श्री वेकारिया :

श्री अरविन्द नेताम :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में एटामिक बिजली घरों की स्थापना के लिए स्थान चयन समिति द्वारा कोई स्थान चुना गया है;और

(ख) यदि हाँ, तो वे कहां–कहाँ स्थापित किए जायेंग और काम सम्भवत: कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : स्थल चयन समिति ने अभी तक उत्तरी क्षेत्र के संबंध में ही अपनी सिफारिशें की है। पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों का सर्वेक्षण अभी किया जा रहा है। उत्तरी क्षेत्र में बनाया जाने वाला पर पर-माणु बिजलीघर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नरौरा नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। परमाणु बिजलीघर के डिजाईन के लिए आंकड़े इकट्ठा करने तथा स्थल की जांच विस्तारपूर्वक करने जैसे प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

मैसूर राज्य का नाम बदल कर कर्नाटक राज्य रखना

2293. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य का नाम मैसूर से बदल कर कर्नाटक रखने के बारे में मैसूर सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : इस संबंध में एक प्रस्ताव 11 अगस्त, 1972 को ही प्राप्त हुआ है और इस पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जाना है।

रेडियोएक्टिव खनिजों का सर्वेक्षण

2294. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समूचे तटवर्ती क्षेत्रों में रेडियोंएक्टिव खनिजों का सर्वेक्षण आरम्भ किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) क्या मोनाजाइट रेत के अतिरिक्त कोई अन्य स्रोत भी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। रेडियोंऐक्टिव खनिजों का पता लगाने के लगातार चलने वाले कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारतीय समुद्रतट के साथ-साथ रेडियो-सक्रिय खनिजों का पता लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया।

(ख) समुद्रतट की रेत में पाये जाने वाले इल्मेनाइट, रुटाइल, जर्कन सिलिमेनाइट, कायेनाइट इत्यादि खनिजों से मिले हुए मोनाजाइट के निक्षेप तटवर्ती प्रदेश के कुछ भागों में उल्लेखनीय मात्रा में पाये गए।

(ग) जी, नहीं। भारतीय समुद्रतट के साथ साथ मोनाजाइट युक्त रेत के अलावा रेडियो सक्रिय खनिजों का कोई अन्य स्रोत नहीं पाया गया है।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संबंध में भगवन्तम समिति का प्रतिवेदन

2295. **डा० रानेन सेन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० भगवन्तम् समिति ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन पर कोई निर्णय किया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान जी, सिफारिशों का एक सारांश साथ संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3401/72]** भारतीय सर्वेक्षण विभाग, शिक्षा विभाग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में दि० 3 मई, 1971 को हस्तांतरित कर दिया गया है और अब भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण विभाग की भांति उसी विभाग में वैज्ञानिक अनुबंध के रूप में कार्य कर रहा है। संगठन के ब्यौरे से संबंधित सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा पुस्तकों आदि का प्रकाशन

2296. श्री जे० एम० गौडर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में कौन कौन सी तथा कितनी पुस्तकें, पुस्तिकाएं और प्रचार साहित्य प्रकाशित किया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों में मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा अंग्रेजी और हिन्दी में कौन कौन सी तथा कितनी पुस्तकें, पुस्तिकाएं और प्रचार साहित्य प्रकाशित किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3402/72].**

लघु, मध्यम वर्ग के तथा बड़े समाचार पत्रों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

2297. श्री जे० एम० गौडर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970-71 में लघु समाचार पत्रों, मध्यम वर्ग के समाचार पत्रों तथा बड़े समाचार पत्रों को छपाई तथा 'कम्पोजिंग' मशीनों के आयात के लिये, संसद में दिये गये आश्वासनों के प्रतिकूल विदेशी मुद्रा का आवंटन किये जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : छपाई, कम्पोजिंग तथा संबद्ध मशीनों के आयात के लिये समाचारपत्रों को लाइसेंस देने के बारे में सरकार की नीति आवंटन के लिए उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा का 50 प्रतिशत छोटे समाचारपत्रों (15000 से कम खपत संख्या वाले), 35 प्रतिशत मंझोले समाचारपत्रों (15000 और 50000 के बीच खपत संख्या वाले) तथा 15 प्रतिशत बड़े समाचारपत्रों (50000 से अधिक खपत संख्या वाले) के लिए निर्धारित करने की है और वह भी ऐसे प्लान्टों तथा मशीनों के लिए जिनके बिना गुजारा न हो।

1970-71 के दौरान जिन छोटे समाचारपत्रों ने छपाई की मशीनों जिनका मूल्य उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा का 27 प्रतिशत था, के आयात के लिए आवेदन किया था, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई बशर्ते कि उन देशों, जहां से आवेदकों द्वारा मशीनें आयात करने के लिए कहा गया था, से लेनदेन था। वर्ष के अन्त में आवंटन के लिए सरकार के पास जो

विदेशी मुद्रा उपलब्ध रही वह भूतकाल की भांति पहले मझौले समाचारपत्रों की मांगों को पूरा करने के लिये इस्तेमाल की गई और उसके बाद ही बड़े समाचारपत्रों के आवेदन पत्रों पर विचार किया गया और उनकी जरुरी आवश्यकताओं के लिये लाइसेंस दिये गए। इस प्रक्रिया में ऐसी कोई बात नहीं है जो संसद में दिये गये आश्वासन के प्रतिकूल हो।

समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को आयातित अखबारी कागज का कोटा

2298. **श्री जे० एम० गौडर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्र तथा पत्रिकायें मूलत: कितने आयातित अखबारी कागज के कोटे के हकदार हैं ;

(ख) क्या विभिन्न श्रेणियों के समाचार–पत्रों तथा पत्रिकाओं को वर्ष 1971–72 में विभाग द्वारा ऐसी वृद्धि के लिए निश्चित प्रतिशतता के आधार पर आयातित अखबारी कागज का अतिरिक्त कोटा प्राप्त हुआ; और

(ग) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आयातित और देशी अखबारी कागज की मूल हकदारी, लाइसेंस अवधि 1972–73 के लिए अखबारी कागज आबंटन संबंधी नीति की टिप्पणी 5 के अनुसार निश्चित की जाती है इस नीति की एक प्रति 11 अप्रैल, 1972 को लोक सभा की मेज पर रख दी गई थी। आबंटन के लिए यह हकदारी इस प्रकार है :—

हकदारी की सीमा	आयातित	देशी
दैनिक		
(1) 400 टन से कम . . .	100 प्रतिशत	शून्य
(2) 400 टन या अधिक लेकिन 1000 टन से कम	90 ,,	10 प्रतिशत
(3) 1000 टन या अधिक लेकिन 2000 टन से कम	82.5 ,,	17.5 ,,
(4) 2000 टन और अधिक . .	75 ,,	25 ,,
पत्रिकाएं (स्टेंडर्ड अखबारी कागज)		
(1) 100 टन से कम . .	100 ,,	शून्य
(2) 100 टन से अधिक . .	100 ,,	शून्य
पत्रिकाएं (चमकदार अखबारी कागज)		
सब प्रकार की हकदारी . .	100 ,,	शून्य

(ख) 1971-72 के लिए अखबारी कागज आबंटन संबंधी नीति के अन्तर्गत, आवेदन पर, जो सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट की टिप्पणी–7 के अन्तर्गत अपेक्षित है, समाचार–पत्रों और पत्रिकाओं को अनुज्ञेय वृद्धियों के लिए अतिरिक्त कोटा दिया गया।

(ग) केवल उन समचार पत्रों और पत्रिकाओं जिन्होंने ऐसी वृद्धियों के लिए आवेदन नहीं किया, को निति के अनुसार देय कोई अतिरिक्त कोटा नहीं दिया गया।

मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

2299. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अन्य राज्यों कि तुलना में मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों में, वर्ष-बार, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी ;

(ख) अन्य राज्यों में विभिन्न आय वाले वर्गों की तुलना में मध्य प्रदेश में उन्हीं के समान वर्गों में प्रति व्यक्ति आय कितनी है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों की आय में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पिछले तीन वर्षों यानी 1969-70, 1970-71 और 1971-72 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रति-व्यक्ति आय के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी सिवाय बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, उड़ीसा, मनीपुर तथा त्रिपुरा के और सभी राज्यों के राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो के द्वारा 1969-70 के प्रतिव्यक्ति राज्य आय के अनुमान तैयार किये हैं। गुजराथ, मध्य प्रदश, मैसूर, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल आदि केवल कुछेक राज्यों के बारे में सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा 1970-71 के लिए इसी प्रकार के प्रति-व्यक्ति राज्य आय के अनुमान तैयार किए गए थे। संकल्पना, प्रणाली, उपयुक्त सामग्री का स्रोत आदि में अन्तर होने के कारण इन अनुमानों को राज्यों के मध्य तुलना का आकार नहीं बनाया जा सकता। 1971-72 के लिए अभी तक कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ख) इस समय प्रतिव्यक्ति आय के बारे में जो काम हो रहा है वह विभिन्न आय वर्गों के बारे में अलग–अलग न हो कर समस्त राज्य के बारे में है। अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के काम का कार्य मुख्यतः सम्बद्ध राज्य सरकार का है। मध्य प्रदेश में सापेक्ष पिछड़ापन दूर करने के लिए भारत सरकार ने अब तक जो कदम उठाये हैं, वे संलग्न अनुबन्ध में दर्शाये गये हैं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 3403/72]**

मध्य प्रदेश में मध्यम क्षेत्रों के उद्योग

2300. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मध्यम श्रेणी के कितने उद्योग हैं तथा वे कहां कहां है और वे किन किन वस्तुओं का निर्माण करते हैं ; और

(ख) राज्य में इन उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है और उन्होंने गत तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). बड़े तथा मझौले पैमाने के उद्योगों को अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है इसलिए मझौले उद्योगों के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में विशेष नौकरियों पर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्तियां

2301. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में विशेष नौकरियों पर योग्यताप्राप्त, व्यक्तियों को नियुक्त करने पर जोर देने का निर्णय किया गया है और वह सामान्यतया विभागीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का अनुमोदन नहीं करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत बनाए गए भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। ये नियम अन्य बातों के साथ साथ भर्ती की पद्धति तथा साथ ही साथ नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यताएं/अनुभव को निर्दिष्ट करते हैं। किसी पद के लिए भर्ती की पद्धति, अर्थात् पद को पूर्णत: सीधी भर्ती द्वारा भरा जाए, या अंशत: सीधी भर्ती द्वारा तथा अंशत: विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के आधार पर, या पूर्णत: ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति द्वारा भरा जाए इसका निर्णय कार्य के स्वरूप तथा उस पद से संबद्ध उत्तरदायित्व तथा साथ ही साथ उसकी व्यवसाय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसलिए पदों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योग्यताप्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति की व्यवस्था पहले ही विद्यमान है।

हैदराबाद के कोयला गैसीकरण संयंत्र की लागत में वृद्धि

2302. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद स्थित कोयला, गैसीकरण संयंत्र की लागत, चरणों में, 21 लाख रुपये से बढ़कर 169 लाख रुपए हो गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ख) कुल व्यर्थ व्यय कितना हुआ है और यदि भुगतान के लिये कोई अग्रेतर वचनबद्धता है तो उसकी राशि कितनी है; और

(ग) क्या उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए इस मामले की विस्तृत जांच की गई है, और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1962 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा ने जिस 21 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति दी थी वह सन् 1956 के प्रारम्भिक अनुमानों पर आधारित थी। लेकिन, 1964 में विभिन्न फर्मों से प्राप्त दरों के आधार पर वास्तव में शासी सभा ने ही 45.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी थी। अत: बढ़ी हुई लागत 45.50 लाख रुपये से माननी चाहिये। यह मुख्य रूप से अवमूल्यन के कारण और क्रांस की साख के अन्तर्गत वित्तीय लागत के कारण हुआ। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक संयंत्र की कुल लागत 96.38 लाख रुपये आंकी गई है।

(ख) 35.12 लाख रुपये का खर्च जो पहले ही किया जा चुका है और 33.38 लाख रुपये का जो अब नामांकित किया गया है वह नहीं है। आयातित क्रूड की बढ़ती हुई कीमतों के संदर्भ में उर्जा के श्रोत के रूप में कोयले के गैसीकरण श्लाघनीय है। गोदावरी और वर्धा घाटियों में पाये जाने वाले निम्नस्तरीय कोयले की गैसीकरण संबंधी तकनीकी और जानकारी विकसित करना इस संयंत्र का उद्देश्य है। प्रायोजना अभी भी राष्ट्रीय महत्व की है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भ में—इसका प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का उच्च पदों पर चयन

2303. श्री हरी सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के उच्च पदों पर चयन की वर्तमान प्रक्रिया संतोषजनक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके चयन के लिये कौन सी नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2304. श्री हरी सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1970 तथा 1971 में विदेशों में कितने तथा किस प्रकार के अपराधों की जांच की ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 1970–71 के दौरान जांच किए गये 54 मामले ऐसे थे, जिनमें विदेशों में जांच की गई थी।

इनमें से 6 मामलों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरों के अधिकारियों को जांच के लिए विदेश भेजा गया, 41 मामलों में जांच इन्टरपौल के आधार पर तथा 7 मामलों में विदेश मंत्रालय द्वारा की गई।

ये मामले आयात तथा निर्यात एवं विदेश विनिमय, कदाचार, गबन, धोखेबाजी तथा जाल-साजी से संबंधित सांविधिक उल्लंघनों से संबद्ध थे।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2305. श्री हरी सिंह : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने वर्ष 1970 तथा 1971 के दौरान कितने मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, पैरिस से सहायता मांगी ; और

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किस प्रकार के मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, पैरिस से सहायता मांगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 41 ।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा निम्नलिखित प्रकार के मामले अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन, पैरिस को भेजे गये थे :—

(i) आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन ।

(ii) विदेशों की संस्थाओं द्वारा जारी किये हुए माने गये झुठे प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्तियां प्राप्त करने में कदाचार ।

(iii) भारत में किया गया दुर्विनियोग, धोखा तथा जालसाजी जिनमें कुछ संबद्ध गवाह विदेश चले गये थे जब मामलों की जांचपड़ताल की गई ।

(iv) अन्तर्राष्ट्रीय पारगमन डाक सामान की चोरियां ।

(v) भारत से विदेशों को पुरावशेषों का जालसाजी से ले जाना ।

(vi) विदेशों में नियुक्त भारतीय अधिकारियों का कदाचार (धोखा, दुर्विनियोग इत्यादि) ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से पहल कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति देना

2306. श्री हरी सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के सब विभागों में जनवरी, 1971 से 5 जुलाई, 1972 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने वरिष्ठ अधिकारियों के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति की गयी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति, सेवाअवधि के आधार पर, सामान्यतः अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं के अधिकरियों में से उनकी विशिष्टता, दावे तथा चयन के क्षेत्र में अधिकारियों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए की जाती है ।

1 जनवरी, 1971 से लेकर 31 जुलाई, 1972 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारी केन्द्रीय सरकार के अधीन निम्नतर पदों पर कार्य कर रहे थे, जबकि उनसे कनिष्ठ अधिकारी केन्द्रीय सरकार के अधीन उच्चतर पदों पर नियुक्त किए गए थे ।

अनेक भाषाओं में मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिए बजट में प्रावधान

2307. श्री माधुर्य्य हालदार : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 वर्ष पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट में अनेक भाषाओं में मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित करने के लिये एक परियोजना की व्यवस्था की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को क्रियान्वित न करने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इसकी अब जाँच की जा रही है ।

संयुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

2308. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर संयुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बताने वाले दो पेपर तैयार कर लिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ;

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). फरवरी, 1970 में घोषित सरकार की औद्योगिक नीति में गैर–सरकारी कम्पनियों को सरकारी वित्त संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों को ईक्विटी में परिवर्तन करके संयुक्त क्षेत्र में बदलने की प्राकल्पना है। इस विषय में बैंकिंग विभाग ने विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं और उनकी प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं ?

इस प्रकार के अनुदेश दिये गये हैं कि जहाँ राज्य औद्योगिक विकास निगम, अन्य पार्टियों को अपने लिए लाइसेन्सीकृत परियोजनाओं में सहयोगी बनाना चाहता है तो निगमों का इक्विटी अंश 26 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए और अन्य पार्टी का अंश 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

केन्द्रीय प्रचार सलाहकार समिति

2309. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रचार सलाहकार समिति के गैर–सरकारी सदस्यों के क्या नाम हैं तथा उनकी योग्यताएँ क्या हैं ;

(ख) क्या सलाहकार समिति की पिछली तीन बैठकों में इन गैर–सरकारी सदस्यों की उपस्थिति की सूची सभा–पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) इस नई समिति के कृत्य क्या–क्या हैं और इसकी गतिविधियाँ कहां तक सहायक सिद्ध हुई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अप्रैल, 1972 में एक प्रचार सलाहकार ग्रुप गठित किया गया था। इस ग्रुप के गैर सरकारी सदस्यों के नाम इस प्रकार है :—

1. श्री एम० चलपती राव,
   सम्पादक, नेशनल हेरल्ड, नई दिल्ली।
2. श्री मृणाल सेन,
   फिल्म निर्देशक, कलकत्ता।
3. डा० वी० के० नारायण मेनन,
   कार्यकारी निदेशक,
   अभिनय कलाओं का राष्ट्रीय केन्द्र, बम्बई।

4. श्री दीवान बीरेन्द्रनाथ,
विशेष संवाददाता,
प्रेस एशिया इंटरनेशनल, नई दिल्ली।

5. डा० मोहम्मद अय्यूब,
एसोसिएट प्रोफेसर,
इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली।

6. श्री एस० सुखदेव,
फिल्म निर्देशक, बम्बई।

ये सभी अपने अपने क्षेत्रों में सप्रसिद्ध व्यक्त हैं।

(ख) अभी तक केवल दो बैठक हुई हैं और गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थिति निम्नप्रकार थी :—

पहली बैठक जो 20 अप्रैल, 1972 को हुई	5
दूसरी बैठक जो 14 जून, 1972 को हुई	2

(ग) प्रचार सलाहकार ग्रुप का काम सामान्यतया प्रचार मामलों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सलाह देना, मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों द्वारा किए गए कार्य तथा कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना, जनमत पर उनकी कैसी प्रतिक्रिया हुई है इस पर विचार करना तथा यह सुझाना कि भविष्य के लिए क्या संशोधन आवश्यक है और क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

बैठकों में ग्रुप द्वारा किया गया विचार विमर्श प्रचार विभागों को अपने प्रचार कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

औद्योगिक उत्पादन में कमी

2310. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री वयालार रवि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में उद्योगवार तथा सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रवार औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य कितना था तथा उस में कितनी कमी हुई ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लक्ष्य और उत्पादन के आंकड़े बताने वाला विवरण (अनुबन्ध i) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3404/72]**

सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र के चुने हुए उद्योगों के उत्पादन सूचकांक बताने वाला एक अन्य विवरण (अनुबन्ध ii) संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3404/72]**

डाकुओं के समर्पण पर व्यय और चम्बल घाटी शान्ति मिशन को दी गई सहायता

2311. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री के० मालन्ना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में डाकुओं के समर्पण पर कुल कितनी धन-राशि खर्च हुई ;

(ख) यदि चम्बल घाटी शान्ति मिशन को कोई सहायता दी गई है, तो कितनी; और

(ग) आत्म समर्पण करने वाले डाकुओं को पुनः बसाने के क्या प्रस्ताव हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नकद अनुदान के रूप में एक लाख रुपये दिये गये हैं और विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए 50,000 रुपये खर्च किये गये हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए और डाकुओं के पुनर्वास के लिए एक समकालिन विकास योजना तैयार की जा रही है।

कारों की कीमतों में वृद्धि रोकना

2312. **श्री पी० गंगादेव :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार की कीमतों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कारों के मूल्य का प्रतिवर्ष 1 जनवरी तथा 2 जुलाई को पुनरीक्षण किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार द्वारा इस सम्बध में कोई कार्यवाही की गई है कि कारों की कीमतें हर छः महीनें में न बढें ; और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) कारों का मूल्य, कच्चे माल के मूल्य मुख्य रूप से इस्पात, तथा सहायक एककों से खरीदे गये पुर्जों के साथ-साथ मजदूरी, करों, आदि पर निर्भर करता है। विभिन्न वस्तुओं की लागत पर निगाह रखने के लिये कदम उठाये गये हैं किन्तु इन पर सिर्फ सरकारी कार्रवाई द्वारा नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है । सरकार ने सहायक क्षेत्र के बहुत से एककों को पुर्जों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस देने के बारे में कदम उठाया है जिससे कि कार निर्माता उन पुर्जों को सस्ते मूल्य मे खरीद सके इसके परिणामस्वरूप संभरण करने वाले एककों के बीच में प्रतिस्पर्धा रहेगी ।

दिल्ली की असंतोषजनक डाक-सेवा

2313. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या दिल्ली की असन्तोषजनक डाक-सेवा के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त होती हैं;

(ख) यदि हां, तो ठीक समय पर डाक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए राजधानी की डाक-सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पत्र बांटने में विलम्ब होने के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) और (ग). सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं और निम्न-लिखित कदम उठाए गए हैं —

(i) डाकियों की अनुपस्थिति का सामना करने के लिए उपाय किए गए हैं ।

(ii) डाक मोटर गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने की व्यवस्था की गई है, और

(iii) डाकियों की गश्त को युक्तियुक्त बनाया गया है ।

फिल्म उद्योग पर टेलीविजन सेवा का प्रतिकूल प्रभाव

2314. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन सेवा आरम्भ करने से देश के फिल्म उद्योग पर इसका अब तक कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो टेलीविजन सेवा के प्रस्तावित विस्तार के साथ-साथ फिल्म उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों से सलाह की है ; और यदि हां, तो इस बारे में उनके क्या विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, हां । सरकार फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया के इस विचार से सहमत नहीं है कि दिल्ली टेलीविजन कार्यक्रमों से फिल्म शो पर प्रभाव पड़ा है ।

लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीप समूह में उद्योगों की स्थापना के लिये व्यवहार्यता प्रतिवेदन

2315. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीपसमूह में लघु उद्योग आरम्भ करने संबंधी व्यवहारता अध्ययन भारतीय भू-सर्वेक्षण विभाग एवं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आरम्भ किया गया था ;

(ख) क्या इस बीच अध्ययन पूरा कर लिया गया है ; और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) वहां लघु उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा उक्त प्रयोजन के लिए उन्हें किन-किन प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मशीनी औजारों के लिए आयात योजना

2316. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने मशीनी औजारों के लिए आयात योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) आयात योजना उन मशीनों के विकास के लिए जो उपस्थित आयात किए जाते हैं तथा 3 से 5 वर्ष के अन्दर आत्म-निर्भरता उपलब्ध करने हेतु आवश्यक तकनीकी सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए एक कार्य-अभिस्थापित आयोजन है । दि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड तथा दि सेन्ट्रल मशीन टूल्स इन्स्टीट्यूट मुख्यतया इन मशीनी औजारों का विकास करेंगी ।

पांडिचेरी को पूरे राज्य का दर्जा देना

2317. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उस संघ राज्य-क्षेत्र को पूरे राज्य का दर्जा प्रदान किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कागज और गत्ते के उत्पादन में वृद्धि

2318. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज और गत्ते का उत्पादन गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनका उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) वर्ष 1971 की अवधि में कागज और गत्ते का उत्पादन 7,58,549 मीट्रिक टन से बढ़कर 7,80,828 मैट्रिक टन हो गया है ।

(ख) यह वृद्धि लगभग 3 प्रतिशत हुई है ।

डाक कर्मचारियों के लिए गैर चिकित्सीय बीमा पालिसी योजना

2319. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग डाक कर्मचारियों के लिए निकट-भविष्य में गैर चिकित्सीय

बीमा पालिसियों सम्बन्धी योजना लागू कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा और उक्त योजना की विशिष्टि बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगणा) : (क) और (ख), डाक जीवन बीमा में 1 जून, 1972 से गैर-चिकित्सा कारोबार की योजना आरम्भ की गई है। यह योजना केवल डाक कर्मचारियों पर ही लागू नहीं बल्कि दूसरे उन केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के स्थायी कमचारियों पर भी लागू होती है जो डाक जीवन बीमा करा सकते हैं तथापि डाक-तार विभाग के विभागेतर कर्मचारी और सभी महिला कमचारियों पर यह योजना लागू नहीं होती।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि कोई भी डाक जीवन बीमा का पात्र व्यक्ति अधिक से अधिक 3,500 रुपये या अपनी मासिक आय के चौबीस गुना रकम के लिए (जो कि कम करके सौ के गुणक में कर ली जाएगी) जो भी कम हो, बिना डाक्टरी परीक्षा के बीमा करा सकता है। उसकी आयु यह बीमा कराने के बाद अगली जन्म तिथि को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत केवल 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 वर्ष पर परिपक्व होने वाली एंडोमेंट एशुरेंस पालिसियां ही जारी की जाती ह।

भारतीय डाक सेवा संघ द्वारा डाक-तार बोर्ड को दिया गया संकल्प

2320. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक सेवा संघ ने डाक-तार बोर्ड को एक संकल्प प्रस्तुत किया है जिसमें एक समेकित डाक प्रशिक्षण कालेज की स्थापना का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में लड़कियों का अपहरण

2321. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में जनवरी से जून, 1972 तक की अवधि में कुल कितनी लड़कियों का अपहरण किया गया; और

(ख) कितनी लड़कियों का अभी तक पता नहीं चल सका है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 14;

(ख) 14 लड़कियों में से 2 लडकियां अभी तक बरामद नहीं हुई हैं। पुलिस के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी एक लड़की बरामद नहीं हो सकी। इस मामले को पता न लगे मामलें के रूप में भेज दिया गया है और पुलिस को जैसे ही कोई उपयोगी सूचना मिलेगी इसकी छानबीन पुन: शुरु की जायेगी। दूसरी लड़की को बरामद करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा अभी भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में चौथी योजना में स्थापित किए जाने वाले उद्योग

2322. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना में उत्तर प्रदेश में बड़े और मध्यम दर्जे के कौन कौन से औद्योगिक कारखाने स्थापित किए जायेंगे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय स्तर पर निम्न लिखित परियोजनाएं स्थापित करने/पूरी करने की व्यवस्था की गई है ।

1. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स् लिमिटेड, हरिद्वार,
2. गोरखपुर फरटीलाइजर,
3. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, नैनी,
4. भारत पम्प्स् एण्ड कम्पैसर्स, नैनी
5. गैस सिलिन्डर, नैनी,
6. लोंग डिस्टेन्स ट्रान्समिशन इक्विपमैंट फैक्टरी, नैनी,
7. सेकेन्ड टेलीफोन फैक्टरी, नैनी,
8. टेनेरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर,
9. कानपुर फर्टीलाइजर्स (सरकारी अंश),
10. इंडियन ड्रग्ज एण्ड फारमास्यूटिकल्स लिमिटेड, (एण्टीबायाटिक्स् फैक्टरी), ऋषिकेश ।

विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक लायसेंसो के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की तथा जारी किये गये लाइसेंसों तथा आशय पत्रों की संख्या निजी क्षेत्र में इस प्रकार है :—

वर्ष	औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या	जारी किए गए आशयपत्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1969	91 (42)	8(2)	24(10)
1970	242(130)	26(4)	29(20)
1971	334(227)	48(13)	100(70)
1972 (30-6-72 तक)	162(125)	23(8)	61(49)

नोट :—कोष्टक की संख्याएं नये औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में हैं ।

आकाशवाणी की कार्यक्रम पत्रिकाओं से घाटा होना

2323. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित वनोली (तमिल) के सिवाय सभी कार्यक्रम पत्रिकायें, घाटे में चल रही हैं और वर्ष 1968-69 में घाटे का मुख्य कारण आकाशवाणी (अंग्रेजी), आकाशवाणी (हिन्दी) और आवाज (उर्दू) पत्रिकायें रही हैं;

(ख) क्या इस घाटे के कारणों का विश्लेषण करने का सरकार ने प्रयास किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन पत्रिकाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 'वनोली' (तमिल) सहित सभी कार्यक्रम पत्रिकाएं घाटे में चल रही हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 'आकाशवाणी' (अंग्रेजी) को और आकर्षित बनाने के उद्देश्य से इसके आकार तथा छपाई के स्तर में हाल ही में परिवर्तन किया गया है। इन उपायों की सफलता का मूल्यांकन करने के पश्चात क अन्य पत्रिकाओं के संबंध में भी इसी प्रकार के कदम उठाने पर विचार किया जाएगा ।

आकाशवाणी पत्रिकाओं की प्रकाशन संख्या में कमी

2324. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के सभी 8 कार्यक्रम पत्रिकाओं के प्रत्येक अंक को औसत प्रकाशन संख्या में वर्ष 1966 के बाद प्रतिवर्ष कमी हुई है, हालांकि अतिरिक्त रेडियो स्टेशनों की स्थापना हुई है, नयें कार्यक्रमों को चालू किया गया है और रेडियो सेटों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रवृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्यतया इस कारण से कि श्रोतागण महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का ब्यौरा रेडियो स्टेशनों की दैनिक घोषणाओं से तथा स्थानीय समाचारपत्रों से प्राप्त करते है ।

(ग) इन पत्रिकाओं की छपाई तथा बनावट में सुधार के लिए कदम विचाराधीन हैं और आकाशवाणी (अंग्रेजी) के मामलों में तो उसके आकार तथा छपाई एवं कागज के स्तर में परिवर्तन कर शुरूआत भी कर दी गई है ।

ट्रांसमीटरों को चालू करने में विलम्ब

2325. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में ट्रांसमीटर लगाये जाने के पश्चात् उनको चालू करने में 5 महीने से 36 महीने तक का विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस असाधारण विलम्ब के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) क्या ऐसे विलम्ब को न होने देने के लिये सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केवल लेह के ट्रांसमिटर के मामले में ट्रांसमिटर लगाने और उसके उद्घाटन के बीच पांच महीने से अधिक की देरी हुई । अन्य मामलों में समय का अन्तर लगभग तीन महीने से अधिक नहीं रहा है । कुछ मामलों में तो यह अन्तर इससे भी कम रहा है ।

(ख) तथा (ग). लेह में इसलिये देरी हुई, क्योंकि ट्रांसमिटर नवम्बर, 1970 में लगाया गया था, परन्तु बहुत अधिक सर्दी होने के कारण यह निर्णय किया गया कि केन्द्र का उद्घाटन जून, 1971 में स्टाफ को बहुत ऊँचाई के स्थान को जलवायु सहन करने का अभ्यास कराने के बाद किया जाए ।

प्रसारण सेवाओं का पुनर्गठन

2326. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन प्रसारण सेवाओं के पुनर्गठन सम्बन्धी कोई योजना है विशेषकर जबकि उसने संसद् के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्वायत्तशासी निगम स्थापित करने सम्बन्धी चन्दा समिति की सिफारिश को नामंजूर कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का पुनर्गठन कब तक पूरा हो जायगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पुर्नगठन को पूरा करने की कोई निश्चित समयावधि इस अवस्था में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अंतिम निर्णय मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने और सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श करने के बाद ही लिया जा सकता है ।

शिमला में 100 किलोवाट-मेगावाट का ट्रांसमिटर का लगाया जाना

2327. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमले में लगाया जाने वाला 100 किलोवाट-मैगावाट का ट्रांसमीटर दिसम्बर, 1967 में प्राप्त हुआ था और इसके आरम्भ करने में 23 महीने का विलम्ब हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस असाधारण विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है जिसके कारण धन इतने समयतक अवरुद्ध रहा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) शिमला के लिए उच्च शक्ति का मोडियमवेव ट्रांसमिटर जुलाई-सितम्बर, 1967 में प्राप्त हुआ था और उसे 25 जनवरी, 1971 में चालू किया गया था ।

(ख) स्थान के चयन में कुछ प्रारम्भिक विलम्ब हुआ था, क्योंकि पहले जो स्थान चयन किया गया था, वह रक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं दिया जा सका । और विलम्ब इस कारण हुआ कि चयन किए गए स्थान का भवन निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले समतल करने में अत्यधिक कार्य निहित था ।

(ग) क्योंकि विलम्ब इन बातों के कारण था जो आकाशवाणी के नियंत्रण से बाहर थी, इसलिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के बारे में वृत्त चित्र

2328. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जीवन और गतिविधियों पर एक वृत्त-चित्र बनाने का सरकार ने लगभग तीन वर्ष पहले निर्णय किया था ; यदि हां, तो इसके निर्माण में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या 23 जनवरी, 1973 को, नेताजी के अगले जन्म दिन समारोह से पूर्व इसे प्रदर्शन हेतु जारी कर दिया जायगा ;

(ग) क्या नेताजी के बारे में निर्माणाधीन चलचित्र के लिए नेताजी के फोटो और उन पर बने वृत्त चित्र जापान, और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तथा जर्मनी, इटली एवं अन्य यूरोपीय देशों से एकत्रित कर लिये गये हैं ;

(घ) क्या नेताजी और आजाद हिन्द फौज के बारे में एक वृत चित्र सरदार पटेल के नियन्त्रण में प्रदर्शित किया गया था और उसके बाद वह चलचित्र कांग्रेस आजाद हिन्द फौज सहायता समिति को दे दिया गया था ;

(ङ) क्या उस वृत्त-चित्र को प्राप्त कर लिया गया है और नेताजी पर चलचित्र बनाने के लिए उसकी सामग्री का प्रयोग करने के लिए उसे निर्माता को दे दिया गया है ; और

(च) चलचित्र की विशिष्ट बातों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां, नेताजी पर फिल्म बनाने का कार्य तीन वर्ष पहले फिल्म प्रभाग के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था । प्रमुख फिल्म निर्देशकों से बातचीत की गई और फिल्म बनाने का कार्य सौंपने में लगभग एक वर्ष लग गया । पहले निर्देशक श्री मृणाल सेन ने व्यक्तिगत कारणों से यह कार्य छोड़ दिया । नवम्बर, 1970 में श्री अशोष मुकर्जी को फिल्म बनाने का कार्य सौंपने में काफी समय लगा । बाद में उन्होंने ठके की राशि तथा सुविधाओं में वृदिध करने की मांग की जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) जी, नहीं । तथापि फिल्म प्रभाग का विचार है कि प्रभाग के पास जो फिल्म सामग्री उपलब्ध है उसका उपयोग कर 23 जनवरी, 1973 को नेताजी के जन्म दिन पर रिलीज करने के लिए उन पर एक छोटी फिल्म तैयार की जाए ।

(ग) नेताजी बोस के जीवन तथा गतिविधियों पर विशेषतया आजाद हिन्द आन्दोलन की अवधि से संबंधित फोटो एकत्रित करने के प्रयत्न किए गए, लेकिन वे अधिक सफल नहीं हुए। अभी तक नेताजी पर केवल एक 16 मि०मी० फिल्म जर्मनी से और एक मूक न्यूजरील जिसमें नेताजी को रेडियो पर एक वार्ता के लिए जाते हुए दिखाया गया है, जापान से प्राप्त हो सकी है ।

(घ) नेताजी पर डाकुमेन्टरी फिल्म निर्माण आजाद हिन्द फौज रक्षा समिति द्वारा किया गया था, भारत के लगभग सभी राज्यों में प्रदर्शित की गई थी, लेकिन फिल्म को कांग्रेस आजाद हिन्द फौज सहायता समिति को सौंप दिए जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) निर्माणाधीन फिल्म 2 रील की, जीवनी संबंधी सादी फिल्म है ।

राष्ट्रीय विकास के लिये देशभक्ति पूर्ण सेवा करने वाले व्यक्तियों का सम्मान

2329. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता सेनानियों के साथ साथ समाज के विभिन्न वर्गों के उन व्यक्तियों का भी सम्मान किया जायेगा, जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय स्वाधीनता का निर्माण करने और उसे सुदृढ़ करने के विभिन्न क्षत्रों में अपनी 25 वर्ष की देशभक्तिपूर्ण सेवा से योगदान किया है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियों और प्रतिभाओं को भी मान्यता प्रदान की जायेगी, जिससे कि राष्ट्र-निर्माण के प्रयासों में सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए गरिमा और सम्मान की नई भावना पैदा की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को विशिष्ट सेवा के सम्मान में सरकार पद्म पुरस्कार देती है । स्वतंत्रता की 25 वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस प्रयोजन हेतु कोई विशिष्ठ पुरस्कार प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ

2330. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिये अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, विशेषकर पोर्ट ब्लेअर और अण्डमान सेलुलर जेल में, जहां नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता का झंण्डा फहराया था और स्वतंत्रता भारत सरकार का भारतीय प्रशासन स्थापित किया था, मनीपुर में मोयरंग, में जहां आजाद हिन्द फौज ने राष्ट्रीय झण्डा लहराया था और स्वतन्त्र भारत सरकार का मुख्यालय स्थापित किया था, कोहिमा में, जहां आजाद हिन्द फौज ने स्वतन्त्रता का महान् युद्ध लड़ा था और अन्य स्थानों पर उन जेलों में, जहाँ आजाद हिन्द और फौज के कैदियों को फांसी चढ़ाया गया था, विशेष समारोह किय जायेंगे ;

(ख) क्या उन सभी जेलों में विशेष समारोह किये जायेंगे जहां भारतीय क्रान्तिकारियों को फांसी पर चढ़ाया गया था ;

(ग) क्या हमारे स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय शहीदों की याद में भारत के सभी बड़े नगरों में शहीदी स्तम्भ बनायें जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रशासन 15 अगस्त, 1972 को एक फलक का अनावरण करेगा जिसमें उन 12 शहीदों के नाम होगें जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल में अपने प्राण न्योछावर किये थे ।

(ख) इस संबंध में अन्य राज्य सरकारों ने कोई सूचना नहीं दी है ।

(ग) और (घ). स्वतंत्रता की 25वीं जयन्ती के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के अनुसार जयन्ती वर्ष के दौरान प्रत्येक ब्लाक में एक शिला लगाते हुए, सम्पूर्ण देश में अभिनन्दनात्मक शिलाएं लगाई जानी हैं जिसके एक तरफ संविधान की प्रस्तावना तथा दूसरी तरफ स्थानीय क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित होंगे ।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को स्वतंत्रता संग्राम की विशेष घटनाओं से संबद्ध स्थानों पर कुछ स्मारक अथवा उपयुक्त यादगारें खड़ी करने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है ।

Printing of Fake Postal Stamps

2331. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a gang engaged in printing of fake postal stamps was apprehended in April, 1972;

(b) if so, the names of the persons of the gang and since when they had been engaged in the sale of fake stamps and how the said gang was apprehended; and

(c) the legal action being taken against these persons?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir, in March, 1972.

(b) Sarvshri C. L. Gupta, Vijay Kumar, Rattan Lal, Mohd. Nisar, Hari Ram Mahesh, Harpal Singh, Om Perkash and Subhash Chand; 6-12-1971.

As a result of a complaint made by member of public on 22-3-72.

(c) Appropriate action will be taken after CBI completes enquiries.

Cases under Investigation by C. B. I.

2332. **Shri M. C. Daga** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of cases being investgated by the Central Bureau of Investigation of present and the number among them in respect of which investigation has been going on for more than six years, indicating the reasons therefor; and

(b) whether a list of these cases will be placed on the Table of the House?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Nivas Mirdha) : (a) and (b) : On 1st August, 1972, 1234 cases were under investigation by the Central Bureau of Investigation. There is no case in which investigation has been going on for more than six years.

District Plans

2333. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the State Governments were advised by the Planning Commission this year or last year for the preparation of District plans at District level expeditiously;

(b) whether the State Governments prepared District plans in response to the above mentioned suggestion of the Central Government and if so, the names of the States which prepared such plans together with the number of districts for which plans were prepared by each State; and

(c) the number of Districts for which Rajasthan State has so far prepared the said plans?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir. The Planning Commission have been advising the State Governments to prepare District Plans on the basis of which integrated State Plans can be prepared. The guidelines for the preparation of such Plans have been issued by the Planning Commission which have also offered assistance to the State Governments in the preparation of a few selected District Plans on a pilot basis.

(b) The State Governments have not taken up the preparation of plans for all their districts. They have taken up the preparation of District Plans for selected Districts as indicated in the table below. These District Plans are still to be completed :

Statement

State	Number of Districts selected for district plans
1. Assam	1
2. Bihar	2
3. Gujarat	1
4. Haryana	3
5. Himachal Pradesh	3
6. Jammu & Kashmir	2
7. Madhya Pradesh	7
8. Maharashtra	1
9. Meghalaya	2
10. Mysore	3
11. Orissa	1
12. Punjab	3
13. Tamil Nadu	2
14. Uttar Pradesh	4

(c) No District Plan has yet been prepared in Rajasthan.

साम्प्रदायिक संगठनों और दलों पर रोक लगाने संबंधी विधान

2334. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या देश के सांप्रदायिक संगठनों और दलों पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त विधान बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 1972 जो पिछले बजट सत्र में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे संगठनों से निपटना है जिनकी गतिविधियां सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने तथा राष्ट्रीय एकता के हितों के प्रतिकूल है।

(ख) यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153–क के क्षेत्र का परिवर्धन करता है जिससे व्यायाम अथवा अभ्यास की उन किस्मों को दंडित किया जा सके जो इस आशय अथवा जानकारी से संगठित किए गय है कि इस प्रकार की गतिविधियों में प्रशिक्षित लोग किसी धार्मिक जातिगत, भाषाई अथवा क्षेत्रिय वर्ग अथवा जाति या समुदाय के विरुद्ध हिंसा का सहारा लेंगे तथा ऐसी गतिविधि ऐसे वर्ग या जाति अथवा समुदाय के सदस्यों के लिए भय अथवा संकट अथवा असुरक्षा की भावना का कारण बनती है

अथवा बनने की संभावना है। भारतीय दंड संहिता में एक नई धारा 153–क का समावेश भी किया गया है जिससे राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल आरोपों और दावों को दंडित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त गैर कानूनी गतिविधियां (निरोध) अधिनियम, 1967 के क्षेत्र का परिवर्धन करके "गैर कानूनी संगठन" की परिभाषा में ऐसे संगठन भी सम्मिलित किये गये है जिनकी अपने उद्देश्य के लिए कोई ऐसी गतिविधि है जो धारा 153–क अथवा भारतीय दंड संहिता की नई धारा 153-ख के अधीन दंडनीय है अथवा जो व्यक्तियों को ऐसी गतिविधि करने के लिए उत्साहित अथवा उनकी सहायता करते है अथवा जिसके सदस्य ऐसी गतिविधि करते है।

तमिलनाडु में जुलाई, 1972 में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने वाले स्थानों का अध्ययन-दल द्वारा दौरा

2335. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन दल ने तमिलनाडु राज्य में उन अनेक स्थानों का दौरा किया है जहां जुलाई, 1972 के पहले सप्ताह में पुलिस ने जनता पर गोली चलाई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल ने सरकार के समक्ष अपनी प्रतिवेदना प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन दल तमिलनाडु को नहीं भेजा था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में स्थित राज भवन

2336. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने राज भवन है और वे कहां कहां स्थित है और प्रत्येक की मूल निर्माण लागत कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज भवन को सुसज्जित करने की लागत कितनी है; और

(ग) प्रत्येक राज भवन के रख रखाव पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय होती है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

लघु उद्योग सेवा संस्थान जयपुर द्वारा इंजीनियरों को प्रशिक्षण और सहायता देने की योजना

2337. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 1972 के हिन्दुस्थान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जयपुर, राजस्थान में लघु उद्योग सेवा संस्थान ने इंजीनियरों को प्रशिक्षण और सहायता देने के लिए दो योजनाएं आरंभ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी योजनाएं अन्य राज्यों में भी प्रारंभ करने का विचार है और क्या इन योजनाओं से इंजीनियरों में बेरोजगारी की समस्या हल होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख). जी हां। इंजीनियरों/तकनीशियनों और अन्य पढे लिखे बेरोजगार व्यक्तियोंकी बेरोजगारी को हल करने के लिये भारत सरकार ने दो योजनाएं अर्थात् स्व–रोजगार के लिए इंजीनियरी उद्यमियों को प्रशिक्षण और सहायता और पढ़े लिखे बेरोजगारों को सहायता करने हेतु योजना, प्रारंभ की है। ये योजनाएं सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पहले से ही विद्यमान है। योजना के अन्तर्गत उद्यमी बनने के लिए बेरोजगार इंजीनियरों को सारे देश के 29 संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। दुसरी योजना का लक्ष्य इक्विटी पूंजी किराया खरीद आधार पर मशीनें और औद्योगिक तथा वाणिज्यिक वस्तियों की स्थापना के रुप में शिक्षित बेरोजगारों को सहायता प्रदान करना और तकनीशियनों की सहकारी समितियों को सहायता देना है, जिसकी अधिकतम सीमा 6.5 करोड रुपये प्रतिवर्ष है।

Sold and Unsold Copies of 'Avantika'

2338. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to part (d) of Unstarred Question No. 8209 on the 31st May, 1972 and state :

(a) the nature of the difficulty as a reuslt of which Government could not collect the requisite information by contacting the agents of the concerned newspaper;

(b) the time by which the area-wise information in regard to the number of copies sold and the number of unsold copies received back would be collected in accordance with part (e) of the said question; and

(c) the steps being taken by Government to ascertain the correct number of unsold copies of the said newspaper in view of the fact that the information supplied to Government by the said newspaper is incorrect?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (c). Threre is no provision in the Press and Registration of Books Act, 1867, authorising the Press Registrar to obtain the information from, or verify the records of, selling agents.

(b) Collection of details regarding area-wise sale of copies and number of unsold, copies received back does not form part of the study by Circulation Teams of the Press Registrar.

Forged Certificates for Grant of Pension to Freedom Fighters

2339. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any complaint that forged certificates of undergoing imprisonment are being presented to get the pension of freedom fighters ;

(b) whether Government have conducted an inquiry in this regard; and

(c) if so, the results thereof and action taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c). Some general complaints of this nature have been received by the Government and they will be enquired into. However prompt action can be taken if specific cases are brought to Government's notice.

BSF Soldiers Killed in Pakistani Firing in Mendhar Sector

2340. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether 4 soldiers of B.S.F. were killed in Pakistani firing on Sonagali post in Mendhar sector during June, 1972; and

(b) the assistance granted by Government for providing relief to the families of the deceased?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Partners of 'Avantika' A Hindi Daily

2241. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 467 on the 17th November, 1971 regarding the 'Avantika' a Hindi Daily, and state :

(a) the number of shares held by each of three partners of the daily 'Avantika' published from Ujjain indicating the value of the shares held by each partner; and

(b) the number of shares and dates on which they were purchased by each of them?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b) : According to information available with the Registrar of Newspapers, the Hindi daily AVANTIKA, published from Ujjain, is owned by an unregistered partnership firm of three partners. The share of each of the three partners in the capital of the firm is Rs. 7989.

इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास की धीमी गति

2342. **श्री डी० के० पण्डा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास की गति बहुत धीमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) इलैक्ट्रानिक उद्योग में उत्पादन बढाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) तथा (ख). जब से भाभा समिति रिपोर्ट प्रकाशित हुई, 1964-65 से इलैक्ट्रानिक्स का उत्पादन दृढता से बढ रहा है। उस वर्ष इलैक्ट्रानिक्स साधनों तथा घटकों का कुल उत्पादन 34.5 करोड़ से बढ़कर 1970-71 में 175 करोड रुपये हो गया। 1971-72 की विभागीय वार्षिक रिपोर्ट में 1971–72 के प्रकाशित आंकडे 185.5 करोड़ रुपयों के उत्पादन की ओर संकेत करते है, जैसा कि पहले आशा की जाति थी उस वर्ष का उत्पादन 225 करोड़ रुपयों का था। फिर भी, रेडियो के उत्पादन में पहले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, 1971-72 में कोई ठोस वृद्धि नहीं दिखाई दी, और इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के उत्पादन में कमी हुई ठीक उसके विपरित जिसकी पहले आशा की जाति थी।

इस संबंध में इस पर बल दिया जा सकता है कि प्रति रेडियो सेट के लिये आयात अंश 0.25 रुपयों को ही अनुमति है और इस क्षेत्र में पूंजी की खपत कम है। इस लिये उस उत्पादन पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिसकी अनिवार्यरूप से मांग द्वारा परिभाषा की गई है, यहां तक की उन फर्मों के विषय में जो इस क्षेत्र में लाइसेंस चाहती है उनका उत्पादन भी अनुमोदित धारिताओं से काफी कम है।

यह भी उल्लेखनीय है कि वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये आंकड़े वास्तविक उत्पादन विवरणी पर आधारित नहीं है बल्कि सर्वश्रेष्ठ अनुमान है जो लगाये जा सकते है। कुछ इलैक्ट्रानिक्स मदों की अर्थपूर्ण मात्रा को लघु उद्योग क्षेत्र में लिया जा रहा है जिसके लिये सही सांख्यिकीय आंकडे आसानी से उपलब्ध नहीं है।

(ग) इलेक्ट्रानिक्स आयोग इस रुख से परिचित है और देश में भ्रमण करने के लिए तकनीकी अनुभागों की स्थापना की है जो निजी तथा सरकारी उपक्रमों तथा व्यक्तिगत उद्योग कर्ताओं से विचार विमर्ष करेंगे और उन्हे ऐसी मदों के उत्पादन के लिये उकसायेंगे जिनकी देश मे आवश्यकता पड़ती है और जो वर्तमान में बाहर से आयात किये जा रहे है और उनकी समस्या सुलझाने में सहायता करेंगे।

प्रतिभावान लोगों का देश से बाहर चले जाने की प्रवृति को रोकना

2343. **श्री मुखितयार सिंह मलिक :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभावान् लोगों को देश से बाहर जाने से रोकने तथा विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत लौटने के लिये अभिप्रेरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बात क्या है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). भारतीय वैज्ञानिकों एवं औद्योगिकी विदों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये जो कुछ उपाय किये गये है, उनको संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(1) विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और प्रोद्योगिक विदों के नामों को सी० एस० आई० आर० द्वारा अनुरक्षित वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक के राष्ट्रीय रजिस्टर संबंधी विशेष अनुभाग में दर्ज करने के लिये व्यवस्था की गई है।

(2) राष्ट्रीय रजिस्टर के विशेष अनुभाग में दर्ज किये गये भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी विदों के विवरण समय समय पर इंजीनियरों वैज्ञानिकों, चिकित्सकों आदि के लिये वर्गीकृत सूचियों में सी० एस० आई० आर० द्वारा प्रकाशित किये जाते है। इनको समस्त मंत्रालयों भारत सरकार के विभागों राज्य सरकारों, संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, लोक क्षेत्र उद्योगों तथा बृहत प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों में उनकी खपत को सुविधाजनक बनाने के लिये भेजा जाता है।

(3) संघ लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नोलोजिस्टोंको, जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते है, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए "वैयक्तिक संपर्क" के रुप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गया है। कुछ राज्यों की लोकसेवा आयोगों ने भी उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए "वैयक्तिक सम्पर्क" के रूप में उम्मीदवार मानने के लिये अपनी सहमति प्रकट की है।

(4) गृह मंत्रालय, भारत सरकार (जनशक्ति निदेशालय) के संकल्प क्रमांक 8/5/57/MP दिनांक 15 अक्तुबर 1958 के अंतर्गत बेरोजगार वैज्ञानिकों और तकनीकी विदों को अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण किया है।

पूल सी० एस० आई० आर० द्वारा प्रशासित है। चुने हुए उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार के नियमानुकूल भत्तों के साथ 400 रुपये से 700 रुपये के मध्य निर्धारित वेतन दिया जाता है। विशिष्ट मामलों में वेतन 700 रुपये से अधिक भी प्रदान किया जाता है।

चुने हुए उम्मीदवारों को उपयुक्त संगठनों के साथ संलग्न कर दिया जाता है और उनका वेतन उसी तारीख से दिया जाता है जिस तारीख से उन्होंने काम शुरू किया है। भारत में रोजगार प्राप्ति के लिये आवेदन करने की उन्हे स्वतंत्रता है, और एक रोजगार प्राप्त होने पर पूल छोड़ने की भी स्वतंत्रता है।

(5) सी० एस० आई० आर० का राष्ट्रीय रजिस्टर यूनिट "तकनीकी जनशक्ति" बुलैटिन के नाम से एक मासिक बुलैटिन प्रकाशित करता है जिसमें अन्य सामग्री के साथ वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों को विभिन्न देशों से पूल में चुने जाने से संबंधित विवरण प्रकाशित किये जाते है। योग्य वैज्ञानिकों और तकनीकी विदों के लिये उपलब्ध रिक्त स्थान भी प्रकाशित किये जाते है। बुलैटिन की प्रतियां विदेशों में स्थित समस्त भारतीय मिशनों और समस्त मुख्य विश्वविद्यालय केन्द्रों यू० के०, यू० एस० ए० तथा अन्य देशों में भेजी जातीं है। भारत में निजी और सरकारी क्षेत्रों को रोजगार देने वाली एजेंसियों को भी (तीन हजार से अधिक) वितरित की जातीं है।

(6) अगस्त 1963 में प्रतिभावान व्यक्तियों को जो विदेशों में है बिना किसी विलम्ब के तूरंत रोजगार पर रखने के लिये समस्त स्वीकृत वैज्ञानिक संस्थानों को अधि-संख्यक पदों के निर्माण का अधिकार दे दिया था। जून 1971 में यह योजना उन लोगों के लिये भी बढा दी गई जो विदेश नहीं गये ताकि वे रोजगार के अभाव में विदेश न जा सकें।

(7) गृह मंत्रालय के परामर्श से संघ लोक सेवा आयोग ने विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों को भारत के खाली पदों के लिये साक्षात्कार करने की व्यवस्था की है। साक्षात्कार के दौरान विदेशों में स्थित भारतीय वैज्ञानिक को एक से अधिक वर्ग की खाली जगहों तथा अगले वर्ष के बारह महीनों में सभावित पदों के लिये विचार किया जाता है। इनकी आयु शिक्षा योग्यता और अनुभव के आधार पर सूची तैयार की जाती है।

भारत सरकार ने यह तय किया है कि भारत में उनको नियमित रोजगार प्राप्त हो जाने पर, विदेशों में रहने वाले वैज्ञानिक आदि को किफायती श्रेणी की हवाई यात्रा अनुदान, उनके तथा परिवार की भारत वापिसी के लिये स्वीकृत किया जा सकता है। यदि वे उन संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों तक काम करने का लिखित प्रमाण दे।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विदेशों में रहने वाले वैज्ञानिकों का लाभा-न्वित करने के उद्देश्य से भारतीय विश्वविद्यालयों में अभ्यागत प्रोफेसरों को नियुक्त करने संबंधि एक कार्यक्रम का श्री गणेश किया है।

(9) तकनीकीविदों की भारत वापिसी पर उनकी उद्योग स्थापित करने के लिये पैकेज सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

Decrease in Population of Adivasis in Certain Parts in Bihar

2344. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the population of Adivasis has decreased in certain parts in Bihar and if so, the names thereof; and

(b) the extent of decrease and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Population of 'Adivasis' as such is not enumerated at the census. Enumeration of Scheduled Tribes according to Schedued Castes and Scheduled Tibes Lists (Modification) Order–1956, was done at the 1971 Census.

Every district of Bihar has registered an increase in the population of Scheduled Tribes at the 1971 Census compared to the figures at 1961 Census.

(b) In view of (a) above, the question does not arise.

Publication of Hindi Bulletins in Newspapers

2345. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the number of Hindi Newspapers is larger than that of English Newspapers; if so, their numbers;

(b) whether, when English bulletins are prepared and sent for publication, a copy thereof is sent for Hindi translation and by the time it is translated in Hindi, people themselves have read the English news and translated into Hindi, with the result that Hindi translation becomes useless; if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government are taking any special measures keeping in view this position ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir. There were 3,116 Hindi newspapers and 2,390 English newspapers at the end of 1971.

(b) The bulk of the Press Information Bureau's press releases are issued in English and Hindi on the same day.

(c) Instructions have been issued to the officers concerned to ensure that publicity material is made available to English and Hindi newspapers on the same day. Regular checks are made to ensure that instructions are being followed.

Pak Spies arrested after Indo-Pak War

2346. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2039 on 5th April, 1972 regarding Pak spies arrested after Pak aggression and state :

(a) the number of Pak-agents/spies arrested in the country for sabotage after Indo-Pak war;

(b) whether arms and important documents have also been recovered from them; and

(c) if so, the nature thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) According to the information received from the State Government/Union Territory Administrations, 9 persons were arrested in Assam, one person in Chandigarh and 4 persons in the Union Territory of Delhi on suspicion of involvement in espionage/sabotage on behalf of Pakistan since the 18th December, 1971. While there was no recovery of arms from any of the arrested persons, some documents were recovered from the person who was arrested at Chandigarh.

Information is awaited from Andhra Pradesh, Haryana, Jammu & Kashmir, Kerala, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tripura and West Bengal. Information in regard to the remaining States/Union Territories is Nil.

हिन्दुस्थान मशीन टूल्स के नए कारखानों के लिए धनराशि

2347. **श्री के० मालन्ना :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 और 1973–74 में देश में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लि० के नए कारखाने स्थापित करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : वर्ष 1972–73 के लिये हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलोर द्वारा नयी परियोजनाओं के लिये की गई धनराशि की व्यवस्था का ब्योरा नीचे दिया जाता है :—

वाच फेक्टरी 2, बँगलोर	105 लाख रुपये
वाच फक्टरी 3, श्रीनगर	207 ,,
प्रेस डिवीजन, हैदराबाद	140 ,,
प्रिंटिंग मशीनरी प्रोजेक्ट, कलमश्शेरी (केरल)	150 ,,
ट्रेक्टर डिवीजन, पिंजौर	100 ,,
	702 लाख रुपये

जहां तक वर्ष 1972–73 का सम्बन्ध है बजट प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

पिछड़े राज्यों को आबंटित विकास निधियों का उपयोग न किया जाना

2348. **श्री के० मालन्ना :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई है कि देश के कई पिछडे राज्यों में उन्हे आबंटित विकास निधियों का पूरा उपयोग नहीं किया है। यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या है और उन्होंनें कितनी राशि का उपयोग नहीं किया है;

(ख) इन निधियों का प्रयोग न करने के क्या कारण है, और

(ग) ऐसे राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 इन तीन वर्षों के लिए मंजूर किए गए योजना परिव्ययों के उपयोग में पिछड़े राज्य द्वारा कोई कमी नहीं की गई है।

(ख) **तथा** (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इलैक्ट्रोकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल के कार्य की जांच

2349. **श्री के० मालन्ना :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल, के कार्य की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के कार्यकरण के संबंध में सतत निगरानी रख रही है। श्री एम० एस० पाठक, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में बनी एक उच्चस्तरीय समिति ने हाल ही में इस उपक्रम के कार्य की जांच की है तथा एकक के कार्य में सुधार करने हेतु कुछ सिफारशें की हैं ये सिफारिशे मान ली गई हैं तथा क्रियान्वित की जा रही हैं।

सरकारी क्षेत्र द्वारा की जा रही तीव्र प्रगति

2350. श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का सरकारी क्षेत्र प्रत्येक योजना अवधि में उत्तरोत्तर तीव्र प्रगती कर रहा है, और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी लगाई गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, जो कि पहली योजना में 1560 करोड़ रुपये था, दूसरी योजना में 3650 करोड़ रुपये था तथा तिसरी योजना में 7180 करोड़ रुपये था, उसके चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में लगभग 13000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने की संभावना है।

प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय विषमता

2352. श्री समर मुखर्जी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1960-61 की तुलना में 1970-71 में प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). 1960-61 1969-70 के बीच में प्रति व्यक्ति आय में क्षेत्रीय विषमताएं बढी है—यह दिखाने के लिए निर्णायक आंकडों का कोई भी सबुत नहीं है क्यों कि इस अवधि में आय उपार्जन संकल्पना के आधार पर राज्यों और प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं है। कृषि आय में काफी उतार चढ़ाव को देखते हुए, जो कि देश में कुल आय का एक

प्रचुर अनुपात है और जो कि इस अवधि के दौरान प्रति वर्ष बदलती मौसमी परिस्थितियों के कारण घटित हुआ यह उपयुक्त नहीं होगा कि राज्यों और प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए 1960-61 और 1969-70 के दो आवधिक वर्षों को लिया जाय।

फिर भी, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रस्तुत 1960-61 से 1964-65 और 1967-68 से 1969-70 की अवधि के तुलनात्मक अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति कुल घरलु उत्पादन (वर्तमान मूल्यों में) इस अवधि के दौरान सभी राज्यों में बढ़ा है जब कि विभिन्न राज्यों में बढोत्तरी की रफ्तार एक जैसी नहीं थी। राज्य की सीमाओं के भीतर स्थित प्रदेशों के बारे में इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है।

घटकों के वैविध्य के कारण उत्पादन की दरों में भिन्नता कुछ मात्रा में अवश्यमभावी थी जैसे आकृति भौगोलिक परिस्थितियों सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भिन्नता और आधुनिक टेक्नोलाजी को ग्रहण करने की मात्रा – विशेषत: कृषि इत्यादि के क्षेत्र में।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण

2353. **श्री के० मालन्ना :**

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सर्वोदय नेताओं के आह्वान पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में कुल कितने डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया; और

(ख) चंबल के खादरों के सामाजिक आर्थिक, विकास के लिये योजना बनाने तथा उसे लागू करने के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सर्वोदय कार्यकर्ताओं और केन्द्रीय तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किये गये प्रयत्नों समेत अनेकों कारणों से अप्रेल के मध्य से 22 जुलाई, 1972 तक 429 डाकुओं ने आत्मसर्पण किया।

(ख) चंबल घाटी क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा चंबल की बीहड़ भूमि को खेती योग्य बनाने समेत एक समेकित योजना तैयार की जा रही है।

रेयर अर्थ्स के उत्पाद

2354. **श्री वयालार रवि :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास्टिक सोडा और पैकिंग के लिये इस्पात चादरों की कमी के कारण देश में रेयर अर्थ्स के उत्पादों में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के परिणामस्वरूप विभिन्न संयंत्रों में उत्पादन पर कहां तक विपरित प्रभाव पड़ा है और इस सामग्री की सप्लाई बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). कास्टिक सोडे कि कमी के कारण

वर्ष 1971-72 में आल्वे स्थित इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड में रेयर अर्थ्स के योगिकों का उत्पादन लक्ष्य से लगभग 8 प्रतिशत कम रहा है। क्योंकि योगिकों का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है अत: स्टील की कमी का प्रभाव इस पर नगण्य रहा।

कास्टिक सोडे के नियमित सप्लायरों द्वारा सप्लाई में जिस सीमा तक कमी की गई है उस सीमा तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी अन्य स्रोतों से माल खरीदने का प्रयास कर रही है।

केरल में गुरू जल संयंत्र लगाया जाना

2355. **श्री वयालार रवि :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री देश में गुरु जल संयत्र स्थापित करने के बारे में 2 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में ऐसा संयंत्र स्थापित करने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). भारी पानी संयत्र की लागत न्यूनतम 900 मीटरिक टन की दनिक क्षमता वाले अमोनिया संयंत्र के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है ? केरल में इतनी अधिक क्षमता वाला कोई अमोनिया संयंत्र नहीं है।

केरल में रेयर अर्थ्स के संयंत्रों में जर्कन के भारी भंडार

2356. **श्री वयालार रवि :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेयर अर्थ्स के संयंत्रों में जर्कन का भारी भंडार जमा हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सामग्री के किसी वैकल्पिक देशी प्रयोग की संभावनाओं पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन भंडारो को निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) केरल के चवारा नामक स्थान पर स्थित इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के खनिजयुक्त रेत को अलग करने वाले संयंत्र में जर्कन का कोई बडा भंडार जमा नहीं हुआ है। तथापि, मानवलाकुरुचि, तामिलनाडु के संयंत्र में भंडार जमा हुआ है।

(ख) तथा (ग). बाजार की आवश्यकताओं को और बड़े पैमान पर पूरा करने के लिए जर्कन को संसाधित करने हेतु इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड दो संयंत्र स्थापित कर चुका है जिनमें से एक चवारा में और दुसरा मानवलाकुरुचि में है। आशा है कि इन कदमों के उठाने से तथा माल बेचने के लिए किये गए सतत प्रयत्नों से यह संभव हो सकेगा कि विश्व बाजार में इस खनिज की भरमार होने के बावजूद भी जमा भंडारों को निकाला जा सके।

योजना आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को सामान्य रिक्त पदों में बदलना

2357. **श्री अम्बेश :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कमी के कारण गत तीन वर्षों में प्रत्येक श्रेणी के कितने आरक्षित पदों को सामान्य रिक्त पदों में बदलने के लिये उन से अनुरोध किया गया था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी–1 (राजपत्रित) के पांच तथा श्रेणी 2–एवं श्रेणी–3 (अराजपत्रित) के ग्यारह आरक्षित पदों को सामान्य पदों में बदलना पड़ा था, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले थे।

आरक्षित रिक्त पदों को सामान्य रिक्त पदों में बदलने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार उपर्युक्त मामलों में उस विभाग की स्वीकृति ले ली गई है। फिर भी, नये सिरे से इन मामलों की जांच की जा रही है।

S. C. and S. T. Employees in A.I.R. Station

2358. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5721 on 10th May, 1972 regarding S.C./S.T. employees in the A.I.R. Stations and state :

(a) whether the information asked for in the aforesaid question has since been collected by Government;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) if not, the time by which the said information is likely to be collected and placed on the table of the House.

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. L.T. 3405/72].

(c) Does not arise.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

2359. **श्री अम्बेश :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) अनुसचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार न मिलने के कारण गत तीन वर्षों में कितने पदों को, श्रेणी वार, सामान्य रिक्त स्थानों में बदल दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख).

पद की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या (1-1-72 को)	अनुसूचित जातियों से संबंधित	अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित
1.	997	23	5
2.	2,195	110	24
3.	7,607	1,027	247
4.	4,597	1,304	264

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

रजत जयंती वर्ष में युवकों को रोजगार

2360. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने रजत जयंती वर्ष को युवा पीढी का वर्ष बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री संपूर्ण देश में युवकों की बेरोजगारी की गंभीर समस्या को अनुभव करती है; और

(ग) क्या युवकों को तुरंत रोजगार देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम बना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० मोहन धारिया) : (क) से (ग). प्रधान मंत्री ने अनेक अवसरों पर देश के युवा वर्ग से कहा है कि यह देश उनका है और इसके विकास में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। देश की गंभीर बेरोजगारी की स्थिति के प्रति प्रधान मंत्री तथा सरकार पूरी तरह सचेत हैं । ग्रामीण और शहरी युवकों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए हर संभव कार्यवाही की जा रही है। रोजगार कार्यक्रमो के लिए 1972-73 में लगभग 180 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। ब्यौरा इस प्रकार है :

(क) शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्कीम	(करोड़ रुपये)
(1) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा स्तर में सुधार .	29.48
(2) उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता . .	6.50
(3) ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण . .	2.85
(4) कृषि सेवा केन्द्र . . .	0.76
(5) उपभोक्ता सहकारी भंडारों का विस्तार .	0.50
(6) सड़क परियोजनाओं का अन्वेषण . . .	0.50
(7) गांवों में जल की पूर्ति के लिए डिजाईन एककों की स्थापना	0.44

(ख) इंजीनियरों, प्रौद्योगिक-विदों तथा वैज्ञानिकों जैसे उच्चयोग्यता प्राप्त कार्मिकों के लिए स्कीमें	20.00
(ग) 26.5 करोड़ रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता तथा राज्य सरकारों द्वारा जुटाये जाने वाले अतिरिक्त संसाधनों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा शुरु की जाने वाली विशेष रोजगार स्कीमें	48.67
(घ) संघ शासित क्षेत्रों द्वारा शुरू की जाने वाली विशेष रोजगार स्कीमें	0.50
(ङ) ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित स्कीम . .	50.00
(च) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	20.00

इसके अलावा, लघु कृषक विकास अभिकरण तथा सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तकनीकल तथा अन्य सुयोग्य व्यक्ति उत्पादक कार्यकलापों में लग सके इसके लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उद्यमियों को अपने छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष सहायता की स्कीमें चालू की है जिनके अंतर्गत उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

225 औद्योगिक दृष्टि से पिछडे जिलों को उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए रियायती दरों पर अखिल भारतीय आवधिक ऋणदात्री वित्तीय संस्थानों से धन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ठहराया गया है। इसमें से 44 जिलों को केन्द्र से सीधे अनुदान या इमदाद के लिए चुना गया है। यह प्रत्येक 50 लाख रुपये से कम विनियोजन की नई औद्योगिक एककों तथा विद्यमान एककों द्वारा अपनी क्षमता में काफी विस्तार करने के लिए अचल पूंजी विनियोजन का दस प्रतिशत होता है। दस प्रतिशत इमदाद के हकदार जिलों की संख्या हाल ही में बढाकर पिछडे राज्यों में छः तथा अन्य राज्यों में तीन कर दी गई है। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप पिछडे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में तेजी आयेगी जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सुलभ होंगे।

Execution of Death Sentence awarded to The Accused of Burning 3 Children in New Delhi in 1968

2361. Shri Hukum Chand Kachwai :

Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether no action has been taken to execute the death sentence awarded by the court to Shri Amrit Bhushan Gupta on the charge of burning 3 children alive on the 19th June, 1968 in Srinivaspuri, New Delhi;

(b) whether several mercy petitions filed by him have been rejected by the Supreme Court and the President of India; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). The petitions for mercy of condemned prisoner Amrit Bhushan Gupta were rejected by the President on 6-12-1970. The orders were communicated to the Delhi Administration on 9th December, 1970. Subsequently, the Superintendent Central Jail, New Delhi reported that the condemned prisoner

had assumed an abnormal behaviour and had perhaps become a convict of unsound mind in terms of Indian Lunacy Act. The Medical Board of doctors who examined the condemned prisoner have opined that he is suffering from prison psychosis and is a person of unsound mind. The report of the medical Board is under examination of the Government.

विशेषज्ञों और तकनीशयनों की कमी

2362. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर इलेक्ट्रोनिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों और तकनीशियनों की भारी कमी है, और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीविजन पर 'चित्रहार' कार्यक्रम

2363. श्री बी आर० शुक्ल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन के चित्रहार कार्यक्रम में गानों और दृश्यों में उचित परिणामस्वरूप चलचित्रों के अश्लील और बेहुदा दृश्य दिखाये जाते हैं, और

(ख) क्या सरकार का विचार गानों और दृष्यों का उचित चयन सुनिश्चित करने या इनके स्थान पर राष्ट्रीय महत्व का कोई अन्य कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 'चित्रहार' एक लोकप्रिय मनोरंजक कार्यक्रम है । इसके स्थान पर कोई अन्य कार्यक्रम चालू करने का कोई विचार नहीं है ।

राष्ट्रीय जल विज्ञान सम्बन्धी बोर्ड की स्थापना

2364. श्री बी० आर० शुक्ल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या देश की जल संसोधन समस्या के साथ निपटने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त अंतर अनुशासनात्मक संस्था के रूप में एक राष्ट्रीय जल विज्ञान संबंधी बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) इस प्रकार का बोर्ड बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) और (ख). राष्ट्रीय जल विज्ञान बोर्ड की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है ।

चंडीगढ़ में किराया निर्बन्धन विधियां

2365. **श्री अमर नाथ विद्यालंकार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ ही एक ऐसा बड़ा शहर है जहां सभी किराया निर्बन्धन विधियों से अब भी छूट दी जाती है;

(ख) क्या चंडीगढ के नागरिकों की ओर से समय-समय पर कई अभ्यावेदन भेजे गए हैं जिनमें अनुरोध किया जाता रहा है कि अन्य शहरों की तरह चंडीगढ में भी किराया निर्बन्धम विधियां लागू की जायें; और

(ग) क्या सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) किराया नियंत्रण अधिनियम अधिकांश राज्यों में लागू है और चंडीगढ ही बडा शहर है जिसे किराया निर्बन्धन विधियों से छूट दी हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

Setting up of Paper Mill by Birla Brothers at Nainital

2366. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Birla Brothers have sent a proposal for setting up a Paper Mill at Nainital; and

(b) if so, the time by which the said Mill is proposed to be set up and the assistance sought from Government by the Birla Brothers in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Such a proposal has been made by M/s. Century Pulp, Proprietors the Century Spinning & Manufacturing Co., Ltd. Calcutta.

(b) No indication regarding this is possible at this stage. The party have not sought any assistance as such.

कलकत्ता में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

2367. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में तेरह नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उनसे कितनी अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था होगी; और

(ग) क्या प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों में अमरीकी डिजाइन के क्रासवार उपकरण लगाए जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी हां। अगले पांच-छह वर्षों में कलकत्ते में 15 नये टेलिफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। इन एक्सचेंजों के लिए अपेक्षित उपस्कर अलाट कर दिए गए हैं।

(ख) इन नये एक्सचेंजों से टेलिफोन प्रणाली में 51,800 लाइनें और जुड़ जाएंगी।

(ग) 14 नये एक्सचेंजों में मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बंगलौर द्वारा निर्मित 'पेंण्टाकोण्टा' क्रासबार उपस्कर लगाए जाएंगे और एक नये एक्सचेंज में इसी कंपनी का 'स्टेप बाई स्टेप' उपस्कर लगाया जाएगा।

सड़क दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्तियों को स्वेच्छा से अस्पताल ले जाने वाले व्यक्तियों को पुलिस द्वारा तंग किया जाना

2368. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मे सड़क दुर्घटना तथा अन्य दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को स्वेच्छा से निकटतम अस्पतालों में ले जाने वाले अथवा तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुलिस द्वारा तंग किया जाता है तथा उन्हें बयान देने को बाध्य किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुलिस को यह आदेश जारी करने का है कि ऐसे व्यक्तियों को कभी भी बिठाये रख कर तंग न किया जाये अथवा उन्हें बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य न किया जाये;

(ग) क्या सरकार कानून में आवश्यक संशोधन करेगी जिससे सर्व प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को न्यायालय में गवाही देने के लिए विवश न किया जाये; और

(घ) या सरकार ऐसे मामले में स्वेच्छा से सेवा करने वाले व्यक्तियों की पुरस्कार की व्यवस्था करेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं। सन् 1971 से इस प्रकार की केवल एक शिकायत ध्यान में आई है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने ऐसे व्यक्तियों को किसी तरह से तंग न करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को पहले ही अनुदेश जारी कर दिये हैं।

(ग) जी नहीं। किन्तु दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी किये हैं कि यदि ऐसे व्यक्ति चश्मदीद गवाह नहीं हैं तो न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उनके शपथपत्र ले लिए जायं और गवाही के लिये उन्हे बुलाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) जी नहीं।

भूतपूर्व शासकों द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री

2369. श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व शासकों के महलों तथा सम्पत्तियों की अहस्तांतरणीयता संबंधी खण्ड को रद्द किया जा रहा है जिससे वे अपनी सम्पत्तियों को बेच सकें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). भारत सरकार ने दिसम्बर, 1954 में ही भूतपूर्व नरेशों को सूचित कर दिया था कि यह निश्चित करना उनका काम है कि क्या सरकार द्वारा निजी सम्पत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी वस्तु का बिक्री द्वारा या अन्यथा निपटान करना ठीक होगा।

मैसूर के भूतपूर्व नरेश ने अपने तीन महलों को बेचने की अनुमति मांगी हैं, जिन्हें निजी सम्पत्तियों की सूची में अहस्तारणीय तथा नरेश तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे जाने के लिए दिखाया गया है। सारे मामले पर मैसूर सरकार के परामर्श से परीक्षा की जा रही है ;

आन्ध्र प्रदेश में ट्रंक टेलीफोन सेवाएं

2370. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में आन्ध्र प्रदेश में ट्रंक टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या बरास्ता तिरुपति मद्रास से बंगलौर की प्रस्ताविक माइक्रोवेव प्रणाली को चित्तूर से भी जोड़ा जायेगा ; और

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) आंन्ध्र डाक–तार सर्किल में इस वर्ष 100 से ज्यादा ट्रंक स्विच बोर्ड लगाने के लिए सप्लाई किए गए हैं। ट्रंक सेवा में सुधार करने के लिये योजना के अनुसार उन्हें और ट्रंक स्विच बोर्ड भी अलाट किए जा रहे हैं।

सिकंदराबाद ट्रंक एक्सचेंज को पहले से ज्यादा खुले स्थान पर ले जा रहे हैं। काकीनाड़ा में एक और बड़ा ट्रंक एक्सचेंज भी लगाया जा रहा है। निम्नलिखित मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) शुरु करने की भी योजना बनाई गई है :

(1) गुंटूर–विजयवाड़ा

(2) हैदराबाद–बम्बई

(3) हैदराबाद–विजयवाड़ा

(4) हैदराबाद–मद्रास

(5) मद्रास–विजयवाड़ा

(6) मद्रास–तिरुपति

इनकी स्थापना/योजना बनाने संबंधी काम अलग–अलग चरणों में है। आशा है कि गुंटूर-विजयवाड़ा मार्ग पर ए० टी० डी० सेवा एक वर्ष के अन्दर चालू कर दी जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) आशा है कि मद्रास से बंगलौर और मद्रास से तिरुपति का संबंध जोड़ने वाली माइक्रोवेव प्रणालियां, जो बंबई –मंगलौर, मद्रास और मंगलौर –त्रिवेन्द्रम माइक्रोवेव मार्गों का ही हिस्सा हैं, 1974–75 के बाद उत्तरोत्तर चालू कर दी जाएंगी।

चित्तूर में टेलीफोन डिवीजन

2371. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तूर में अलग टेलीफोन डिवीजन स्थापित करने की आवश्यकता और उसका औचित्य है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह डिवीजन कब तक स्थापित करने का सरकार का विचार है?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जब चित्तूर टेलीफोन प्रणाली का कार्य-भार निर्धारित मानदण्डों तक पहुंच जाएगा तो प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

उद्योग में पूंजी निवेश

2372. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग में चौथी योजना के अनुमानों के अनुसार पूंजी न लगाए जाने के क्या कारण हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्र में गतिरोध हो गया है;

(ख) वे वर्तमान नीतियां क्या हैं जिनमें प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय के सिद्धान्त में बिना कोई बाधा डाले वातावरण को अनुकुल बनाने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता है; और

(ग) यह परिवर्तन कितने शीघ्र किए जाएंगे?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन करते समय उद्योगों में निवेश की प्रवृत्तियों को भी समीक्षा की गई। यह पाया गया कि बहुतायत से निर्माण की अनुसूचियों में चूकों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में भावी गिरावट आई। संगठित क्षेत्रों में हुए प्राइवेट निवेश के संबंध में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। यद्यपि बाजार में पूंजी की स्थिति तथा सशर्त धन दात्री संस्थाओं द्वारा वितरित धनराशि बड़ी है किन्तु आयोजना में प्राक्कल्पित निजी क्षेत्र का कुल निवेश अभी तक बहुत कम रहा है फिर भी जैसा कि औद्योगिक माल की मांग का सामान्य स्तर है तथा उद्योगों में निवेशयोग्य ससाधनों की जैसी अवस्था है, ऐसा लगता है कि परिस्थितियां सामान्यतया भविष्य में तेजी से विकास के अनुकुल हैं। उदारतापूवक लाइसेंस लेने तथा एक बड़े आधार पर विचार करने हेतू लाइसेंसिंग नीति का नवीकरण कर दिया गया है। जारी किए जाने वाले आशय-पत्रों तथा लाइसेंसों की संख्या पर्याप्त बढ़ा दी गई है, जहां कहीं भी आवश्यक हुआ है, पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेश सहयोग के अनुमोदन की प्रक्रिया मे शीघ्रता लाई गई है। सरकार ने भी वर्तमान क्षमताओं के पूर्ण उपयोग हेतु कतिपय उदारताओ की घोषणा की है। सरकार उद्योगों में निवेश तथा उत्पादन की प्रकृतियों पर सतत निगरानी रख रही है।

दार्जिलिंग जाने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए परमिट

2373. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी पर्यटकों को दार्जिलिंग जाने के लिए परमिट लेने पड़ते हैं किन्तु काश्मीर में श्रीनगर जैसे स्थानों पर जाने के लिए उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : विदेशी व्यक्ति (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश 1963 के अधीन दार्जिलिंग को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है और इस प्रकार उस स्थान पर जाने के इच्छुक विदेशियों को परमिट प्राप्त करना पडता है। सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार जम्मू तथा काश्मीर के कुछ क्षेत्रों तथा स्थानों को भी उसी प्रकार प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध घोषित किया गया है जिन में श्रीनगर सम्मिलित नहीं है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा रुपये में भुगतान करके औद्योगिक संयंत्रों की खरीद

2374. **श्री दलीप सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या केवल धन की कमी के कारण रूस जैसे देशों से, जिनको रुपयों में भुगतान करना होता है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा औद्योगिक संयंत्रों की खरीद से संबंधित कई प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कब तक धनराशि उपलब्ध की जाएगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ; इस प्रकार के कुछ मामले राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में निलंबित हैं ।

(ख) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लघुउद्योग विकास निगम सीमित स्तर पर पुनः आदेश जारी कर रहा है।

प्रताप गढ़ (उत्तर प्रदेश) में ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

2375. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस फर्म को प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में एक ट्रैक्टर कारखाने की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किया गया था उसने कारखाना स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब तक पूरा हो जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पार्टी ने उस सहयोग करार का मसौदा प्रस्तुत किया था जिसे वह अपने विदेशी प्रमुखों के साथ करना चाहती है । सहयोग की शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं। पार्टी ने पूंजीगत माल के आयात के लिये अभी आवेदन दिया था जिस पर सरकार ने विचार कर लिया है।

(ख) से (ग). परियोजना तीन चार वर्षों में पूरी हो जाने की सम्भावना है।

त्रिचूर टेलीफोन केन्द्र से डाक तथा तार कर्मचारियों का तबादला

2376. **श्री ए० के० गोपालन :**

श्री एम० के० कृष्णन् :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिचुर (केरल) टेलीफोन केन्द्र से हाल में डाक तथा तार विभाग (टेलीफोन) के कितने कर्मचारियों का तबादला किया गया; और

(ख) उनके तबादले के क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) पांच ।

(ख) उनका तबादला सेवा के हित में प्रशासनिक आधार पर किया गया ।

उत्पादन से संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के ग्रुप की बैठक

2377. **श्री के० मालन्ना** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक प्रगति में विद्यमान बाधाओं को दूर करने के लिए उत्पादन से संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के गठित नए ग्रुप की प्रथम बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय किए गए?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : माननीय सदस्य का अभिप्राय संभवत: योजना, इस्पात और खान, रेल, पेट्रोल और रसायन, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार मंत्रियों की अनौपचारिक बैठकों से है। ये एक अनौप-चारिक ग्रुप है। विशिष्ट निर्णय संबंधित मंत्रालयों में और जब आवश्यक होता है तो मंत्रिमण्डल या मंत्रिमण्डल की संबंधित समिति में किए जाते हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए केरल सरकार को आबंटित की गई राशि

2378. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगार रोजगारप्रदान करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये केरल राज्य की सरकार को, वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान वर्षवार, कुल कितनी राशि आबंटित की गई ; और

(ख) अब तक उस पर कितनी राशि खर्च की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). 1971–72 तथा 1972–73 में आरंभ की गई शिक्षित बरोजगारों की स्कीम के लिए केरल सरकार को आबंटित की गई तथा अंतिम रूप से दी गई धनराशि के संबंध में विस्तत ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपये)

स्कीम	1971–72		1972–73
	आबंटित की गई धनराशि	प्रदान की गई धनराशि	आबंटित की गई धनराशि
प्राथमिक शिक्षा का प्रसार तथा सुधार . .	15.86	12.20	97.86
उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता . .	48.00	15.70	35.00
ग्रामीण अभियांत्रिकी सर्वेक्षण . . .	0.95	शून्य	5.43
सड़क कार्यों की जांच के संबंध में अग्रिम कार्यवाही .	0.85	0.85	2.55
ग्रामीण जल–आपूर्ति	0.70	शून्य	1.20
	66.36	28.75	142.04

1972–73 के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी धनराशि दी जाये यह स्कीमों की प्रगति पर निर्भर करेगा।

धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे सेवा का विस्तार करने हेतु पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा किए गए प्रस्ताव

2379. **श्री वीरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद् ने धर्मनगर से अगरतला तक रेलवे सेवा आरम्भ करने की समस्या पर विचार-विमर्श किया है जिससे उस क्षेत्र का समेकित विकास हो सके ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में सड़क परिवहन प्रणाली में सुधार किये जाने के लिए परिषद् ने कोई प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). 1 अगस्त 1972 से पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971 के लागू होने से परिषद् उसी दिन से बनी है । परिषद् की अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re : MOTION FOR ADJOURNMENT

(प्रश्न)

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यह नियम 376(2) के अन्तर्गत उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष साधारणत: अपना निर्णय सभा में नहीं सुनाता। वह कार्यालय को यह बता देता कि अमुक विषय गृहित नहीं किया गया है। आप सभा की प्रथा से बाहर क्यों जा रहे है ? **(व्यवधान)** एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं पहले ही सदस्यों को इस सम्बन्ध में बता चुका हूँ। बम्बई निगम और मजदूरों के बीच विवाद का मामला यहाँ कैसे उठाया जा सकता है ? वे चर्चा के लिए दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। **(व्यवधान)** । एक स्थगन प्रस्ताव के रूप में किसी नीति सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा सभा में नहीं हो सकती । यह सभा में पहले भी विनिर्णय दिया जा चुका है कि तालाबन्दी, हड़ताल आदि के मामले स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं उठाए जा सकते। ...मैं इसको अनुमति नहीं दे सकता । स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री एस० एम; बनर्जी : मैं व्यवस्था का प्रश्न नियम 376(2) के अन्तर्गत उठा रहा हूं । कृपया मेरी बात तो सुनें । मैं विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहा । अध्यक्ष के निदेश 56 के अन्तगत स्थमन प्रस्ताव को सदैव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अपेक्षा प्राथमिता दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक से अधिक मामला नहीं उठाया जा सकता है तथा वह भी हाल ही मे घटित घटना तक सीमित होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वे मुझसे मेरे कक्ष में मिल सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलिपुर): यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो केन्द्रीय सरकार की नीति से सम्बन्धित है । इसलिए मैं इसे उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह बम्बई निगम के कर्मचारियों का मामला है। यह संसद में किस प्रकार उठाया जा सकता है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इससे बोनस फार्मूला बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की असफलता सिद्ध होती है। **(व्यवधान)** ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल यदि बम्बई में पत्तन और गोदी कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो वह मामला यहां उठाया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता । आप मुझसे मेरे कक्ष में मिल सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में कोई और रास्ता निकाला जा सकता है ।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : जब मैं आपसे आपके कक्ष में मिला था तो मैंने बम्बई निगम की स्वायत्तता समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में कुछ कहा था । यहां मैं वह प्रश्न नहीं उठा रहा । मेरा स्थगन प्रस्ताव बोनस के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के फार्मूले के असफल होने से सम्बन्धित है, जिससे देश भर में हड़तालें हो सकती हैं . . . यह एक अखिल भारतीय प्रश्न है। बोनस पुनर्विलोकन समिति केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में है . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना मात्र इतना है कि यदि मन्त्री महोदय चाहते है तो वे एक वक्तव्य दे सकते हैं । यदि आप चाहें तो यह मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में लाया जा सकता है पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं . . . . **(व्यवधान)** श्री खाडिलकर यहां है, मैं उन्हें बता दूंगा कि विरोधी नेताओं का कहना है कि हड़ताल चल रही है ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : हम चर्चा के विरूद्ध नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा हो सकती है । आपने सही कहा है कि इस पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा नहीं हो सकती । अतः हम इस पर कार्यमंत्रणा समिति में चर्चा कर सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार यह चाहती है कि हड़ताल चालू रहे ?

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे विषय उठाते हैं जो हमारे क्षेत्राधिकार मे नही हैं . . . **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित मामला नहीं है तो हम से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के लिए मत कहिए । इसमें तर्क क्या है ? यदि हम इस मामले को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में उठा सकते है, तो इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में भी उठा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : मैं जानना चाहता हूं कि मांग क्या है . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मांग यह है कि मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । परन्तु इनका कहना है कि यह मामला केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है, जबकि हड़ताल बम्बई निगम के कर्मचारियों ने की है । दूसरे, बोनस का मामला है जिस के बारे में कहना है कि यह अखिल भारतीय प्रश्न है । जो सूचना प्रो० दण्डवते से मुझे मिली क्या उसमें केवल हड़ताल का जिक्र था, और उसे मैंने स्वीकार नहीं किया ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बोनस वाला मामला आज जोड़ा गया है, जिसके सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है । मैंने स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुमति नहीं दी । पर मैं चाहता हूँ कि आप तथ्यों को एकत्र करें और एक वक्तव्य दें ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): मैं समझता हूँ कि अब विरोधी दल का कोई भी सदस्य आपको स्थगन प्रस्ताव के लिए आश्वस्त नहीं कर सकेगा, इसलिए कार्य प्रक्रिया में इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाये, और स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने का विवेक अध्यक्ष के हाथ से ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को कारण बताने को बाध्य नहीं । यदि माननीय सदस्य मुझ से मेरे कक्ष में मिलें तो मैं उन्हें बता सकता हूँ । मैं यह उन्हें सचिवालय की मार्फत सूचित करता हूं । वे उन्हें कारण बता देते है । **(व्यवधान)** नियम 377 के अन्तर्गत हम प्रतिदिन अनेकों विषयों पर चर्चा करते हैं और मैं उसकी अनुमति देता हूँ । पर स्थगन प्रस्ताव निर्धारित नियमों के अनुकूल होना चाहिए और यह उनके अनुकूल नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रम मंत्री के वक्तव्य से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने केवल हड़ताल का मामला ही नहीं उठाया था वरन् यह बात भी उठाई थी कि केन्द्रीय सरकार बोनस का एक मान्य फार्मूला लागू करने में असफल ही रही है ।

श्री राम सहाय पाण्डे (राजनन्दगांव) : आपने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी और कहा कि जब तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं आता तब तक सभा में इस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती। आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने को क्यों कह रहे हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के गृहीत न होने से सदस्यों का अन्य प्रस्तावों के द्वारा सूचना पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता. . . **(व्यवधान)** जहाँ तक बोनस के विषय का सम्बन्ध है, वह केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । अतः उस बारे में मंत्री महोदय वक्तव्य दे सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : जब एक स्थगन प्रस्ताव की आप अनुमति नहीं देते तब क्या मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहना नियमाधीन है । नियम 377, जिसके अन्तर्गत यह मामला उठाया गया था, बिल्कुल स्पष्ट है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 को भी रहने दें । पर यदि मैं किसी अन्यथा स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता तब भी मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कह सकता हूँ । बोनस के सम्बन्ध में सदस्य सूचना मांग सकते ह, पर स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे खेद है कि आपने जो कुछ कहा है वह सही नहीं है । मैंने नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाया था, आपने अनुमति नहीं दी और अब आप कहते हैं कि "मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता, मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को कहूँगा ।"

अध्यक्ष महोदय : म मंत्री महोदय से वक्तव्य देने को क्यों नहीं कह सकता **(व्यवधान)** यह मंत्री महोदय पर है कि वे वक्तव्य दें अथवा नहीं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मंत्री केवल नियम 372 के अन्तर्गत अध्यक्ष की सम्मति से वक्तव्य दे सकते हैं । अब यह मंत्री अथवा अध्यक्ष के ऊपर है कि वे सम्मति ले अथवा नहीं । अध्यक्ष मंत्री से वक्तव्य देने को नहीं कह सकता । . . . **(व्यवधान)**

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (सीतापुर): बोनस के प्रश्न पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा किसी अन्य दिन की जा सकती है . . . **(व्यवधान)** अत: स्थगन प्रस्ताव की मांग न तो वांछनीय है और न ही आवश्यक है **(व्यवधान)** ।

श्री आर० के० खाडिलकर : बोनस की वर्तमान योजना के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरण नहीं आते । अत: बम्बई की हड़ताल का मामला राज्य सरकार हल करेगी । इस सभा को इस पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

जहाँ तक बोनस का सम्बन्ध है, वह पुनर्विलोकन के लिए समिति के पास है । समिति कब रिपोर्ट देगी क्या अन्तरिम रिपोर्ट भी देगी? यदि ऐसा प्रश्न किया जाय तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। इस समय मैं कुछ नहीं बता सकता । **(व्यवधान)**

(तत्पश्चात कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(Some Hon. Members then left the House).

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

फरक्का बांध परियोजना को नियत समय में पूरा करने में सरकार की कथित असफलता

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूँ :

> "फरक्का बांध परियोजना को नियत समय में पूरा करने तथा पर्याप्त मात्रा में गंगा नदी के जल का पोषक नहर द्वारा हुगली नदी में डाला जाना सुनिश्चित करने में सरकार की कथित असफलता"

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी० एन० कुरील): फरक्का बराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता पत्तन की सुरक्षा के लिए हुगली की नौगम्यता में सुधार करने हेतु भगीरथी-हुगली प्रणाली की उच्च भमि में जल-निकास को नियमित करने की व्यवस्था करना है । इसके लिए गंगा के ऊपर एक बराज तथा भगीरथी में जल ले जाने के लिए एक फीडर नहर तथा अन्य अनुषंगिक कार्य 1960 में स्वीकार किए गए थे । स्वीकृत धनराशि 1962 में दी गई थी । बराज पर कार्य 1963 के आरंभ में शुरू किया गया था । बराज और नहर कार्य पहले जून, 1971 तक पूर्ण होने अनुसूचित थे । वर्तमान स्थिति यह है कि फरक्का बराज और अधिकांश अनुषंगिक कार्य जुलाई, 1971 तक पूरे हो गये थे । इसके ऊपर रेलमय-सड़क पुल भी पूर्ण हो गया है । इसके द्वारा उत्तर बंगाल के लिए रेल तथा सड़क सम्पर्क स्थापित किया गया है :

फीडर नहर विश्व में बृहत तथा कठिन निर्माणों में से एक है जिसकी तलवर्ती चौड़ाई मिश्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्वेज नहर से भी अधिक है । नहर पर कार्य 1965 में आरंभ किया गया था और कई कार्य-ऋतुओं में किया जाता रहा है । कुछ कार्य ऋतु वर्षा के शीघ्र हो जाने और दीर्घकालीन बाढ़ों के रहने

के कारण छोटी रहीं । 1964 में ठेकेदारों के संगठन तथा विभागीय कार्यों में गम्भीर मजदूर अशांति रही जिससे कार्य की गति पर प्रभाव पड़ा उपर्युक्त के होते हुए भी फीडर नहर का 80% से अधिक कार्य पूरा कर लिया है और शेष कार्य का दिसम्बर, 1973 तक पूण होने की संभावना है हमें आशा है कि नहर के जरिए गंगा जल को 1974 के आरंभ में छोड़ दिया जाएगा ।

हुगली नदी में फीडर नहर के द्वारा गंगा जल के पर्याप्त मात्रा के निकास के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

शीष जल प्रवाह की आवश्यकता

कलकत्ता पत्तन समुद्र से 126 मील की दूरी पर लोअर हुगली पर स्थित है । लोअर हुगली की नौवहन सम्बन्धी स्थितियां बराबर खराब होती जा रही ह और बहुत से प्रसिद्ध इंजीनियर यह सोच रहे है कि इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए । डेढ़ शताब्दी पूव सर आर्थर कॉटन ने यह सुझाव दिया था कि राजमहल में गंगा पर एक बराज का निर्माण किया जाए । बीस वर्ष पूर्व, हुगली नदी की शीर्ष जल पू त में सुधार लाने से सम्बन्धित बातों की जांच करने के लिए श्री मान सिंह की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा एक समिति की स्थापना की गई थी । इसके पश्चात् इस विषय पर बहुत से इंजीनियरों ने अध्ययन किया जिसमें जर्मनी के डा0 हेनसेन थे और अब भी इस विषय पर बड़े जोरों से विचार किया जा रहा है । हाइड्रिलिक माडल अध्यन भी किए गये हैं।

2. यह स्वीकार कर लिया गया है कि इस खराबी का कारण यह है कि जहां से यह नदी गंगा से निकलती है वहां गाद के जम जने के कारण भागीरथी में पर्याप्त तथा संतत प्रवाह नहीं है । कहा जाता है कि शुरू शुरू में चार शताब्दियों तक गंगा भागीरथी-हुगली के साथ-साथ बहा करती थी और भागीरथी के मुहाने में गाद के जम जाने के कारण, अब गंगा पद्मा के जरिए बह रही है जो कि गंगा की एक छोटी सी शाखा हुआ करती थी । अत: भागीरथी में थोड़ा सा ही पानी आता है और यह भी गंगा में उच्चुतम बाढ़ों के दौरान एक वर्ष में अधिकतम 60 दिनों के लिए ही ।

3. अत: शीर्ष जल में अभिवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए गंगा के ऊपर बराज की आवश्यकता स्वीकार कर ली गई है और भारत के विभाजन के दौरान भी इस तथ्य ने इस क्षेत्र में उस समय के पाकिस्तान तथा भारत के बीच सीमाएं निर्धारित करने में बहुत भाग लिया ।

4. केवल एक ही प्रश्न रह गया था और वह था कि पानी की कितनी मात्रा कब और कितनी अवधि के लिए छोड़ी जाए । अक्तूबर 1952 में प्रस्तुत की गई श्री मान सिंह की विशष रिपोर्ट में जोकि हुगली नदी और इसकी शीष जल की सप्लाई में सुधार के संबंध में थी, गंगा से फीडर नहर के निस्सार को 20000 क्यूसेक निर्धारित किया गया (रिपोर्ट का पृष्ठ 56) । उन्होंने यह भी कहा "हुगली नदी में कितना पानी छोड़ा जाए, इसके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए गए है । इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता कि एक इष्टतय मात्रा है । पानी की अधिक मात्रा से तटों का काटाव हो जाएगा, बहुत सी गाद जमा हो जाएगी जोकि ज्वारीय पहुंचों में कठिनाइयां उत्पन्न कर देगी और पानी की बहुत कम मात्रा ज्वारीय पहुंचों में भाटा प्रवाह को उतना संबलित नहीं करेगी जोकि ज्वारीय अत्त: प्रवाह से लाई गई गाद को पुन: वापिस ले जा सकने में उसे समर्थ बना दे । खड़कवासला के अनुसंधान केन्द्र के लिए माडलों के छोटे वैमानों के कारण यह कठिन हो गया कि वे नदी के प्रवाह की कायम रखने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शुष्क ऋतु निस्सार को निर्धारित कर सके"।

5. इस संबंध में और अध्ययन किए गये और आखिरकार 1959 में गंगा बराज परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई । 56.40 करोड़ रूपये की लागत का अनुमान लगाया गया । जब परियोजना स्वीकृति के लिए सामने आई, योजना आयोग ने यह कहा :

"योजना आयोग ने, परियोजना के अन्य लाभों के अलावा, कलकत्ता पत्तन की सुरक्षा के लिए इस परियोजना को आवश्यक समझ कर इस आधार पर स्वीकार किया था कि सभी की तकनीकी राय एक ही थी कि यह स्कीम तकनीकी तौर पर ठोस स्कीम है चाहे मार्च-मई की अवधियों में पानी बिलकुल ही नही मिलता।"

अप्रैल 1960 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गंगा बराज परियोजना ने शीर्ष जल निस्सार की अवधि के संबंध में विभिन्न मतों का ख्याल किया और कलना पर संतुलित निस्सारों के प्रचालन साइकल के लिए निम्न प्रकार से व्यवस्था की :—

अवधि	कलना पर प्रस्तावित प्रवाह (क्यूसेक)
जनवरी से 15 मार्च . . .	40,000 से 20,000
15 मार्च से 15 मई . . .	20,000 तक (यथा उपलब्ध)
15 मई से 20 जून . . .	20,000 से 40,000
20 जून से 30 जून . . .	40,000 से 60,000
जुलाई से सितम्बर . . .	लगातार वृद्धि—60,000 से लगभग 140,000 तक और 80,000 तक, सितम्बर के अन्त में।
अक्टूबर	80,000 से 40,000
नवम्बर, दिसम्बर . . .	40,000

यह भी कहा गया कि "उपलब्ध जल विज्ञान संबंधी आंकडों के आधा पर सुझाये गये परिचालन कार्यक्रम की उन और अधिक आंकडों की सहायता से जांच करना पडेगी और उसमें संशोधन करना पडेगा जो कि बाद में लोअर हुगली में बास और क्रासिंग पर इष्टतम प्रभाव के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला पूना में एकत्रित और परीक्षित तब किए जाएंगे"

6. गंगा बराज को निर्मापार्य हाथ में लिया गया और दराज जुलाई 1971 में पूर्ण कर लिया गया और यह तबसे उत्तरी बंगाल के लिए रेल और सड़कका सम्पर्क का काम कर रहा है। फीडर नहर पर अधिकतर कार्य हो चुका है और इसके दिसम्बर, 1973 तक पूर्ण होने की संभावना है और यह कार्यक्रम बनाया गया है कि गंगा के पानी को फीडर नहर के जरिए भागीरथी में 1974 के शुरू में प्रवाहित कर दिया जाए। परिचालन कार्यक्रम से यह देखा जा सकता है कि यह प्रस्ताव किया गया था कि दस महीनों के लिए फीडर नहर को 40,000 क्यूसेक और मध्य-मार्च से मध्य-मई तक इससे कब, 20,000 क्यूसेक तक चलाया जाए।

7. गत कुछ वर्ष में इस बात पर विवाद खड़ा हो गया कि मध्य-मार्च से मध्य-मई के कमी के महीनों में फीडर नहर में पानी की कितनी मात्रा छोड़ी जाए। इस बारे में दो स्पष्ट विचारधाराएं हैं। इंजीनियरों का एक दल यह महसूस करता है कि इन दो कमी के महीनों के लिए भी 40,000 क्यूसेक का

पूर्ण निस्सार होने देना चाहिए अन्यथा पत्तन को खराब हो जाने से रोका नहीं जा सकता । दुसरे दल का यह विचार है कि इन दो महीनों के दौरान पानी की मात्रा कम की जा सकती है और इसका पत्तन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़गा । उनका तक यह है कि विकास अवरोध जंगीपुर में प्रवाह को पीछे की ओर मोड़ कर भागीरथी शोष में पानी लाने की आवश्यकता और फालतू गाद के पत्तन के क्षेत्र की ओर जाने की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए कमी के महीनों में पानी के प्रवाह को कम किया जा सकता है जैसे कि स्वीकृति के समय परिकलपना की गई थी ।

इस विवाद को हल करने का उत्तम तरीका यह होगा कि फ्रोटोटाइप पर प्रेक्षण अर्थात् क्षेत्री प्रेक्षण किए जाएं ।

8. मध्य-मार्च और मध्य-मई के कमी के महीनों के दौरान गंगा में 50,000 से 60,000 क्युबेक जल प्रवाहित होता है और यह मात्रा हर साल घटती बडती रहती है । इसमें अधिकतर घाघरा, मण्डक और कोसी का ही पानी पड़ता है क्योंकि कमी के महीनों के दौरान अन्य नदियों में बहुत कम प्रवाह होता है । गंगा और यमुना का भी अंशदान नहीं है क्योंकि कई दशाब्दियां पूव हरिद्वार, मरोरा और ओखला (दिल्ली) में इन नदियों पर बनी सिचाई परियोजनाएं इन सहायक नदियों के जल का उपयोग कर लेती हैं । घाघरा की दो सहायक नदियां हैं---शारदा और कर्नाली । शारदा से 1927 से काफी सिचाई की जा रही है । बाद में यह पता चला कि खेतों को पानी देने के लिए शारदा प्रणाली में काफी जल उपलब्ध नहीं है । अधिकतर नहर से खाली चल रही थीं और बहुत से विदेशी तथा भारतीय इंजीनियरों तथा अर्थ शास्त्रियों ने यह मत व्यक्त किया कि शारदा प्रणाली को प्रबलित करने की आवश्यकता है । अत: 1968 में एक स्कीम स्वीकार की गई जिसके अन्तर्गत उसी नदी को दूसरी सहायक नदी से पानी दिया जाता है और इस परियोजना का नाम शारदा 'सहायक' रखा गया । किसी भी नई नहर प्रणाली का निर्माण नहीं किया जाना है । केवल एक फीडर नहर ही बनाई जानी है ताकि कई दशादियों पूर्व निर्मित विभिन्न नहरों को पानी दिया जा सके ।

कई अभ्यावेदनों तथा अनुसंधानों के परिणामस्वरूप, बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश में सिंचाई करने के लिए 1958 में सिधान्त रूप से एक सिंचाई परियोजना "गंडक परियोजना" स्वीकार की गई थी और अब यह निर्माणाधीन है ।

इसी प्रकार, पूर्वी नहरों पर 15 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए 1956 में कोसी पर एक सिंचाई परियोजना स्वीकार हुई थी । यह पश्चिम कोसी नहर के अलावा है जिसके सम्बन्ध में नेपाल के साथ विचार विमर्श किया जा रहा था और जिसे अभी हाल ही में हाथ में लिया गया है ।

क्योंकि मध्य मार्च से मध्य मई के कमी के महीनों में गंगा की अन्य सहायक नदियों से गंगा में काफी पानी नहीं पड़ता इसलिए इन दो महीनों के दौरान गंगा के प्रवाह पर इन पर निर्मित सिंचाई परियोजनाओं से कोई कु प्रभाव नहीं पड़ेगा । इन परियोजनाओं से अनिवार्यत: खरीफ और रबी के मौसमों के दौरान पानी सप्लाय किया जाता है जब संचित जल उपलब्ध होता है ।

अत: यहा देखा जाएगा कि फरक्का बराज परियोजना की स्वीकृति से पूर्व, इन कमी के महीनों में सिंचाई के लिए जल की सप्लाई हेतु कुछ परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी । चूंकि इन परयोजनाओं का अभी तक पूर्व प्रलयोग नहीं किया गया है, इस लिए कमी के महीनों में गंगा के प्रवाह पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

9. कुछ लोगों द्वारा व्यक्त किए गए संदेह को ध्यान में रख कर भारत सरकार पुन: यह कहना चाहती है कि कलकत्ता पत्तन को खराब नही होन दिया जाएगा और शीर्ष जल निस्सार की पर्याप्त पुर्ति और ज्वारीय प्रिज्म की इष्टतम ट्रेजिंग जहा आवश्वक हो नदि नियंत्रण उपाय आदि की आधुनिक तकणोंको को इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि महत्वपुण कलकत्ता पत्तन की कार्यक्षमता को सुनिश्चित किया जा सके ।

10. अगले वर्ष, 1973 के प्रारंभ होने से प्रोटोटाइप आंकड़ों को व्यापक रूप से एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ करना पड़ेगा और यह कार्य अगले 10 वर्षों तक किया जाता रहेगा । ये आंकड़े भागीरथी नदी, कलकत्ता के ऊपर ज्वारीय पहुँच और कलकत्ता से माथापुर तक की पहुँच और उसके आगे नदी से संबंधित होंगे । इन प्रेक्षणों में ये सम्मिलित होंगे : थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्रास सेक्शन लेना, निस्सार मापन, समस्त वर्ष में नदी का जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण, बडे-लोड नमूनों का विश्लेषण ज्वारीय आंकडोंका एकत्रीकरण, वेग और गाद-चार्ज प्रेक्षण, लवणता प्रेक्षण रोधों और संगमों पर दैनिक गहराई, नौवहन पथों में परिवर्तन, तलकर्षण आकडे तथा गाद-परिवहन को आंकने के लिए कलकत्ता के निकट नदी के आरपार सैंड टेप द्वारा अन्वेशण । इन कार्यों की व्यवस्था जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय के तत्वावधान में गठित एक अध्ययन दल द्वारा की जाएगी जो की कलकत्ता पतन आयुक्त, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, खडगवासला आदि अभिकरणों के कार्यों का समन्वय करेंगा । पश्चिम बंगाल सरकार भी इस कार्य में भाग लेगी ।

11. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पूना में किए गए माडल-परीक्षणों के परिणामों से पता चलता है कि 1959 की मूल रिपोर्ट में दिए गए निस्सार संतोषजनक पाए गए परन्तु कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा किए गए माडल परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि कमी के महीनों के दौरान 40,000 क्यूसेक उच्चतर निस्सार की आवश्यकता है । अनुरूपण की कठिनाइयों के कारण माडल परीक्षणों की विशेषत: बड़ी नदियों के लिए, समस्याओं के मात्रा विषयक सही उत्तर देने में गम्भीर सीमाएं हों और अधिक से अधिक केवल निदेशात्मक ही हो सकते हैं । इस समय सही मात्रा निश्चित करना कठीन है कि कलकत्ता पत्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना अपेक्षित है । जल की सही आवश्यकता का अत्युत्तम निर्धारण स्वयं प्रोटोटाइप पर प्रेक्षणों द्वारा ही किया जाता है । अत: यह निर्णय किया गया है कि फरक्का बराज प्रचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाए :—

(क) फीडर नहर में पानी छोड़ने के पश्चात पांच वर्षों तक फीडर नहर में सारा साल, जिसमें कमी के महीने भी शामील हैं, 40,000 क्यूसेक का पूर्ण जल निस्सार होगा ।

(ख) सुधार को (क) के परिणामस्वरूप जारी रख कर कलकत्ता पत्तन के दक्ष कार्य के लिए आवश्यक जल निस्सार, पैरा 10 में उल्लिखित दल द्वारा पहले पंच वर्षों और इसके पश्चात् दो वर्षों के दौरान, जब जल निस्सार भिन्न भिन्न होगा, प्रभावों का प्रेक्षण करके सुनिश्चित किया जाएगा ।

(ग) उपर्युक्त के साथ-साथ, भिन्न भिन्न मात्राओं में हावड़ा पुल के ऊपर ट्रेंच ड्रेजिंग की जाएगी ताकि उपर्युक्त अध्ययन दल ज्वारीय प्रिज्म पर इसके प्रभाव का प्रेक्षण कर सके और पत्तन क्षेत्र पर अधिक गाद की किसी भी गति को रोक सके । तलकर्षित सामग्री को सुधार कार्य के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है जिसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार बाद में स्कीमें प्रस्तुत करेगी ।

(घ) सात वर्ष की अवधि के पश्चात् उपर्युक्त दल की रिपोर्टों तथा प्रेक्षणों की रोशनी में समस्त स्थिति का पुनरवलोकन किया जाएगा ।

12. निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार कलकत्ता पत्तन की सुरक्षा के लिए, जो कि सर्वोत्तम भारतीय पत्तनों में से एक है, हुगली की नौगम्यता के अनुरक्षण की महत्ता को पूर्णतया स्वीकार करती है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पग उठाएगी ।

इस ओर ध्यान रखना है कि ऊपर की ओर की सिंचाई का लाभ देखना है और पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना है ।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि बंगला देश के उचित हितों को ध्यान में रखा जाएगा और हमारे द्वारा की गई कोई भी व्यवस्था उन हितों पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं डालेगी ।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री ने इस वक्तव्य में इतिहास ही बताया है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है । माननीय मंत्री कुछ चुनी हुई रिपोर्टों का हवाला ही दिया है । इस काम के लिए सरकार द्वारा विषेश रूप से नियुक्त विदेशी विशेषज्ञों के प्रतिवेदनों का जिक्र भी नहीं किया है । दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने गंगा के पानी की निकासी के सम्बन्ध में दो रायों का निरूपण किया है जो कि गलत है ।

यह अच्छा होता कि मंत्री महोदय सीधे अन्तिम पृष्ठ के बारे में बतला देते कि वह वास्तव में क्या करना चाहते हैं ।

इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा रहा है कि कलकत्ता पत्तन की समस्या पश्चिम बंगाल राज्य की समस्या है । यह समस्या राष्ट्रीय समस्या है और वह इसलिये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो कलकत्ता पत्तन भारत के बड़े पत्तनों में से था । अब यातायात के मामले में इसका स्थान चौथा हो गया है । 365 दिनों में से 68 से अधिक दिन तक 26 ड्राफ्ट वाले जहाज इसमें प्रवेश नहीं कर सकते । पिछले 10 वर्षों में तलकर्षण के लिए कलकत्ता पत्तन में घाटे के बजट को पूरा करने और फरक्का बांध परियोजना के लिए निवेश की गई पूंजी अदा करने के लिये प्रतिवर्ष 30 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं ।

कलकत्ता पत्तन अब भी राष्ट्रीय पत्तन है क्योंकि इस पत्तन के द्वारा हमारा 45 प्रतिशत निर्यात और 31 प्रतिशत आयात होता है तथा इससे देश की एक-तिहाई विदेशी मद्रा प्राप्त होती है और साथ ही यहां से पूर्वी भारत अर्थात त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का समुद्री यातायात होता है । कलकत्ता पत्तन पर काम करने वाले 85 प्रतिशत श्रमिक अन्य राज्यों के हैं । अतः यह केवल राज्य की ही समस्या नहीं है । पांच वर्षों तक पोषक नहर को सभी महीनों में 40,000 क्यूसेक जल दिया जायेगा । उसके पश्चात् दो वर्षों तक घटती-बढ़ती मात्रा दी जायेगी । उसके बाद हुगली की रेल के स्वरूप के सम्बन्ध में एक आदर्शरूप अध्ययन किया जायेगा । सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि पानी की मात्रा घटती बढ़ती होगी? इन सब बातों के क्या आधार हैं, क्या आंकड़े है ?

क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने इस क्षेत्र का जल-सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन किया है? क्या उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि भूमि की सतह के पानी के अत्यधिक प्रयोग से गंगा के उपरि क्षेत्र में पानी में क्षार काफी मात्रा में हो जायेगा ? सरकार जल-विज्ञान सम्बन्धी आंकड़ों का उपयोग क्यों नहीं करता? जब भूमिगत जल का नलकूपों, कुओं के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है तो भूमि की सतह के पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है ? यदि ऐसा किया गया तो दो बातें होंगी । पहला, उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि में क्षार की मात्रा बढ़ने की संभावना को रोका जा सकता है तथा दूसरी, गंगा के पानी के बहाव को इलाहाबाद और पटना के बीच बनाये रखने तथा फरक्का पोषक नहर के लिए गंगा को पानी के लिए निस्सारण में सहायता मिलेगी ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या 40,000 क्यूसेक जल को दस वर्षों तक के लिये सुनिश्चित किया जायगा तथा क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि समूचे वर्ष में 40,000 क्यूसेक जल का निस्सरण किया जाये, एक उच्च-शक्ति प्राप्त एजेंसी का गठन किया जायेगा ? क्या बांध के भू-खुदाई-उपकरण में त्रुटियों जैसी सभी समस्याओं का हल करने के लिये कोई 'कार्य विभाग' गठित किया जायेगा ? इसके पूरा होने का निर्धारित समय 1970 है, परन्तु मुझे आशंका है कि यह 1973 तक भी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि प्रति वर्ष 18 करोड़ क्यूबिक फुट की दर से 35 करोड़ क्यूबिक फुट भूमि का खुदाई करना मानव के लिये संभव नहीं है । हम एक वर्ष में 12 करोड़ क्यूबिक फुट से अधिक नहीं कर सकेंगे। अतः नहर का कार्य सरकार 1975 से पहले पूरा नहीं कर सकती है ।

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मैं कहना चाहूंगा कि वक्तव्य में जल के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है । सरकार ने वक्तव्य के अन्तिम पैरा में इस सभा को आश्वासन दिया है कि कलकत्ता पत्तन का अनुरक्षण करना भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य है तथा इस पत्तन को

बचाने के लिय सरकार अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करेगी । हमें पता है कि गंगा बेसिन में विश्व में सबसे अच्छा भूमिगत जल है और हम इसकी पूर्ण रूपेण खुदाई कर रहेहैं । पहले से ही 15,000 नलकूप हैं । कमी वाले महीनों में कठिनाई होता है जब पानी का निस्सारण बहुत थोड़ा होता है और वह नदी में जितना पानी होता है उसके अनुरूप नहीं होता है जो 400 मिलियन एकड़ फुट होगा अत: सारी कठिनाई लगभग दो मिलियन एकड फुट के कारण होती है । इसके लिये एक विकल्प यह है कि गंगा बेसिन में भू-जल का उपयोग किया जाये ।

जहां तक माननीय सदस्य की इस बात का सम्बन्ध है कि 1975 तक यह पूरा होगा, मैं नहीं समझता कि उन्होंने किस आधार पर यह बात कही है । ठेकेदार तथा विभाग मिलकर प्रतिवर्ष लगभग 18 करोड़ क्यूबिक फुट कर रहे है । शेष कार्य 26 करोड क्यूबिक फुट है। पहल विलम्ब इस कारण हो गया था कि गंगा में बाढ़ आजाने से 1971 में आधा काम किया जा सका। आगामी काम के मौसम में हम 20 करोड़ क्यूबिक फुट पूरा करने की आशा करते है । हम इसे दिसम्बर 1973 में पूरा करके .1974 में पोषक नहर को पानी दे सकेंग ।

श्री समर गह : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि दस वर्षों के लिये 40,000 क्यसेक जल को कैसे सुनिश्चित किया जायगा ?

डा० के० एल० राव : यह अवधि दस वर्ष नहीं, सात वर्ष है । पहले पांच वर्षों में हम लगभग 40,000 क्यूसेक जल उतारेंग ।

श्री समर गुह : दस वर्ष की अवधि अध्ययन करने तथा जो जल निस्सारित किया जायगा उसकी मात्रा का फिर से निर्धारण करने के लिये है ।

डा० के० एल० राव : हमने सोचा था कि सात वर्ष काफी होंगे । पहले पांच वर्षों में हम इसका प्रभाव जान सकेंगे । यह बात नहीं है कि हम पूरे सात वर्ष की अवधि में 40,000 क्यूसेक जल उतारेंगे । हमें काफी प्रशिक्षण कार्य भी करना है । सात वर्षों में हम प्रयोग करेंगे ।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : कलकत्ता पतन के संरक्षण के लिये और बंगाल के लोगों को समय पर आंशिक राहत पहुंचाने के लिये प्रधान मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री धन्य वाद के पात्र हैं । दुर्भाग्यवश, मंत्री महोदय वक्तव्य मे उन सब बातों का उल्लेख करने मे असफल रहे हैं जो उन्होंने पश्चिम बंगाल, के मुख्य मंत्री, सिंचाई मंत्री और प्रधान मंत्री के साथ की थीं ।

मंत्री महोदय ने 1952 की मानसिंह समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करके जनता की, विशेषकर बंगाल और पूर्वी भारत की जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है ।

क्या यह सच नहीं है कि योजना आयोग के स्पष्टीकरण के बाद भी संसद ने 1962 में समूची परियोजना को इस विचार से अनुमती दी थी कि समूचे वर्ष में 40,000 क्यूसेक जल निस्सारण होना चाहिये ? अप्रैल 1970 में प्रस्तुत किय गए प्राक्कलन समिति के तिवेदन में कहा गया है कि परियोजना पूरी होने के बाद, प्रति सेकंड 40,000 क्यूबिक फुट जल गंगा से भागीरथी की ओर डालने में समर्थ होगी .....और उससे पत्तन के लिये हुगली के खतरे पर नियंत्रण किया जा सकेगा । मंत्री महोदय ने यह संकेत दिया है कि 20,000 क्यूसेक जल काफी होगा । कई समितियों और अधिकारियों ने कहा है कि कलकत्ता पत्तन का कायाकल्प करने के लिये 40,000 क्यूसेक जल से कम जल से काम नहीं चलेगा । यह बात डा० हैनसन की अध्यक्षता वाली विशषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में कहीं गई है । क्या मंत्री महोदय डा० हेनसन के समूचे प्रतिवेदन को लोक-सभा में रखेंगे ?

उन्होंने यह तर्क दिया कि 20,000 क्यूसेक जल काफी होगा क्योंकि गंगा के उपरी क्षेत्रों में आरम्भ की गई कई परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाना है और जैसी कि स्वीकृति दी जा चुकी है, अन्य कायक्रमों को भी क्रियान्वित किया जाना है । गंडक, कोसी और शारदा परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है । क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि क्या कोसी परियोजना और गंडक परियोजना को 1960 से पूव स्वीकृति दे दी गई थी ? क्या उसे बाद में स्वीकृति नहीं दी गई थी ? पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार के भारी विरोधी के बावजूद जिन 34 बड़ी और 170 छोटी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, क्या मंत्री महोदय इन परियोजनाओं के बारे में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेंग ? यह सच है कि तलकर्षण बढ़ रहा है और 75 लाख से 7.5 करोड़ तक बढ़ गया है । यह सही है कि फरक्का बांध के लिये मंजूर की गई राशि 180 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि नदी के बहाने से आने वाली ज्वार की बड़ी लहर जो 1947 से पूर्व 2 से 3 फट तक उठती थी, अब 6 अथवा 7 फुट तक उठती है और अपने साथ पानी लाती है जिसे हुगली में कम दबाव के कारण वापस निकाल नहीं सकती । ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है , गाद जमती चली जा रही है । इस आदर्श परीक्षण के बाद भी 1979 अथवा 1989 में 40,000 से अधिक गंगा के क्यूसेक जल के निस्सारण की आवश्यकता होगी । क्या मंत्री महोदय कोई निषेधादेश निकालेंगे कि भविष्य में कोई भी परियोजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा बिना किसी तकनीकी समिति के परामश किय मंजूर नही की जायेगी । कलकत्ता बंदरगाह केवल मात्र पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं है । इसका राष्ट्रीय महत्व है।

डा० के० एल० राव : चर्चा में उठाई गई बहुत सी बातों का उत्तर मेरे वक्तव्य में दिया गया है माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूं कि वे उसे ध्यानपूर्वक पढ़े । कलकत्ता बन्दरगाह को समस्या के बारे में हमने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री के साथ विचारविमर्श किया है ।

डा० हेनसन को दोपहर के भोजन पर निजी तौर पर बुलाया गया था । वह भोजन पर आते समय अपने साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर आए । इस संबंध में जितनी भी बातें कही जा रही है वे कुछ ऐसे इंजीनियरों की कपोल कल्पनाएं है जिन्हें सेवा से निकाला गया है ।

श्री समर गुह : मैं माननीय मंत्री की टिप्पणी का विरोध करता हूं । प्रश्न यह है कि क्या इंजीनियरों की बातें विचारणीय है अथवा नहीं । वे अपना बयान करने के लिए सदन में उपस्थित नहीं हैं । अतः इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहियें ।

डा० के० एल० राव : मैं ने यह इस कारण कहा कि माननीय सदस्य ने गलत बात कही थी । डा० हेनसन को मैंने घर पर भोजन के लिए बुलाया, न कि अशोक होटल में । वे मेरे पुराने परिचित हैं । जब वह यहां पर आए तो मैंने उन्हे भोजन के लिए आमंत्रित किया ।

डा० हेनसन अथवा डा० ड्रैन्कहर्स्ट को दूसरी बार हमने आमंत्रित नहीं किया था । ये दोनों पत्तन आयुक्त के आमंत्रण पर आए थे । डा० हेनसन की पहली रिपोर्ट में स्पष्टतया 20,000 क्यूसक की बात का उल्लेख है । .... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं । उन्हें कुछ अनुशासन का पालन करना चाहिये ।

डा० के० एल० राव : मैं विवाद से बचना चाहता हूं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अत्यधिक जल संसाधनों के उपलब्ध होते हुए भी, गंगा बेसिन में केवल 24 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित होता है । इसी कारण से हमने यह कहा था कि "अप-स्ट्रीम" सिंचाई परियोजनाओं को संरक्षण दिया जायेगा ।

श्री बी० के० दासचौधरी : पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कारण विरोध किया था कि इन परियोजनाओं से फरक्का बांध परियोजना और कलकत्ता बन्दरगाह के सुधार के कार्य में रुकावट आएगी । क्या यह सत्य है कि यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात का विरोध किया फिर भी गंगा ब्रम्हपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग के परामर्श के बिना 34 मुख्य तथा 170 लघ सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं ।

डा० के० एल० राव : इतनी अधिक परियोजनाओं को स्वीकृति देने से भी फरक्का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता/मैंने यह बात अपने विवरण में स्पष्ट की है ।

डा० रानन सेन : डा० राव ने 31 मार्च के अपने वक्तव्य में कहा था कि भागीरथी नदी के लिए 20,000 क्यूसेक से अधिक जल देना न तो वांछित ही होगा और न ही संभव परन्तु आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार, भागीरथी नदी के लिए 40,000 क्यूसेक जल उपलब्ध होगा । पहला वक्तव्य देते समय भी तो उन्हें डा० हेनसन, डा० ड्रोनकहर्स्ट, डा० जोगलेकर तथा श्री ए० सी० मित्र के विचार ज्ञात थे । मैं नहीं जानता कि उन्होंने जानबूझ कर यह वक्तव्य दिया अथवा अज्ञानता में, परन्तु उसके परिणामस्वरूप बंगाल, बिहार के विरूद्ध हो गया तथा उत्तर प्रदेश बंगाल के विरूद्ध । पहले इन चारों राज्यों में कोई विवाद नहीं था परन्तु अब यह विवाद बन गया है । कलकत्ता में 26 जून को भी एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि 20,000 क्यूसेक से अधिक जल नहीं दिया जायेगा । अब इस वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि सात वर्षों के लिए इतना जल दिया जायेगा । इस सब के उपरान्त एक विख्यात इंजीनियर, श्री देवेश मुखर्जी ने यह वक्तव्य दिया है कि जब तक वह फरक्का बांध परियोजना के जनरल मैनेजर थे, तब तक इस बारे में मतभेद नहीं था । डा० राव ने स्वयं श्री देवेश मुखर्जी को भारत का एक प्रख्यात नदी इंजीनियर स्वीकार किया है । परन्तु अब अपने वक्तव्य में उन्होंने मानसिंह समिति का उल्लेख किया है । माननीय मंत्री की सब बातें रहस्य से भरी हैं ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री का पहले का वक्तव्य ठीक था या अब जो वक्तव्य दिया जा रहा है वह ठीक है । दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि पोषक नहर के निर्माण में देरी क्यों की गई है ? जनवरी 1968 में पोषक नहर की खुदाई हो रही थी । अब श्रमिक अशांति की बात की जा रही है । श्रमिक अशांति फरक्का बांध परियोजना में पोषक नहर की अपेक्षा अधिक है । इस नहर को 1971 तक पूरा क्यो नहीं किया गया ? अब इसे 1973 तक पूरा किया जाना है । इस बारे में क्या गारंटी है कि इसे तब तक पूरा किया जायेगा ? इस नहर के निर्माण के कारण प्रतिवर्ष व्याज प्रभारों के रूप में 6 करोड़ रुपये की हानि हो रही है । क्या मंत्री महोदय इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि वर्ष 1973 के अन्त तक इस नहर का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि फरक्का बांध परियोजना की जांच किसने की थी और सात वर्ष या पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् जांच किस प्रकार से की जाएगी ? कलकत्ता बन्दरगाह के विकास के इच्छुक तत्वों को किस प्रकार विश्वास में लिया जायेगा ? इस कार्य के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी होगा ?

डा० के० एल० राव : फरक्का परियोजना को 1960 में नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृति दी थी । उस मंत्रालय ने हमारे मंत्रालय को कार्य करने से कहा । जो आंकड़े मैंने बताएं हैं वे स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट के पृष्ठ 56 से उद्धृत किए गये हैं ।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री इस बारे बातचीत करना चाहते थे । हमने यह पाया है कि अगले पांच वर्षों के पश्चात, 40,000 क्यूसेक जल देना संभव होगा । 40,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता केवल पानी की अत्याधिक वाले दो महीनों के बारे में है । कुछ लोगों का मत है कि इन दो महीनों में भी 20,000 क्यूसेक जल से आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी, हमने इस बारे में जांच करनी है । माननीय सदस्य ने पूछा कि जांच कौन करेगा ? इस बात का उत्तर भी वक्तव्य में दिया गया है । जांच का कार्य नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जायेगा जो कि परियोजना के लिए उत्तरदायी है । अध्ययम दल में कलकत्ता के पत्तन आयुक्तों, केन्द्रीय जल और विद्युत अन्वषण केन्द्र, खडकवसला तथा पश्चिम बंगाल सरकार तथा उन अन्य व्यक्तियों को रखा जायेगा जिन्ह नौवहन और परिवहन मंत्रालय आवश्यक समझेगा । परियोजना में देरी की बात से मुझे आश्चर्य हो रहा है । यह परियोजना विश्व की सब से कठिन परियोजनाओं में से एक है । स्वेज नहर का पाट 200 फुट का है जबकि इसका पाट 490 फुट का है । इस परियोजना का कार्य 1965 में प्रारंभ हुआ था । माननीय सदस्यों को यह बात नहीं भलनी चाहिये कि राजस्थान नहर का निर्माण 15 वर्षों से चल रहा है परन्तु अभी तक पूरा नहीं हुआ है । इसी प्रकार की बाते इसकी देरी के कारण हैं । 1971 में बहुत अधिक बाढ आ गई । एक अन्य महत्वपूर्ण कारण 1969 की श्रमिक अशांति है ।

इस परियोजना के साथ मेरा इसके प्रारम्भ से ही संबंध रहा है । अतः इस परियोजना के मूलरूप में पूरा हो जाने से मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी । इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक राज्य को दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा करने अथवा एक परियोजना को दूसरी परियोजना के विरूद्ध खड़ा करने में देश का हित नहीं होता । हम पूरे देश का विकास चाहते हैं न कि किसी परियोजना विशष का । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस क्षेत्र की सिंचाई क्षमता को यथा शीघ्र 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना चाहते हैं । हम इसके लिये कोई न कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Calcutta Port is very important for our country. Development of eastern region of the country depends on the development of this Port. If adequate supply of water is not ensured for this Port, its development would be hampered. Is there any controversy about the quantity of water, etc. with Bangla Desh with regard to this Project and if so, What is the controversy and what steps have been taken or are going to be taken by the Government to solve it ?

It has been admitted in this statement that even if this Feeder Canal is constructed, there will not be any shortage of water in U.P. and Bihar for Kharif crops. Then what else is the reason for the dealy? Are labour troubles the only reason or any other reason is also there?

Can the hon. Minister assure the House that this feeder canal would be constructed by 1973 even with the present pace of work ?

डा० के० एल० राव : विवरण में स्पष्ट किया गया है कि बंगला देश के हितों को ध्यान में रखा जायेगा मुझे विश्वास है कि हम अपने पड़ोसी बंगला देश के साथ इस परियोजना संबंधी समस्याओं को हल कर लेंगे ।

मुझे पूरी आशा है कि हम इसे समय पर पूरा कर सकेंगे इस प्रकार की बहुत बड़ी परियोजनाओं में महीने-दो महीने की देरी तो नगण्य होती है । हम सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने की उद्यत हैं। मुझे आशा है कि हम इस नहर के निर्माण का कार्य 1973 तक पूरा कर सकेंगे । इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके लिए खरीफ के मौसम में पानी की कमी नहीं होगी । हमें बताया गया है कि गंगा घाटी क्षेत्र में सिंचाई के लिए भूमीगत पानी को संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है । डा० राव पहले कहा करते थे कि गंगा-ब्रम्हपुत्र परियोजना के लिए उसके प्रयास किए जाएंगे, परंतु अब वह उसके स्थान पर गंगा-कावेरी परियोजना की बात करते हैं । इस विचार परिवर्तन का कारण क्या है? यदि गंगा-ब्रम्हपुत्र नहर बनाई जाती तो इसका लाभ बीच में पड़ने वाले लगभग सभी राज्यों को हो सकता था । उनके लिए जल तथा विद्युत की जो आज कमी है, वह न रहती । गन्डक परियोजना के बारे में बताया गया है कि इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल आदि लाभान्वित होंग । इसका निर्माण 1958 से चल रहा है । कलकत्ता बन्दरगाह के लिए 40,000 क्यूसेक पानी मिलनाही चाहिये । गंगा नदी के पानी के बारे में विभिन्न राज्यों के विभाग समाप्त होने चाहिये । मेरा एक अनुरोध है कि बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रतिनिधियों का एक नियन्त्रण बोर्ड बनाया जाए जो आपसी मतभेदों का निपटारा करे । तीनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों, संसद सदस्यों तथा विशेषज्ञों को इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है । मैं यह जानाना चाहता हूं कि गंगा-ब्रम्हपुत्र परियोजना को त्यागने के क्या कारण हैं ?

डा० के० एल० राव : यह परियोजना हमारे ध्यान में है । इसे हम महत्वपूर्ण भी समझते हैं । इस नहर को बंगला देश के बीच में से गुजरना है अतः इस बारे में कुछ समस्या हल होनी हैं । वास्तव में गंगा-कावेरी संबंध के लिए भी गंगा -ब्रम्हपुत्र संबंध आवश्यक है ।

मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य केवल मात्र इन दो नदियों को मिलाना ही नहीं है, अपितु सभी नदियों को एक दूसरे के साथ मिलाना है जिससे एक नदी का अतिरिक्त पानी कम पानी वाली नदी में पहुंचा कर उपयोग में लाया जा सके । वस्तुतः ब्रम्हपुत्र नदी के पानी का उपयोग तो होता ही नहीं है । अतः यह नदी हमारे लिए पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, जिसका हमने उपयोग करना है । इसके लिए विश्व के आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग किया जायेगा ।

जहां तक नियन्त्रण बोर्ड के गठन की बात है, जोनल परिषदें पहले ही से विद्यमान है जिनमें इस प्रकार के विषयों पर चर्चा होती है । फिर भी माननीय सदस्य का सुझाव बहुत अच्छा है । अतः इस पर विचार किया जायेगा ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को ताम्रपत्र दिये जाने के बारे में

RE. PRESENTATION OF TAMRA PATRAS TO FREEDOM FIGHTERS

अध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य की अगली मद पर चर्चा प्रारंभ करेंगे ।

श्री एन० श्रीकन्तन नायर : (क्विलोन) : मैं स्वतंत्रता-सेनानियों को ताम्रपत्र दे दिये जाने का विषय उठाने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूं । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । उन व्यक्तियों को भी ताम्रपत्र दिये गए हैं जिन्होंने कभी जेल देखी भी नहीं । यह वास्तविक स्वतन्त्रता सेनानियों को बेइज्जती है । दूसरे, ताम्रपत्र पर केवल हिन्दी भाषा का प्रयोग करना संविधान में उल्लिखित अन्य भाषाओं की बेइज्जती है ।

श्री के० मनोहरन् (मद्रास उत्तर) : मुझे भी कुछ कहने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जा सकती

श्री के० मनोहरन् : अपने दल की ओर से मैं स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं । ये व्यक्ति सभी राज्यों से संबंधित थे । परन्तु इनको जो ताम्रपत्र दिये गए हैं उन पर केवल हिन्दी भाषा का प्रयोग किया गया है । यह बात संविधान के विरुद्ध है । संविधान के अनुसार , हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भी सरकारी भाषा है । दुर्भाग्य से तमिल नाडु, उड़ीसा और बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी इन ताम्रपत्रों पर लिखी भाषा नहीं पढ़ सकते । यह उनकी बेइज्जती है .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं । इस बारे में मुझे कोई सूचना नहीं दे रखी ।

श्री के० मनोहरन् : मैं हिन्दी भाषी लोगों को चेतावनी देता हूँ कि यदि उन्होंने जान-बूझकर इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाई तो इतिहास उन्हें इस महान देश की एकता भंग करने वालों के नाम से पुकारेगा । आपने पहले भी आदेश दे रखे हैं कि हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचित किया जाना चाहिये था कि आप यह विषय उठाना चाहते हैं ।

श्री के० मनोहरन् : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी भावनाएं सरकार तक पहुंचा दें । यह मेरी चेतावनी है कि इस प्रकार की बातें भविष्य के लिए अच्छी नहीं है ।

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ने एक घंटा ले लिया है । मैं कार्यसूची के क्रम में परिवर्तन करने को सोच रहा हूं । जिससे कि सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी कार्यवाही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले ली जा सके । इस से मंत्री महोदय राज्य सभा की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे । अतः 'सभा-पटल पर रखे जाने वाले पत्र' तथा 'मंत्रियों द्वारा वक्तव्य' विषयक कार्यवाही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व की जायेगी ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसे नियम समिति को निर्देशित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यदि हमें कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने होंगे तो ?

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए समय दिया जायेगा । मैं समझता हूं कि सदन मेरे मत से सहमत होगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इसे नियम समिति को निर्देशित कर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : उससे कोई लाभ नहीं होगा ..... । राज्य सभा में भी यही प्रक्रिया है । मेरा यह सुझाव समय को बचाने की दृष्टि से है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह तो प्राथमिकता देने का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा में यही प्रक्रिया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इससे यह होगा कि पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बाद में अविश्वास-प्रस्ताव पर, तब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा निधन संबंधी उल्लेख होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हमें कुछ सुधार भी करने हैं ।

सभा पटल पर रखें गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान हाउसिंग फेक्टरी और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : म कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान हाउसिंग फक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—3361/72]

(2) (एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० —3362/72]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं उच्च न्यायालय न्यायानिश (सेवाकी शर्तें) अधिनियम, 1954, की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखेंग :—

(1) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 336 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 841 में प्रकाशित हुए थे ।

[**ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या** एल० टी० 3363/72]

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

पंजाब मोटरगाड़ी (चण्डीगढ़ संशोधन) नियम, 1971

(1) मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939, की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजाब मोटरगाड़ी (चण्डीगढ़ संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति, जो चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या 11935--एच आई आई (2)-71/29169 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या** एल० टी0 3374/72]

भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[**ग्रंथालय म रखी गई । देखिए संख्या** एल० टी० **3365/72**]

अखिल भारतीय सेवाएं (वेतन) नियम का छठा संशोधन

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री(श्री राम निवास मिर्धा): मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा(2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (वेतन) नियम, 1954 के वर्ष 1972 के छठे संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 मई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 281 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या** एल० टी० 3114/72]

खाद्य निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1972

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (दूसरा संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 343 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या** एल० टी० 3366/72]

कम्पनी अधिनियय के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और वनस्पती उद्योग तथा सरकारी संकल्प के बार में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1971)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चीनी (कीमत निर्धारण) आदेश, 1972, जो भारत सरकार के राजपत्र, दिनांक 15 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 309 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उद्ग्रहण चीनी पूर्ति (नियंत्रण) आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 310 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) उद्ग्रहण चीनी पूर्ति (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जून, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 318 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) चीनी (कीमत निधारण) संशोधन आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई, 1972 में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 344(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-3367/72]

(2) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951, की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) वनस्पति उद्योग के लागत ढ़ांचे तथा उससे संदेह उचित कीमत के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1971) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-3368/72]

(ख) सरकारी संकल्प संख्या 6-वीं पो० (15)/72, दिनांक 27 जुलाई, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार के] निर्णय अधिसूचित किये गये हैं ।

(दो) ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में विहित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या ए० टी०-3369/72]

हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और निर्यात परीक्षण परिषद् तथा निर्यात परीक्षण एजेन्सियों तथा इलायची बोर्ड के वर्ष 1970-71 के प्रमाणित लेख।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरिक्षक की टिप्पणियां ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या** एल० टी०-3370/72]

(2) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964, के नियम 16 के उप-नियम (3) के अन्तगत निर्यात निरीक्षण तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या** एल० टी०-3371/72]

(3) इलायची अधिनियम, 1965, की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तगत इलायची बोर्ड, एर्णाकुलम्, के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन) ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या** एल० टी०-3372/71]

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (भाग 2) का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कर्म वीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारत में प्रेस के सम्बन्ध में भारतीय समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2) 1970 की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

[**ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या** एल० टी० 3378/72]

अध्यक्ष महोदय : आपकी अनुमती से कार्यवाही का क्रम बदल जायगा ताकि मंत्रीगण पहले फारिग हो जायें ।

कार दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के साथ दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टरों के व्यवहार के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO S. Q. No. 14 RE: BEHAVIOUR OF DOCTORS IN DELHI HOSPITALS TOWARDS VICTIMS OF A CAR ACCIDENT

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित): श्री डी० के० पण्डा द्वारा 31 जलाई, 1972 को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर में दिये गये विवरण में यह बतलाया गया था कि दस रोगियों में से दो की बाद में मृत्यु हो गई थी, 6 को छुट्टी दे दी गई थी तथा 2 का उस समय भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल में इलाज चल रहा था । मृत तथा छुट्टी मिले व्यक्तियों को

संख्या गलत दे दी गई थी । मैं उसे ठीक करना चाहता हूं । सही स्थिति यह है कि उन दस रोगियों में से चार की बाद मृत्य हो गई, चार को छुट्टी दे दी गई, एक चिकित्सा अधिकारी की राय न मान कर अपनी मर्जी से चला गया तथा एक रोगी का अभी भी अस्पताल मे इलाज चल रहा है ।

सदन को हुई असुविधा के लिये मुझे खेद है ।

अध्यक्ष महोदय : डा० कर्ण सिंह ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है, हमने न्यायिक जाँच की माँग की थी ।

अध्यक्ष महोदय : उनको वक्तव्य देने दीजिए ।

इंडियन एयरलाइन्स के फोकर फ्रेन्डशिप विमान के 11 अगस्त, 1972 को पालम हवाई अड्डे के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : CRASH OF AN INDIAN AIRLINES FOKKER FRIENDSHIP AIRCRAFT NEAR PALAM AIRPORT ON 11TH AUGUST, 1972.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : माननीय सदस्यों ने बड़े दुःख के साथ इंडियन एयरलाइन्स के फोकर फ्रैंडशिप विमान वोटी-डी एम ई के 11 अगस्त को रात को ध्वस्त होने का शोक समाचार सुना होगा। विमान बंबई से दिल्ली की इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के मार्ग के एक अनुसूचित उड़ान का परिचालन कर रहा था तथा ग्वालियर से 9.10 बजे रात को रवाना हुआ था। विमान पर 14 यात्री और 4 कार्मिक थे। ग्वालियर से रवाना होने के बाद यह दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ अपना सामान्य संपर्क बनाये हुए था। उड़ान करते हुये विमान को दिल्ली के मौसम की स्थिति सूचित कर दी गयी थी। यह धावन पथ की ओर "इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग" करने के उद्देश्य से आया परन्तु प्रथम प्रयास में अवतरण न कर सका और फिर ऊपर उठ गया। इसके बाद इसने पुनः अवतरण करने का प्रयास करने के लिये एक चक्कर काटा और कन्ट्रोल टावर को सूचित किया कि वह इस समय आउटर मार्कर के ऊपर है ; कन्ट्रोल टावर ने पायलट को "दृश्यता" सूचित करने को कहा परन्तु विमान से कोई उत्तर न प्राप्त हुआ और उसे बार बार सम्बोधित करने के बावजूद उसके साथ पुनः कोई सम्पर्क स्थापित न किया जा सका।

रात के 10.44 बजे, विमान के साथ अंतिम बार संपर्क किये जाने के दो मिनट बाद, रक्षा एव अग्निशमन सेवाओं को सचेत कर दिया गया था। रात के 10.53 बजे इंडियन एयरलाइन्स के एक कारवेल विमान को भी जो उस समय दिल्ली आ रहा था लापता विमान को खोजने को कहा गया। दो मिनट बाद कारवेल विमान से सूचना मिली की मिडिल मार्कर से पहले उसके बाई ओर एक आग दिखाई दी है। रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं को तुरन्त अंतिम अवतरण क्षेत्र के साथ साथ आगे बढ़ने और आउटर एवं मिडिल मार्कर के बीच पूरी छानबीन करने के आदेश दिये गये। एक क्रैश फोयर टैंडर, एक रैसक्यू टैंडर और एक एम्बुलैंस गाड़ी ने तुरन्त छानबीन का कार्य प्रारम्भ कर दिया। दुर्गम भूभाग, प्रति प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और अन्धकार के कारण गाड़ियां दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंच पायीं, परन्तु गाड़ियां के पैदल दल जिनमें कुछ पुलिस कर्मचारी भी सम्मिलित थे धावन-पथ के लगभग तीन मील उत्तर की मक्सूदपुर गांव के समीप ध्वंस-स्थल पर रात को 12.30 बजे जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि विमान भूमि से टकराने के बाद पूर्णतया छिन्न-भिन्न हो गया था और

इस के ध्वंसावशेष लगभग आधे मील के क्षेत्र में बिखर गये थे। विमान से यात्रा करने वालों में से कोई भी जीवित शेष नहीं रहा था और यात्रियों तथा विमान कार्मिकों के शरीर टूट-फूट कर बिखर गये थे। उस समय कोई आग नहीं जल रही थी। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइन्स ने एक डाक्टर और एक एम्बुलैंस गाड़ी सहित खोज कर्त्ता दल भी अलग से भेज दिये थे।

इस अभागे विमान का कमाण्डर कैप्टेन जे० एम० थापर था जिसे कुल मिलाकर लगभग 8,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था। इनमें से 3,000 घंटे एफ-27 विमानों की उड़ान के थे जिनमें 1000 से ऊपर कमाण्डर के रूप में किये गये घंटे भी सम्मिलित थे। इस दुःखद घटना की परिस्थितियों एवम् कारणों की छानबीन करने के लिये एक जांच-अदालत का गठन किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री राजेंद्र सच्चर होंगे।

मुझे विश्वास है इस सदन को भी मेरी तरह इस दुर्घटना से बड़ा भारी आघात पहुंचा है और वह मृत व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना अभिव्यक्ति करने में मेरे साथ है। यह अत्यन्त शोक का विषय है कि उन यात्रियों में से जिनकी इस विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई एक हमारी साथी संसद् सदस्या भी थीं—श्रीमती मिनिमाता अगमदास गुरू।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमान, हमें नियम 193 के अंतर्गत इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने अथवा चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में न्यायिक जांच करने का आदेश दिया जा चुका है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (TAKINGOVER OF MANAGEMENT) BILL

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं श्री एस० मोहन कुमार मंगलम की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम के प्रबन्ध-ग्रहण का, लोक हित में सीमित अवधि के लिए तथा उपक्रम का समुचित प्रबन्ध करने की दृष्टि से, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के उपक्रम के प्रबन्ध-ग्रहण का, लोकहित में सीमित अवधि के लिए तथा उपक्रम का समुचित प्रबन्ध करने की दृष्टि से, उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री शाहनवाज खां : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 के बारे में विवरण

STATEMENT RE : INDIAN IRON AND STEEL COMPANY(TAKINGOVER OF MANAGEMENT) ORDINANCE, 1972

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं श्री एस० मोहन कुमारमंगलम की ओर से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध-ग्रहण) अध्यादेश, 1972 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों का एक व्याख्यात्मक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fifteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् तीन बजकर दो मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes Past fifteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मैंने गत सप्ताह 10 अगस्त को वांचू समिति के अंतिम प्रतिवेदन की एक प्रमाणित प्रतिलिपि आपको दी थी। सरकार क्यों नहीं यह प्रतिलिपियां सदस्यों को उपलब्ध करती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह अभी विचाराधीन है। आशा है कि इस पर शीघ्र निर्णय किया जायगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने श्री सिद्धेश्वर प्रसाद के विरुद्ध एशियन केबल कारपोरेशन लिमिटेड सम्बन्धी प्रश्न के उत्तर में सभा को गुमराह करने के लिए विशेषाधिकार कि ओर प्रस्ताव का नोटिस दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपने इसके लिए पूर्वसूचना दी है तो इस पर विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री बड़े व्यापारियों को छूट दे रहे हैं....

उपाध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य कहेंगे उसे कायवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : **

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया गया।

Not recorded.

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS) BILL

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विक्षुब्ध क्षेत्र विशेष न्यायालय विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेंगे। गत चर्चा के समय इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने पर सहमति हुई थी परन्तु बाद में इस निर्णय को रद्द कर दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इस विषय पर क्या कहना है।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): हम यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने पर सहमत हुए थे। पहले सरकार का विचार इसे बिना चर्चा किए पारित करने का था सदस्यों के आग्रह पर पुनः यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को सोपा गया था। उसके पश्चात समिति की रचना बारे में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। मैंने एक स्थानापन्न प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसको प्रस्यत करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय क्षेत्रों ने कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों—इस सभा के 30 सदस्य अर्थात :—

(1) श्री आर० डी० भंडारे

(2) श्री मूलचन्द डागा

(3) श्री मधु दण्डवते

(4) श्री तुलसीदास दासप्पा

(5) श्री वीरेन दत्त

(6) श्री सी० डी० गौतम

(7) श्री दिनेश चन्द्र, गोस्वामी

(8) श्रीमती सुभद्रा जोशी

(9) डा० कैलाश

(10) श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

(11) श्री सतपाल कपूर

(12) श्री लीला धर कटकी

(13) श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा

(14) श्री मुख्तयार सिंह मलिक

(15) श्री प्रसन्न भाई मेहता

(16) श्री जी० एस० मिश्र

(17) श्री एफ० एच० मोहिसन

(18) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

(19) श्री बी० वी० नायक

(20) श्री सरजू पांडे

(21) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

(22) श्री एच० एम० पटेल

(23) श्री एम० सत्यनारायण राव

(24) श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ

(25) श्री नवल किशोर शर्मा

(26) श्री बी० आर० शुक्ल

(27) श्री एन० टोम्बी सिंह

(28) श्री सी० एम० स्टीफन

(29) श्री के० वीरय्या

(30) श्री आर० पी० यादव

तथा राज्य सभा के 15 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन इस सभा को पेश करेगी;

कि अन्य मामलों मे, संसदीय समितियों संबंधी इस सभा के प्रक्रिया संबधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति मे सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यो के नाम इस सभा को बताये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण का और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को दोनों सदनों को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 45 सदस्य हों—इस सभा के 30 सदस्य अर्थात :—

(1) श्री आर० डी० भंडारे

(2) श्री मूलचन्द डागा

(3) श्री मधु दण्डवते

(4) श्री तुलसीदास दासप्पा

(5) श्री वीरेन दत्त

(6) श्री सी० डी० गौतम

(7) श्री दिनेश चन्द्र, गोस्वामी

(8) श्रीमती सुभद्रा जोशी

(9) डा० कैलाश

(10) श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

(11) श्री सतपाल कपूर

(12) श्री लीलाधर कटकी

(13) श्रीमती टी० लक्ष्मीकातम्मा

(14) श्री मुख्तयार सिंह मलिक

(15) श्री प्रसन्न भाई मेहता

(16) श्री जी० एस० मिश्र

(17) श्री एफ० एच० मोहिसन

(18) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

(19) श्री बी० वी० नायक

(20) श्री सरजू पांडे

(21) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

(22) श्री एच० एम० पटेल

(23) श्री एम० सत्यनारायण राव

(24) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट

(25) श्री नवल किशोर शर्मा

(26) श्री बी० आर० शुक्ल

(27) श्री एन० टोम्बी सिंह

(28) श्री सी० एम० स्टीफन

(29) श्री के० वीरय्या

(30) श्री आर० पी० यादव

तथा राज्य सभा से 15 सदस्य;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति अगल सत्र के प्रथम दिन तक अपना प्रतिवेदन इस सभा को पेश करेगी।

कि अन्य मामलों में, संसदीय समितियों संबंधी इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपिभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति मे सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

आय-कर (संशोधन) विधेयक

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब आयकर (संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर चर्चा की जाएगी। श्री बड़े ।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I do not oppose this Bill in principle. But this Bill cannot achieve the object for which it has been moved. It had been provided in the Act that expenses would not be included for the purpose of Wealth tax. But now the Supreme Court has given a different verdict. At this, the Ordinance has been issued. The report of the Wanchoo Committee states that Income Tax Law should be simplified so as to become understandable for the common man. But this Act has become very complicated. So my submission that a comprehensive bill should be brought forward in place of this.

Another point that I want to make is that the rate of income-tax is the highest in India. which prompts the people to resort to tax evasion. The lowest slab of tax assessment should be Rs. 7,500. Secondly, as per the ruling of the Supreme Court, the Wealth tax should be made deductible from income. So a comprehensive Bill may be brought to simplify this Act. The rate of income tax is high and the law is complicated and this leads to tax evasion. The Wanchoo Commission has said.....

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) इस विधेयक का वांचू समिति के साथ कोई संबंध नहीं है ।

श्री आर० वी० बड़े : हम आय कर और निर्धारित प्रक्रिया के बारे में अपने विचार रख सकते हैं। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का 1972 में दिया गया निर्णय है अतएव यह कानून सरल होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने 1972 के अपने निर्णय में पूर्व निर्णयों को अमान्य घोषित कर दिया था। आयकर कानून बहुत अधिक जटिल और वांचू समिति ने सिफारिश की है कि जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए विशेष न्यायाधिकरण होना चाहिए। आयकर कानून में इतनी जटिलताएं हैं जो आम आदमी की समझ से बाहर हैं। इसलिए मैं धन कर का विरोध करता हूं । आय कर या धन कर, इन दोनों में से एक कर लगना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं उन आधारों पर विधेयक का समर्थन करता हूं जो उद्देश्यों और कारणों वाले विवरण से भिन्न हैं। वस्तुतः इस विधेयक को विधायी कार्यवाही में अर्न्तनिहित गुण हैं जो विवरण में बताये गये उद्देश्यों से भिन्न हैं। मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इससे उच्चतम न्यायालय का निर्णय निष्प्रभावी हो जाएगा। मैं यह भी नहीं समझता कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी अथवा इसके न होने से राजकोष को हानि होगी। मैं इसका समर्थन किन्हीं गहन उद्देश्यों से करना चाहता हूँ, यह वित्तीय विधान के बहुत ही दृढ़ सिद्धातों से संबंधित है क्योंकि इस विधेयक के द्वारा हम आय कर कि एक त्रुटि को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। जब यह विधेयक कानून बन जाएगा तब करदाता द्वारा दिये जाने वाले धन कर को "व्यापार" अथवा "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अतर्गत उसकी कर योग्य आय से नहीं घटाया जा सकेगा। यह निश्चित हो जाएगा कि

कुल धनको देखते हुए धन कर का भार सभी करदाताओं पर समान रूप से पड़ेगा ताकि आयकर और धनकर का कुल भुगतान दो विभिन्न क्षेत्रों पर, जिनके पास उसी मूल्य की सम्पत्ति हो, असमान रुप से न पड़े और आय तो वही हो, किन्तु एक क्षेत्र की आय व्यापार से प्राप्त आय हो और अन्य क्षेत्र की आय व्यापार से भिन्न किसी साधन से हो ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए यह सुधार करना आवश्यक था । मैं यह नहीं कहता कि इन्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी के मामलों में उच्चतम न्यायालय का निर्णय सही नहीं है । वह एक सही निर्णय है । उच्चतम न्यायालय कानून की व्याख्या करती होती है । हमे इस कानून का संशोधन करना चाहिए क्योंकि इसके अभाव में आयकर और धन कर की कुल मिलाकर देयता असाम्यिक हो जाती है ।

यदि दो कर दाताओं, जो समान स्थिति मे हैं, के आयकर और धन कर की कुल देयता को समान बनाना हो तो यह कानून नितान्त आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री के० बालंतडायुतम (कोयम्बटूर) : मैं इस विधेयक का इसलिए समर्थन करता हूं कि इससे सरकार के साधनों मे वृद्धि होगी, यद्यपि माननीय मंत्री द्वारा विस्तार से व्याख्या किए गये सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की इससे पूर्ति नहीं होगी । प्रत्यक्ष कराधान में भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक केंद्रीय विकास योजनाओं के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : SEPARATE CENTRAL SCHEMES FOR DEVELOPMENT OF BACKWARD AREAS

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और अधिक से अधिक सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे अत: मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना भाषणसंक्षेप में दें ।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : Sir, I beg to move :

"That this House is of opinion that separate development Central Schemes be undertaken for the backward areas in the country, such as Eastern U.P., Bundelkhand in Madhya Pradesh, Chhota Nagpur in Bihar so that these areas may not lag behind other developing areas."

If this motion is accepted then the backward areas will come at par with other parts of the Country.

I come from Bundelkhand area. It is a very bakward area, infested with dacoits. Only a very small part of the land is irrigated. People there have no means of livelihood. I, therefore, request the Government to construct big dams in that area so that the farmers may get water for their fields. The water of many big rivers flowing throughout the year has not so far been used in any way. The Orchha dam on Betwa River is still incomplete, though survey was started in 1958 and so far 10 lack rupees have been spent.

A fertilizer factory should be set up in that area so that the problem of unemployment could be solved to some extent.

New railway lines should be laid in that area. Because in the absence of railway lines new industries are not coming up.

There are ample natural resources in that area but they have never been exploited and that is why this area is so backward.

The electricity of Matalila Dam is being utilised in the factories and houses of Kanpur. Whereas our farmers are starving for electricity for irrigation. Under these circumstances, how can we hope that we will progress some day.

Some concrete steps should be taken for the development of that area.

All the backward areas of the country should be developed. Railway lines should be provided in those area. New licences for industries should only be given for these backward areas.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव के सम्बन्ध में कई संशोधन आए हैं। कृपया सदस्य अपना अपना संशोधन पढ़ दें।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सत्यचरण बेसरा (दुमका) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० के दासचौधरी (कूच बिहार) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शिव चण्डिका (बांका) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तूत करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तूत करता हूँ।

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : 1947 से पहले ब्रिटिश काल में क्षेत्रीय असमानताएं बहुत थीं पर तत्कालीन शासकों ने उन्हें अपने हितों को देखते हुए रखा था पर 25 साल के कांग्रेसी राज्य के बाद भी भारत संसार का सबसे गरीब देश है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय विश्वभर में सब देशों से कम है।

देश में वित्तीय संस्थाएं स्थापित करने में भेदभाव बरता गया है। इनके द्वारा विकसित क्षेत्रों को अधिक ऋण दिया जाता है जबकि पिछड़े क्षेत्रों को बहुत ही कम।

इतना ही नहीं, 1969-71 में दिए गये कुल 752 औद्योगिक लाइसेंसों मे से केवल 91 लाइसेंस पिछड़े क्षेत्रों को दिए गये।

यही असमानता ग्रामीण विद्युतिकरण के सम्बन्ध में है। बहुत ही कम गाँवों में बिजली पहुंचाई गई है। विभिन्न राज्यों में केवल 2.75 प्रतिशत से 11.79 प्रतिशत गाँवों में बिजली पहुंची है। पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही बने हुए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी यही हाल है। 1961 में 24.03 प्रतिशत शिक्षित लोगों की तुलना मे 1971 मे केवल 29.34 प्रतिशत लोग शिक्षित थे। देश में 33 जिले ऐसे है। जहाँ केवल 15 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। 67 जिलों में 15 से 20 प्रतिशत तक लोग शिक्षित हैं।

राज्यों में अनुसूचित बैंकों द्वारा छोटे उद्योगों को बड़ी ही असमान मात्रा में सहायता दी गई है। महाराष्ट्र मे जब कि 18,247 एकक लाभान्वित हुए मेघालय, नागालैंड और उड़ीसा मे ऐसे एककों की संख्या क्रमशः 1,24 और 697 थी। वोट लेने के लिए सब कुछ कहा जा सकता है। मैं इस सरकार की भर्त्सना करता हूं। मैं चाहता हूं कि देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से मेरा संशोधन मान लिया जाये।

श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मैं इस प्रस्ताव के प्रस्तावक से इस बात पर सहमत हूं कि देश के इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये कुछ ठोस कदम उठाये जाने हैं।

योजना आयोग ने इस गहन आवश्यकता का अनुभव किया है। उसने विस्तृत अध्ययन करने कतिपय क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र बताया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की ओर से तरजीह दी जाती है। 25 वर्ष के इस लम्बी अवधि में सिंचाई परियोजनाओं तथा अन्य विकास परियोजनाओं पर काफी धन व्यय किया गया है परन्तु फिर भी क्षेत्रीय असमानताएं बढी हैं और उन्हें दूर करने के लिये कुछ उपाय किये जाते हैं।

आंध्र प्रदेश के दो पिछड़े क्षेत्रों रायलसीमा और तेलंगाना में सदा अकाल पड़ता है। इन क्षेत्रों में आज भी सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पेय नल जैसी आधारभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है। रायलसीमा जिले में, जो कि पिछड़ा हुआ है, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये रायलसीमा विकास बोर्ड का गठन किया गया था परन्तु उसे विशेष धनराशि नहीं दी गई। यह एक प्रकार की सिफारिश करने वाली संस्था है जिसका कोई सांविधिक कृत्य नहीं है। जिन सिंचाई योजनाओं को आरंभ किया गया था उनकी गति धीमी कर दी गई है। श्री सैलाम पन-बिजली योजना को 30 करोड़ रुपये की लागत से आरंभ किया गया था तथा वह अब तक निर्धारित समय के अनुसार पूरी हो जानी चाहिये थी परन्तु वह पूरी नही हुई है और उसे पूरा करने में अब 100 करोड़ रूपये तक की लागत आ सकती है।

जिन पिछड़े क्षेत्रों मे उद्योग धंधे आरंम्भ करने होते हैं वहां आधारभूत सुविधाएं नहीं होती हैं, फलतः व्यावहारिक रुप में अब तक कुछ नहीं हो सका है।

मेरा सुझाव है कि केन्द्र में एक सांविधिक बोर्ड होना चाहिए जो विभिन्न सरकारों को धन के वितरण के लिये निदेश दे तथा यह सुनिश्चित करे कि वह धन सही ढंग से व्यय किया जाता है अथवा नहीं। अकाल तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों मे क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिये योजना आयोग को गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए। योजना आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि एक अलग कक्ष की स्थापना की जाये। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगपतियों को उद्योग-धंधे स्थापित करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए, तभी यह दशा सुधर सकती है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : अंग्रेजों के साम्राज्य में उड़ीसा में कोई विकास की योजना आरंभ नहीं की गई तथा उड़ीसा को बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश तथा मद्रास प्रेसीडेंसी के अन्तर्गत रखा गया। 1935 मे उडीसा बना 1947 मे राज्यो का एकीकरण हुआ परन्तु फिर भी निकटवर्ती क्षेत्रो में कई उड़ीया क्षेत्र छोड़ दिये गए। सभी योजनाओं में तोते की तरह यह रट लगाई जा रही है कि क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जायेगा परन्तु हो क्या रहा है! 1966-67 में उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय 278.80 रुपये थी जबकि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 481.50 रुपये थी।

1967 में उड़ीसा में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। वह विकास काल था तथा औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी विकास को प्रोत्साहन दिया गया। वहां की राज्य सरकार ने कई योजनाओं को क्रियान्वित किया। केन्द्रीय सरकार ने पहले जिन कुछ योजनाओं को स्वीकार किया था उन्हें अब अन्य क्षत्रों में लागू कर दिया है।

यदि "नैवल बॉयज ट्रैनिंग सेन्टर" को किन्हीं परिस्थितियों के कारण बारकुल में स्थापित न किया जा सके तो उसे पारादीप पर स्थापित किया जा सकता है।

पारादीप पर जहाज बनाने के यार्ड के लिये प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया था परन्तु वहां वह यार्ड नहीं बनाया जा रहा है। प्रकृति ने उड़ीसा को प्राकृतिक संसाधन दिये हैं और दस्तूर एण्ड कम्पनी ने तो यह प्रतिवेदन दिया है कि यहां इस्पात के उत्पादन पर सबसे कम लागत आयगी। उसने कहा है कि यदि नयागढ़ में अगला इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाये तो धात्-पिण्ड के प्रति मीट्रिक टन पर 354 रुपये लागत आयगी। फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

ऐसा समाचार है कि एक पटसन मिल की स्थापना श्री एल० एन० मिश्र के विचाराधीन है परन्तु वह स्थापित नही की जा रही है यद्यपी वहां 1·50 लाख एकड़ भुमी में पटसन पैदा होता है। राज्य को औद्योगिक संयंत्र स्थापित करने अथवा अपने खनिज अयस्क के लिये रायल्टी पाने के लिये स्वायत्तता प्राप्त नहीं है।

लोहा तथा इस्पात जैसी आवश्यक वस्तुओं के बितरण पर भी केन्द्र का नियंत्रण है। जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, इसमें केन्द्रीय सरकार सब से बड़ी बाधा यह डाल रही है कि तलचेर से धुरवाली तक और बालीझेला में ट्रांसमीशन लाइनों के लिये लोहा तथा इस्पात का पर्याप्त कोटा नहीं दे रही है।

जहां तक उड़ीसा में रेलवे लाइन का सम्बन्ध है, प्रति 100 वर्ग किलोमिटर में 11 किलोमीटर रेलवे लाइन है जबकि अन्य राज्यों में इससे कही अधिक है। व्यवहार्यता प्रति-वेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद भी, जखपुरा-बांसपानी-कोइरा घाटी लाइन और अभागुडा-किसिंगा रेल लाइन को खटाई में डाल दिया गया।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भावना घर कर रही है कि उड़ीसा के साथ केन्द्र द्वारा बड़ी संकीर्णता का व्यवहार किया जा रहा है और उड़ीसा में श्री सिद्धार्थ शंकर रे और श्री प्रियरंजन दासमुंशी शासन कर रहे हैं न कि श्रीमती नन्दिनी सत्पथी।

मैं कुछ सुझाव देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिये आयोजना का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये तथा पंचायत स्तर से जिला-स्तर और फिर राज्य-स्तर और केन्द्र स्तर तक कार्य आरंभ किया जाना चाहिये। सिंचाई, बिजली, सड़कों और शिक्षा आदि की सुविधाओं के लिए आधारभूत आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिये। तथा पांडे और वांचू दलों द्वारा सुझाये गए प्रोत्साहनों को सच्चे अर्थ में पूर्णरूपेण लागू किया जाना चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हुं जो ऐसे राज्य में है जहां से देश को तेल मिलता है परन्तु सब से अधिक विडम्बना तो यह है कि यह क्षेत्र राज्य का सबसे अधिक पिछडा क्षेत्र है।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्य आधारभूत आवश्यक बातों की व्यवस्था के बारे में पहले बोल चुके है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के समूचे पूर्वी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के विकास के लिये आधारभूत आवश्यक बातों की न्यूनतम व्यवस्था भी नहीं की गई है।

औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी विकास के लिये समुचित संचार व्यवस्था का होना आवश्यक है और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि आसाम तक बड़ी लाइन का विस्तार किया जाय, परन्तु इस मांग पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है ।

ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आ जाने के कारण राज्य में कृषि उत्पादन का भविष्य अन्धकारमय है और इस पर नियंत्रण करने के लिये कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिएं, परन्तु मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी के कारण इस दिशा में कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

मेघालय में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और वहां कृषि उद्योगों के विकास की काफी गुंजायश है परन्तु इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है ।

मैं योजना मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे क्षेत्र में आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करें ताकि वहां समुचित औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी विकास हो सके ।

औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के सम्बन्ध में यह शर्त होनी चाहिये कि औद्योगिक उपक्रम पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जायें । इस सम्बन्ध में प्राथमिकता सुची बनाई जानी चाहिये ।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि ऐसे औद्योगिक संस्थानों को कर में छूट देने पर सरकार विचार कर सकती है । ऐसा करने से पिछड़े क्षेत्रों के निर्धन व्यक्ति धनवान बन सकते हैं, काला धन भी सफेद धन बन सकता है और साथ ही क्षेत्रीय असमानता भी दूर हो सकती है । मुझे आशा है कि औद्योगिक विकास मंत्रि इस सुझाव पर अन्य मंत्रियो के साथ विचार करेंगे ।

न केवल आसाम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के ही, अपितु समचे पूर्वी क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिये । जो सांस्कृतिक परम्पराओं तथा औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी संभावनाओं में सम्पन्न है ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Backwardness in our country is the inheritance of British Rule . The only approach of the British Rulers towards development was that of safeguarding the interests of their own empire. Theirs was an imperialistic attitude I charge this Government that even to-day no fundemental change has taken place in the Government's attitude. The Government's approach is capitalistic. The problems in regard to development of the country should have been solved through people's approach.

The eastern region of Uttar Pradesh has always been neglected on the ground that the toiling people of this region always revolted against imperialism, capitalism and the wrong policies of the Government. We shall have to pay attention to develop the small-scale industries there.

A mini steel plant was sanction for location at Balia but now it is learnt that this mini-plant is being shifted to some other place under political pressure. This is deplorable. Out of 54 districts in U.P., 22 districts are backward which includes 13 districts of Eastern Region alone. The Harijans in the country are deprived of even wells for drinking water. What else can be more deplorable? This is an utter failure of the present machinery of planning and development. 4 million of people in Uttar Pradesh depend on Handlooms and powerlooms but due to the textile policy of the Government, these people have reached the stage of half-starvation.

Electricity is generated at Richard Pam in U.P. the Government supply the electricity to 'Hindalco' at cheaper rates, while other people get it at the rate of 22 paise to 44 paise per unit. A committee of the U.P. Assembly recommended that 'Hindalco' should be nationalised and the agreement with that company should be cancelled. What policy the Government are going to adopt in this matter?

All the available surplus and fallow land in our country, including that in eastern region, should be redistributed among the poor agricultural labourers who are landless.

All the sugar mills in the eastern region should be nationalised. The problems of Uttar Pradesh and Bihar are identical. The handloom and powerloom industry should be protected against the onslaught of the capitalists.

No roads have been constructed in the district of Basti during the last 25 years. A Commission was constituted to go into the situation but the recommendations of that Commission have been kept in the cold storage.

All the metre gauge lines in the eastern region should be converted into broad gauge-lines.

श्री० के० डी० मालवीय (डुमरिया गंज) : अब तक जो कुछ नहीं किया गया है उसके लिय विरोधी पक्ष द्वारा आलोचना करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कुछ मूल कारण हैं जिन्हें एक दिन, दो दिन अथवा एक वर्ष या पांच वर्ष में भी नहीं सुलझाया जा सकता । हमें यह पता लगाना चाहिये कि देश में कोई क्षेत्र पिछड़ा अथवा विकसित कैसे होता है ?

[श्री के० एन० तिवारी **पीठासीन हुए**]

[Shri K. N. TIWARI *in the Chair*]

इस बारे में मैं कुछ सुझाव दूंगा जिनकी ओर यहां पर उपस्थित योजना मंत्री को ध्यान देना चाहिये ।

एक बात बिल्कुल स्पष्ट है । आज जो लाखों लोग बेरोज़गार हैं उन्हें केवल पिछड़े क्षेत्रों में लघु अथवा कुटीर उद्योग स्थापित करने मात्र से रोजगार नहीं मिल सकता जहां औद्योगिक तौर-तरीकों का विकास नहीं हुआ है । बलिया अथवा बस्ती में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित होने में समय लगेगा । कांग्रेस दल ने हाल में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के पुनर्वितरण के बड़े कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की प्रतिज्ञा की थी । ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिके विकास से लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है । यह मूल प्रश्न है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये । यदि भूमि वाले लोगों से भूमि लेकर अन्य लोगों में उसे बाट दिया जाये तो पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिये इस से कुछ नहीं होता । मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास भूमि है और जो इसे विकसित नहीं कर सकते, उस ग्रामीण भूमि का विकास किया जाना चाहिये । यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह आगे आये और उन लोगों के लिये उन क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए ।

आयोजना को नीचे के स्तर पर से आरंभ किया जाना चाहिये । समूचे देश में दस जिले चुन लिये जाने चाहीयें । उन जिलों में जिला-मजिस्ट्रेटों को जिले के महत्वपूर्ण निजी कार्यकर्ताओं का तीन चार दिन का सम्मेलन बुलाना चाहिये और उनकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट को करनी चाहिये । उन लोगों से, अपने क्षेत्रों में सड़के, अस्पताल, नलकूप, स्कूल आदि जसी छोटी-छोटी योजनाओं के बारे में सुझाव प्राप्त करने चाहियें । राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के कुछ प्रतिनिधियों को वे सुझाव रिकार्ड करने चाहिये । तब जाकर यह जनता की योजना होगी ।

अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये की कृषि-विकास और भूमि के पुनर्वितरण के कार्यक्रम पर गंभीरता पूर्वक विचार करे ।

श्री बी० के० दासचौधरी (कूच-बिहार) : प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रीय सरकार को पिछड़ क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें तैयार करनी चाहियें । पिछले 20 वर्ष के दौरान गरीब लोगों की हालत वैसी ही रही है । वर्तमान गति से क्षेत्रीय विषमताओं और ऐसे क्षेत्रों के पिछड़पन को दूर करने के लिये 30 से 50 वर्ष तक का समय लग सकता है । जैसे कि कुछ सदस्यों ने कहा, सारे देश के लिये एक पृथक विकास प्राधिकरण होना चाहिये । यही एकमात्र उपाय है ।

पर्याप्त उपाय किये जाने पर भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता । जनसंख्या तेज़ गति से बढ़ती ही जा रही है और गरीब लोगों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है । सरकार को इन समस्याओं को हल करने के लिए द्रुतगति से कदम उठाने चाहिय ।

पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति औसत आय 1000 के करीब है । विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करने के बावजूद, पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति वैसी ही है । जब तक विकास सम्बन्धी बुनियादी ढांचा न तैयार किया जाये, उस समय तक ये क्षेत्र पिछड़े हो रहेंगे लेकिन क्या बुनियादी ढांचा तैयार करने सम्बन्धी कार्य सरकार के लिये कठिन तो नहीं होगा । प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने उत्तर बंगाल विकास बोर्ड बनाये जाने की घोषणा की थी लेकिन यह बोर्ड अब तक नहीं बना । मैं मंत्री महोदय तथा भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु एक केन्द्र शासित प्राधिकरण होना चाहिये, ताकि पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके ।

श्री निंबालकर (कोल्हापुर) : मेरा सुझाव है कि इस चर्चा का समय बढ़ाया जाये ।

सभापति महोदय : मैं आज समय बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं ।

एक माननीय सदस्य : कल के लिये इस हेतु कितना समय निश्चित किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : आप इसके बारे में अध्यक्ष महोदय को लिखें । यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हम सब रुचि रखते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आप प्रस्ताव रखें तथा सदन को समय बढ़ाने दें ।

सभापति महोदय : कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है जिसके सदस्य मंत्री महोदय भी है । यह मामला भी समिति के सामने रखा जायेगा जिसका निर्णय सदन के सम्मुख रखा जायगा ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मेरा सुझाव है कि इस के लिए कल या परसों समय दिया जाये ।

सभापति महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने यह सब नोट कर लिया है ।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj) : There has been no improvement in the condition of the backward areas, particularly those North Bihar. The per capita income of Bihar has declined during the last ten years. The Government has not cared to investigate the reasons responsible for the decline in the per capita income of that State.

70 to 80 per cent of people in Bihar depend on agriculture. There can be no development of the backward areas of Bihar because its land cannot bear the burden of 80 per cent of population. The Government have been saying that industries cannot be set up earlier in the backward areas and the condition of the people cannot be improved by setting up industries. This argument of the Government is not correct because the condition

of the people of the areas where steel plants have been set up, has considerably improved. I think a permanent machinery should be set up to investigate the backwardness of these areas and suggest some remedial measures. Only 5 industries are there in Bihar. All the 10 Sugar mills are outdated which are required to be modernised. The Planning Commission should think over improving the lot of these economically weak areas.

The Government could not complete the Gandak project for the last 15 years. The Government have failed to provide irrigation facilities to these areas. Also, there are no industries in the public or private sectors in Saran, Champaran, Muzaffarpur, Darbhanga and Purnea Districts.

We have been representing time and again for the setting up of Development Committee for North Bihar but the same has not so far been set up. The grants being given by the Centre to the Bihar Government are not being utilised. The Government should think over the ways and means of solving the problems of North Bihar.

Shri R. R. Sharma (Banda) : During the last 25 years, we have been issuing statements after statements and have failed to discharge our duties. According to the objectives of the Third Five Year Plan, the benefit of economic progress had to be extended to the less developed regions. Similarly, National Development Council in its meeting on 27th September, 1969 had decided to encourage the setting up of industrial undertakings in the backward areas and also provide special aid to backward areas.

Such type of promises have been made many times in the past, but we have achieved nothing by these promises. I would like to discuss the backwardness of Bundelkhand which include four districts of U.P. and eight districts of M.P.

There are no industries in Banda District of Bundelkhand. In the absence of industries, there is too much of pressure on land. Setting up of industries could lighten the burden of land and also provide employment to the people depending wholly on agriculture. A cement factory can be set up there for which raw material can also be made available locally.

During rainy season , Banda which is a district Headquarter, is disconnected with capital city of Lucknow. Even after a lapse of 25 years, no bridge has so far been constructed over either cane river or Jamuna river. Banda is a particularly backward area. The people of this area should get transport facilities.

In Karvi Tehsil even drinking water is not available. This problem should be solved there.

There is no Engineering College, Medical College or Sainik School in this region. The ratio of literacy is on the decline.

In this region, there are areas where people have not even seen Railway line.

In Rajapur, where Tulsidas was born, there is no bridge on Jamunna. The Government should attend to all these matters.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : दरिद्रता इस देश की महानतम समस्या है । श्री दाण्डेकर द्वारा किये गये इस के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 22 करोड़ 35 लाख व्यक्ति गरीबी के स्तर से भी कम से निर्वाह कर रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय 324 रुपए है जबकि नगरीय क्षेत्रों की 486 रुपए । परन्तु वास्तव में कई व्यक्तियों को पचास पैसे रोज भी नहीं मिल पाते ।

योजना आयोग के एक विभाग ने दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र के 26 जिलों के साधन-स्रोतों का अध्ययन किया है । इसमें कहा गया है कि उक्त क्षेत्र का क्षत्रफल 1,35,000 वर्ग मील है और जन संख्या 3.49 करोड़ है । यह क्षेत्र देश की खनिज सम्पदा के 75 प्रतिशत का उत्पादन करता है ।

बिहार और उड़ीसा में दो इस्पात संयंत्र तो हैं परन्तु उनके आसपास ऐसे उद्योग नहीं स्थापित किये गये जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं । योजना आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए ।

उड़ीसा में बिजली, रेलमार्गों तथा सड़कों की बहुत कमी है । बिहार और उड़ीसा का सिंचित क्षेत्र क्रमशः 16 और 15 प्रतिशत है ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये एक पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्यों नहीं स्थापित किया जाता ?

मेरा आग्रह है कि पांचवीं योजना के दौरान, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाये ।

पुंजीपतियों को अपने काले धन को पिछड़े क्षेत्र में लगाने के लिये 10 वर्ष का समय दिया जाये ।

कुछ व्यक्तियों को मेरे सुझाव क्रान्तिकारी लगेंगे परन्तु मैं समझता हूं कि इनपर विचार किया जा सकता है ।

सभापति महोदय : आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करने से पहले मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि इस प्रस्ताव के लिए और अधिक समय कार्य मंत्रणा समिति निश्चित करेगी और चर्चा किस दिन हो इसका निश्चय सरकार करेगी ।

चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाना*

NORMALISATION OF RELATIONS WITH CHINA

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि वारसा में हमारे राजदूत ने चीन के राजदूत से बातचीत की थी ।

चीन में भारत के प्रतिनिधि ने चीनी अधिकारियों से सौहार्दपूर्ण बातचीत की है । संयुक्त राष्ट्रसंघ बंगला देश के प्रवेश के मार्ग में चीन बाधक बना हुआ है । मैं समझता हूं कि इससे हमें अधिक निराश नहीं होना चाहिए ।

सांस्कृतिक क्रान्ति के पश्चात् चीन उन देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधार रहा है जिनके साथ उसके सम्बन्ध बिगड़ गये थे ।

चीन का रवैया अन्य देशों के साथ-साथ भारत के साथ भी बदल रहा है । चीन ने अनुभव कर लिया है कि नक्सलवादियों एवं नागाओं के माध्यम से इस देश का विघटन नहीं किया जा सकता । अब परिस्थितियां बदल गई है । चीन अब भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने को उत्सुक है ।

सभापति महोदय : आप ने यह चर्चा अतारांकित प्रश्न संख्या 634 के विषय में उठाई है । यह प्रश्न श्री एस० एम० बनर्जी और आर० एस० पांडे ने रखा था । अब आप बता रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है ।

---

*आधे घंटे की चर्चा

Half an Hour discussion.

श्री समर गुह : मैंने इन बातों का उल्लेख इस लिए किया है क्योंकि चीन के रवैये में परिवर्तन के स्पष्ट संकेत मिले हैं। यदि हम इस उप-महाद्वीप को शान्ति का क्षेत्र बनाना चाहते हैं तो हमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय गुट से संबद्ध नहीं होना चाहिए। अब राजनीतिक स्थिति बदल गई है। इसलिये चीन कमजोर भारत के स्थान पर दृढ़ भारत का स्वागत करेगा।

आज हमारी स्थिति 1962 की नहीं है। 1965 और 1971 के पश्चात् भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत् में सम्मान उंचा हुआ है। आज हम शक्ति के बल पर, आत्म-विश्वास के आधार पर चीन से बातचीत कर सकते है।

इस क्षेत्र में शान्ति तभी संभव है जब हम चीन के साथ अपने सम्बन्ध सामान्य बना लेते हैं। इसीलिए मैंने यह चर्चा उठाई है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या किसी तीसरे देश द्वारा भारत-चीन के सम्बन्ध सुधारने और दोनों देशों के मध्य गतिरोध समाप्त करने का प्रयत्न किया गया है ? यदि हां, तो हम इस बारे में क्या प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : चीन के साथ हमारी शत्रुता सीमा विवाद के कारण थी। पिछले दस वर्षों में इस मामले पर दोनों ओर से चुप्पी साधी हुई है। ऐसा लगता है कि चीन भारत के साथ सामान्य सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयत्न किये हैं। जब अमरीका चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये प्रयत्न कर सकता है तो भारत भी वैसा क्यों नहीं कर सकता ?

प्रो० नरायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि तीसरे एशियाई व्यापार मेले में सम्मिलित होने के भारतीय निमंत्रण पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है ?

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Ten years ago we had taken a unanimous pledge in this House.

Mr. Chairman : Please ask your question.

Shri Phool Chand Verma : We had taken a pledge that we would not negotiate with china unless we get back our land occupied by China. There has been no change n the situation. Why then we have changed our attitude in this regard? Is it under same oreign pressure?

The Minister of External Affairs(Shri Swaran Singh) : On the one hand, there is pressure from Shri Samar Guha.

Shri Phool Chand Verma : Still go thousand sq. miles of our area is under Chinese occupation. What effects the Government is making to recover our land?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे यह तो पता नहीं कि चीन के रवैये में परिवर्तन आया है अथवा नहीं, परन्तु श्री समर गुह में निश्चित परिवर्तन आया है, जो कि सराहनीय है।

हमें परिस्थितियों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए और यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हमारे रवैये में परिवर्तन की मांग करती हैं तो हमें उसके लिये तैयार रहना चाहिए।

भारत सरकार सदा से यह मानती आई है कि भारत के लोग तथा चीन के लोग महान हैं। भूगोल ने उन्हें पड़ौसी बनाया है, अतएव उन्हें अच्छे पड़ौसी के रूप में रहना चाहिए।

हम चीन के साथ सम्बन्धों में सदा सुधार चाहते रहते हैं, परन्तु संघर्ष के बाद चीन का सामान्य रवैया मैत्री के लिये उपयुक्त नहीं रहा है । हमारा मैत्री का रवैया अब भी बना हुआ है, परन्तु चीन के रवैये में कोई अंतर नहीं आया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : बंगला देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश के मामले में चीन द्वारा वीटो शक्ति का उपयोग किये जाने के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री स्वर्ण सिंह : बंगला देश के मामले में प्रारम्भ से ही चीन का रवैया जैसा रहा है वह सब को विदित है । चीन का वर्तमान रवैया भी बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने मे बाधा पैदा करने का है । यह रुख प्रशंसनीय नहीं है ।

यह स्थिति पाकिस्तान के लिये अथवा राष्ट्रपति भुट्टो के लिये भी शोचनीय है ।

हम आशा कर रहे थे कि चीन के रवैये में धीरे धीरे परिवर्तन होगा , परन्तु बंगला देश के मामले में चीन द्वारा सैनिक शासन का समर्थन स्पष्ट रूप से रहा है ।

आखर मैत्री दो देशों में होती है । चीन की ऐसी कोई इच्छा नहीं जान पड़ती ।

हमें अपने हितों का संरक्षण करना है । किसी तीसरे देश द्वारा भारत-चीन सम्बन्ध सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । हमारी मान्यता है कि दोनों महान देशों के सम्बन्ध द्विपक्षीय प्रयत्नों से ही सुधरेंगे ।

यदि राजनयिक स्तर पर दूतावास का स्तर ऊंचा करने में हमारा हित होगा तो हम ऐसा अवश्य करेंग ।

हम चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने को सहमत हैं । हमने चीन को व्यापार मेले में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा था, परन्तु अभी तक हमें उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ । राष्ट्रपति निक्सन की पेकिंग यात्रा का उल्लेख किया गया है, परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि अमरीकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा से पूर्व उच्च स्तर पर घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो चुके थे और बहुत सी बातें पहले से ही तय हो चुकी थीं ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 17 अगस्त, 1972/26 श्रावण, 1894 (शक्) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 17, 1972/Sravana 26, 1894(Saka).

भा०स०मु०ना०—वि०7—14 लोक सभा/72—15-12-72—490.